वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2011-12

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

(मिनी रत्न कंपनी)

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड

राँची - 834001

विषय - सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	2011–2012 के दौरान प्रबन्धन	1
2.	वर्तमान प्रबन्धन	2
3.	बैंकर्स एवं अंकेक्षक	3
4.	सूचना	4
5.	अध्यक्ष का कथन (वक्तव्य)	5
6.	उपलब्धि : एक नजर में	6
7.	वित्तीय सांख्यिकी	7
8.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	8
9.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र और सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण–पत्र	9
10.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर	10
11.	धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन के उत्तर	11
12.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	12
13.	लेखे की अनुसूची	13
14.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा लेखे पर टिप्पणी	14
15.	धारा 217 (2ए) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट	

वर्ष 2011-2012 के दौरान प्रबंधन

श्री अशोक कुमार सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक(1.1.2008से)
कार्यकारी निदेशक		
श्री अमल कुमार देवनाथ	:	निदेशक (तकनीकी) (1.8.2007 से)
श्री बैद्यनाथ बसु	:	निदेशक (तकनीकी) (25.8.2011 से)
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी) (13.10.2011 से)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी) (13.01.2012 से)
श्री एस. के मित्रा	:	निदेशक (तकनीकी) (1.9.2007 से 27.6.2011 तक)
श्री एन. खुराना	:	निदेशक (तकनीकी) (22.06.2007 से 24.6.2011 तक)
अंशकालिक सरकारी निदेशक	:	
श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली 27.1.2010 से)
श्री निर्मल चन्द्र झा	:	निदेशक (तकनीकी)/अध्यक्ष, (अतिरिक्त प्रभार) (2.3.2007 से 31.1.2012 तक)
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक(तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड(29.2.2012 से)
स्वतंत्र निदेशक		
प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री	:	निदेशक (24.12.2010 से)
श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	:	निदेशक (24.12.2010 से)
डा0 मुकेश खरे	:	निदेशक (24.12.2010 से)
प्रो0 पी0के0 जे0 महापात्रा	:	निदेशक (24.12.2010 से)
स्थायी आमंत्रित सदस्य		
श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
कम्पनी सचिव	:	श्री पी लाजर (01.04.2011 से)

निदेशक मंडल

श्री अशोक कुमार सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

श्री अमल कुमार देवनाथ

श्री बैद्यनाथ बसु

श्री दिलीप कुमार घोष

श्री राजेश कुमार चोपड़ा

श्री एन. कुमार

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद

प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री

प्रो0 पी0के0 जे0 महापात्रा

डा0 मुकेश खरे

श्री प्रमोद कुमार मिश्रा

1.5.2012 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री अशोक कुमार सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक
श्री अमल कुमार देवनाथ	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री बैद्यनाथ बसु	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक(तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक

प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री	:	निदेशक
श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	:	निदेशक
डा0 मुकेश खरे	:	निदेशक
प्रो0 पी0के0 जे0 महापात्रा	:	निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
कम्पनी सचिव	:	श्री पी लाजर

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय :

बैकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया

यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया

केनरा बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यू.को. बैंक

सिंडिकेट बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी (ईआर 0043)

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

602, लव कुश टावर

एक्ज़िविशन रोड, पटना–800001 (बिहार)

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड

राँची– 834 031,

झारखण्ड, भारत

वेबसाइट : www.compdi.co.in

37 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

संदर्भ सं. : सीएस / एजीएम–37 / 2012 / 448 दिनांक : 14.05.2012

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी शेयर धारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कम्पनी की 37 वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के निबंधित कार्यालय, गोन्दवाना प्लेस, कॉके रोड, रॉची में 21 मई, 2012 दिन सोमवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2012 के अनुसार अंकेक्षित तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे के साथ–साथ उसके साथ संलग्न अनुसूची तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. वर्ष 2011–12 के लिए निदेशक–मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना एवं स्वीकार करना
3. अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति :

क. श्री एन.कुमार, सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के खण्ड (भाग) 34 (1) ई (।।।) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

ख. डा0 डी.एन. प्रसाद सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (।।।) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
वास्ते सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(पी.लाजर)
कम्पनी सचिव

नोट :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में शामिल होने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को बैठक में शामिल होने तथा मत डालने के लिए एवजी नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
2. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम– 1956 की धारा 17(2)(आई) के प्रावधान के अनुसार अल्प सूचना पर बैठक करने की सहमति दी जाए।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) के अनुसार कंपनी के सदस्यों ने 26 सितम्बर, 2002 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक–मंडल को कंपनी अधिनियम की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

प्रति : कम्पनी के सभी शेयरधारक और अंकेक्षकों तथा अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष

अध्यक्ष का बयान

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की सैंतीसवीं (37वीं) वार्षिक आम सभा में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है एवं इस अवसर पर मैं आपकी कंपनी की वित्तीय वर्ष 2011–12 का वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि की निदेशकों के रिपोर्ट एवं आपकी कंपनी की अंकेक्षित (ऑडिट) की गई लेखा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के कन्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पुनर्विचार के साथ पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप-रेखा :

आपकी कंपनी कोयले की अन्वेषण, खनन योजना एवं अभिकल्पन (डिजाइन), पर्यावरण अभियांत्रिकी की, कोयले की शुद्धीकरण एवं उपयोग, समवर्गी अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्रीय सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी उपक्रमों में घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से संबंधित ग्राहकों के अलावे मेटल माइनिंग क्षेत्रों के ग्राहकों सहित अन्य ग्राहकों को भी समरूप सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई द्वारा एमओपीएनजी तथा कोयला मंत्रालय के लिए गैर सीआईएल ब्लॉकों सीबीएम एवं शेल गैस इत्यादि से संबंधित सेवाएँ भी प्रदान की जाती है।

सीएमपीडीआई के गठन के उपरांत व्यतीत वर्षों के दौरान कोयला खनन में विकसित देशों के विदेशी संस्थाओं जैसे–भूतपूर्व यूएसएसआर के जिप्रोशख्त, पोलैंड के कोपेक्स एवं यूके के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट (परामर्शी) के साथ बड़ी ओपेनकास्ट (खुली खदान) तथा अंडरग्राउंड (भूमिगत) परियोजनओं हेतु संयुक्त योजना अभ्यास (प्लानिंग एक्सरसाइज) के लिए द्विपक्षीय करारों द्वारा आयोजकों एवं इंजीनियरों की विशेषज्ञता में वृद्धि की गई है।सीएमपीडीआई के कर्मियों/अधिकारियों की विशेषज्ञता के स्तर में वृद्धि करने के अलावे कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना द्वारा संरचनात्मक सुविधाओं महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी करने का बीड़ा उठाया गया। इन सभी उपायों ने कंपनी को खनिज एवं माइनिंग सेक्टर में संपूर्ण समाधान प्रदान करने वाले इकाई के रूप में एक अद्वितीय स्थान सुनिश्चित करवाना है। लेकिन पूरे विश्व में व्यापार के वातावरण में बदलाव को साथ ही इस प्रकार के द्विपक्षीय प्रबंधन ने अपनी महत्ता तथा संवेग वर्ष 1990 के आस–पास खो दिया। कर्मियों की अवकाश प्राप्ति के कारण, सीआईएल की दूसरे सहायक कंपनियों में स्थानान्तरण के कारण तथा नये इंजीनियरों के प्रवेश नहीं होने के कारण विशेषज्ञ मानव शक्ति के रूप में 1990 के आस–पास से कंपनी की ताकत में क्षय होना आरंभ हो गया। इन सबके अतिरिक्त बदलते हुए व्यवसायिक परिदृश्य तथा देश में तथा विदेशों में माइनिंग सेक्टर में इसके परिगामी अवसरों ने प्रमुख रूप से वर्ष 2000 के बाद विशेषज्ञों ने निष्क्रमण रूप से ईंधन का काम किया। यद्यपि आईएसओ मानकों के पुरस्थापन तथा कुछ हद तक कम्प्यूटरीकरण, जिसमें डिजाइन साफ्टवेयर के उपयोग एवं विशेष रूप से पर्यावरण सुविधाओं से संबंधित कुछ उपस्कर के संयोजन एवं कोयले की चरित्रांकन शामिल है, भी किया गया पर कंपनी उत्कृष्टता के स्तर की अपनी सेवाएँ एवं सुविधाओं को पूर्ण रूप से बेहतर बनाने में पिछड़ रही थी ।ड्रिलिंग की क्षमता जो कि सीएमपीडीआई की कोर (केन्द्रीय) गतिविधियों में से एक परिकल्पना समर्थ करती है। दो लाख मीटर प्रतिवर्ष के आस–पास मंडराती रही थी (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) तथा टर्न–ओवर 150 से 200 करोड़ रूपये के आस–पास था। (2004–05 में 151 करोड़ रूपये तथा 2007–08 में 196 करोड़ रू) विशेषज्ञता के तरक्की, तकनीकी सुविधाओं की स्तर बेहतरी तथा अवलंबी सेवाओं को कायम नहीं रखने तथा कोयला उद्योग में कंपनी द्वारा सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में पठार की आकृति प्राप्त हो जाने के कारण इसे रोकना तथा कोयला क्षेत्र के हित के लिए आगामी भविष्य में कंपनी की अलग पहचान को सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया था, क्योंकि सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र के हित के लिए आगामी भविष्य में कंपनी की अलग पहचान को सुरक्षित रखना आवश्यक हो गया था क्योंकि सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में तकनीकी नवप्रवर्त्तन एवं नीति अपनाने के क्षेत्र में अग्रदूत रहा है।

यह परिकल्पना की गई कि सीएमपीडीआई को न केवल मानव बल की निपुणता तथा संरचनात्मक सुविधाओं में बेहतरी करने की आवश्यकता है वरन गवेषण, एजेंसी सलाहकार, तकनीकी सेवाएँ प्रदान करने वाला तथा एक आरएंडडी संस्थान की भूमिका में काफी विस्तार करने की भी जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त उपाय थे गवेषण की क्षमता में वृद्धि, विद्यमान सुविधाओं एवं संरचानाओं की बेहतरी एवं आधुनिकीकरण, मानव बल उपयोग का वैज्ञानिकी पुनर्गठन, कार्यकारी (अधिकारी) मानव बल का अधिस्थापन, कोयला के अलावे खनिज, माइनिंग तथा सहबद्ध इंजीनियरिंग सेक्टरों जैसे नये क्षेत्रों में विविधीकरण गैर–सीआईएल संबंधी बाहरी कार्यों की मात्रा (मूल्य के हिसाब से) में वृद्धि करना, कम्प्यूटसईनेशन एवं नेट वर्किंग के माध्यम से ड्रिलिंग एवं इनवेन्ट्री नियंत्रण सहित मुख्य (केंद्रीय) क्षेत्रों में प्रभावकारी प्रबोधन प्रणाली की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास हेतु तकनीक की स्थापना करना इत्यादि।

2. वित्तीय निष्पादन :

विगत वर्ष के टैक्स से पहले के 23.69 करोड़ रूपयों के लाभांश की तुलना में 30.79 करोड़ रूपयों का टैक्स से पहले का लाभांश प्राप्त करते हुए आपकी कंपनी ने विगत वर्ष के टर्न ओवर 429.03 करोड़ रूपयों से 94.94 करोड़ रूपये अधिक का टर्न ओवर अंकित करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 524.03 करोड़ रूपये का उच्चतम टर्न ओवर प्राप्त किया है, आपकी कंपनी का नेट मूल्य 31.03.2011 की तिथि को 167.60 करोड़ रूपयें से बढ़कर 31.03.2012 की तिथि के अनुसार 208.79 करोड़ रूपया हो गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति शेयर कमाई 805 रूपये से बढ़कर 1030 रूपया हो गया। बाह्य सलाहकार सेवाओं की प्राप्ति में भी 13.16 करोड़ रूपये से बढ़कर 33.26 रूपया तक की अधिक वृद्धि प्राप्त की गई। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 609(पअ) के तहत सीएजी से किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई है।

3. ड्रिलिंग निष्पादन :

आपकी कंपनी ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई 10 लाख मीटर ड्रिलिंग की तुलना में ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 19.41 लाख मीटर ड्रिलिंग की। वर्ष 2011–12 के दौरान 4.98 लाख मीटर ड्रिलिंग विभागीय स्रोतों तथा बाहरी स्रोतों के द्वारा किया गया, जबकि वर्ष 2012–13 में ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य 5.82 लाख मीटर का है। सीएमपीडीआई की ड्रिलिंग क्षमता में इतनी अधिक वृद्धि नई मैकनिकल एवं उच्च क्षमता वाले हाइड्रोस्टेटिक ड्रिलों की आधुनिकीकरण जैसे बहुआयामी नीति अपनाने के कारण सुनिश्चित की जा सकी, इसके अतिरिक्त ड्रिलिंग के लिए कोयला ब्लॉकों के आउटसोर्सिंग पर भी बल दिया गया। इस बढ़े हुए कोयला गवेषण प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जनवरी, 2009 में एमईसीएल के साथ गवेषण कार्य हेतु एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत एक (1) लाख मीटर प्रतिवर्ष की ड्रिलिंग करने के स्तर तक पहुँचना आवश्यक है तथापि यह माना जा सकता हे कि उपलब्धि का वातावरण अब तैयार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त गैर–सीआईएल ब्लॉकों में और अधिक गति से व्यौरेवार ड्रिलिंग की मांग हेतु दस (10) लाख्ा मीटर प्रतिवर्ष की क्षमता से और अधिक संवृद्धि की आवश्यकता है।

4. यूएनएफसी वर्गीकरण :

सीआईएल के कोयला के स्रोतों एवं रिजर्व को यूनाइटेड नेशनस (संयुक्त राष्ट्र संघ) फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (यूएनएफसी) के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इन्टीग्रेटेड कोल रिर्सोस इनफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीआरआईएस) नाम की परियोजना के एक हिस्सें के रूप में देश के कोयला स्रोतों क आँकड़ों की भारत के सभी कोयला क्षेत्रों में एक डाटाबेस के सृजन के लिए डिजिटल फार्म से कैपचर (अधिकार) कर लिया गया है।

5. परियोजना रिपोर्ट :

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला उत्पादन के लिए लगभग 371 मिलियन टन क्षमता में वृद्धि हेतु 142 परियोजना रिपोर्टों की पहचान की गई थी जिसमें 349 मिलियन टन क्षमता में वृद्धि क्रे साथ 130 परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान तैयार किए जा चुके हैं। शेष 12 परियोजना रिपोर्ट को तेयार करने का कार्य या तो बारहवीं योजना में स्थानान्तरित किया जा चुका है अथवा हटा दिया गया है या किसी के साथ संयुक्त कर दिया गया है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 137 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि सहित 67 अतिरिक्त परियोजना रिपोर्टें भी तैयार कर लिया गया था।

6. प्रयोगशालाओं की कोटि में वृद्धि करना :

आपकी कंपनी की लगभग अधिकांश प्रयोगशालाओं की कोटि में वृद्धि की जा चुकी है। रासायनिक एवं पेट्रोग्राफी प्रयोगशालाओं को परिष्कृत आयतित संयंत्रों के जरिये कोटि में बढ़ोत्तरी की गई है तथा इनकी क्षमता में काफी अधिक वृद्धि (लगभग दोगुनी) की गई है। आंतरिक क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ दिसम्बर, 2011 में सीएएआईआर के साथ इनके पदनामित प्रयोगशालाओं में कोयले के कोर विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि अतिरिक्त संरचना के सृजन द्वारा 2.55 लाख मीटर कोयले के कोर विश्लेषण हेतु एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान–4 के पर्यावरण प्रयोगशाला की कोटि में वृद्धि की गई है तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 में स्थापित की गई है। खननीय तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा रेसिन तथा कैप्सूल जांच करने के लिए डीएमएस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। भौतिकी–यांत्रिकी विशेषताओं के निर्धारण हेतु पुराने मशीन को हटाकर 2000 के एन क्षमता वाले एक हैवी ड्यूटी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) भी खरीदी गई तथा स्थापित की गई अधिशोषण समतापी जांच की वैसी सुविधा बनाइ गई है जो कि कोयला सीम की 20 एमपीए दबाव (2000 मी0 गहराई के दबाव के बराबर) तक के अधिशोषण (एडजॉर्पसन) क्षमता की जांच करने में सक्षम है। भारत में इस प्रकार की क्षमता वाला शायद यह पहला संयंत्र है। निकट भविष्य में टेस्टिंग की जरूरतों को पूरा करने हेतु उपरलिखित प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया यद्यपि पर्याप्त लगती हो पर कोयला उद्योग में लम्बे समय तककी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अधिक विस्तार करने की कोशिश की आवश्यकयता है, होगी।

7. श्रम-शक्ति :

गवेषण, आयोजन (प्लानिंग) एवं डिजाइन के साथ–साथ अभियंत्रण सेवाओं के बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर श्रमशक्ति की आवश्यकता का पता लगाया गया है। वर्ष 2011–12 में विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) में आवश्यक कुल 184 प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटीज) में से 89 को भर्ती कर सीएमपीडीआई में पदस्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार गैर–अधिकारी श्रमशक्तियों को कोल इंडिया लिमिटैड की अन्य सहायक कंपनियों से बुलाया गया है साथ–ही–साथ बाहर से बहाली भी की गई है। तथापि, संख्या के लिहाज से विशेषज्ञता स्तर बनाए रखने के लिए यह एक सतत् प्रक्रिया है।

8. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग :

वर्ष 2008 से 5 मिलियन घन मीटर (संयुक्त) से अधिक उत्पादन वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कोयला खुली खानों के भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रतिवर्ष उपग्रह के द्वारा निगरानी की जा रही है। वष्र 2011 से तीन माह के अंतराल पर 5 मिलियन घन मीटर से कम उत्पादन वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली कोयला खानों की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग भी शुरू किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान हाई रिज्योल्यूशन सैटेलाइट आंकड़े के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड की 87 खुली खनन परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग की गई। इस प्रकार की सभी खानों की भूमि पुनरूद्धार स्थिति के परिणाम को पब्लिक डोमेन में कोल इंडिया लि. मिटेड, सीएमपीडीआई तथा संबंधित कोयला कंपनियों के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खनि अग्नि सूचना प्रणाली (एमभाईएफएस) विकसित करने के लिए तापीय उपग्रह आंकड़े के आधार पर रानीगंज, झरिया, बोकारो तथा कर्णपूरा कोलफील्ड्स की खनि अग्नि मॉनिटरिंग करने से संबंधित कार्य शुरू किया गया है तथा झरिया कायला क्षेत्र के संबंध में कार्य पूरा किया जा चुका है।

9. कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए सहायता

आपकी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनियों को कोयला वाशरी की स्थापना खासकर रन आफ माइन (रोम) कोयले की जांच, आयोजना (प्लानिंग) बीड प्रक्रिया प्रबंधन तथा वाशरियों के निर्माण एवं संस्थापन जैसे कार्यों में सहायता दे रही है। यह अनुमान लगाया गया हे कि देश में कोयले की बड़े पैमाने पर धुलाई की आवश्यकता पर विचार करते हुए हमारे द्वारा दी जा रही सेवाओं में काफी वृद्धि होगी। इसको ध्यान में रखकर क्षमता सशक्त करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से अभियंताओं की भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त, धोवन क्षमता जाँच आदि करने हेतु भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए उपकरणों की प्राप्ति एवं संस्थापन सहित कोयला परिष्करण प्रयोगशाला को उन्नत किया जा रहा है। कोक बनाने हेतु एनएलडब्ल्यू तथा लो रैंक हाई ऐश कोयला की उपयोगिता के लिए आरएंडडी, सेल के साथ अनुसंधान एवं विकास परियोयजना शुरू की गई है।

10. पर्यावरणिक सेवाएँ :

वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को दी जाने वाली पर्यावर्णिक सेवाओं में 31 फार्म–1 का निर्माण

तथा 33 ईएमपी के मसौदे की तैयारी शामिल है। आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, तालचर तथा रांची स्थित 8 पर्यावरणिक प्रयोगशाला के जरिए 289 परियोजनाओं/ कोल इंडिया लिमिटेड की संस्थापनों का पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, जल एवं ध्वनि) की गई। 2009 में हमारे द्वारा तैयार माइन क्लोजर के लिए दिशा–निर्देश का भी कोयला मंत्रालय में अगस्त, 2009 में प्रकाशित किया है।

तद्नुसार वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में क्रमशः 95 तथा 324 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए। तथापि, पर्यावरण सेवाओं की भावी आवश्यकता तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिक कड़ी शर्तों को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा दी जा रही पर्यावरणिक सेवाओं की क्षमताओं को नियमित को तौर पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

11. सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित स्थलाकृतिक सर्वेक्षण :

आपकी कंपनी ने 2 मी. कन्टूर इन्टवल सहित 1:5000 पैमाने पर सुदूर संवेदन पर आधारित भारत के 28 बड़े कोयला क्षेत्रों कोयला क्षेत्र के अद्यतन स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने हेतु जुलाई, 2009 में सर्वे आफ इंडिया के साथ एमओयू किया। यह परियोजना सीएमपीडीआई तथा सर्वे आफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है तथा इसे 5 वर्ष में पूरी हो जाने की संभावना है। लार्ज स्केल डिजिटल ट्रोफोग्राफिकल मैप विस्तृत कोयला गवेषण, माइन प्लानिंग, आधारभूत योजना, कोयला ढुलाई के लिए रेलवे साइडिंग, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन प्रबंधन प्रणाली के साथ–साथ कोयला क्षेत्रों की मास्टर प्लान प्रणाली के साथ–साथ कोयला क्षेत्रों की मास्टर प्लान बनाने में काफी सहायता मिलेगी। यह कोयला गवेषण, माइन प्लानिंग तथा पर्यावरण प्रबंधन की गति तेज करने हेतु सीआईएल/सीएमपीडीआई द्वारा उठाया गया बड़ा कदम है।

12. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

ऊर्जा की आवश्यकता को यथासंभव पूरा करने के लिए कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) तथा कोयला द्रवीकरण आदि जैसे कोयला आधारित गैर नवीकरण योग्य ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने पर बल दिया गया है। सीबीएम के स्रोत आधार को बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय के प्रोमोशनल रिजनल गवेषण (पीआरई) के तहत सीबीएम से सम्बद्ध आंकड़ा तैयार कर रहा है। आपकी कंपनी के लिए शेल गैस का विकास भी कार्य क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमओपीएनजी द्वारा ब्लॉकों की रूपरेखा निर्धारण, डाटा डोजियर्स तैयार करने आदि के तहत सीबीएम से सम्बद्ध आंकड़ा तैयार करने में सीएमपीडीआई की सेवाओं की मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों में हमारे लिए कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उभरता क्षेत्र अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा।

आपकी कंपनी के लिए कोयला आधारित ऊर्जा को प्राथमिकता वाला कार्य क्षेत्र बनाया गया है। बीसीसीएल की मुनिडीह परियोजना में कोल माइन मिथेन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। 27 जून, 2008 से उत्पादित बिजली की आपूर्ति मुनिडीह कॉलोनी को की जा रही है। कोल माइन मिथेन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयला मंत्रालय तथा सूएसईपीए के तत्वाधान में नवम्बर, 2008 में सीएमपीआईआई, रांची में क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई है। यह क्लियरिंग हाउस देश के सीएमएम/सीबीएम संबद्ध आंकड़े पर सूचना/जानकारी संग्रह एवं आदान–प्रदान करने तथा सार्वजनिक/निजी भागेदारी, प्रौद्योगिकीय सहयोग द्वारा भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में सहायता करने और वित्तीय निवेश लाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के भीतर के 5 सीएमएम ब्लॉक के व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त डेवलॉपर चयन के लिए कदम उठाए गए हैं। सीएमएम के परिचालन से संबंधित मामले पर एमओसी/एमओपीएंडएनजी के बीच विचार–विमर्श किया जा रहा है तथा मामले के निपटारे

के बाद आगे और कदम उठाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड क्षेत्र के दो ब्लॉकों में यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। शेल गैस विकास के क्षेत्र में प्योरे के लिए सीएमपीडीआई सीआईएल क्षेत्र में शेल गैस के विकास की संभावना की जाँच कर रहा है तथा क्षमता निर्माण के भाग के रूप में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम में लगा हुआ है। डीजीएच ने जून, 2011 में दामोदर घाटी तथा सोहागपुर बेसीन में संभावित शेल गैस पर डाटा डोजियर तैयार करने के लिए कार्य दिया है जिसके संबंध में माच, 2012 में डीजीएच को रिपोर्ट सौंप दी गई है।

13. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना तथा सीआईएल द्वारा कार्यान्वित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। 37 से अधिक वर्षों से सीएमपीडीआई ने प्रौद्योगिकी तथा नव परिवर्तन (इनोवेशन) के जरिए (खनन उद्योग की बेहतरी का प्रयास किया है तथा नियमित रूप से कंपनियों के साथ उनकी अनुसंधान उपलब्धि को व्यापारिक सफलता में बदलने के लिए साथ–साथ काम किया है। वर्ष 2008–12 के दौरान 50 से अधिक अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की गईं जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान 12 अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना पूरी की गई। पूरी की गई परियोजनाएँ कोल बेड मिथेन, कोल माइन मिथेन, पुराने अगम्य जलाप्लावित कार्यस्थल (वर्किंग्स) का पता लगाने के लिए ग्राउण्ड पेनेट्राटिंग रडार, स्लोप फेल्युअर का पहले ही पता लगाने हेतु हाईरिज्योल्यूशन सीसमिक मॉनिटरिंग, फ्लाई ऐश आधारित कीटनाशक का विकास एवं प्रयोग आदि से संबंधित थी।कुछ चालू अनुसंधान परियोजनाओं में भूमिगत खानों में टेलीरोबोटिक तथा रिमोट आपरेशन टेक्नोलॉजी, विभिन्न तलछटी बेसिन के शेल गैस संभावना, सेल्फ एडवांसिंग गोफ एजसपोर्ट का विकास, कोयले को तरल में बदलने के लिए स्वेदेशी उपकरण आदि से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि आगामी अनुसंधान एवं विकास कार्य में सीमांत क्षेत्र जैसे डेवलॉप पिलरों का समापन (लिक्विफिकेशन), खुली खानों में ढाल स्थायित्व, हाइड्रॉलिक खनन, भूमिगत कोयला गैसीकरण, कोयला द्रवीकरण, कोयले का 'शून्य' उत्सर्जन दहन, कोयला खनन इलाकों में जैव पृथककरण के जरिए कार्बन पृथक्करण, कोयला गवेषण के 3डी सीममिक सर्वे तथा सीबीएम संसाधन का सिसमिक आकलन जैसे क्षेत्रों का भी पता लगाया गया है। कोयला क्षेत्र में आरएंडडी आधार को और व्यापक करने के लिए सीएमपीडीआई पर्याप्त आधारभूत सुविधा तथा विशेषज्ञता वाले सहित अधिक–से–अधिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने का पूरा प्रयास कर रहा है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व :

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत, सीएमपीडीआई द्वारा सतत (सस्टेनेबुल) विकास तथा सामूहिक वृद्धि (उन्नति) पर बल दिया गया तथा इसे प्रयोग में लाया गया। इस कार्यक्रम में हमारे श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रशंसनीय रही। सीआईएल के दिशा–निर्देश के अनुसार पिछले वर्ष के वास्तविक (रिटेंड) लाभ का 5 प्रतिशत विगत के वर्षों में इस शीर्ष में आवंटित किया गया तथा जो कार्य किए गए उनमें विद्यालयों में अध्ययन सामग्री स्कूल ड्रेस, प्रिन्टर, सीलिंग फैन आदि उपलब्ध कराना, आस–पास के गाँवों में नियमित चिकित्सीय जांच शिविर लगाना, गांवों में चापाकल लगाना आदि शामिल है।

15. गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएँ :

वर्ष 2011–12 के दौरान 97 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के अतिरिक्त, गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित जो परामर्शी कार्य पूरे किए गए जिनमें सभी ऊर्जा स्रोतों के ''एनर्जी बेंस लाइन'' तथा एनर्जी परफार्मेंस इंडिकेटर शामिल करने तथा सभी खुली कोयला खानों की ''ऊर्जा कार्य निष्पादन की समीक्षा'' आदि के लिए मेथडॉलोजी, क्रिटिरिया सिस्टम आदि का डिजाइन तथा डोक्यूमेंटेशन शामिल है। वर्ष 2011–12 के दौरान आईएसओ 27001 एवं आईएसओ 50001 के अनुकूल तथा इसे कंपनी के आईएसओं 9001, आईएसओ 14001 ओएचएसएएस 18001 तथा एसओ 8000 सिस्टम समेकित करने हेतु पूरे नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेउ(एनसीएल) का इश्यू तथा डोक्यूमेंटेशन किया गया जो देश में इस तरह का पहला प्रयास है।

16. परामर्श-सीआईएल से इतर (बाहर) :

वर्षों से आपकी कंपनी न सिर्फ कोयला एवं लिग्नाइट बल्कि अन्य खनिजों में भी कोल इंडिया लिमिटेड के इतर अन्य संगठनों को परामर्शी सेवा देती रही है। तथापि, वर्ष 2011–12 के दौरान हमने धातु खनन क्षेत्र में, खासकर, मैगनिज ओर इंडिया लिमिटैड तथा हिन्दुसतान कॉपर लिमिटेड से उनके मैगनिज तथा बॉम्बे की खानों के लिए परामर्शी सेवा देने हेतु प्रतिष्ठित कार्य हासिल किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 32 करोड़ रूपये मूल्य के परामर्शी कार्य प्राप्त करने के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले 33.26 करोड़ रूपए के 41 कार्य प्राप्त किए गए।

17. मान्यता (पहचान) एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के योगदान एवं प्रासंगिकता को पहचाना है तथा मई, 2009 में लोक उद्यम विभाग के प्रावधान के अनुसार इसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया है। लोक उद्यम विभाग का दिशा–निर्देश लोक उपक्रमों के और अधिक प्रभावी तथा

प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के रूप में लाभ कमाने वाली लोक उपक्रमों को अधिक स्वायतता तथा अधिकार प्रदान करता है। सीएमपीडीआई का प्रभावोत्पादक कार्य निष्पादन वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक लगातार सर्वोत्कृष्ट एमओयू प्राप्त करने तथा एमओयू रेटिंग के अनुसार 2008–09 के लिए ''कोल इंडिया लिमिटेड'' की सर्वोत्तम कार्य निष्पादक सहायक कंपनी माने जाने से ही पता चलता है। सीएमपीडीआई को 2011–12 में भी सर्वोत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्रापत करने की आशा है। वर्ष 2009–10 के लिए ''अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास एवं अभिनव परिवर्तन (इन्नोवेशन) के लिए स्कोपे मेटोरियस अवार्ड का प्रशस्ति–प्रमाण पत्र दूसरा माइल स्टोन है जो दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को विज्ञान भवन में माननीया राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभासिंह पाटिल की ओर से विज्ञान भवन में हमारे द्वारा प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, सीआईएल की कोयला खानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए हमारे द्वारा जिओस्पासियल टेक्नोलॉजी के प्रयोग को जिओस्पासियल टेक्नोलॉजी पर केंद्रित प्रमुख अंतर–राष्ट्रीय संगठन जिओस्पासियल वर्ल्ड फोरम में ''जिओस्पासियल वर्ल्ड एक्सेलेंस अवार्ड'' देकर मान्यता प्रदान की गई। इस पुरस्कार के लिए प्रख्यात अंतर–राष्ट्रीय जूरी के एक पैनेल द्वारा 149 नामांकन में से सीआईएल का चयन किया गया।

18. कार्पोरेट गवर्नेंस :

पब्लिक इन्टर प्राइजेस विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक इन्टर प्राइजेज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देशों में यथा अनुबद्ध कॉर्पोरेट की शर्तों का अनुपालन सीएमपीडीआई द्वारा किया जा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक पृथक सेक्शन निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए जोड़ा गया है तथा कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों से प्राप्त कॉर्पोरेट गवनेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलगन है।

आभारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों तथा आफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों के हार्दिक सहायोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्ता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भविष्य में कार्य के प्रति समर्पण के दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेंगे तथा शेयरा होल्डरों के विगत में सभी स्तरों पर इनके समर्पित प्रतिबद्धता एवं कार्य निष्पादन के साथ–साथ चुनौतियों एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालय तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों तथा विक्रेताओं (बेन्डर) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

ह0/–
अशोक कुमार सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : राँची
दिनांक : 21.05.2012

कार्य-निष्पादन : एक नजर में

विवरण	इकाई	2011-12	2010-11
सेवाओं की बिक्री	करोड़ रू0 में	524.03	429.09
कर के पहले लाभ	करोड़ रू0 में	30.79	23.69
कर के बाद लाभ	करोड़ रू0 में	19.61	15.32
लाभांश (डिविडेंट)	करोड़ रू0 में	–	–
लाभांश कर	करोड़ रू0 में	–	–
प्रतिधारित (रिटेंड) लाभ	करोड़ रू0 में	19.61	15.32
निबल अचल परिसम्पतियाँ	करोड़ रू0 में	78.06	71.95
निबल मूल्य	करोड़ रू0 में	208.79	167.60
ऋण कोष	करोड़ रू0 में	–	–
नियोजित पूंजी	करोड़ रू0 में	208.79	167.60
संवर्धित मूल्य (वैल्यू एडेड)	करोड़ रू0 में	33.71	23.58
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3129	3102
प्रति कर्मचारी संवर्धित मूल्य इक्विटी अनुपात ऋण	हजार रूपये में प्रतिशतता	107.73 0.00	76.01 0.00
नियोजित पूंजी पर आय	करोड़ रूपये में	14.75	14.13
प्रतिशेयर फेस वैल्यू	रूपये	1000	1000
प्रतिशेयर लाभांश	रूपये	–	–
प्रतिशेयर बुक वैल्यू	रूपये	5182	4152
प्रतिशेयर उपार्जन	रूपये	1030	805

वित्तीय सांख्यिकी

	करोड़ रूपये में 31.3.2012 के अनुसार		करोड़ रूपये में 31.3.2011 के अनुसार		करोड़ रूपये में 31.3.2010 के अनुसार	
निधि के स्रोत						
इक्विटी एवं देयताएँ शेयरधारकों के कोश						
(क) शेयर पूँजी	19.04		19.04		19.04	
(ख) आरक्षित एवं अधिषेश	91.88		68.88		54.74	
		110.92		87.92		73.78
गैर–चालू देयताएँ						
(क) दीर्घकालीन उधारी	–		–		–	
(ख) आस्थगित कर देयता (निबल)	–		–		–	
(ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	–		–		–	
(घ) दीर्घकालीन प्रावधान	170.40		141.71		154.83	
		170.40		141.71		154.83
चालू देयताएँ						
(क) अल्पकालीन उधारी	–		–		–	
(ख) व्यापार शोध्य (ट्रेड पेएबुल्स)	33.45		22.95		39.87	
(ग) अन्य चालू देयताएँ	161.43		125.39		166.17	
(घ) अल्पकालीन प्रावधान	152.84		171.32		112.22	
		347.72		319.66		317.26
कुल-		629.04		549.29		545.87
निधि के उपयोग						
परिसम्पत्तियाँ						
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ						
(क) अचल परिसम्पत्तियाँ						
(i) टान्जिबल परिसम्पत्तियाँ	177.77		165.93		155.31	
घटाकर : मूल्यह्रास–हानि (इम्पेयरमेंट) एवं प्रावधान	99.71		93.98		87.75	
नेट केरिंग वैल्यू		78.06		71.95		67.56
(ii) अशोध्य(इन्टैन्जिबुल परिसम्पत्तियाँ सकल ब्लॉक	5.20		4.05		2.23	
घटाकर : मूल्य ह्रास, हानि (इम्पेयरमेंट) एवं प्रावधान	520		4.05		2.23	
नेट कैरिंग वैल्यू	–	–		–		–
(iii) पूँजीगत चालू कार्य		11.52		5.64		2.58
(iv) विकासाधीन अषोध्य (इन्टेन्जिबुल) परिसम्पत्तियाँ		–		–		–
(ख) गैर चालू निवेष		–		–		–
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निबल)		71.67		59.91		54.51
(घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		0.84		2.10		3.32
(ड़) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		0.02		0.02		0.02
(क) चालू निवेष	–		–		–	
(ख) वस्तुसूची	6.77		6.77		6.29	
(ग) व्यापार प्राप्य (ट्रेड रीसिवेबुल)	246.92		190.46		275.87	
(घ) नकद एवं नकद समतुल्य	61.21		61.04		69.24	
(ड़) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	151.98		151.35		66.43	
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	0.05		0.05		0.05	
		466.93		409.67		417.88
कुल-		629.04		549.29		545.87

	करोड़ रू.में	करोड़ रू.में	करोड़ रू.में
	31.3.12 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31.3.11 को समाप्त वर्ष के आंकड़े	31.3.10 को समाप्त वर्ष के आंकड़
आयकर			
कोयले की बिक्री			
घटाकर–उत्पाद शुल्क			
अन्य उगाही	-	-	-
परिचालन से प्राप्त राजस्व	524.03	429.09	453.53
अन्य आय	4.40	4.46	3.72
कुल राजस्व	528.43	433.55	457.25
व्यय			
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	16.67	15.77	12.37
परिष्कृत सामग्रियों की वस्तुसूची में परिवर्त्तन चालू कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड	-	-	-
कर्मचारी लाभ पर खर्च	334.36	269.75	290.92
बिजली एवं ईंधन	2.24	2.07	2.30
कल्याण खर्च	11.48	10.79	8.84
मरम्मत	9.61	11.11	13.53
संविदात्मक व्यय	93.00	76.55	77.16
वित्तीय लागत	-	0.03	0.26
मूल्य ह्रास/एर्मोटाइजेशन/हानि	6.74	5.48	4.84
प्रावधान	(0.81)	(3.21)	0.21
बट्टे खाते डाला गया	0.08	0.43	-
ओवर बर्डेन रिमूवल समायोजन			
अन्य व्यय	25.12	23.78	23.67
कुल व्यय	**498.49**	**412.55**	**434.10**
आपवादिक एवं असाधारण मद एवं कर के पहले लाभ/हानि	29.94	21.00	23.15
पूर्व अवधि समायोजन {प्रभार/(आयद्ध)}	(0.85)	(2.69)	2.59
आपवादिक मद	-	-	-
असाधारण मद एवं कर के पहले लाभ/(हानि)	30.79	23.69	20.56
असाधारण मद {प्रभार/(आय)}	-	-	-
कर के पहले लाभ/(हानि)	**30.79**	**23.69**	**20.56**
घटाकर : कर व्यय			
– चालू वर्ष	22.97	13.22	21.04
– आस्थगित कर	(11.76)	(5.40)	(10.93)
पूर्व के वर्ष	(0.03)	0.55	(1.01)
कर के पूर्व लाभ/(हानि)	**19.61**	**15.32**	11.46

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवेक्षण

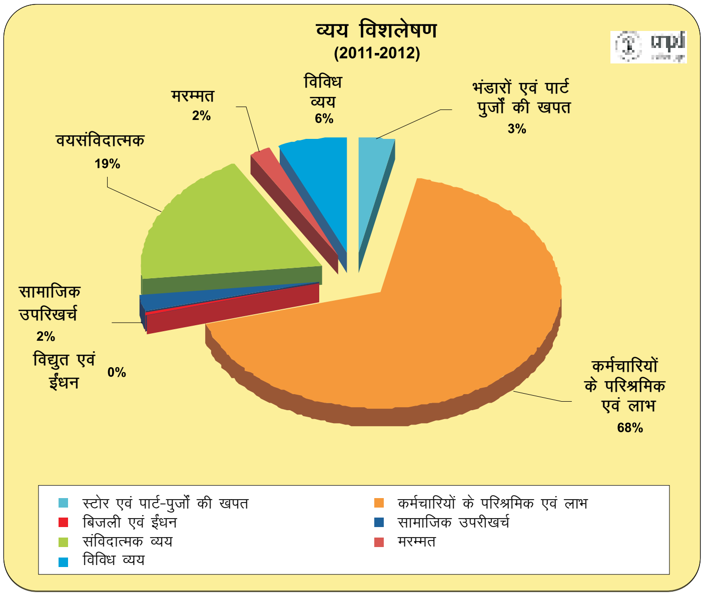

	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (करोड़ रू० में)
व्यय	
भंडार एवं पूर्जों की खपत	16.67
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ	334.36
विद्युत एवं ईंधन	2.24
सामाजिक उपरिखर्च	11.48
संविदात्मक व्यय	93.00
मरम्मत	9.61
विविध व्यय	25.88
कुल खर्च	**493.24**

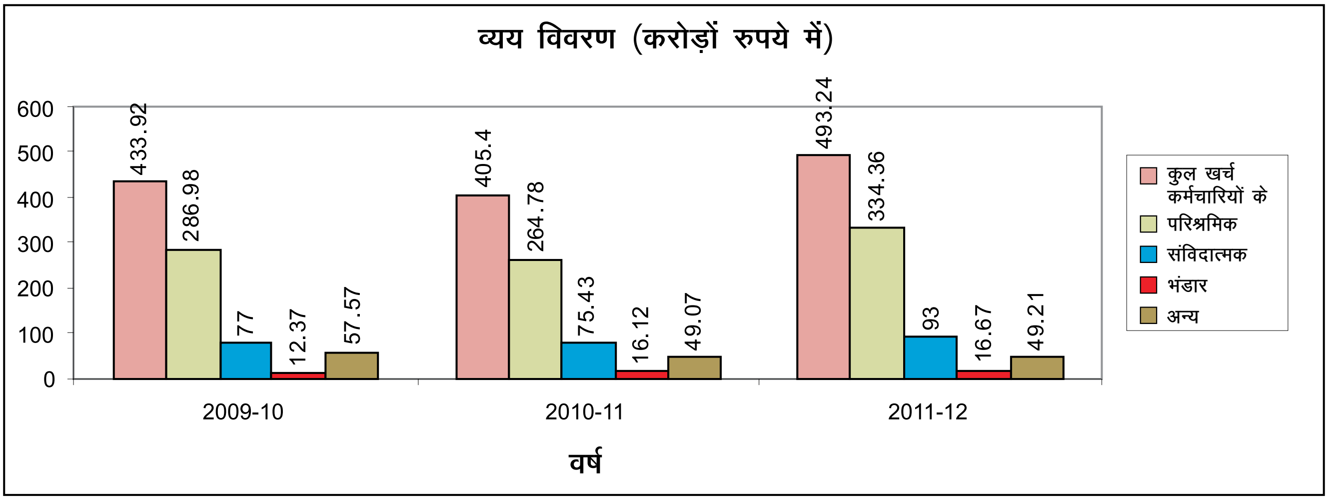

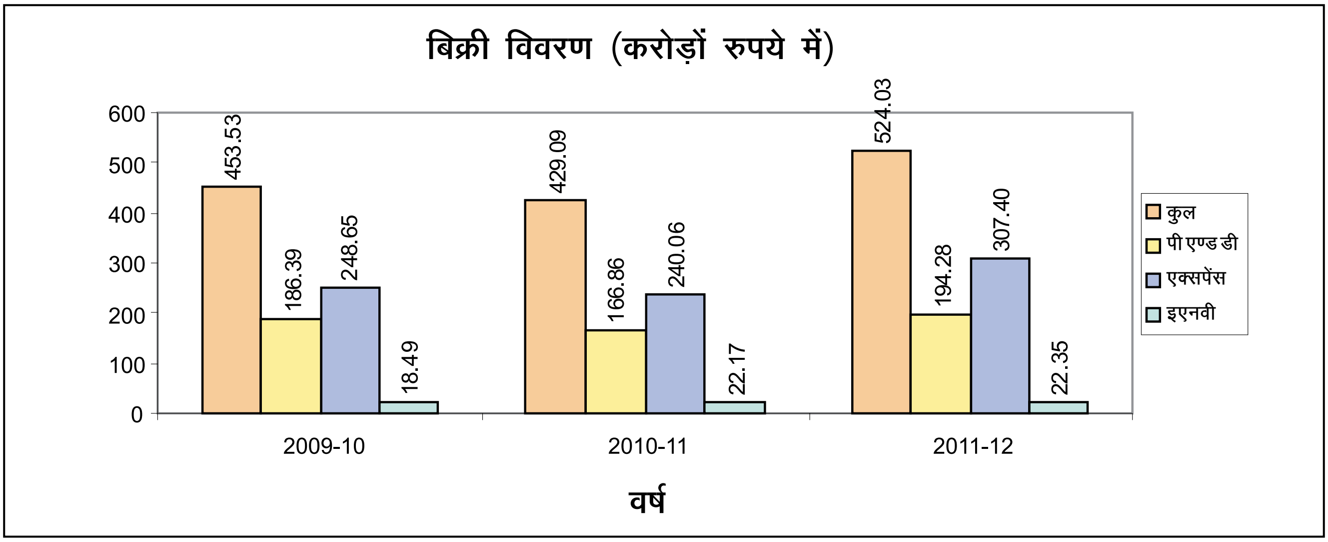

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवेक्षण

कर के पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)

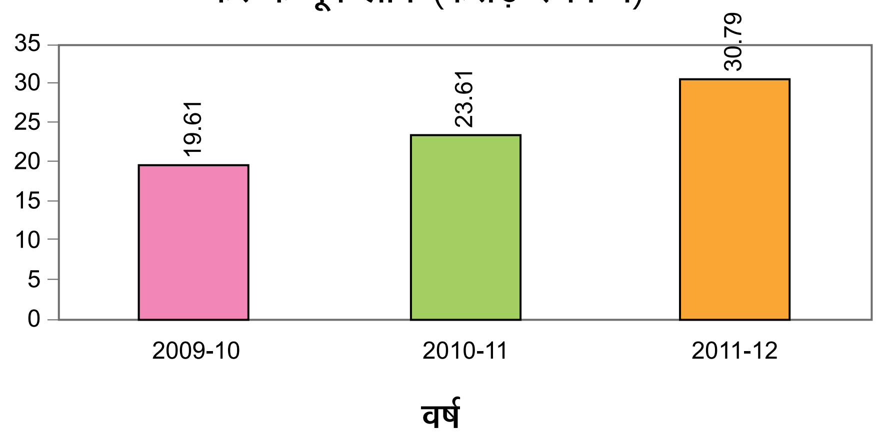

नियोजित पूँजी (करोड़ रुपये में)

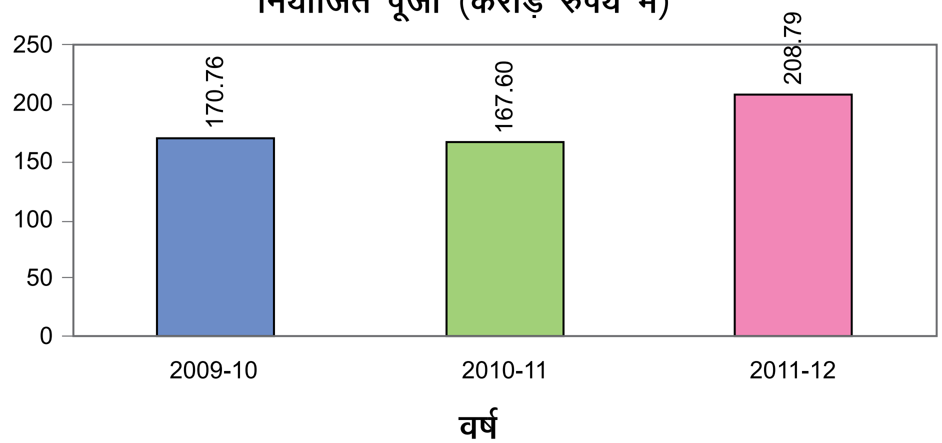

नोट – चालू अवधि के साथ तुलना करने की जहाँ भी आवश्यकता हुई है, गत वर्ष के अंकों को पुर्नव्यवस्थित /पुर्नसमूहित/पुर्नवर्गीकृत किया गया है।

निवेश पर प्राप्ति [(आरओआई(%)]

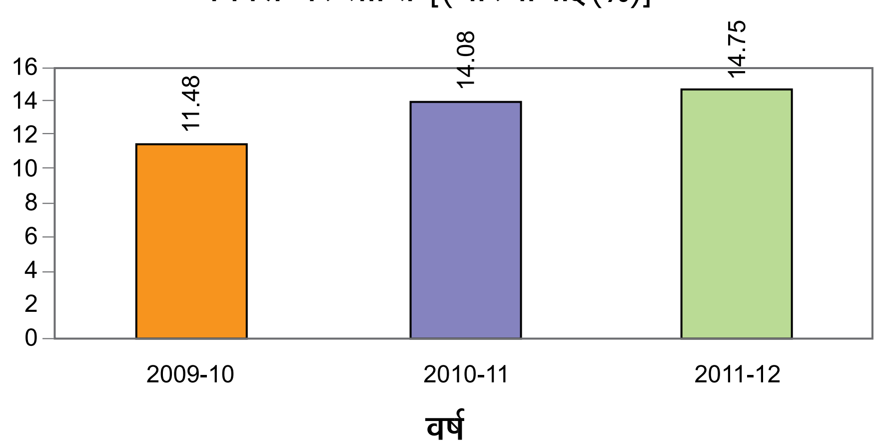

निदेशक - मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारक,
सज्जनों,

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया–कलापों पर आधारित 37 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग-क

1.0 निगमित पर्यवलोकन :

आपकी मिनी रत्न (कैटेगरी–II) कम्पनी राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, रॉची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित अपने सात क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य कर रही है। सातों क्षेत्रीय संस्थानों को क्षे0 सं0–1 से क्षे0सं0–7 तक का नाम दिया गया है जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 अनुषंगी कोयला कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे0सं0–1), बीसीसीएल (क्षे0सं0–2), सीसीएल (क्षे0सं0–3), डब्ल्यूसीएल (क्षे0सं0–4), एसईसीएल (क्षे0सं0–5), एनसीएल (क्षे0सं0–6) तथा एमसीएल (क्षे0सं0–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ प्रदान देते रहे। कोल इंडिया लिमिटेड, (मुख्यालय), एनईसी तथा गैर–सीआईएल ग्राहकों जैसे सेल–आईएसपी, एनटीपीसी, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, एससीसीएल, एमईसीएल, टाटा स्टील, मेसर्स एस्सार मिनरल्स रिसोर्सेस लि0 (महान कोल कम्पनी), ओ/ओ कमिश्नर ऑफ कस्टम, गुजरात, यूसीएम कोल कम्पनी लि0, जेएसपीएल, अदानी माइनिंग प्राइवेट लि0, सीईए, मेसर्स फील्ड माइनिंग एण्ड इस्पात इत्यादि को मुख्यतः सीएमपीडीआई (मुख्यालय) के माध्यम से परामर्शी सेवाएँ दी गई। सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड की विशेषज्ञता वाला कार्य भी करता है।

प्रदत प्रमुख सेवाएँ :

1.1 भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :

खनन परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक एवं भू–इंजीनियरिंग डाटा तथा स्वस्थाने (इन–सिटु) कोयला भंडार के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर गवेषित खनिखंड (ब्लॉक) का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोप भू–भौतिकी लॉगिंग के जरिए भू–भौतिकी सर्वेक्षण, हाई रिज्योलुशन शेलो सिसमिक सर्वेक्षण, जल भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधन की पहचान।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

  भूमिगत एवं खुली खदानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोयला एवं खनिज परिष्करण तथा उपयोग संयंत्र, कोल हैंडलिंग प्लांट, कर्मशाला तथा अन्य आनुषंगिक इकाइयों तथा निवेश निर्णय के लिए विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत संरचनाओं की तैयारी।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**

  खानों, परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, कर्मशालाओं एवं अन्य इकाइयों, वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल) प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए प्रणाली एवं उप–प्रणाली का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत सभी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए नॉडल एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करना। खनन, परिष्करण, उपयोग पर्यावरण, गवेषण आदि के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का कार्य भी सीएमपीडीआई खुद करता है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**

  पूर्णतः सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला द्वारा खान की गैसे, कोयला कोर नमूने, एनडीटी, वायु, जल, कोयले की धोवन क्षमता गुण, संस्तर की भौतिक एवं यांत्रिक क्षमता, पेट्रोग्राफी आदि का गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है।

- **पर्यावरणिक सेवाएँ :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग और सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू प्रयोगशाला

में वायु, जल एवं ध्वनि का विश्लेषण, पूरे कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए भू–उपयोग मानिटरिंग हेतु सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़े का उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ**
  - ▲ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ▲ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
  - ▲ नियंत्रित विस्फोटन
  - ▲ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ▲ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ▲ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ▲ खान थम्हाल का डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - ▲ अनाशक परीक्षण(एनडीटी)
  - ▲ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ▲ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्य-परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 19.61 करोड़ रूपये (आस्थगित कर के बाद) शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्य परिणाम नीचे दिया गया है :

		(करोड़ रूपये में)
बिक्री		524.03
घटाकर : कुल निवल व्यय		494.09
पीपी समायोजन एवं कर के पूर्व लाभ		29.94
घटाकर : पूर्व अवधि समायोजन		(–)0.85
(डेबिट) (+) (क्रेडिट) (–)		
कराधान पूर्व लाभ		30.79
आयकर के लिए प्रावधान		
घटाकर : चालू वर्ष के लिए	22.97	
पूर्व वर्ष के लिए	(–)0.03	
जोड़कर : आस्थगित कर के लिए	(–)11.76	
		11.18
dj d i'pkr fuoy ykHk		19-61

1.3 प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) का प्रबंधन अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें कंपनी की उपलब्धि तथा दृष्टिकोण रहता है।

1.3.1 सीएमपीडीआई का विजन :

सीएमपीडीआई का विजन विस्तृत भू–संसाधन क्षेत्र तथा संबंधित व्यावसायिक क्रिया–कलापा में वैश्विक बाजार में अग्रणी (मार्केट लीडर) बने रहना है।

1.3.2 सीएमपीडीआई का मिशन :

सीएमपीडीआई का मिशन भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्र में संपूर्ण परामर्श प्रदान करना है।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य निर्धारण (सेट)

सीएमपीडीआई की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार है :

1. भू–वैज्ञानिक, भू–भौतिक, जल भू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आँकड़ा निर्माण (सृजन) सहित कोयला एवं खनिज गवेषण के क्षेत्र में संपूर्ण परामर्शी सहायता प्रदान करना।
2. अनुकूलतम (ओप्टिमम) खनन योजना के लिए भू–वैज्ञानिक मूल्यांकन में विश्वसनीयता का स्तर बढ़ाकर गवेषण एवं संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादकता में सुधार लाकर, क्षति (वेस्टेज) को रोक कर तथा पर्याप्त बाहरी संसाधनों को लगाकर अनुकूल आंतरिक संसाधन पैदा करना।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण एवं उपयोग संयंत्र आदि के लिए परियोजना आयोजन (प्लानिंग) एवं डिजाइनिंग।
5. एस.एण्ड टी. तथा आर.एण्ड डी. योजनाओं के अन्तर्गत कोयला सेक्टर में अनुसंधान संबंधी गतिविधियों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना बढ़ावा देना तथा समन्वित करना।
6. सूचना नेटवर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी (सूचना) को आत्मसात करना (अपनाना) तथा इसका प्रसार करना।

7. कोयला खनन एवं इससे सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी) तथा पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तैयार करना।

8. भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, पर्यावरणिक, आँकड़ा सृजन, वेजिटेशन कवर मैपिंग, कोल माइन फायर मैपिंग, बड़े पैमाने पर कोयला क्षेत्रों का स्थलाकृतिक मैपिंग, टीपीएस तथा वाशरी लोकेशन का चयन सहित आधारभूत संरचनात्मक योजना के लिए रिमोट सेंसिंग सेवा को बढ़ाना।

9. कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों को क्षेत्र सेवा एवं प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध कराना।

10. कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के संगठनों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को परामर्शी सेवा प्रदान करना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के कार्यों का संक्षिप्त विवरण :

सीएमपीडीआई के सभी क्रिया–कलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(क) भू–वैज्ञानिक गवेषण तथा सहायक सेवाएँ :

अपने स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का मुख्य कार्य है, जिसमें खनिज भंडारों के लिए निम्नलिखित सेवाएँ दी जाती हैं :

- गवेषण की योजना एवं निष्पादन
- निवेश एवं गवेषण निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता

(ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायक सेवाएँ : स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का दूसरा मुख्य कार्य होने के नाते इसमें खनन, परिष्करण उपयोग तथा अन्य आधारभूत संरचना एवं अभियंत्रण, परियोजनाओं के निर्माण एवं परिचालन के लिए निम्नलिखित सेवाएँ दी जाती है :

- वैचारिक (कंसेप्युअल)/पूर्व–संभाव्यता/संभाव्यता अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट तथा आधारभूत एवं विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन का निर्माण और/या मूल्यांकन।
- अभियंत्रण और अन्य संबंधित परामर्श एवं सहायता तथा
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

(ग) पर्यावरण प्रबंधन सेवाएँ : 1992 से प्रस्ताव के तहत इनमें पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खान बंदी योजना, प्रयोगशाला एवं परीक्षण सहायता सहित खनन एवं खनिज उद्योग को इनकी योजना बनाने तथा परिचालन के दौरान सभी तरह की सहायता सम्मिलित हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की सभी बड़ी खुली खानों में वार्षिक आधार पर सेटेलाइट निगरानी द्वारा भू–उपयोग मानिटरिंग शुरू की गई है।

(घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से इस प्रस्ताव के तहत, इसमें विभिन्न मानकी कृत प्रबंधन प्रणाली जैसे आईएसओ 9001 गुणता प्रबंधन प्रणाली तथा इसके उद्योग विशिष्ट रूपांतरण आईएसओ 140001, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 180001, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन, तथा एसए 8000 सामाजिक दायित्व प्रबंधन के सृजन कार्यान्वयन तथा प्रमाणन हेतु संपूर्ण परामर्श एवं सहायता इत्यादि शामिल हैं।

(ड़) मानव संसाधन विकास : 1976 से प्रस्ताव के तहत खासकर, खनिज एवं खनन क्षेत्र में बाजार के ग्राहकों को तकनीकी, प्रबंधकीय तथा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण आदि शामिल है।

(च) विशेषज्ञ सेवाएँ : जियोमेटिक्स एवं सुदूर संवेदन, खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉकमास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन परामर्श सेवा, कोयला एवं ओबीआर की माप आदि के क्षेत्र में दक्ष परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.3.5 कोयला उद्योग की वर्तमान पर्यावरण की तुलना में सीएमपीडीआई की भूमिका :

इतिहास में वर्ष 2008 एक अप्रत्याशित वित्तीय संकट से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था का साक्षी रहा जो अमेरिकी सब–प्राइम संकट से प्रभावित था। तथापि, भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जो इस वित्तीय संकट से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ। यद्यपि भारत की आर्थिक वृद्धि 2007–08 में 9 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर वर्ष 2008–09 में लगभग 6.7 प्रतिशत हो गया, एक बार पुनः इस संकट से ऊपर उठा और 2009–10 तथा 20010–11 में बढ़कर 8.4 प्रतिशत पर पहुँच गया। इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस संक्रमित प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो सकने के पहले ही यूरो–जोन संकट उत्पन्न हो

गया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः स्वदेशी है, तथापि इसका निर्यात निश्चित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। फलतः आने वाले समय में यूरो रिजन मंदी को निर्यात मंदी के रूप में फैलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में यूरोपीय देशों से आने वाली एफडीआई भी प्रभावित होगी। यद्यपि इस क्षेत्र में निर्यात स्थिति कम होने के कारण विकास आंशिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है, तथापि, मुद्रा स्फीति की प्रवृति तथा ऊँचे ब्याज की व्यवस्था के परिणामस्वरूप औद्योगिक मंदी आने की संभावना है। वर्ष 2011–12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 में जीडीपी 7.6 प्रतिशत (+/-0.25) प्रतिशत रहने की संभावना है (सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार) किसी बाहरी देशों की तुलना में भारत अगली पंक्ति में बना हुआ है। कुल मिलाकर उपभोग अभियान होने से देश में मंदी (मेल्ट डाउन) का कोयला क्षेत्र पर कोई अपकर्षीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में, देश में, व्यावसायिक ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 52 प्रतिशत कोयला से पूरा होता है। कोयला मंत्रालय के xii योजना (2012–17) दस्तावेज (मार्च 2012) से यह पता चलता है कि 12वीं योजना के अंत तक यानि 2016–17 में सीएजीआर 7.09 पर कोयले की माँग 980.50 होगी। वर्ष 2016–17 में पूरे भारत में ''स्वाभाविक कार्यक्रम'' (बिजनेस ऐज यूजअल) परिदृश्य में 715 एमटी (कोल इंडिया लिमिटेड के लिए 7556.40 एमटी) तथा अनुकूलतम परिदृश्य में 795 एमटी(कोल इंडिया के लिए 615एमटी) का अनुमान लगाया गया है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एवं आर) मामले में देर, कानून एवं व्यवस्था की तथा कोयला निकासी (खाली करने) की सुविधाओं का विकास पर विचार कर तैयार किया गया है।''अनुकूलतम परिदृश्य'' के तहत यह माना गया है कि आवश्यक क्लियरेंस जल्द–से–जल्द तथा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हो जाए तथा संबंधित केंद्र तथा राज्य सरकार के एजेसिंयों के सक्रिय संलिप्तता द्वारा कोयला उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण, आरएंडआर तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इसलिए ''स्वाभाविक कार्यक्रम (बिजनेस ऐज यूजुअल)'' के मामले में 2016–17 तक माँग एवं आंतरिक आपूर्ति के बीच की खाई 265.5 एमटी अनुकूलतम परिदृश्य में 185. 5 एमटी का अनुमान लगाया गया है। xii के पार लम्बे परिदृश्य में भी माँग नियंत्रण के कारण निकट भविष्य में देश में कोयला उत्पादन ज्यादा होने की संभावना नहीं है। विश्व में तिसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक तथा चौथा प्रमाणित श्रेणी के कोयला भंडार वाला देश होने के बावजूद आज भारतीय कोयला उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारे देश की रीढ़ तथा एक मात्र सबसे बड़ा उपभोक्ता '' विद्युत क्षेत्र'' कोयला संकट से जूझना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर दो वर्ष यानि 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान घरेलू उत्पादकों से सुस्त (स्थिर) उपलब्धि के कारण उत्पन्न हुई है। व्यापक पर्यावरणिक प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई दिशा–निर्देश) लागू करने तथा समय पर वन क्लियरेन्स उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप उत्पन्न अवरोध के कारण पहले बनाई गई योजना के अनुसार कोयला उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सका। असंगत भू–अभिलेख, आर एवं आर मुद्दे आदि की समस्याओं से संबंधित विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में नई/विस्तारण परियोजनारओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य रूका हुआ है। मुख्यतः उड़ीसा तथा झारखंड राज्यों के कोयला क्षेत्रों के इलाके में गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते उत्पादन बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। वितरण के मोर्चे पर रेलवे की पूअर इवैकुएशन लाजिस्टिक सहित अर्थ विकसित आधारभूत संरचनाओं से विशाल पीट हेड स्टॉक के बावजूद पूरे देश के विभिन्न विद्युत संयंत्रों तक कोयले की ढुलाई में समस्या उत्पन्न होती रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती घरेलू कोयले की माँग आस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में कोयला क्षेत्र में निवेश के लिए भारतीय एवं चीनी कम्पनियों को उद्दत किया है, इसका कारण तापीय एवं घाटिवक कोयले का मूल्य बढ़ाने तथा शीर्ष सरकार द्वारा अधिक राजस्व शेयर की माँग करना है। इसके बाद आस्ट्रेलिया में खनिज संसाधन किराया कर (एमआरआरटी) पारित किया गया है, जिसके तहत वहाँ काम करने वाली कोयला खनन कम्पनियों के लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। इसी तरह इंडोनेशिया ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के साथ इंडोनेशिया कोयले के बेंचमार्किंग के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा की गई कोयले की खुदाई पर लेवी का दर बढ़ा दिया है। ऊँची कीमत पर आयातित कोयला अब भारत में विद्युत कंपनियों के राजस्व को प्रभावित कर रहा है तथा इन कंपनियों को क्रेता मिलने में कठिनाई हो रही है। इससे आगे इंडोनेशियाई कोयला के निर्यात टैरिफ में बढ़ोत्तरी भी कार्ड पर है। मूल्य लाभ समाप्त हो चुका आयातित इंडोनेशियाई कोयला तथा आस्ट्रेलियाई कोयला भी वहाँ कोयला कंपनियों के लाभ पर प्रस्तावित करने के कारण लोकप्रिय होने से विद्युत कंपनियाँ इसके बदले अफ्रिका से कोयला आयात करने या घरेलू कोयला के उपयोग

पर विचार करना शुरू कर दिया है, यदि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाए।

12वीं योजना के दौरान तथा उसके बाद विद्युत कंपनियों की ओर से बढ़ती माँग की तुलना में बढ़ती अनिश्चितता के कारण भारत सरकार के हाल के दिशा–निर्देश में यह प्रदर्शित किया गया है कि देश के कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत योगदानकर्त्ता तथा 1 अप्रैल 2009, से 31 दिसम्बर, 2011 के बीच स्थापित किए गए विद्युत संयंत्र जिसने विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों (डीआईएससीओए) के साथ दीर्घकालीन विद्युत क्रय करार किया हो, के साथ आपूर्ति करार हो। विश्व की सबसे कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की परामर्शदातृ सहायक कंपनी होने के नाते गवेषण, प्लानिंग एवं डिजाइन तथा अन्य संबंधित सेवाओं प्रदान करना सीएमपीआई का अधिकार है ताकि इनका त्वरित विकास हो सके। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवा की माँग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की अन्य कोयला कंपनियों द्वारा रही है। घरेलू आपूर्ति से कोयले की माँग को पूरा करने में कोयला कंपनियाँ खासकर, कोल इंडिया लिमिटेड की प्रगति में सीएमपीडीआई की सेवा का भी महत्व होगा।

इससे सीएमपीडीआई की विशेष सेवाओं में और वृद्धि होने की संभावना है। 1 जनवरी, 2012 से तापीय कोयला का सकल तापीय मूल्भ्य (जीसीपी) आधारित ग्रेडिंग तथा देश में कोयले का ज्ञात स्रोत लगभग 293.5 वि0ट0 है, जिसमें से 118.1 बि0ट0(40 प्रतिशत) को प्रमाणित कोटि (कैटेगरी) में लाने के लिए विस्तृत रूप से गवेषित किया गया है। शेष 60 प्रतिशत यानि लगभग 175:4 वि0ट0 इंडिकेटेड/इनफर्ड कैटेगरि में है तथा प्रमाणित कोटि में लाने के लिए विस्तृत गवेषण की आवश्यकता है। कोयला संसाधन प्रमाणित करने के लिए कोयले की गवेषणा को तेज किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय के दस्तावेज (मार्च,12), xii योजना (2012–17) में लगभग 55.22 लाख मीटर ड्रिलिंग पर विचार किया गया है। जिसे xii योजना में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग के जरिए सीएमपीडीआई करा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कोयला आधारित गैर–नवीकरण योग्य ऊर्जा उत्पादन जैसे कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तथा कोयला तरलीकरण आदि के वैकल्पिक स्रोत अपनाने पर बल दिया जा रहा है ताकि संभव समय तक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। सीएमपीडीआई सीबीएम संसाधन आधार विस्तृत करने के लिए कोयला मंत्रालय के प्रोमोशनल रिजनल एक्सप्लोरेशन (पीआरई) कार्यक्रम के तहत सीबीएम से आँकड़ा तैयार कर रहा है। सीएमपीडीआई के लिए शेल गैस का विकास भी चुनौतीपूर्ण कार्य क्षेत्र बनकर उभर रहा है। सीएमपीडीआई की सेवाएँ ब्लॉक की रूपरेखा का निर्धारण, डाटाडोजिअर की तैयारी आदि के तहत सीबीएम से संबद्ध आँकड़ा तैयार करने के लिए माँगी जा रही है।इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों में सीएमपीडीआई के लिए कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) भी वर्तमान में अतिरिक्त उभरता हुआ क्षेत्र है।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य और विजन को साकार करने के लिए अपनाई गई नीति :

सीएमपीडीआई द्वारा बाजार में गहरी जानकारी और स्थान रखने के साथ ही खनिज, खनन और सम्बद्ध क्षेत्रों में निगमित उद्देश्यों और विजन को साकार करने के लिए निम्नलिखित नीतियाँ और व्यावसायिक योजना अपनाया जा रहा है :

(i) गवेषण क्षमता को बढ़ना

(ii) कोयला के अलावा खनिज, खनन तथा सम्बद्ध इंजीनियरिंग आदि के नए क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।

(iii) बाहरी ग्राहकों के लिए बाजार शेयर बढ़ाना।

(iv) देश एवं विदेश दोनों के रणनीतिक साझेदारों के साथ गठजोड़ (सम्बन्ध)।

(v) वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।

(vi) परिचालन दक्षता एवं कार्य की गुणवता को बढ़ाना।

(vii) निगमित संस्कृति तथा आन्तरिक प्रणाली में सुधार लाना।

(viii) कोयला उद्योग को नियमित कोयला गवेषण तथा योजना सहायता सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना तथा अधिकारी वर्ग के श्रमशक्ति की भर्त्ती।

(ix) लागत नियंत्रण उपाय तथा मॉनिटरिंग को बेहतर बनाना।

(x) ऊर्जा एवं शेल गैस के एकान्तर स्त्रोत पर आधारित कोयले का विकास

1.3.7 सीएमपीडीआई की तैयारी :

सीएमपीडीआई की गवेषण गतिविधियाँ XI योजना अवधि

वर्षों के दौरान अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। सीएमपीडीआई द्वारा दसवीं योजना अवधि (2002–2007) के दौरान सम्पन्न किए गए कुल वेधन का लगभग 10 लाख मीटर की तुलना में ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–12) के दौरान 19.41 लाख मीटर वेधन किया गया।

ग्यारहवीं योजना अर्थात् 2007–08 के आरंभिक वर्ष में किए गए 2.09 लाख मीटर वेधन की तुलना में भी विभागीय स्रोतों और आउटसोर्सिंग के द्वारा वर्ष 2009–10 में 4.70 लाख मीटर तथा वर्ष 2011–12 में 4.98 लाख मीटर वेधन किया गया। वर्ष XII वीं योजना (वर्ष 2012–13) के शुरूआत में वेधन लक्ष्य 5.82 लाख मीटर है।

सीएमपीडीआई की ड्रिलिंग क्षमता में यह सस्टेनेबल इनहांसमेंट विभागीय ड्रिलों के आधुनिकीकरण, 25 नए मेकेनिकल ड्रिलों (जिसमें से 8 अतिरिक्त ड्रिलों के रूप में लगाए गए हैं और 17 रिप्लेसमेंट ड्रिल है) की प्राप्ति की जरिए सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त 4 उच्च क्षमता के हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त कर लिए गए और रिप्लेसमेंट ड्रिल के रूप में लगाया गया है। सीएमपीडीआई ने विगत तीन वर्षों में 38 मड–पम्पों और 46 ट्रकों का प्रतिस्थापन किया है। पाँच और मेकेनिकल ड्रिलों का आपूर्ति आदेश भी दिया जा चुका है।

वर्ष 2008–09 में आउटसोर्सिंग के तहत 18 ब्लॉकों के कार्य जिसमें 7.28 लाख मीटर की ड्रिलिंग शामिल है जिसमें से 14 ब्लॉकों (खनिखंडों) में ड्रिलिंग की गई। एमईसीएल के साथ 1 लाख मीटर प्रति वर्ष की ड्रिलिंग के लिए एक दीर्घकालिक एमओयू (5 वर्ष) भी हस्ताक्षर किया गया। क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए 4.37 लाख मीटर ड्रिलिंग सहित आठ अतिरिक्त ब्लॉकों का वैश्विक निविदा जारी किया गया। आठ ब्लॉकों में से चार के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया। इन चार ब्लॉकों में से दो ब्लॉक में कार्य शुरू किया जा चुका है और शेष दो ब्लॉक मुख्यतः सलाईपहाड़ और ब्राहम्णी में स्थानीय समस्या के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है । शेष चार ब्लॉकों के लिए पुनः निविदा जारी कर कार्यादेश दिया जा चुका है। दो ब्लॉकों में वेधन कार्य शुरू कर दिया गया है और शेष दो ब्लॉकों का जल्दी ही शुरू किए जाने की संभावना है।

सीएमपीडीआई के लगभग 371 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता हेतु 11वीं योजना में चिन्हित 142 परियोजना रिपोर्ट तैयार करना था, जिसमें से वर्ष 2007–12 के दौरान 349 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता के साथ 130 परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। शेष 12 परियोजना रिपोर्टों की तैयारी या तो बारहवीं योजना में शिफ्ट कर दिया गया है या मर्ज (मिला) दिया गया है।

सीएमपीडीआई की अधिकांश प्रयोगशालाओं की क्षमता अपग्रेड कर दी गई है। रासायनिक और पेट्रोग्राफी प्रयोगशालाओं के परिष्कृत आयातित उपकरणों के साथ अपग्रेड कर क्षमता में वृद्धि कर दी गई है। मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थान–4 में पर्यावरणिक प्रयोगशाला को अपग्रेड कर दिया गया है और क्षेत्रीय संस्थान–5 में स्थापित कर दिया गया है। जबकि क्षे0सं0–1 और क्षे0सं0 का पर्यावर्णिक को भी अपग्रेडेशन करना प्रस्तावित किया जा रहा है। क्षे0सं0–7, भुवनेश्वर में नए पर्यावरणिक प्रयोगशाला की स्थापना तथा आसनसोल और जयंत में पर्यावरण प्रयोगशाला के अपग्रेडेशन की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। माइन टेक्नोलॉजी लेबोरेट्री को रेजिन और सीमेंट कैप्सूल परीक्षण सम्पन्न करने के योग्य बनाया गया है। 200 के एन क्षमता का एक हेवी डयूटी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) प्राप्त कर लिया गया है और भौतिक यांत्रिक गुण–निर्धारण के लिए स्थापित कर दिया गया है। सीएमपीडीआई ने एडजार्वसन आइसोधर्म परीक्षण के लिए एक उपकरण का निर्माण किया है जो 20 एमपीए प्रेशर (लगभग 2000) मीटर गहराई का प्रेशन) तक कोयला सीम के एडजार्पसन क्षमता के परीक्षण में सक्षम है। इस क्षमता का उपकरण संभवतः भारत में पहला है।

आंतरिक कोल कोर टेस्टिंग कैपेबिलिटि बढ़ाने के अलावे सीआईएमएफआर, धनबाद, एनएमएल, जमशेदपुर और आईएमएमटी (इंस्टीटयूट ऑफ मिनरल एंड मेटेरियल टेक्नोलॉजी) भुवनेश्वर में अपने नामित (डेजिगनेटेड) प्रयोगशाला में कोर विश्लेषण के लिए क्षमता में वृद्धि हेतु दिनांक–3 दिसम्बर, 2011 को सीएसआईआर के साथ एमओयू किया गया। कोल इंडिया अतिरिक्त आधारभूत संरचना के निर्माण और अतिरिक्त उपकरण प्राप्त करने के लिए कोल कोर का 2,55,000 मी0 विश्लेषण हेतु सीएसआईआर प्रयोगशाला को 19.31 करोड़ रूपए की राशि मुहैय्या कराएगा।

सम्बद्ध अभियांत्रिक सेवाओं के साथ–साथ गवेषण, प्लानिंग और डिजाइन के लिए श्रम–शक्ति का पता लगाया गया है। वर्ष 2011–12 में विभिन्न विभागों में कुल आवश्यकता में से 184 प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटी) की भर्ती कर सीएमपीडीआई में पदस्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार गैर–अधिकारी श्रमशक्ति वाह्य भर्ती के साथ–साथ अन्य अनुषंगी कंपनियों से लाकर किया जा रहा है तथा यह प्रक्रिया अभी जारी है। कोयला

आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करना सीएमपीडीआई के लिए कार्य की प्राथमिकताओं में से एक हो गया है। कोल मयाइन मीथेन परियोजना का सफलतापूर्वक डिमांशट्रेशन सीएमपीडीआई द्वारा मूनीडीह परियोजना, बीसीसीएल में किया गया है। सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया के क्षेत्र (बीसीसीएल में 3 सीसीएल में 2) के भीतर 5 सीएमएम के व्यावसायिक विकास के लिए उपर्युक्त डेवलपरों के चयन हेतु कदम उठाया है। सीएमपीएम के आपरेशनलाइजेशन से संबंधित मामला एमओसी/एमओपी एवं एनजी के बीच विचाराधीन है और मामले के सेटलमेंट के पश्चात् आगे कोई कदम उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया क्षेत्र मुख्यतः कैथा(सीसीएल) और थीसगोरा–सी(डब्ल्यूसीएल) के भीतर दो ब्लॉकों में यूसीजी के व्यावसायिक विकास हेतु कदम उठाए जा चुके हैं और निविदा जारी की जा चुकी है। तकनीकी कारणों से निविदा को जारी नहीं किया जा सका। शेले गैस विकास के क्षेत्र में फॉरे भी विचाराधीन है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के क्षेत्र के भीतर शेले गैस के विकास की संभावनाओं की जाँच (पता लगाना) कर रहा है और क्षमता निर्माण के रूप में अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर विचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त डीजीएच ने भी दामोदर घाटी और सोहागपुर बेसिन में संभावित शेले गैस के ब्लॉकों पर डाटा डीजियर की तैयारी का कार्य जून, 2011 में डीजीएच को सौंप दिया गया है।

सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया की खुली खदान परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्वार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट से निगरानी का कार्य वर्ष 2008 से किया जा रहा है। 5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक उत्पादन वाले 50 खुली खदान परियोजनाएँ/खानें और 5 मिलियन क्यूबिक मीटर (कम्पोजिट) से कम उत्पादन वाली 113 खुली खदान खानें/परियोजनाओं का वार्षिक रूप से मानीटर तीन वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया की 87 खुली खदान परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्वार मानीटरिंग पूरी की गई है। माइन फयर इंफार्मेशन सिस्टम के विकास के लिए थर्मल सेटेलाइट आँकड़ा पर आधारित रानीगंज, झरिया, बोकारो तथा कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों सहित दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र का कार्य जारी है। वर्ष 2011 के आँकड़ा के आधार पर झरिया कोयला क्षेत्र से संबंधित कार्य पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, गोविन्द बल्लभ पंत सागर डैम का सिलटेशन (तलछट) अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

सीएमपीडीआई कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों को सहायता (कंसेप्ट टू कमिशनिंग) मुहैय्ा करा रहा है। इस कार्य में आरओएम कोयले का परीक्षण, आयोजन, विड प्रोसेस प्रबंधन और वाशरियों के निर्माण एवं कमीशनिंग (चालू करना) में सहयोग करना शामिल है। क्षमता में मजबूती के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरों की भर्ती (इंटक्टेड) की गई है। इसके अतिरिक्त, भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई की कोल प्रिपरेशन लेबोवेटरी को भी नए उपकरणों से अपग्रेउ (लैश) किया जा रहा है। टर्न की आधार पर सीएचपी के लिए एल–1 बिडर का निर्धारण, डिजाइन/ड्राईज की संवीक्षा और आधार सुपरविजन आदि का निर्धारण, व्यावसायिक अनुबंध एवं शर्त, टेडरिंज, निविदा का कार्य निष्पादन तथा सीएचपी में प्रयुक्त विभिन्न पीएंडएम के विस्तृत निविर्देशन सहित कोल हैंण्डलिंग प्लांट का आधोपांत कार्य निष्पादन के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी परियोजना रिपोर्ट में इनकारपोरेशन के लिए रेलवे वैगनों में शीघ्र लदान तथा आरओएम, कोल रिसिविंज, क्रसिंग, स्टोरिंग सुविधा वाले कोल हैण्डलिंग प्लांट के बेसिक ले आउट की तैयारी हेतु कोल इंडिया और बाहय एजेंसियों के लिए कोल हैण्डलिंग प्लांट की प्लानिंग एवं डिजाइन से संबंधित विशेषज्ञता सीएमपीडीआई के पास है।

वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया को दी जा रही पर्यावरणिक सेवाओं में 31 फार्म–1 की तैयारी और 33 ईएमपी का ड्रफ्ट का निर्माण शामिल है। कोल इंडिया की 289 परियोजनाओं/संस्थापनाओं का पर्यावरणिक मॉनीटरिंग (वायु,जल और ध्वनि) आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, तालचर और राँची स्थित आठ पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए सम्पन्न की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 324 माइन क्लोजर पलान भी तैयार किए गए।

वर्ष 2011–12 के दौरान 97 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के अलावे सभी ऊर्जा स्रोतों के ''ऊर्जा कार्यनिष्पादन इंडिकेटर'' तथा ''एनर्जी वेसलाइन'' और खुली खनन कोयला खानों का ''ऊर्जा कार्यनिष्पादन संवीक्षा'' आदि के लिए मेथडोलॉजी, क्राइटेरिया, सिस्टम आदि सहित गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित परामर्शी कार्य पूरे किए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) कंपनी की आईएसओ 27001 एवं आईएसओ 5001 को कंफर्म करने तथा इसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 ओएचएसएएस 18001 और एसए 8000 प्रणाली में समेकित करने का कार्य सम्पन्न किया गया, जो देश में इस प्रकार का पहला प्रयास है।

1.4.0 सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवेक्षण :

विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी को कुल 19.61 करोड़ रूपये का लाभ (आस्थगित कर के बाद) हुआ। विगत तीन वर्षों कार्यकारी परिणाम का सारांश इस प्रकार है :

योग्यता मानदंड		सीएमपीडीआई की स्थिति		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	कर के पूर्व लाभ (करोड़ रूपये में)	19.61	23.69	30.79
2.	कर के बाद लाभ (करोड रूपये में)	11.46	15.32	19.61
3.	निबल मूल्य (करोड रूपये में)	170.76	167.60	208.79
4.	निबल मूल्य की तुलना में निबल लाभ (%)	6.71	9.14	9.39
5.	टर्न ओवर (करोड़ में)	453.53	429.08	524.03
6.	टर्न ओवर के ब्याज तथा कर के पहले लाभ (%)	4.32	5.52	5.88

1.5.0 निगमित शासन :

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन इसके बोर्ड, इसके शेयरहोल्डर और स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेल है। यह कंपनी के उद्देश्य प्राप्त करने के साथ और मॉनीटरिंग कार्यनिष्पादन प्रणाली के जरिए मुख्य प्रक्रिया और संरचना उपलब्ध कराता है तथा यह भी एक सेट है।

सभी कंसटीच्यूएंट्स के बीच भरोसा एवं विश्वास का वातावरण बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के व्यक्तियों जैसे अन्य स्टेक होल्डर के हित का संरक्षण और शेयर होल्डर के वैल्यू को मैक्सिमाइज करने तथा बढ़ाना ही निगमित शासन का उद्देश्य है।

1.5.1 कंपनी का दर्शन :

निगमित शासन के संबंध में कम्पनी का दर्शन पारदर्शिता, स्पष्टता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता नियंत्रण सामाजिक जिम्मेदारी, डिसक्लोजर तथा रिपोटिंग जो पूर्णतः नियम, अधिनियम और दिशा–निर्देशों के कंफर्म करता हो, को सुनिश्चित करना है।

निगमित शासन प्रैक्टिस को प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने अच्छी तरह से परिभाषित पॉलिसी फ्रेमवर्क की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

- निदेशकों और वरीय प्रबंधन कर्मिकों के लिए कोड आफ कंडक्ट (आचार संहिता)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए कोड आफ कंडक्ट
- व्हीसिल ब्लोअर पॉलिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.5.2 निदेशक मण्डल

कंपनी के व्यवसाय का संचालन निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए किए क्वालिफिकेशन शेयर का होना जरूरी नहीं है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक पदेन निदेशक और नन–आफिशियल पार्ट टाइम निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 314 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।

(क) निदेशक मंडल का आकार :

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम–से–कम 3 निदेशक और अधिकतम 15 निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक/कार्यकारी निदेशक या आफिशियल पार्ट टाइम निदेशक या नन–आफिसियल पार्ट–टाइम निदेशक हो सकते हैं।

(ख) निदेशक मंडल का कोटिवार संयोजन (कम्पोजिशन) :

31 मार्च 2012 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 11 निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित 5 पूर्णकालिक निदेशक दो अंशकालिक आफिशियल निदेशक हैं तथा चार अंशकालिक नन–आफिसियल निदेशक हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2012 के अनुसार निदेशकों का संयोजन इस प्रकार है :

पूर्णकालिक निदेशक :

1. श्री अशोक कुमार सिंह
2. श्री अमल कुमार देबनाथ
3. श्री बी. एन. बासु
4. श्री डी. के. घोष
5. श्री आर.के.चोपड़ा

सरकारी अंशकालिक निदेशक :

1. श्री नागेन्द्र कुमार

.2. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक :

1. प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री
2. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा
3. श्री मुकेश खरे
4. प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा

(ग) निदेशक मंडल की बैठक की संख्या और तिथि जिस समय बैठक हुई।

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बॉडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यों की देखरेख करता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान क्रमशः 17.5.2011, 06. 082011, 08.11. 2011, 13.01, 2012 तथा 16.03, 2012 को पाँच बैठकें आयोजित हुई।

क्र.सं.	तिथि	दिन	स्थान
1.	17.05.2911	मंगलवार	सीएमपीडीआई, राँची
2..	06.08.2011	शनिवार	सीएमपीडीआई, राँची
3.	08.11.2011	मंगलवार	सीएमपीडीआई, राँची
4.	13.01.2012	शुक्रवार	सीएमपीडीआई, राँची
5.	16.03.2012	शुक्रवार	सीएमपीडीआई, राँची

(घ) निदेशक मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठक में भाग लेने की संख्या इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक	कार्यावधि में हुई बोर्ड मिटिंग की संख्या	बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति	31.3.12 के अन्य बोर्ड से डायरेक्टरशिप की संख्या	बोर्ड कमेटि में निदेशक-शिप/चेयर-मैनशिप (सीएमपीडीआईएल) की संख्या
गैर-सरकारी निदेशक						
1.	श्री ए.के. सिंह	5	5	हाँ	शून्य	शून्य
2.	श्री अमल कु0 देवनाथ	5	4	नहीं	शून्य	1
3.	श्री एन. खुराना	1	1	नहीं	–	शून्य
4.	श्री एस.के. मित्रा	1	1	नहीं	–	शून्य
5.	श्री बी.एन. बासु	3	3	–	शून्य	शून्य
6.	श्री डी.के. घोष	3	3	–	शून्य	शून्य
7.	श्री आर.के. चोपड़ा	2	2	–	शून्य	शून्य
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक						
8.	श्री निर्मल चन्द्र झा	4	1	नहीं	–	–
9.	श्री डी.एन. प्रसाद	5	5	नहीं	2	1
10.	श्री नागेन्द्र कुमार	1	–	–	4	1
निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखी गई सूचना :						
11.	प्रो0 वेदाला रामाशास्त्री	5	3	नहीं	1	1
12.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	5	5	नहीं	शून्य	1
13.	डा0 मुकेश खरे	5	3	नहीं	1	2
14.	प्रो0 पी.के.जे. महापात्रा	5	2	नहीं	1	2

टिप्पणी : श्री एन. खुराना और श्री एस.के.मित्रा क्रमशः दिनांक– 24.06.2011 तथा 27.6.2011 से निदेशक नहीं रहे।

(ड.) निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखी गई सूचना :

बोर्ड कंपनी के भीतर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से आने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैः

- वार्षिक संचालनात्मक योजनाएँ, पूँजीगत एवं राजस्व बजट तथा अद्ययतन
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तिय परिणाम
- कंपनी के कार्यनिष्पादन की आवधिक संवीक्षा
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की आवधिक संवीक्षा
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक रिर्पोट
- वार्षिक रिपोर्ट निदेशकों का रिपोर्ट आदि
- अंकेक्षक समिति की बैठक का कार्यवृत
- बड़े कंट्रेक्ट/एग्रीमेंट देना
- मानव संसाधन संबंधित मुद्दे एवं सुरक्षा/सुरक्षा से संबंधित मामले
- निदेशकों के अन्य कंपनियों में उनके द्वारा लिए गए डायरेक्टरशिप और स्थिति का प्रकटन
- अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

(च) निदेशकों का संक्षिप्त विवरण :

श्री अशोक कुमार सिंह (59) ने भारतीय खनिपीठ, धनबाद भारत से खनन अभियंत्रण में बीटेक (1974) में किया। उन्हं आईएसएम के गोल्ड मेडल से नवाजा गया और माइनिंग, जियोलॉजिकल एव मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एनजीएमआई) के पिकेरिंग मेडल से नवाजा गया। उन्होंने 1976 में इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एंड माइन मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजूएट सर्टिफिकेट तथा 1990 में आईएसएम से लौंगवाल माइन मैकेनिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। उनके पास कोल माइनिंग के क्षेत्र में साढ़े तीन दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। जिसमें उन्होंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड(बीसीसीएल) सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0(सीएमपीडीआईएल), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) जैसे कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में उत्पादन तथा प्लानिंग और प्रबंधन में विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया (सेवा दी)। उन्होंने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेश के रूप में भी सेवाएँ दी। ये दोनों कंपनियाँ पूर्णतः नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया के स्वामित्व में है जो विश्व में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। श्री ए.के. सिंह वर्तमान में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें खनन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर सहयोग के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल मिनरल अवार्ड (2007) प्रदान किया गया। उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया– को–चेयर के साथ–साथ सदस्य के रूप में यूएसईपीए के एम–2 एम पार्टनरशिप में कोल माइन मीथेन पर तकनीकी सब–समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा इंडो–यूएस वर्किंग ग्रुप, भारतीय खनि विद्यापीठ के एक्जीक्यूटिव बोर्ड और एकेडेमिक काउंसिल, आईआईसीएम के गवर्निंग काउंसिल, एसएसआरसी, कोल इंडिया के आरएंडडी बोर्ड, एमजीएमआई और इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन (आईएमएमए) के सदस्य भी रहे। श्री ए.के.सिंह ने स्टैंडर्ड जर्नलों के साथ–साथ कंफ्रेंस/सिम्पोजिया/सेमिनार आदि में बड़ी मात्रा में तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया। उन्होंने यूएसए, यूके रसिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड आदि जैसे कई देशों की व्यापक यात्राएँ की हैं।

श्री नगेन्द्र कुमार (52) ने वर्ष 1980 में भारतीय खनि विद्यापिठ, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक–माइनिंग) में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने जूनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में सन 1980 में सीसीएल ज्वाइन किया। उनके सीसीएल में प्रथम बीस वर्षों में उन्होंने 6 वर्ष मैनेजर और 2004 में प्रोजेक्ट जेनरल मैनेजर और 2007 में चीफ जेनरल मैनेजर के रूप में कार्य किया। उनहोंने अपने कैरियर का अधिकोश समय कठिन भूमिगत और खुली खदान खानों के रिवाइविंग में बिताया। उन्होंने लौंगवाल उपकरण के स्वदेशीकरण में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कई पेपर प्रस्तुत किए। उनकी हाल ही की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्पादन और सुरक्षा में विश्व स्तर के अनुरूप झरिया क्षेत्र में कंटीन्यूवस माइनर का सफलतापूर्वक संचालन है। श्री कुमार एमजीएमआई, आईएमएमए और इन्स्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरस के सदस्य हैं। उन्होंने साऊथ अफ्रीका और चीन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया है। श्री कुमार को क्रिकेट, पुस्तक, पुराने गाने और रवीन्द्र संगीत का भी शौक है। उन्होंने दिनांक– 01.02.2012 से कोल इंडिया लि0 के निदेशक (तकनीकी) का प्रभार ग्रहण किया है।

श्री डी.एन.प्रसाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से पास किए हैं और उनके पास फर्स्ट क्लास माइन

मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेन्सी धारक है साथ ही उन्होंने यू.के. से एमबीए किया है तथा भारत के कोयला और ऊर्जा सेक्टर में लगभग 32 वर्षों का अनुभव उनके पास है। उनसे अनुभव में पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियों, कोल इंडिया लि0 एवं सिंगरैनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड का 11 वर्षों का अनुभव है और लगभग 21 वर्षों का अनुभव प्लानिंग कमिशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल भारत सरकार के ऊर्जा डिवीजन में एनर्जी, फ्यूअल कोल एंड लिग्नाइट के लिए डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग में हैं। वर्तमान में वे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें इनवेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, कोयला और लिग्नाइट, सीबीएम सीएमएम का गवेषण के लिए कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन, कोयला खान परियोजनाओं के विकास का व्यपाक अनुभव है। साथ ही उनके पास क्लाइमेट चेंज क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन का अप्रेजल, कोयला और लिग्नाइट के लिए संभावित योजनाओं का विकास, कोल वाशिंग सहित क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का विकास, कोयला गैसीकरण, यूसीजी, सीटीएल, कोल इवाक्यूएशन के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि का भी अनुभव है। उन्होंने कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न कमिटियों में योजना आयोग और कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया है तथा आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस, चीन, तुर्की आदि सहित कई देशों का दौरा व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में किया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला से संबंधित क्षेत्र में पालिसी और मुद्दे पर पेपर प्रस्तुत किए हैं। वे इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइन्स, मेटल एवं जियोलाजिकल इंस्टीच्यूट आफ इंडिया (एमएमजीआई) आदि जैसे व्यावसायिक निकायों के सदस्य हैं।

श्री अमल कुमार देवनाथ (56) ने भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद, भारत से माइनिंग इंजीनियरिंग (1976) में बी.टेक. किया है। उन्होंने डीजीएमएस से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी का प्रमाण–पत्र हासिल किया है। कोयला खनन क्षेत्र में उनका साढ़े तीन दशकों से भी ज्यादा का कार्यानुभव है। जबकि सेंट्रल कोलफील्ड लि. (सीसीएल) और सीएमपीडीआई में उत्पादन और आयोजन तथा प्रबंधन में अपनी विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साउथ ईर्स्टन कोलफील्ड लि0 (एसईसीएल) को पूर्णरूपेण गवेषण और प्लानिंग सपोर्ट देते हुए अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री ए.के.देवनाथ नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड जो विश्व में हार्ड कोल उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है के पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) के निदेशक (तकनीकी/आयोजन एवं अभिकल्पन) है। वे कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्टो पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी), आपरेशनल योजना और अन्य विशेषीकृत रिपोर्टों की तैयारी के लिए उत्तरदायी रहे हैं। उनके देखरेख में 50 मी.ट.प्र. कुल क्षमता के लिए कुसमुण्डा हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार किया गया जो आज की तारीख तक में सबसे बड़ी खान योजना है। वे कंटीन्यूअस माइनर, शार्टवाल, लो कैपेसिटी कंटीन्यूअस माइनर आदि जैसे हाईवाल माइनिंग, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के लिए वैश्विक बिड (बोली) की तैयारी एवं स्थलों के चयन में सहायक रहे हैं। उन्होंने कोयला निपटान संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं के अधोपांत कार्य–निष्पादन के लिए कार्य देने के साथ–साथ तकनीकी और व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न निविदा समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लि0, हिन्दुस्तान कॉपर लि. हुट्टी गोल्ड माइन्स आदि के लिए मेटल माइनिंग सेक्टर में वृहद् परामर्शी कार्य भी शुरू किया गया। वे माइनिंग, जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल इंस्टीच्यूट आफ इंडिया (एमजीएमआई) के सदस्य हैं।

श्री ए.के.देवनाथ ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस/सिम्पोजिया/सेमिनारों में बड़ी मात्रा में तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया है। उन्होंने यू.एस.ए., चाइना, जर्मनी, स्वीडेन, साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पोलैंड, तुर्की आदि अनेक देशों का व्यापक यात्राएँ की हैं।

श्री वैद्यनाथ बासु, निदेशक (तकनीकी)/सीआरडी) सीएमपीडीआई, उर्म्र 58 वर्ष (30.05.1953) एक खनन अभियंता हैं और आईएसएम, धनबाद से 1975 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और डीजीएमएस, धनबाद से 1979 में प्रथम श्रेणी का माइन मैनेजर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उन्हें उत्पादन (स्टेट्यूटरी कैपेसिटी) में असिस्टेंट मैनेजर और सीसीएल में लगभग 1/2 वर्षों का तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स में स्टैटूअरी कैपेसिटी में अंडर मैनेजर के रूप में विभिन्न कैपेसिटीज में और अनेक क्षेत्रों में व्यापक वर्किंग अनुभव और

विशेषज्ञता हासिल है। उन्हें सीएमपीडीआई में खान आयोजन एवं अभिकल्पन में 30 वर्षों से ज्याद का गहरा अनुभव है। उन्होंने गेवरा खुली खदान (25 मी.ट.प्र.व.), दिपका खुली खदान (20 मी.ट.प्र.व.) मगध खुली खदान (12 मी.ट.प्र.व.), आम्रपाली खुली खदान (12 मी.ट.प्र.व.) के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी सहित परियोजना की लागत के साथ 25 (25 मी.ट.प्र.व.) क्षमता तक के खुली खदान परियोजनाओं की योजना बनाई है तथा प्रोजेक्ट लीडर के रूप में भूमिगत, खुली खदान, ईएमपी, ऑपरेशनल प्लान, माइन क्लोजर प्लान सहित अनेकों परियोजना रिपोर्टें तैयार की है। उन्होंने तकनीकी एवं व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए निविदा समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। साथ ही क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल के रूप में कार्य किया। जियोलॉजिकल रिपोर्ट सहित प्रशासन, परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, पर्यावरणिक मॉनीटरिंग और गवेषण गतिविधियों का समग्र रूप से देखरेख की है। इस अवधि के दौरान 1000 मी./माह ड्रिलिंग क्षमता वाले प्रत्येक दो हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल को पहली बार क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल के क्षेत्राधिकार वाले रानीगंज कोयला क्षेत्र में लागू किया है। वर्तमान में वे निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे हैं और कोल रिसोर्स डेवलपमेंट का कार्य देख रहे हैं।

श्री दिलीप कुमार घोष (56) माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और वर्तमान में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। सीएमपीडीआई में ज्वाइनिंग से पूर्व वे कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों वेर्स्टन कोलफील्ड्स लि0 तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 में विभिन्न योग्यताओं के साथ कार्यरत थे। श्री घोष ने अपने बल पर अनेक विशिष्ट उपलब्धियाँ पाई। उन्हें पाथरखेरा क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के पीके–।। माइन में वर्ष 1993–94 में ''वेस्ट मैनेजर'' के रूप में पुरस्कृत किया गया। अपने कार्यावधि के दौरान वर्ष 2005–06 में नौ भूमिगत खानों के साथ पाथरखेरा क्षेत्र को ''डब्ल्यूसीएल का सर्वोत्तम भूमिगत क्षेत्र'' घोषित किया गया जहाँ वर्ष 2006–07 के दौरान 33.11 लाख टन कोयला का उत्पादन अधिक हुआ। और क्षेत्र की एलएचडी उत्पादकता डब्ल्यूसीएल में सबसे ज्यादा अर्थात् 189 टीपीडी थी। इसके बाद इन्होंने बैकुण्ठपुर क्षेत्र, एसईसीएल का पदभार सम्हाला जहाँ सिर्फ उसी तरह के मेकेनाइजेशन वाली भूमिगत खान है। उनके कार्यकाल के दौरान यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष सभी क्षेत्र में उन्नति करता रहा। वर्ष 2009 में चर्चा इस्ट तथा वेस्ट को मिला दिया गया तथा 2 एमटीवाई की मेगा भूमिगत परियोजना में परिवर्तित हो गया जिसका उद्घाटन नवम्बर 2009 में माननीय कोयला मंत्री ने किया। इस परियोजना में दो सेट कन्टीन्यूअस माइनर लगाया गया है। वर्ष 2008–09 के लिए इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 में छमाही आधार पर इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में एक बार पुनः सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 के अंत तक 25 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक मेगा खुली खान परियोजना, दिपका क्षेत्र में 2 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज करते हुए 24 मिलियन टन उत्पादन किया। 45000 टन प्रतिदिन क्षमता वाला उपकरण भाड़े पर लेकर सर्फेस माइनर टेक्नोलाजी लगाया गया। जून, 2010 में 42 ६ ान मीटर शॅवेल तथा 240 टी डम्पर का बड़ा एचईएमएम पैकेज शामिल किया गया। दिपका क्षेत्र को वर्ष 2009–10 के लिए अधिकतम उत्पादकता हेतु पुरस्कृत किया गया। चिरिमिरी क्षेत्र में पदभार सम्हालने के बाद श्री घोष द्वारा फोमिंग एजेंट सहित नाइट्रोजन फूलसिंग के लिए आग के कारण पूर्व में बंद किए गए दो खदानों को खोलने की कार्रवाई की गई।

श्री राजेश कुमार चोपड़ा, (57) निदेशक तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी, सीएमपीडीआई ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के तकनीकी संस्थान से खनन अभियंत्रण (1977) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्टक्लास माइन मैनेजर्स् सर्टिफिकेट आफ कंम्पीटेंसी हासिल की। इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (1977–82) में अपने कैरियर की शुरूआत की तथा सहायक प्रबंधक के रूप में काम किया। इसके बाद इन्होंने 1982 कोल इंडिया लिमिटेड/ सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–3, राँची में अपना योगदान दिया। इसके बाद जर्मनी में अंडरग्राउंड लाँगवाल टेक्नोलॉजी तथा एडवांस कोल माइनिंग मेथड में एक वर्ष (1985–86) का प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर में खुली खान के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया तथा कई खुली खान, जैसे केडी हेसलाँग (खु0खान, परेज, खु0खान, कोनार, खु0खान, अम्रपाली, खु0खान, अशोक, खु0खान, दिपका, खु0खान(20 एमटीवाई), गेवरा ओसी (25 एमटीवाई) की योजना बनाई। इन्होंने कोयला मंत्रालय में महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक(खनन) के पद पर अपनी सेवा देते हुए तकनीकी एवं नीतिगत मामलों में सहयोग किया। श्री चोपड़ा ने एनसीएल तथा सिंगरौली की गवेषण एवं आयोजन (प्लानिंग) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान–6 के क्षेत्रीय निदेशक का भी दायित्व सम्हाला तथा क्रमिक वर्षों में रिकार्ड ड्रिलिंग उपलब्धि दर्ज की। वर्तमान

में (13.1.2012 से) ये निदेशक (तकनीकी) के रूप में अनुसंधान विकास, विस्फोटन, कोयला प्रौद्योगिकी, सीबीएम, यूसीजी तथा खनिज परिष्करण का काम देख रहे हैं।

अभियंत्रण में पीएचडी करने वाले श्री वेदाला रामशास्त्री (52) अप्रैल, 1997 से नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, कर्नाटक, सुरातकल, मंगरोल में खनन अभियंत्रणा के प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने विभिन्न पदों जैसे विभागाध्यक्ष, खनन अभियंत्रण (1992–1995 तथा 1999–2004), डीन (विद्यार्थी के मामले) (2004–2009), विभागाध्यक्ष प्रशिक्षण एवं नियोजन (2008–11) पर काम किया। ये इन्स्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर (भारत) के फेलो, यूरोपीयन फेडरेशन आफ एक्सप्लोसिव इन्जीनियर्स, रॉक मेकानिक एंड टनेलिंग टेक्नोलॉजी की आईएनटी सोसाइटी के आजीवन सदस्य, माइनिंग इन्जीनियर्स ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य तथा इंडियन सोसायटी ऑफ एजुकेशन के आजीवन सदस्य हैं। खान आयोजना (माइन प्लानिंग), रॉकमेकेनिक्स तथा पर्यावरण प्रबंधन इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। इनकी रूचि खनन के अलावे पाइपलाइन परियोजना पोर्ट में ड्रेगिंग परियोजना तक है। 17 अनुसंधान परियोजनाओं, 105 से अधिक उद्योग प्रायोजित परामर्श परियोजनाओं, 130 से अधिक अनुसंधान प्रकाशनों का श्रेय श्री शास्त्री को जाता है। इन्होंने अनुसंधानात्मक विचार–विमर्श के लिए अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों की यात्राएँ की हैं। प्रो0 वी.आर.शास्त्री, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट, राँची तथा के.आई.ओ.सी.एल. लि0 (भारत सरकार), बंगलोर के निदेशक–मंडल के सदस्य हैं।

डा0 मुकेश खरे, इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली, भारत में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्राध्यापक हैं। इन्होंने 1989 में न्यू कैसल–अपॉन–तायने–अपॉन तायने, यूके विश्वविद्यालय से फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग (वायु गुणवत्ता में विशेषज्ञता) में पीएचडी की उपधि प्राप्त की। इन्होंने आज की तिथि तक रेफरीड प्रोफेशनल जनरल में 140 से अधिक रेफरीड आलेख, 04 पुस्तकें, मॉडेलिंगव वेहिकुलर एक्जास्ट इमिशन, डब्ल्यूआईटी प्रेस, यूके वे हिकुलर पोल्यूशन मॉडेलिंग में आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क, स्प्रीगर, यूएसए, अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, पर्यावरणिक, स्वास्थ्य तथा अभियंत्रण परिप्रेक्ष्य, लान रैंडल, जमाइका, वीआइटी प्रेस, यूके तथा एलेकियर यूएसए द्वारा प्रकाशित पुस्तकें/बुकलेट में 6 अध्यायों का योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी एजेंसियों तथा निजी उद्योगों के लिए किए गए अनुसंधान/परामर्श सेवाओं पर 40 तकनीकी रिपोर्टों प्रकाशित की है। प्रो० खरे कई सरकारी मंत्रालयों के अनुदान कार्यक्रम तथा राज्यों के अनुदान कार्यक्रम के अग्रणी समीक्षक तथा एनसीटी दिल्ली सरकार तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्शदाता/सलाहकार के रूप में अपना योगदान जारी रखे हुए हैं। श्री खरे ने हाल ही में इन्डस्ट्रीयल कलस्टर ऑफ इंडिया के लिए विस्तृत पर्यावरणिक प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) का आकलन करने हेतु कार्यप्रणाली (मेथोडोलॉजी) बनाने में अपनी विशेषज्ञ सेवा दी है। यह परियोजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

उन्होंने इस परियोजना में विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व किया है। प्रो0 खरे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित "गंगा नदी बेसिन प्रबंधन" के साथ–साथ इसमें लगे अन्य प्रबंधन तथा गंगा नदी के तकनीकी पहलूओं में जारी गवर्नेन्स प्लानिंग तथा विधि ग्रूप का समन्वयन कर रहे हैं। ये समालोचक के रूप में कई पत्रिकाओं एवं पब्लिसिंग हाउस में देश के बाहर भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। प्रो0 खरे इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंट तथा वेस्ट मैनेजमेंट तथा इन्टरनेशनल जर्नल आफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग (जेईई) के सम्पादकीय बोर्ड में हैं तथा इन्होंने शहरी वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन पर जेईइब्यू एवं विशिष्ट मुद्दों का सम्पादन किया है। प्रो0 खरे के अनुसंधान ने मुख्य रूप से अनिश्चित लो लिविंग स्रोतों से उत्पन्न शहरी सड़कों/इन्टर सेक्शनों पर एपिसोड में लोकल स्केल शहरी एयर क्वालिटी मॉडलिंग का लक्ष्य करते हुए इन विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। चालू अनुसंधान क्षेत्रों में एयरक्वालिटी मॉडल तथा उनके संवातन का प्रतिपादन, वातानुकूलित तथा प्राकृतिक रूप से संवातित भवनों में इनडोर एयर क्वालिटी मॉडलिंग तथा इनडोर उपभोक्ताओं पर संबंधित प्रदूषणों का एक्सपोजर मूल्यांकन शामिल है। शहरों के कायम रखने योग्य विकास को प्रभावित करते हुए शहरी जिनोम की व्याख्या कर कोल माइनिंग की गतिविधियों तथा सस्टेनेबुल शहरों के कारण परिवेशी पर्यावरण के विशिष्ट प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने औद्योगिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से खासकर, औद्योगिक जल एवं सीवरेज वाटर के ट्रीटमेंट के लिए रोटेटिंग वॉयोलॉजिकल के कॉन्टेक्टर प्रणाली के अप्लीकेशन पर काम किया है। प्रो0 खरे तथा इनके रिसर्च ग्रूप ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं दिल्ली के आसपास से कॉरसपॉन्डिग जल ट्रीट करने के लिए वायु प्रदूषण के लाइट आसिसमेंट पर तथा पदनामित इफ्लूमेंट ट्रीटमेंट प्लांट पर कार्य किया है। प्रो0 खरे ने अपनी विशेषज्ञता सेवा अटलांटिक

एसएनजी चेयर प्रो0 के रूप में पर्यावरणिक अभियंत्रिकी में, वेस्टइन्डीज विश्वविद्यालय, सेंट अगस्टाइन कैम्पस त्रिनिनाद तथा टोबेगा में एक वर्ष तक जुलाई, 2007 तक की है। प्रो0 खरे ने हाल ही में डीएएडी फैलो के रूप में करस्तुहे इन्सटीच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (कीट) जर्मनी में भी अपनी सेवा प्रदान की है। प्रो0 खरे, प्रिसिंपल मेंबर, इन्टरनेशनल ससटेनेबुल टेकनोलॉजिकल एसोसियेशन (आईएसटीए), एरीजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए मेंबर, तकनीकी सलाहकार बोर्ड, ब्लैक स्थिम इन्स्टीच्यूट, यूएसए, पिंसिपल रिव्यूअर, रिसर्च मैनेजमेंट ग्रूप, यूएसए, भूतपूर्व सलाहकार (वायु प्रदूषण) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सदस्य (एक्सपर्ट) स्टेट लेवल इन्कयरमेंटस इम्पैक्ट असेम्बली ऑथरिटी (एसईआईएस) गवर्नमेंट ऑफ एनसीआर, दिल्ली, फैलो, वासेक्स इन्स्टीच्यूट ऑफ ग्रेटब्रिटेन तथा फैलो इन्स्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत), आनरेरी मेटर्न, प्लानेट अर्थ इन्स्टीच्यूट, लंदन, फाउण्डर मेम्बर, ग्लोबल साइनटिफिक समिति, प्लानेट अर्थ इन्स्टीच्यूट लंदन, मेम्बर एक्सपर्ट, मेल डिकलियरेशन, द सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, फाउण्डर मेंम्बर, काउन्सिल फार ससटेनेबुल डब्लपमेंट, नई दिल्ली रहे हैं। प्रो0 खरे ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता, भारत में 2007 से 2010 तक नन–ऑफिसियल डाइरेक्टर के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है तथा वर्तमान में वे दिसम्बर, 2010 से नन–ऑफिसियल डाइरेक्टर के रूप में सीएमपीडीआई में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार मिश्र (54) का जन्म 25 सितम्बर, 1957 को उड़ीसा, कटक में हुआ। ये 26 वर्षों से अधिक समय तक चार्टर्ड एकाउन्टेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भारत (सं0–052699) चार्टर्ड एकाउंन्टेंट इन्स्टीच्यूट के फैलो मेम्बर हैं। कानून के क्षेत्र में इन्होंने मई, 1980 में स्नातक की परीक्षा पास की है तथा (जुलाई, 1985) में कामर्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, इनका विस्तृत अनुभव अंकेक्षण में, सार्वजनिक उपक्रम तथा कई प्राइवेट सेक्टरों में ऑडिटिंग के क्षेत्र में है ये कमिशनिंग एंड आपरेशन प्लानिंग तथा कार्यान्वयन, भूमि अधिग्रहण प्रोजेक्ट फिनांनसिंग, कंपनी कानून का अनुपालन, ऑडिटिंग प्रिपरेशन तथा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, परियोजना एवं प्रक्रियाएँ, आयकर का अनुपालन, वेट, सेंट्रल एक्साइज, सेवा कर, पेशाकर, बजटिंग एवं कास्टिंग, के क्षेत्र में भी निपुण हैं। वर्तमान में दिसम्बर, 2010 से ये सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 (सीएमपीडीआई) राँची में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

डा0 प्रताप के.जे. महापात्रा, अभियांत्रिकी में पोस्ट ग्रेज्यूएट हैं तथा ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च, आईआईटी, खड़गपुर में डीन के रूप में कार्यरत हैं ये 40 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तथा इन्होंने अनुसंधान तथा परामर्शी–कार्यों को सम्पादित किया है। प्रो0 महापात्रा दो वर्षों तक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज (आईईसी) राउरकेला में कार्यरत थे तथा इसके बाद ये आईआईटी, खड़गपुर में विभिन्न संकायों में अपनी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल की है तथा उनकी अभिरूचि का क्षेत्र उत्पादन तथा आपरेशन प्रबंधन, सिस्टम इंजीनियरिंग, ई'बिजनेस, अननिटेयेटिव मॉडलिंग है। प्रो0 महापात्रा ने 75 से अधिक सुविख्यात पत्रिकाओं को प्रकाशित किया है तथा 2 पुस्तकों को प्राधिकृत किया है। इन्होंने 24 पीएचडी छात्रों को निर्देशन (गाइड) दिया है तथा टाटा स्टील, टाटा कैमिकल्स लि., टाटा बेदरिंग्स, नेशनल जूट बोर्ड, रूरल डवलपमेंट डिपार्टमंट (उड़ीसा सरकार) तथा उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संगठनों के लिए 20 से अधिक परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध करवाई हैं। ये आईआईटी खड़गपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य रह चुके हैं तथा वर्तमान में बरारीवाटी एंड कंपनी लिमिटेड तथा सीएमपीडीआईएल में हैं।

1.5.3 अंकेक्षक समिति

अंकेक्षण समिति का मुख्य काम वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षण, लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी आवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक–मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति आंतरिक अंकेक्षकों के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों तथा अन्य संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा–नीतियों की समीक्षा करती है।

विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 292 ए के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इन्टरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसईएस के कॉरपोरेट गवर्ननेन्स पर आधारित गाइड साइज के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यवसायिक पहलूओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण
3. गवर्नमेंट ऑडिट तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटर्स की तुलना में ऑपरेशनल कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. इन्टरनल ऑडिट फाइन्डिंग्स/आवर्जवेसन्स का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य (फंक्शन) का पुनरीक्षण।
8. बोर्ड द्वारा रेफर किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का डिसक्लोजर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. संविधिक अंकेक्षकों द्वारा पेश किए गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक संविधिक अंकेक्षकों के भुगतान हेतु बोर्ड को अनुशंसा करना।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।

क. ठीक उसी के लिए लेखा नीतियों, प्रैक्टिसेस, तथा कोई कारण हो, तो बदलें।

ख. प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास पर आधारित इस्टीमेट से जुड़े मुख्य लेखा इन्ट्री।

ग. अंकेक्षण उपलब्धियों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में तैयार किया गया महत्वपूर्ण समायोजन।

घ. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

ड. किसी भी संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन का डिसक्लोजर।

च. मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड में प्रस्तुत करने के पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7) आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिसियल हेडिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ्रिंग तथा वरीयता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज तथा आंतरिक अंकेक्षण की फ्रीक्वेंसी सहित, यदि कोई हो, तो आंतरिक अंकेक्षण फंक्शन की उपयुक्तता की समीक्षा करना।

8) कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/ अथवा अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना।

9) ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा मैटेरियल नेचर के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/ अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जाँच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

10) अंकेक्षण की प्रवृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा कनसर्न के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, आडिट कॉमन सेंसेस के पहले सांविधिक अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना।

11) वेबसाइट बोअर मेकेनिज्म के फंक्शनिंग की समीक्षा करना।

12) सीएंडएजी आडिट के आडिट ऑबजर्वेशन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13) स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के बीच कम्यूनिकेशन का एवेन्यू उपलब्ध कराना।

14) कंपनी में सभी संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना।

15) कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए आडिट प्रयासों के स्वतंत्र आडिटर सम्वन्यन के साथ पुनरीक्षण करना।

16) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियाँ तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने क लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होंगी :

1. विचारर्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।
3. बाहय कानूनी अथवा प्रोफेशनल सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित एक्सपरटाइज के साथ आउटसाइडर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोउर्स की रक्षा करना।

गठन

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

1.	अध्यक्ष	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	सदस्य	डा0 वी.आर. सेट्टी	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	सदस्य	प्रो.पी.के.जे. महापात्रा	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	सदस्य	पो. मुकेश खरे	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	सदस्य	श्री डी.एन. प्रसाद	सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक
6.	सदस्य	श्री ए.के. देवनाथ	निदेशक (तकनीकी)

बैठक एवं उपस्थिति :

वर्ष 2011–12 के दौरान पांच बैठके आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 17.05,2011,06.06.2011, 07.11. 2011, 12.01.2011, तथा 16.03.2012 को ये बैठकें आयोजित की गईं। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	अंकेक्षण समिति के सदस्यगण	स्थिति	आयोजित बैठक	अटेंड की गई बैठक
1.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	अध्यक्ष	5	5
2.	डा0 वी.आर.सेट्टी	सदस्य	5	3
3.	प्रो.पी.के.जे. महापात्रा	सदस्य	5	2
4.	पो. मुकेश खरे	सदस्य	5	3
5.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य	5	5
6.	श्री ए.के.देवनाथ	सदस्य	5	4

1.5.4 पारिश्रमिक समिति :

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज होने के नाते सीएमयपीडीआईएल में नियुक्ति की सेवा अवधि तथा निदेशकों का पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

वार्षिक बोनस (लाभांश) / परिवर्तनशील में पूल तथा नीति के संबंध में पारिश्रमिक से संबंधित निर्णय विहित सीमा के अंतर्गत अधिकारियों से ऊपर तथा नन–यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के वितरण के लिए कोल इंडिया होल्डिंग कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने पारिश्रमिक समिति गठित की है।

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी होने के नाते, अधिकारियों तथा नन–यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरों का पारिश्रमिक होल्डिंग कंपनी तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार विनियमित किया जाता है।

इसलिए बोर्ड पारिश्रमिक का निर्णय नहीं लेता है तथा इसके लिए पारिश्रमिक समिति गठित नहीं है। तथापि, यदि कोई आवश्यकता होती है तो बोर्ड पारिश्रमिक का ऐसा फंक्शन अदा करेगा।

1.5.5 सस्टेनेबुल डवलपमेंट कमिटि :

दिनांक : 31.01.2012 को आयोजित 164वीं बैठक में बोर्ड ने निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक सस्टेनेबुल डवलपमेंट कमिटि गठित की है जो इस प्रकार है :

1. डा0 मुकेश खरे, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. निदेशक (तकनीकी / पीएंडडी) सीएमपीडीआई– सदस्य
3. निदेशक(तकनीकी / ईएस), सीएमपीडीआई– सदस्य सचिव
4. महाप्रबंधक(पर्यावरण)– स्थाई आमंत्रित सदस्य

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई ।

1.5.6 निदेशकों का पारिश्रमिक कार्यकारी निदेशक

क कंपनी के कार्यकारी निदेशकों की पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, जो इस प्रकार है :

नाम	पदनाम	छुट्टी नकदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	मकान किराया भत्ता (एचआरए)	सीएमपीएफ, नियोजकों का अंशदान कंट्रीब्यूशन	पीआरपी अग्रिम	कुल	एलटीसी / चिकित्सा पर खर्च
श्री ए. के. सिंह	अ.स.प्र.नि.	1996096.00	449716.00	–	184993.00	2424944	5055749.00	17985.00
श्रीए.के. देवनाथ	निदेशक(टी)	1902973.71	395388.00	–	180355.00	2343341	4822057.71	14631.00
श्री बी.एन. बासु	निदेशक(टी)	1994839.37	389260.00	63088.00	184541.00	814542	3446270.37	26603.00
श्री डी.के. घोष	निदेशक(टी)	637185.10	144949.00	–	58884.00	796196	1637214.10	6511.00
श्री आर.के. चोपड़ा	निदेशक(टी)	1858645.20	362479.00	–	178988.00	796196	3196308.20	3772.00
श्री ए.एन. सहाय	निदेशक(टी)	148484.00	32318.00	14206.00	12188.00	–	207196.00	–
श्री एन. खुराना	निदेशक(टी)	574937.00	123285.00	54192.00	47503.00	–	799917.00	46801.00
श्री एस.के. मित्रा	निदशक(टी)	573983.20	123094.00	54108.00	47430.00	–	798615.20	2528.00

ख कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ग अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक :

कंपनी के गैर–सरकारी निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए सिटिंग फीस तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जब उन्हें बुलाया जाता है तो बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर समिति की बैठक के अतिरिक्त उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया सिटिंग फीस		कुल (रूपये)
		बोर्ड की बैठक (रूपये)	समिति की बैठक (रूपये)	
1.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	75,000.00	90,000.00	1,65,000.00
2.	डा0 वी.आर.शास्त्री	45,000.00	45,000.00	90,000.00
3.	प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा	30,000.00	30,000.00	60,000.00
4.	प्रो0 मुकेश खरे	45.000.00	45,000.00	90,000.00

1.5.7 वार्षिक आम बैठक (वार्षिक जेनरल मिटिंग्स) :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :

विवरण	2008-2009	2009-2010	2010-2011
तिथि	02.07.2009	14.05.2010	26.05.2011
समय	11.30 पूर्वाह्न	4.00 अपराह्न	10.30 पूर्वाह्न
स्थल	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, कॉके रोड, राँची, झारखंड– 834031	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, कॉके रोड, राँची, झारखंड– 834031	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, कॉके रोड, राँची, झारखंड– 834031
विशेष प्रस्ताव	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.8 प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) :

- पार्टी के ट्रांजेक्शन से संबंधित भौतिक रूप से महत्वपूर्ण :

  कंपनी ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कार्मिकों अथवा उनके संबंधियों के साथ पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित किसी भी मेटेरियली सिग्नफिकेंट में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

- कंपनी द्वारा अवकाश (छुट्टी) के अनुपालन का विस्तृत विवरण :

  यह कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के अवकाशों के अनुपालन की मॉनिटरिंग कर रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई विपरीत रिपोर्ट नहीं है।

- व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति की पहुँच :

  यह नीति गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी, अथवा कंपनी के कोड ऑफ कन्डक्ट में परिवर्तन, तथा अंकेक्षण समिति के लिए प्रबंधन के उदाहरण हेतु रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है। व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति की पहुँच किसी भी कर्मी तक नहीं हुई है तथा विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंन्तर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- कॉरपोरेट गवर्नेन्स पर दिशा–निर्देशों (गाइड लाइन्स) का अनुपालन :

  निदेशक–मंडल, अंकेक्षण समिति, डिसक्लोजर्स, रिपोर्ट, कोड आफ कन्डक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति अनुषंगी कंपनियाँ, प्रशिक्षण नीति इत्यादि जैसे दिशा–निर्देशों का अनुपालन के लिए विचार नहीं किया जाता है जो सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं होता है। कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्त्तों के अनुपालन के संबंध में होल टाइम प्रैक्टिस में कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है।

- इन्टीग्रिटी पैक्ट :

  कंपनी के पास अपने व्यापार ट्रांजेक्शन, संविदा, प्रापण (पेारक्यूरमेंट) में पारदर्शित संवृद्धि पर जोर देते हुए इन्टीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसप्रेंसी इन्टरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एफओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतरर्गत कंपनी अपने सभी प्रोक्यूरमेंट तथा वर्क कान्ट्रेक्ट गतिविधियों में इन्टीग्रिटी पैक्ट कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनिटर करते हैं। इन्टीग्रिटी पैक्ट ने ट्रस्ट पैदा करके स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया पर बल दिया है तथा सीपीसी को पूरा सपोर्ट दिया है।

- सीईओ / सीएओ प्रमाणीकरण :

  कंपनी के अध्यक्ष एवं वित्त प्रमुख ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर को सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण प्रदान कर दिया है।

- निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचरण :

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचरण–संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है जिसे सभी संबंधितों के बीच परिचालित कर दिया गया है तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचरण–संहिता को प्रावधानों के साथ अनुपालन का समर्थन किया है।

- किए गए खर्च का विवरण :

  पुस्तक अभिलेखों में डेबिट किए गए व्यय का कोई भी आइटम जो इस बिजनेस के उद्देश्य के लिए नहीं है तथा कोई खर्च नहीं किया गया है जो प्रवृति में व्यक्तिगत हो तथा बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यय किया गया हो।

- राष्ट्रपति (प्रेसिडेन्सियल) का निदेश :

  वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेन्सियल निदेश जारी नहीं किया गया है।

1.5.9 संचार के साधन :

कंपनी अपने शेयर होल्डर के वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक तथा अपने बेव साइट के माध्यम से डिसक्लोजर, ऑफिसियल जर्नल ''सम्पदा'' एवं ''माइनटेक'' प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र तथा स्थानीय समाचार–पत्र के माध्यम से भी संचार की व्यवस्था करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी का तिमाही परिणाम तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में अपलोड की जाती है। कंपनी के संबंध में सूचना नवीनतम अपडेट्स एवं घोषणाएँ कंपनी की उपलब्धियों को आम जानकारी देने के लिए कंपनी के वबसाइट हेतु पहुँचाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती है।

1.5.10 अंकेक्षण की योग्यता (ऑडिट क्वालीफिकेशन) :

अनक्वालीफायड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कंपनी का प्रयत्न हमेशा रहा है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक अंकेक्षकों को निरीक्षण करने के लिए प्रबंधन का जवाब निदेशक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भी इसके साथ संलग्न की गई है।

1.5.11 प्रशिक्षण एवं बोर्ड के सदस्य :

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के मुद्दे से संबंधित सभी विषयों, एशेसिएटेट जोखिम, तथा भविष्य की रणनीति इत्यादि के बारे में पूर्ण रूप से बतला दिया जाता है।

कार्यकारी निदेशक अपनी अपेक्षित सुविज्ञता के द्वारा संबंधित फंगशनल एरिया के अध्यक्ष होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा कंपनी बिजनेस प्रोफाइल रिस्क के बारे में सचेत रहते हैं। अंशकालिक निदेशक कंपनी के बिजनेस माडल के जानकार होते हैं

स्वतंत्र निदेशक समय–समय पर कारपोरेट गवनेंस पर प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किए जाते हैं। सभी सरकारी निदेशक कंपनी की नीति के अनुसार भारत एवं विदेश में दोनों जगहों में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित (स्पॉन्सर) किए जाते हैं। कंपनी का सभी नवनियुक्त निदेशक संविधान, विजन एवं मिशन स्टेटमेंट, कोर गतिविधियाँ, वोट की प्रक्रिया, नीति निदेश, बेहतर विस्तृत प्रस्तुतीकरण, विचार–विमर्श इत्यादि जैसे कंपनी के विभिन्न पहलूओं से परचित हैं।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार को बल देने तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स की रूचि को प्रोमेट करने के लिए विवेच्य वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआईएल के व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी को इन्ट्रोडयूस कराया गया तथा 8–11–11 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को सूचित किया गया।

यह नीति गैर–नैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी, कंपनी की आचरण–संहिताओं का उल्लंघन के उद्धरण को प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है। लिस्टिंग एग्रीमेंट का 49वाँ खंड सूचीबद्ध कंपनियों तथा स्टॉक एक्सचेंज के बीच संशोधित कर दिया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2011 से प्रभावी है। अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी का 49वाँ खंड गैर आदेशात्मक (नन मेनडेटरी) के लिए मैकनिक्स को स्थापित करने हेतु सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए जिसे ''व्हिसिल ब्लोअर'' पालिसी कहा जाता है, उपलब्ध

कराता है। यह प्रतिशोध अथवा अत्याचार से कर्मियों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच (सेफ गार्ड) उपलब्ध कराता है। तथापि, व्हिसिल ब्लोअर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो व्हिसिल ब्लोअर के द्वारा कदाचारिता अथवा पूअर जॉब परफोमेंस के कारण प्राप्त होता है तथा जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा तैयार किसी भी डिस्क्लोजर के लिए स्वतंत्र है, को इस पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित (प्रोटेक्ट) नहीं किया जायेगा।

1.5.13 रिस्क मैनेजमेंट प्लान :

स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी के पार्ट के रूप में संगठन के विभिन्न फंक्शसनल एरिया में, रिस्कअडेन्टीफिकेशन, असिसमेंट तथा मिटीगेशन एवं बाह्य तत्वों (फैक्टर) के लिए अन्तर्निहित जोखिम का मूल्यांकन किया जता है तथा जोखिम को प्रभावपूर्ण ढंग से मैनेज करने के लिए नीतियों एवं प्रणालियों के माध्यम से आवश्यकत मिटीगेशन नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। दिनांक–13.0112 को आयोजित 164वीं बैठक में बोर्ड द्वारा सीएमपीडीआईएल 2011 का रिस्क मैनेजमेंट स्कीम अनुमोदित कर दिया गया तथा यह योजना सीएमपीडीआई में लागू है।

1.5.14 आंतरिक प्रक्रियाओं की संहिता तथा इनसाइडर ट्रेनिंग के निवारण के लिए आचरण :

कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने बिक्री अथवा/ और खरीद निवारण के उद्देश्य से कोल इंडिया से संबंधित सुरक्षा तथा इनसाइडर ट्रेनिंग के बचाव के लिए कनडक्ट तथा आंतरिक प्रक्रिया को कोड को अपनाया है।

कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने अप्रकाशित प्राइस संवेदनशील सूचना के आधार पर इ न सा इ ड र द्वारा कोल इंडिया के शेयरों की बिक्री अथवा/और खरीद के निवारण के उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा से संबंधित तथा इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचरण तथा आंतरिक प्रक्रिया की संहिता को अपनाया है। यह संहिता सीएमपीडीआईएल द्वारा अपनाई गई है। इसके अंतर्गत कोड इनसाइडर्स पदनामित कर्मी के रूप में नामित किए जाते हैं जो ट्रेडिंग बिन्डो के क्लोजर के दौरान जो कोल इंडिया के शेयरों डील करने के रोकथाम करता है। विहित सीमा से बाहर सुरक्षा ढील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति अपेक्षित है। कोड में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी पदनामित कर्मी से संबंधित सूचना को समय–समय पर स्पष्ट करने की भी अपेक्षा की जाती है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व :

डीपीई गाइड लाइन्स में विहित आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पहले सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते (एग्रीमेंट) के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में टारगेट सेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा यह निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष क अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने केलिए निर्दिष्ट है। यह ''फाइव प्वांईट स्केल'' तथा केरिटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाते हुए कार्य करता है जो '' कम्पोजिट स्कोर'' की गणना में परिणाम देता है। कम्पोजिट स्कोर, कोल इंडिया तथा अनुसमर्थन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय(एमओसी) के माध्यम डीपीई को भेजा जाता है।

समझौता संलेख (एमओयू), वित्तीय तथा गैर–वित्तीय (डायनेमिक), सेक्टर स्पेसिफिक तथा इन्टरप्राइजेज स्पेसिफिक पारा मीटर्स दो पारामीटर्स की वेरायिटी को पर्याप्त रूप से कार्य–निष्पादित करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया लॉंग रेंजिंग ऑबजेक्टिब्स तथा समस्त ग्रोथ को पूरा करने में तत्काल सहायता प्रदान करती है। पूरी प्रक्रिया भी स्टेक होल्डर्स के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है।

1.6.0 सीएमपीडीआई में सस्टेनेबुल डवलपमेंट की पहल :

सस्टेनेबुल डवलपमेंट, सार्वजनिक रूप से व्याख्यायित एक ऐसा डवलपमेंट है जो अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए जेन जेनरेशन असफलता की तुलना किए वगैर वर्त्तमान की आवश्यकताओं को प्राप्त करता है तथा जिसका कॉरपोरेट ड्राइवन डवलपमेंट तथा संपूण ि के रूप में ग्रोथ ऑफ इकोमिमी के प्रति एप्रोच है। सस्टेनेबुल डवलपमेंट, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणिक सुरक्षा की ओर भी अभिमुखी है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए गैर'वित्तीय पारामीटर के रूप में 5 प्रतिशत महत्वपूर्ण वेटेज के साथ, सीएमपीडीआई सहित सीपीएसईएस के समझौता संलेख में वस्तुतः सस्टेनेबुल डवलपमेंट को शामिल कर लिया गया है।

सस्टेनेबुल डवलपमेंट के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई, शामिल की गई तथा वर्ष 2011–12 में कार्यनिष्पादित की गई :

गतिविधि	प्लान्ड	किया गया कार्य
पर्यावर्णिक मॉनिटरिंग	200 परियोजनाएँ/ स्थापनाएँ	289
पर्यावर्णिक प्रबंधन प्लान		
(फार्म–1 सहित)	32	64
सस्टेनेबुल डवलपमेंट की जागरूकता के लिए वर्कशाप संचालित करना	01	01*

* सस्टटेनेबुल डवलपमेंट के उद्देश्य से पर्यावर्णिक चुनौतियाँ एवं इसके प्रबंधन पर 2 दिनों का सेमिनार/वर्कशॉप दिनांकः 6 एवं 7 जनवरी, 2012 को आईआईसीएम में आयोजित किया गया, जिसमें सीएमपीडीआईएल सहित कोल इंडिया को विभिन्न अनुषंगी कंपनियों से लगभग 40 डेलीगेट ने भाग लिया। सेमिन. ार/वर्कशॉप की संरचना उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त 5 तकनीकी सत्रों में की गई। श्री ए.के.सिंह, अ.स.प्र.नि., सीएमपीडीआई, श्री आर.के.साहा, अ.स.प्र.नि. सीसीएल, डा0 आर.के.गर्ग, सलाहकार (ईएंडएफ), कोल इंडिया, डा0 टी.चन्दानी, निदेशक, एमओईएस, एवं प्रो0 एस.घोष, ईडी, आईआईसीएम ने इसकी शोभा बढ़ाई। सेमिनाार/वर्कशॉप में स्पीकर्स के साथ सहभागियों द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

SEMINAR ON
ENVIRONMENTAL CHALLENGES AND ITS MANAGEMENT
INDIAN INSTITUTE OF COAL
KANKE, RANCHI- 834006

खंड : आ

वार्षिक उपलब्धि का पर्यावलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

1.0.1 सीएमपीडीआई ने वर्ष 2011–12 में भी मुख्यतः कोल इंडिया तथा गैर–कोल इंडिया/कैप्टिव ब्लॉकों में अपने कोयला गवेषण क्रिया–कलाप जारी रखा। सीआईएल के ब्लॉकों में गवेषण कार्य इसकी अनुषंगी कम्पनियों की परियोजना आयोजना (प्लानिंग)/उत्पादन सहायता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया जबकि गैर– सीआईएल/वशवर्ती ब्लॉकों में गवेषण कार्य वशवर्ती (कैप्टिव) खनन के लिए संभावित उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन सुलभ करने के लिए किया गया।

1.0.2 सीएमपीडीआई ने XIवीं (ग्यारवहीं) योजना अवधि के दौरान पर्याप्त ड्रिलिंग क्षमता विकसित की है। सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर ड्रिलिंग की उपलब्धि के मुकाबले वर्ष 2011–12 में 4.92 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया है। विभागीय ड्रिलों के आधुनिकीकरण के जरिए क्षमता बढ़ाने हेतु 25 नए मेकेनिकल ड्रिल प्राप्त किए गए जिनमें से 6 को अतिरिक्त ड्रिल के रूप में तथा 17 को पुराने ड्रिलों के बदले में (रिप्लेसमेंट) में लगाया गया है। 5 और मेकेनिकल ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 4 उच्च क्षमतावाला हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल्स प्राप्त किए जा चुके हैं तथा प्रतिस्थापन के रूप में इन्हें लगाया गया है। सीएमपीडीआई ने विगत तीन वर्षों में 38 मड पम्प तथा 46 ट्रकों को बदला है।

1.0.3 बढ़े हुए कार्यभार को कम करने के लिए कैम्पस साक्षत्कार/खुली परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई है। वर्ष 2008–09 से अब तक सीएमपीडीआई में 115 भू.वैज्ञानिक 14 भू.भौतिकविद् तथा 27 यांत्रिक अभियंता (एमटी ड्रिलिंग/उत्खनन) योगदान दे चुके हैं। इसमें से 17 भू.वैज्ञानिक तथा 26 (एमटी ड्रिलिंग/उत्खनन) ने त्याग पत्र दे चुके है। गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों से स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। गवेषण कार्य के लिए लगभग 203 कर्मचारी शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 23 कर्मचारी जून, 2011 में नियुक्त किए गए हैं।

1.0.4 आऊटसोर्सिंग के तहत वर्ष 2008.09 में 7.28 लाख मीटर ड्रिलिंग सहित 18 ब्लॉकों का कार्य दिया गया है।, जिसमें से 14 ब्लॉकों में ड्रिलिंग की गई है। एमईसीएल के साथ एक दीर्घालीन (5 वर्ष) एमओयू किया गया है, जिसमें 1 लाख मी./वर्ष शामिल है। क्षमता में और वृद्धि के लिए 8 अतिरिक्त ब्लॉक में 4.37 लाख मी. ड्रिलिंग के लिए वैश्विक निविदा जारी की गई है। 8 ब्लॉकों में से 4 ब्लॉकों के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है। इन चार ब्लॉकों के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है। इन चार ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों में कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है तथा स्थानीय समस्या के कारण दो ब्लॉकों (सलईपहाड़ तथा ब्रम्हाणी) में कार्य शुरू किया जा सका। शेष 4 ब्लाकों के लिए पुनः निविदा जारी कर तथा कार्यादेश दे दिया गया है।

1.0.5 सीएमपीडीआई तथा एमईसीएल के बीच एमओयू के तहत एमईसीएल द्वारा 6 ब्लॉकों में ड्रिलिंग शुरू की गई है। वर्ष 2009–10 में कुल 24,145 मी. तथा 2010–11 में 28,160 मी. ड्रिलिंग की गई। वर्ष 20112–12 के दौरान एमओयू के तहत विस्तृत गवेषण के लिए तीन और ब्लॉकों को लिया गया हे। वर्ष 2011–12 में एमओयू ब्लॉकों में कुल 0.96 लाख मी. ड्रिलिंग की जा चुकी है।

1.0.6 ड्रिलिंग में बढ़ोत्तरी के कारण कोयलाकोर विश्लेषण की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई एवं सीआईएसआईआर प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएमपीडीआई में 3.12.2011 को सीएमपीडीआई (कोल इंडिया लिमिटेड) और सीएसआईआर के बीच ''भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गवेषित कोयले की ''गुणवत्ता का मूल्यांकन'' के लिए एमओयू किया गया।

1.0.7 नियमित भू–भौतिक लॉगिंग तथा भू–तल कार्य के अलावा सीएमपीडीआई का इरादा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के भाग के रूप में कोयला गवेषण में 3 डी भू–कंपीय सर्वेक्षण लागू करने का है। इस उद्देश्य के लिए ओएनजीसी के सम्पर्क से एक प्रस्ताव सौंपा गया है। तथापि, सीआईएल आरएंडडी बोर्ड की शीर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि प्रारंभ में 3 डी भू–कंपीय सर्वेक्षण के लिए छोटा क्षेत्र लिया जाए। तथापि, इस पर सहमति नहीं बन सकी। बाद में सीआईएल की शीर्ष समिति ने एचओईसी द्वारा मारग्रेटा कोल ब्लॉक में प्राप्त 3 डी भू–कंपीय सर्वेक्षण आँकड़ों की जाँच करने का निर्णय लिया लेकिन यह उपयोगी नहीं पाया गया।

हाल ही में डीएमटीजीएमबीएचएंड कंपनी, जर्मनी ने सीएमपीडीआई, राँची में कोयले पर 3डी सिसमिक सर्वे की प्रस्तुति दी तथा कुछ घटना (केस) अध्ययन पर विचार–विमर्श किया। हमारे क्षेत्र में उनके उपकरण तथा श्रमशक्ति साथ डीएमटीजीएमबीएच की संलिप्तता तथा टर्न की आधार पर 3डी भू–कंपीय सर्वेक्षण करने पर विचार किया गया। क्षेत्र की पहचान कर ली गई है भू–वैज्ञानिक

कुडुमकेला कैम्प, क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर में चालू (संचालनरत) एटलस कोपको सीटी–14 हाईड्रोस्टेटिक ड्रिल

विवरण सहित आधार योजना पार्टी को मेल कर दिया गया है। अब तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1.1 वर्ष 2011-12 में ड्रिलिंग उपलब्धि :

सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर–सीआईएल/प्रोमोशनल ब्लॉक में गवेषण के लिए विभागीय ड्रिलों को लगाया है, जबकि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने सिर्फ सीआईएल ब्लॉकों में। इसके अतिरिक्त, चार अन्य संविदात्मक एजेंसियों ने कोल इंडिया लिमिटेड/गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए संसाधनों को लगाया है। वर्ष 2011´12 में कुल 100 से 111 ड्रिल लगाए गए हैं जिनमें से 55 विभागीय ड्रिल है। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में किए जा रहे प्रोमोशनल गवेषण के तकनीकी पर्यवेक्षण का कार्य जारी रखा तथा कोयला मंत्रालय (एमओसी)की ओर से कोयला क्षेत्र (सीआईएल क्षेत्र) में प्रोमोशनल गवेषण के जीएसआई कार्य कीमॉनिटरिंग की।

1.1.2 वर्ष 2011–12 में सीएमपीडीआई तथा इसके संविदात्मक एजेंसियों ने 6 राज्यों में स्थित 21 कोयला क्षेत्रों के 90 ब्लॉकों/खानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग शुरू किया। ये कोयला क्षेत्र हैं :

रानीगंज (9 ब्लॉक/खानें), झरिया (5 ब्लॉक/खानें), वेस्ट बोकारो (2), रामगढ़ (1), साउथ कर्णपूरा(3), पाथाखेरा (1) पंच कन्हान (2), कम्पटी (4), नन्द बन्देर (3), वर्धा घाटी (12), सोहागपुर (8), जोहिला (1), मंद रायगढ़ (14) कोरबा (3)हसदेव–अरंड़ (1), विश्रामपुर (1), सोनहाट (1), टाटापानी–रामकोला (2), सिंगरौली (3), ईब घाटी (4), । 90 खनिखंडों/खानों में से 24 गैर–सीआईएल/वशवर्ती ब्लॉक, 1 परामर्शी खनिखंड, तथा 65 सीआईएल ब्लॉक/खान हैं। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों ने 58 खनिखंडों/खानों में गवेषणात्मक वेधन किया गया, जबकि संविदात्मक ऐजेंसियों द्वारा 32 ब्लॉकों/माइन्स में वेधन का कार्य किया गया।

1.1.3 प्रमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमसीएल ने 7 कोयला क्षेत्र खनिखंडों (मान्द रायगढ़–3, वर्धा वैली–1), गोदावरी वैली–3,) जीएसआई ने 12 ब्लॉकों (रानीगंज सीएफ–1, तालचर सीएफ–4, आई घाटी–2, सोहागपुर के 3, तथा टाटापानी राम कोला के 2) में डीजीएम (नागालैंड) ने 1 ब्लॉक (नार्दर्न खार–1) में प्रमोशनल ड्रिलिंग की है।

1.1.4 वर्ष 2011–12 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की विस्तृत उपलब्धि नीचे दी गई है :

एजेन्सी	वर्ष 2011- 12 का लक्ष्य (मी.)	वर्ष 2011–2012 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2010–2011 में प्राप्त	वृद्धि :
		उपलब्धि (मी.)	उपलब्धि (%)	+/– (मी)		
(क) सीएमपीडीआई द्वारा किया गया विस्तृत वेधन कार्य (प्रमोशनल ड्रिलिंग सहित) :						
1. विभागीय	2,50,000	2,73,018	109%	+23,018	2,68,059	2:
2. आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	5,000	6,815	136%	+1.815	7,207	–5%
एमईसीएल (एमओयू)	83,000	96,207	116%	+13,207	28,160	242%
निविदा (सीआईएल ब्लॉक)	12,000	17,605	147%	+1,731	14,581	21%
निविदा (गैर–सीआईएल ब्लॉक)	1,00,000	1,04,779	105%	+4,779	1,73,784	–40%
कुल आउटसोर्सिंग	2,00,000	225,406	113%	+25,406	2,23,732	1%
कुल- क	**4,00,000**	**4,91,791**	123%	**+91,791**	**4,70,262**	**5%**
¼[k½ dk;yk lsDVj esa ,ebZlh,y]th,lvkbZ rFkk ukxkyS.M ljdkj }kjk fd;k x;k izksek'kuy ¼{ks=h;½ fMªfyax dk dk;Z						
एमईसीएल	52,000	25,998	50%	–26,002	29,920	–13%
जीएसआई	13,000	17,872	137%	+4,872	13,943	28%
डीजीएम, नागालैंड	500	289	58%	–211	83	249%
डीजीएम, आसाम	500	0				
कुल- ख	66]000	44]158	67%	&21]842	43]945	0-5%
कुल- क+ख	5]16]000	5]42]636	105%	$26]636	5]35]736	1%

परामर्शी कार्यों के लिए सीआईएल ब्लॉकों में 2,13,689 मी. तथा गैर-सीआईएल ब्लाकों/ वशवर्ती खनन ब्लाकों में तथा 55,126 मी0 तथा परामर्शी कार्य के लिए 4,204 मी. शामिल है।

वर्ष 2011–12 में सीएमपीडीआई ने अपने विभागीय तथा संपूर्ण ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 109 प्रतिशत तथा 111 प्रतिशत हासिल किया है। विभागीय ड्रिलिंग की उपलब्धि गत वर्ष की उपलब्धि से 2 प्रतिशत बेहतर रही तथा परिचालन ड्रिल उत्पादकता 416 मी0/ड्रिल/माह दर्ज की। जंगली क्षेत्रों में गवेषण की अनुमति की अनुपलब्धता से आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित हुई। जंगल संबंधी समस्या के कारण एमईसीएल कोयला क्षेत्र में प्रोमोशनल ड्रिलिंग का लक्ष्य नहीं किया जा सका।

1.1.5 गैर-सीआईएल/वशवर्ती खनिखंडों में वेधन (ड्रिलिंग) :

सीएमपीडीआई ने सरकार के पास XIवीं योजनावधि विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गैर–सीआईएल/कैप्टिव मा. इनिंग ब्लॉकों में 13.50 मी0 विस्तृत ड्रिलिंग की योजना सौंपी है। इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इस उद्देश्य के लिए 893.89 करोड़ रूपए के आवंटन का अनुरोध किया गया है। तथापि, कोयला मंत्रालय ने XIवीं योजना के लिए 472-94 करोड़ रूपए के अनुमोदन से अवगत कराय है। कोयला मंत्रालय द्वारा खर्च में वृद्धि का मामला योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

वर्ष 2011–12 में गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 1,96,000 मी. ड्रिलिंग (विभागीय 56,000 मी. आउटसोर्सिंग 1,40,000 मी0) का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की तुलना में सीएमपीडीआई की विभागीय ड्रिलों ने 55,230 मी. गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया है, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1,66,648 मी. ड्रिलिंग उपलब्धि हासिल की गई। वर्ष 2011–12 में ऐसे ब्लींकों में ड्रिलिंग की ब्लॉक के अनुसार उपलब्धि नीचे की तालिका में दी गई है :

एजेंसी/अधिकार वाले क्षेत्र	कोयला क्षेत्र	खनिखण्ड (ब्लॉक)	वर्ष 2011-2012 में ड्रिलिंग (मी0)
(क) सीएमपीडीआई (विभागीय) :			
डब्ल्यूसीएल	कम्पटी	भरतवाड़ा	3163
	नन्द बन्देर	मांडवा	9999
	नन्द बन्देर	इन्दापुर	524
	वर्द्धा वैली	राजूर माणिक गढ़	2161
		बहमणि पलास गाँव	4878
		जमनी–बुजुर्ग	1285
		भाटली	5299
		उप–योग डब्ल्यूसीएल	27,309
एमसीएल	तालचर	साक्षीगोपाल'बी'	8660
		महानदी	5981
	ईब वैली	प्रजपाड़ा एवं डीप विस्तारण	6990
		घोघरपाली एवं डीप विस्तारण	6290
		उप-योग एमसीएल	**27,921**
उप - योग (क) (विभागीय)			**55,230**
(ख) आउट सोर्सिंग :			
एनसीएल	सिंगरौली	मकरीबरका वेस्ट	23081
सीसीएल	साउथ कर्णपूरा	पतरातू एबीसी	20137
	मांद रायगढ़	बनई	25797
		इलोंग	12991
		स्यांग इस्ट 'ए'	2417
		स्यांग ईस्ट''बी''	232
		चिर्रा एनई 'ए'	4350
		चिर्रा एनई 'बी'	1896
		स्यांग नार्थ वेस्ट	7518
		स्यांग साउथ	21022
		चिर्रा नार्थ	25342
	हसदेव–अरंड	मोर्गा साउथ	21866

उप-योग ख (आउट सोर्सिंग) :	1]66]648
गैर-सीआईएल खनिखंडों में वेधन का सकल योग	2]21]878

नोट : कई खनिखंड कोल इंडिया द्वारा अब रोक रखे जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावा सीएमपीडीआई ने आवंटन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय को विद्यमान वर्तमान वशवर्त्ती (केप्टिव) खनन ब्लॉकों की प्रारंभिक भू–वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध करायी है। सीएमपीडीआई ने कैप्टिव माइनिंग के संभावित उद्यमियों को अपने अंतिम उपयोग के लिए उपयुक्त ब्लॉकों के चयन में सक्षम बनाने हेतु वर्तमान जीआर की प्रति उपलब्ध करवाई है। आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गवेषण का कुल मूल्य के भुगतान पर आवंटियों को मूल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय प्रतिस्पर्धात्मक (बिडिंग) के जरिए ब्लॉकों के आवंटन के लिए दस्तावेज भी तैयार किया है।

1.1.6 सीएमपीडीआई द्वारा उन्नायक (प्रोमेाशनल) वेधन (ड्रिलिंग) :

जैसा कि उपर कहा गया है इस योजना के तहत सीएमपीडीआई ने कोयला क्षेत्र (7 ब्लॉक) में एमईसीएल द्वारा किए गए प्रोमोशनल गवेषण का तकनीकी पर्यवेक्षण, 12 ब्लॉकों में जीएसआई द्वारा किए गए प्रोमोशनल गवेषण तथा डीजीएम (नागालैड) में 1 ब्लॉक की मानिटरिंग की है। कोयला क्षेत्र में प्रोमोशनल ड्रिलिंग की उपलब्धि ऊपर अनुच्छेद 1.1.1. में दी गई है।

1.2 जल भू-विज्ञान (हाइड्रोजिओलॉजी) :

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी क्लियरेंस के लिए ''भूगर्भ जल क्लियरेंस आवेदन'' तैयार करने हेतु कई खनन परियोजनाओं का जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एनईसी में 34 खनन परियोजना के लिए भू–वैज्ञानिक अध्ययन तथा बाहरी परामर्शी कार्य पूरा कर लिया गया है।

1.2.2 सीएमपीडीआईएल डब्ल्यूसीएल क्षेत्र में 73 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनओं की ग्राउन्ड वाटर मानिटरिंग कर रहा है। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनईसी तथा एनसीएल के अन्य क्षेत्रों में जल स्तर की मानिटरिंग कर रहा है।

1.2.3 विवेच्य वर्ष के दौरान पीआर तथा जीआर के भाग के रूप में 11 डब्ल्यूसीएल तथा 3 एमसीए परियोजनाओं की भूमिगत जल स्थिति पर जल भू–वैज्ञानिक नोट पूरा किया गया।

1.2.4 खानों, कॉलोनी, वाशरियों, गाँवों में जल–आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, तथा एमसीएल की 10 परियोजनाओं में जल भू–वैज्ञानिकी का अध्ययन किया गया है।

1.3 भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट :

1.3.1 वर्ष 2011–12 में विगत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर कुल 19 भू–वैज्ञाानिक रिपोर्टें (पीआर के जीआर को छोड़कर) तैयार की गईं। तैयार की गई भू–वैज्ञानिक रिपोर्टों से 3.2 बिलियन टन कोयला भंडार ''प्रमाणित कोटि'' में आया हैं।

1.3.2 प्रमोशनल गवेषण कार्यक्रम के तहत जीएसआई तथा एमईसीएल ने खासकर ''निर्दिष्ट श्रेणी'' (इंडिकेटेड)'' कोटि में विशिष्ट मुटाई वाले 4.9 बिलियन टन कोयला संसाधन आकलित कर कोल ब्लॉक पर 9 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी है।

1.4 भू-भौतिक सर्वेक्षण

1.4.1 भू-भौतिकी लॉगिंग :

गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किए गए बोर होलों मिले विभिन्न संस्तरों के स्वस्थाने (इनसीटू जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लॉग किया गया। वर्ष 2011–12 क दौरान इस उद्देश्य के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टीपारामेट्रिक भू–भौतिकी लॉगिंग उपकरण की सहायता से कुल 1,36,055 गहराई मीटर भू–भौतिक लॉगिंग की जा चुकी है। इसमें से 62,376 गहराई मीटर लॉगिंग 5 विभागीय भू–भौतिकी लॉगिंग इकाई द्वारा की गई तथा 73679 मी0 लॉगिंग संविदात्मक एजेंसियों द्वारा की गई

1.4.2 भू-तल भू-भौतिकी सर्वेक्षण :

सीएमपीडीआई द्वारा कोयला सीमों के इनक्राप, डाईक की रूप–रेखा निर्धारण तथा भूमिगत जल का अन्वेषण के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विद्युत प्रतिरोधकता तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, वर्ष 2011–12 में कुल 186. 59 लाइन किलोमीटर प्रतिरोधकता प्रोफाइलिंग, 90 वर्टिकल, इलेक्ट्रीकल साउंडिग (बीईएस) तथा 3633 स्टेशन चुम्बकीय सर्वेक्षण किया है। एक 48 चैनेल

सिगनल इन्हान्समेंट सीसमोग्राफ की सहायता से तालचर कोलफील्ड्स के साक्षी गोपाल बी–ब्लॉक (सीसीएल तथा ईब घाटी कोलफील्ड्स) (एमसीएल) के घोघ्रपाली ब्लॉक में 31.174 लाइन कि0मी0 रिफ्रैक्शन सर्वेक्षण किया गया।

1.4.3 रिपोर्ट :

वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 37 भू–भौतिक रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी है। इसमें 25 रिर्पोट भू–भौतिकी लॉगिंग पर, 8 रिपोर्ट प्रतिरोधकता सर्वेक्षण पर, 1 चुम्बकीय सर्वेक्षण पर, 1 रिफ्रैक्शन सर्वेक्षण पर तथा एचआरएसएस पर दो रिपोर्टें शामिल है।

1.5 भू-प्रणाली :

1.5.1 डिजाइन तथा डाटाबेस समाकलित करने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली, जिसे नवम्बर, 2011 में पूरा कर लिया गया, (आईसीआरआईएस) में एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। आईसीआरआईएस वेब पेज के जरिए आसान पहुँच के साथ डाटाबेस (आरएफ : 1:50,000) में कोल इंडिया लिमिटेड के महत्वपूर्ण (बड़े) कोलफील्डों का जीओ रेफरेंस्ड मैंप अप लोड कर दिया गया है।

1.6 कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/कोल माइन मिथेन (सीएमएम) तथा भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी)।

1.6.1 कोल बेड मिथेन प्राप्ति तथा व्यावसायिक उपयोग परियोजना :

झारखंड राज्य स्थित बीसीसीएल की मुनिडीह कोयला खान में अनुसंधान एवं विकास के अन्तर्गत "कोल बेड मिथेन प्राप्ति(रिकवरी) एवं व्यावसायिक उपयोग" पर भारत सरकार/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएंडडीपी) द्वारा वित्त प्रदत्त वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)/वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

यह प्रदर्शन परियोजना भारतीय खनन परिदृष्य में कोयला खान मिथेन विकास के लिए पथन्वेषी है, क्योंकि उर्ध्वकूप (वर्टिकल वेल) के जरिए कोयला स्तंभ से मिथेन गैस सफलतापूर्वक निकाला जा चुका है तथा विद्युत उत्पादन के लिए गैस आधारित जेनरेटर में इसका उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पन्न बिजली को 27 जून, 2008 से मुनिडीह कोलियरी में दिया जा रहा है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण वितरित रकम का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। इसके बाद मंत्रालय ने पत्रांक– 34012/7/2007–सी आर सी (भाग) दिनांक– 5 जुलाई, 2010 के द्वारा सामान्यतः परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया है तथा परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट सौंप दी गई है। लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य–कलाप जारी रखने के लिए परियोजना उपकरण अगस्त, 2010 में बीसीसीएल को सौंप दी और सीएमपीडीआई मुनिडीह, धनबाद में आगे का कार्य करने के लिए बीसीसीएल को तकनीकी सहायता दे रहा है।

परियोजना की उपलब्धि :

उच्च प्रौद्योगिकी वाला यह प्रदर्शन परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से भारतीय कोयला उद्योग में काफी जागरूकता हुई है तथा अन्य उपयुक्त जगहों में इस तरह की परियोजना को दुहराने पर विचार किया जा रहा है। इस परियोजना से कोल माइन मिथेन, के दोहन तथा प्राप्ति (हारनेसिंग) तथा प्रति तकनीक में नए युग की शुरूआत हुई है। इस परियोजना की अन्य उपलब्धि संक्षेप में इस प्रकार हैः

- व उपकरण तथा श्रमशक्ति दोनों रूपों मे ं(मामले में) क्षमता निर्माण।
- व भारतीय खनन परिदृश्य में सीएमएम के निष्कर्षण तथा इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी की दक्षता को प्रमाणित करना।
- व प्राप्त मिथेन की उपयोग क्षमता स्थापित की जा चुकी है तथा प्राप्त सीएमएम से उत्पादित बिजली ने स्थानीय निवासियों के बीच इसके प्रति पर्याप्त जागरूकता पैदा की है।
- व यहाँ तक की प्रदर्शन परियोजना में भी प्राप्त गैस से उत्पादित बिजली की लागत जीवाश्म ईधन के बराबर ही है।

1.6.2 कोल इंडिया तथा ओएनजीसी के कंसोर्टियम (संकाय) द्वारा झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में सीबीएम परियोजना का सहयोगात्मक विकास :

भारत सरकार की सीबीएम नीति के अनुसार सीआईएल तथा ओएनजीसी के संघ को कोल बेड मिथेन के विकास के लिए एक झरिया में तथा एक रानीगंज में दो ब्लॉक आवंटित किए गए है। सीआईएल की ओर से इन

परियोजनाओं का कार्यान्वयन सीएमपीडीआई द्वारा किया जा रहा है।

1.6.2.1 झरिया सीबीएम ब्लॉक :

झारखंड सरकार ने झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए 28 अगस्त, 2003 में सीआईएल– ओएनजीसी के कंसोर्टियम को पेट्रोलियम गवेषण लाइसेंस (पीईएल) स्वीकृत किया है, इसके बाद न्यूनतम कार्यक्रम के व्यौरे के अनुसार कार्य शुरू किया है।

सीएमपीडीआई ने डीप स्लीम होल ड्रिलिंग (1000–1400 मी. की गहराई तक) का कार्य किया है जिसमें सीपीएम से सम्बद्ध पारामेट्रिक आँकड़े तैयार किए गए। सीएमपीडीआई द्वारा इस वेधन तथा अन्य वेधन और गैस से संबंधित उपलब्ध आँकड़े के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर फरवरी, 08 में ओएनजीसी को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट ने ओएनजीसी द्वारा विकास योजना तैयार करने में सहूलियत होगी।

ओएनजीसी ने गवेषणात्मक कूपों के ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया है तथा इसका आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है। ओएनजीसी का सीबीएम ब्लॉक में होरिजॉन्टल मल्टिलेटरल ड्रिलिंग का कार्य भी जारी है। ओएनजीसी ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को विचार–विमर्श तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए 1290 करोड़ लाख रूपये लागत वाली झरिया सीबीएम ब्लॉक के पर्वतपुर के लिए विकास योजना सौंपी है। तथापि, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने ओएनजसी को 3.12..2010 को आयोजित 11वीं स्टेयरिंग समिति की बैठक में पर्वतपुर सेक्टर सहित पूरे झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए समेकित विकास योजना पेश (प्रस्तुत) करने के लिए कहा है। इसी बीच झरिया कोयला क्षेत्र से अचानक प्राप्त गैस की बिक्री सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शुरू कर दी गई है।

झरिया सीबीएम ब्लॉक में कोल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी हित (पीआई) इस विकल्प के साथ 10 प्रतिशत है ताकि विकासात्मक चरण से यह 26 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। कोल इंडिया का पीआई 26 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

1.6.2.2 रानीगंज सीबीएम ब्लॉक :

पश्चिमी बंगाल सरकार ने दिनांक– 09.06.04 को रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी कर दिया है।

स्लीम होलों का वेधन 23 मार्च, 2006 को शरू किया गया तथा सभी 8 स्लीम होलों का वेधन जिसमें 7853.50 मी. ड्रिलिंग शामिल है को नवम्बर, 2007 में पूरा कर लिया गया। स्लीम होल ड्रिलिंग तथा अन्य उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर सीएमपीडीआई द्वारा रिपोर्ट तैयार कर मार्च, 09 में ओएनजीसी को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट से ओएनजीसी के खनन योजना तैयार करने में सहूलियत होगी।

1.6.3 ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान उन्नायक (प्रोमोशनल) गवेषण के अन्तर्गत सीबीएम से संबंधित अध्ययन :

ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआई, पीआरई द्वारा वित्त प्रदान की जा रही प्रमोशनल गवेषण के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाईट क्षेत्रों के कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस संसाधन के मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन देश के सीबीएम संसाधन के आधार को विस्तृत करेगा तथा सीबीएम के विकास के लिए और अधिक खनिखंडों (ब्लॉकों) की रूप–रेखा तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा।

कुल योजना व्यय 8.59 करोड. रूपये की लागत से ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान कुल 50 बोर होलों (30 सीएमपीडीआई द्वारा तथा 20 जीएसआई) का अध्ययन शुरू किया गया है।

वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा अध्ययन के लिए विभिन्न कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में स्थित कुल 6 बोर होलों को लिया गया तथा डिजापर्सन एवं अन्य अध्ययन के लिए नमूने एकत्र किए गए। ग्यारहवीं (XI) योजना अवधि के दौरान अब तक इस तरह के कुल 50 बोरहोलों का अध्ययन सीएमपीडीआई (30 सीएमपीडीआई एवं 20 जीएसआई) द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विवेच्य वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त आँकड़े के आधार पर सीएमपीडीआई द्वारा तीन सीबीएम मूल्यांकन रिपोर्ट पेश कर दी गई है।

1.6.4 कोल माइन मिथेन (सीएमएम) अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

कोल इंडिया लिमिटेड की ''डेवलपमेंट ऑफ सीएमपीडीआईएल केपेसिटी फॉर डेलिनियेशन ऑफ वायेबुल कोल माइन मिथेन (सीएमएम)/एबॉन्डेड माइन मिथेन (एएमएम) ब्लॉक इन इक्जिस्टिंग एण्ड बुड बी माइनिंग एरिया हैविंग पार्शली डी – स्ट्रेस्ड कोल इन वर्जिन कोल सीम्स'' नामक 5.52 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजना (आर एण्ड डी प्रोजेक्ट) सीएमपीडीआई द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर

लिया गया। इस परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट सक्षम स्तर पर विचार के लिए पेश कर दी गई है।

परियोजना में विचार किए गए निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है :

- बीसीसीएल तथा सीसीएल के कोलफील्ड्स में 5 संभावित सीएमएम की पहचार की गई है। इन ब्लॉकों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है तथा कोयला/गैस इन प्लेस संसाधन को सहित सभी तकनीकी विवरण को शामिल कर 5 सीएमएम ब्लॉकों (बीसीसीएल में 3 तथा सीसीएल में 2 क्षेत्र) के लिए डाटा डोजियर तैयार किया जा चुका है।
- सीआईएल के सर्वोतम हित को ध्यान में रखकर सीएमएम विकास प्रारंभ करने के लिए बिजनेस मॉडल की रूपरेखा तैयार की गई है तथा एक परामर्शी फर्म की सहायता से एक मॉडल निविदा दस्तावेज तैयार किया गया है।
- विश्वसनीय बेस लाइन डाटा बनाने के लिए कुछ चयनित खुली खानों से फ्यूगिटिव मिथेन उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करने के लिए अध्ययन किए गए।
- सीएमपीडीआई / सीसीएल / बीसीसीएल के अधिकारियों द्वारा कार्य स्थल के दौरे से कोल इंडिया के क्षेत्र में इस तरह की परियोजना शुरू करने के लिए विश्वास पैदा हुआ है।

इस आरएंडडी परियोजना में शुरू किए गए कार्य से कोल इंडिया लि0 के पट्टे वाल क्षेत्र में चिह्नित क्षेत्रों में सीएमएम के व्यावसायिक विकास शुरू करने के लिए सीआईएल/सीएमपीडीआई के अधिकारियों में विश्वास पैदा हुआ है।

सीएमएम का व्यावसायिक विकास :

सरकार एवं कोयला उद्योग दोनों स्तर पर सीएमएम का व्यावसायिक विकास प्राथमिकता का क्षेत्र है। प्रदर्शन परियोजना (पूर्व में उद्धृत) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन प्रक्रिया ने प्रक्रिया की दक्षता प्रमाणित कर दी है तथा कोल इंडिया लिमिटेड के पट्टे वाले क्षेत्र में पाँच उपयुक्त क्षेत्र की पहचान की गई।

उपर्युक्त पृष्ठ भूमि कार्रवाई (बैंकग्राउण्ड एक्शन) के तहत व्यावसायिक विकास के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई तथा सीएमएम के विकास के उद्देश्य से उपयुक्त सेवा प्रदाता की पहचान के लिए ईओआई जारी कर दी गई तथा प्रत्युत्तरदाताओं के विचार लिए गए। इस उद्देश्य के लिए किराए के परामर्शदाताओं द्वारा निविदा दस्तावेज, बोली मूल्यांकन मानदण्ड तैयार किया गया। प्रत्युत्तरदाताओं से प्राप्त स्वीकार्य इनपुट को शामिल करने के बाद निविदा दस्तावेज तैयार किया जाएगा।

बीसीसीएल के पट्टेवाले क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद 5 चिह्नित संभावित ब्लॉकों (मुनिडीह सीएमएम ब्लॉक), पुटकी–बलियरी सीएमएम ब्लॉक, मुद्दा सब बेसिन सीएमएम ब्लॉक) तथा सीसीएल के पट्टेवाले क्षेत्र के अपनापानी–जारंगडीह शाफ्ट, नार्थ कथारा क्षेत्र 1–II एवं उचितडीह से सीएमएम के दोहन के लिए उपयुक्त डेवलपर की पहचान हेतु 29.4.12 को सीआई/संबंधित कंपनी की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा वैश्विक निविदा जारी कर दी गई। प्रस्ताव पेश करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है ताकि एमओसी तथा एमओपीएफएनजी के बीच प्रचालनात्मकता से संबंधित मुद्दे को हल किया जा सके।

इस मामले पर दोनों मंत्रालय के सक्षम स्तर पर विचार–विमर्श किया जा रहा है तथा जल्द ही इसके सुलझ जाने की संभावना है इसके बाद व्यावसायिकीकरण के आगे की कार्रवाई की जाएगी।

1.6.5 बड़ी खुली खानों से संबद्ध सीएमएम की संभावना (पोटेन्सियल) का मूल्यांकन :

सीएमपीडीआई ने मोटर सब बेसिन, एनसीएल के डीप साइड एरिया तथा कोरबा कोयला क्षेत्र,, एसईसीएल के डीप साइड एरिया सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन किया है तथा एमओसी एवं एमओपीएंडएनजी के बीच परियालनात्मकता के म्ददे के हल होने के बाद इसके व्यावसायिकीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

1.6.6 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना :

17 नवम्बर, 2008 को कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में सीएमपीडीआई, राँची में सीएमएम सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई है। यह क्लियरिंग हाउस देश में सीएमएम/सीबीएम से संबंधित जानकारी संग्रह करने तथा बाँटने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है तथा सार्वजनिक/निजी भागेदारी, प्रौद्योगिकीय सहयोग और वित्तीय निवेश अवसर लाकर भारत में सीबीएम परियोजना के व्यावसायिक विकास में मदद करता है।

क्लियरिंग हाउस की स्थापना यूएस–ईपीए तथा कोयला मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड की वित्तीय सहायता से की गई है। इंडिया क्लियरिंग हाउस का वेबसाइट http://www.cmmclearinghouse.cmpdi.co.in जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी (सूचना) जैसे ईओआई

अधिसूचनाएँ न्यूज लेटर्स आदि शामिल है, के साथ–साथ सीएमएम, वीएएम आदि के विकास के लिए वर्तमान अवसर की जानकारी दर्ज (पोस्ट) की गई है। क्लियरिंग हाउस के यूएस ईपीए ग्रांट के लिए 3 वर्ष की शुरूआती सीमा नवम्बर, 11 में पूरी हो गई है तथा क्लियरिंग हाउस के लिए यूएस ईपीए अनुदान को आगे और बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है।

1.7.0 यूसीजी का विकास :

सीएमपीडीआई ने यूसीजी के व्यावसायिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाएँ हैं।

1.7.1 कास्ता यूसीजी ब्लॉक में सीआईएल-ओएनजीसी सहयोग परियोजना :

यूसीपी के लिए प्रायोगिक पैमाना (स्केल) अध्ययन शुरू करने हेतु नवम्बर, 2006 में सीआईएल तथा ओएनजीसी के बीच एमओयू के हस्ताक्षर के बाद सीएमपीडीआई ने 5 संभावित यूसीजी स्थलों के लिए 5 डाटा पैकेज तैयार किया है।प्रायोगिक पैमाना यूसीजी परियोजना करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु अतिरिक्त आँकड़ा सृजित करने के लिए ओएनजीसी द्वारा नियुक्त परामर्शदाता स्कोचिन्स्वी इन्स्टीचयूट आफ माइनिंग (सीम), रसिया द्वारा इन पाँच ब्लाकों में से एक रानीगंज कोयला क्षेत्र के कास्ता ब्लॉक का चयन किया गया है।

कास्ता यूसीजी ब्लॉक में बोर होलों की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है तथा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा जाँच हेतु आँकड़े का मूल्यांकन ओएनजीसी को भेज दिया गया है।

1.7.2 कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्र में यूजीसी का व्यावसायिक विकास :

सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्र में दो संभावित क्षेत्रों की पहचान की है तथा यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। पूर्व एनआईटी बैठक में संभावित डेवलपर के साथ विचार–विमर्श के बाद एक उपयुक्त निविदा दस्तावेज तैयार किया गया है। दो ब्लॉकों जैसे कैथा ब्लॉक, रामगढ़ कोयला क्षेत्र (सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र) तथा थेसागोरा ''सी'' ब्लॉक (डब्ल्यूसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र) में यूसीजी विकास के लिए डेवलपर के चयन हेतु कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से सीएमपीडीआई ने वैश्विक निविदा जारी किया तथा प्राप्त प्रस्ताव 16.3.2011 तथा 26.5.2011 को खोला गया। निविदा समिति द्वारा जून, 11 में इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया तथा कार्यादेश देने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए सीआईएल भेज दिया गया।

जुलाई, 11 में आयोजित सीआईएल एफडी बैठक में मामले पर विचार–विमर्श किया गया तथा यह सुझाव दिया गया है कि तकनीकी मूल्यांकन के लिए मानदंड पर पुनर्विचार किया जाना चहिए तथा पुनर्निविदा के लिए विचार किया जाना चाहिए।

1.8. गहराई में स्थित कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन से सीबीएम की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कोयले के एडजार्पशन गुण का अन्वेषण पर सीआईएल आरएंड डी परियोजना सीएमपीडीआई ने ''गहराई में स्थित कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन से सीबीएम की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कोयले के एडजार्पशन गुण का अन्वेषण'' (परियोजना कोड सीआईएल/आरएंडडी11/40/10) शीर्षक की सीआईएल आरएडंडी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है जिसमें आईआईटी खड़गपुर सह–कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 2011 में पूरी हो गई।

1.9. ''खासकर सीआईएल के संदर्भ में, गोंदवाना बेसीन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन'' पर सीआईएल आरएंडडी योजना :

शेल गैस संसाधन के विकास के अवसर को ध्यान में रखकर सह–कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एडवांस रिसर्च इन्टरनेशनल, यूएसए के साथ सीएमपीडीआई 2.5 वर्ष की अवधि तथा 400.00 लाख रूपये (चार सौ लाख रूपए) की लागत वाली ''खासकर सीआईएल के संदर्भ में गोंदवाना बेसीन में शेल गैस की संभावना मूल्यांकन'' नामक एक आरएंडडी परियोजना शुरू की है। माच, 2011 में कोल इंडिया लिमिटेड के आरएंडडी बोर्ड की शीर्ष समिति ने इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया है।

यह परियोयजना 1 अप्रैल, 20011 से कार्यान्वित की जा रही है तथा किए गए विचार क अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

1.10 डीजीएच के लिए गोंदवाना बेसीन में छह (6) संभावित शेल गैस की रूप रेखा का निर्धारण तथा ''डाटा डोजियर्स'' की तैयारी :

हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने भुगतान परामर्शी (पेड कन्सलटेंसी के आधार पर गोंदवाना बेसीन में 6 संभावित शेल गैस की रूपरेखा का निर्धारण तथा डाटा डोजियर्स तैयार करने के लिए मई, 2011 में

सीएमपीडीआई के कार्यदेश जारी किया है। कोयला वाहक गोंदवाना बेसीन में इस प्रकार का अध्ययन पहली बार किया जा रहा है।

सीएमपीडीआई ने शेल गैस से संबंधित अध्ययन किया है तथा रॉक इवाल टेस्ट, रे आदि से संबंधित अपेक्षित आँकड़ा तैयार किया गया। 6 शेल गैस ब्लॉक की मूल्यांकन रिपोर्ट का ड्राफ्ट मार्च, 2012 में डीजीएच को भेज दिया गया है। विचार–विमर्श के बाद सीएमपीडीआई द्वारा डाटा डोजियर तैयार किया जाएगा जिससे शेल गैस के व्यावसायिक विकास सुविधाजनक हो जाएगा।

1.11 संभावित सीबीएम की रूपरेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर की तैयारी :

हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय ने सीबीएम–5 दौर वैश्विक बिडिंग के तहत ब्लॉकों प्रस्ताव (पेशकश) के लिए कम्बे बेसीन, सिंगरौली तथा जोहिला कोलफील्ड्स संभावना पर डाटा डोजियर की तैयारी तथा रूपरेखा निर्धारण के लिए मई, 2011 में सीएमपीडीआई को काय्रदेश जारी किया है। सीएमपीडीआई ने पहचान किए गए क्षेत्रों में विसतृत अध्ययन किया है जिसमें स्लिमहोल के जरिए तेयार आँकड़ें को अध्ययन तथा कम्बे बेसीन के लिए उपलब्ध भू–कम्पीय आँकड़े शामिल है। इस अध्यन पर रिपोर्ट का मसौदा माच, 2012 में डीजीएच को भेज दिया गया है। निर्णायक डाटा डोजियर सीएमपीडीआई द्वारा तैयार किया जाएगा जिससे इन ब्लॉकों में सीबीएम के व्यावसायिक विकास सुविधाजनक हो जाएगा।

1.12 ''कोयला खानों तथा अन माइनेबुल कोल बोडों से ग्रीन हाउस गैस की प्राप्ति तथा ऊर्जा का संरक्षण'' जीएचजी 2ई नामक ईयू वित्त प्रदत्त अनुसंधान परियोजना :

उपयुक्त बहु–संगठनिक/बहुदेशीय परियोजना को यूरोपीय यूनियन रिसर्च कमीशन की आंशिक निधि योजना (प्रोजेक्ट रु 268194/कोल आइडेन्टीफायरः एफपी 7–इनर्जी–2010–12) के तहत मंजूर किया गया है। इस योजना में 7 देशों के 11 प्रतिभागी है तथा

(सीबीएम रिग यूनिट (इकाई)

सीएमपीडीआई तथा आईआईटी, खड़गपुर भारत की ओर से प्रतिभागी संगठन है।

सीएमपीडीआई को अनुसंधान परियोजना के निष्पादन के आंशिक कोष दिया गया है तथा शेष कोष के लिए, अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव शेष कोष को पूरा करने पर विचार करने तथा अनुमोदन हेतु कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को सुपुर्द कर दिया गया है।

प्रो0 सेवकेत दुरूकन, इम्पेरियल कॉलेज, लंदन (यूके) ने परियोजना टीम के साथ सीएमपीडीआई तथा परियोजना स्थल मुनिडीह, (धनबाद) का 16 से 17 दिसम्बर के दौरान दौरा किया। परियोजना से संबंधित कार्यशुरू कर दिया गया है।

2.0 परियोजना आयोजना (प्लानिंग) एवं डिजाइनः

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता निर्माण के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान नई/विस्तारण/पुनर्गठन खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। नई परियोजना रिपोर्ट की सहायता से परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन को संशोधित किया गया। XI वीं योजना की चिहिनत परियोजनाओं तथा खुली खदान तथा भूमिगत खदान की खान बंदी (क्लोजर) योजना के लिए रिपोर्ट तैयार करने पर बल दिया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य किए गए :

- कोयला वाशरियियों के लिए आरएफक्यू (योग्यता के लिए अनुरोधी तथा आरएफपी (प्रसताव के लिए अनुरोध दस्तावेज की तैयारी एवं मूल्यांकन तथा बोली दस्तावेज का कस्टमाइजेशन।
- बड़ी खुली खदान खानों के लिए परिचानालात्मक योजना
- पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- खुली खदान और भूमिगत खानों की खान योजना
- कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत तथा खुली खदानों खानों की खान क्षमता मूल्यांकन
- खुली खानों तथा भूमिगत खानों के परिचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों मे एचईएमएम परिचालन का कार्यानिष्पादन विश्लेषण।
- कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत खदानों में कन्टीन्यूअस माइन लगाने के लिए ग्लोबल बीड की तैयारी
- वाशरी अपशिष्ट का उपयोग कर एमबीसी आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए मॉडेल बोली दसतावेज एवं आधारगात्मक (वैचारिक) रिपोर्ट की तैयारी
- विस्तृत डिजाइन एंड ड्राईंग, एनआईटी, निविदा संवीक्षा आदि

वर्ष 2011–12 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन तथा मानिटरिंग सुदूर संवेदन, ऊर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं वैद्युत), खुली तथा भूमिगत खानों में डीजल एवं बिजली की खपत की बेन्चमार्किंग तथा डीजल एवं बिजली की खपत के मानक का निर्धारण, कोयला एवं शैल के नमूनों का भौतिक परीक्षण, धँसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, अनाशक परीक्षण, (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन तथा विस्फोटकों का उपयोग, भूमिगत खानों में संवातन/गैस सर्वेक्षण, खनन इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला नमूनों का पैट्रोग्राफी अध्ययन कोयला कोर प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण, धोवन क्षमता अध्ययन, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, मृदा क्षरण अध्ययन, ढाल स्थायित्व अध्ययन, वहीःस्रावी/मलजल उपचार संयंत्र, बालू भराई वाली खानों में बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन आदि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को विशेषज्ञ सेवाएँ भी दी गई।

वर्ष 2011–12 के दौरान कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए 275 रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

तैयार रिपोर्टों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :–

रिपोर्ट	संख्या
भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट	19
परियोजना रिपोर्ट/संशोधित लागत प्राक्कलन	28
परिचालन योजनाएं	14
अन्य अध्ययन	150*
ईएमपी का मसौदा (31 फार्म–1 सहित)	64
कुल	**275**

*इसमें नार्थ इस्ट का मास्टर प्लान शामिल हैं। वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान तैयार की गई रिपोर्टों का ब्यौरा परिशिष्ट–1 में संलग्न है ।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2011-12 के दौरान पूरी की गई रिपोर्टों की सूची

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.-I	1	रंगामाटी इन्टीग्रेटेड (तुमनी, कंचनपुर एवं गौर बाजार सेक्टर)
क्षे.सं.-II	1	ब्लॉक-VI (संशोधित)
क्षे.सं.-III	1	रामगढ़-III
	2	राजबार सी (गैर-सीआईएल)
	3	अशोक करकेटट्ा
क्षे.सं.-IV	1	पिम्पलगाँव डीप
	2	पउनी एवं पउनी साउथ इन्टिग्रेटेड
	3	वनी मंडेर
क्षे.सं.-V	1	छाल
	2	मदन नगर नॉर्थ
	3	नरायबोध-2
क्षे.सं.-VI	1	रूहेला
क्षे.सं.-VII	1	नैनी (कैप्टिव)
	2	बेलपहाड़-I,II एवं III (संयुक्त)
	3	घोघरापाली एवं इसका डीप विस्तार
मुख्यालय	1	साखी गोपाल बी एवं नॉर्थ विस्तार
	2	स्यांग सेन्ट्रल ए (कन्ट्रेक्टच्यूअल)
	3	डोंगरीताल (कन्ट्रेक्टच्यूअल)
	4	पतपहाड़ीया (कन्ट्रेक्टच्यूअल)
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे.सं.-I	1	कोटट्ाडीह ओसीपी हेतु आरसीई
	2	कुमारडीह 'बी'
	3	पंडवेश्वर दालुरबंद
क्षे.सं.-Ii	1	इन्टिग्रेटेड ब्लॉक-II ओसीपी
	2	ब्लॉक-V ओसीपी
	3	राजापुर भू.ग. माइन
क्षे.सं.-III	1	सयाल 'डी' ओसी
	2	अमलो/ढ़ोरी भू.ग. (रिकास्ट)
	3	कुजू ओसी

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	4	पिंडरा ओसी
	5	रेलीगढ़ा ओसी
	6	हेसालांग ओसी
क्षे.सं.-IV	1	विसापुर ओसी
	2	घुघुस वि. (सेक्टर-सी) ओसी/ नकोदा भू.ग. से ओसी
	3	पदमपुर वि. डीप ओसी
	4	मुगोली निरगुडा डीप ओसी
	5	मगराही उरधान ओसी
	6	परसोडा ओसी
क्षे.सं.-V	1	कुसमुण्डा ओसी वि.
क्षे.सं.-VI	1	झिंगुरदा ओसीपी बॉटम सीम सहित (रिकास्ट)
	2	बीना-ककरी ओसी एकीकरण
क्षे.सं.-VII	1	भरतपुर ओसीपी (पुर्नगठन) रिओर्गेनाईजेशन
	2	लिलारी ओसीपी वि.
मुख्यालय	1	अरगडा ओसीपी (संशोधित एफआर)
	2	जगन्नाथ भू.ग. खान, एमसीएल
	3	जगन्नाथ ओसीपी (रिओ.),एमसीएल
	4	जागुन ओसीपी, एनईसी
	5	टिकॉक इन्टिग्रेटेड ओसीपी, एनईसी
संचालन योजना रिपोर्ट		
क्षे.सं.-I	1	राजमहल ओसी
	2	सोनेपुर बाजारी-ए ओसी
	3	चित्रा ओसी
	4	कोटट्ाडीह ओसी
क्षे.सं.-II	1	सास्ती ओसी
	2	घुघुस ओसी
क्षे.सं.-III	1	कुसमुण्डा ओसीएम

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	2	गेवरा ओसीएम
	3	दिपका ओसीएम
क्षे.सं.-IV	1	निगाही ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष)
	2	बीना वि. ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष)
	3	जयंत ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष)
	4	दुधिचुआ ओसीपी (15 मि.ट.प्र.वर्ष)
	5	अमलोहरी ओसीपी (10 मि.ट.प्र.वर्ष)
अन्य रिपोर्टें		
क्षे.सं.-I	1	सोनपुर बाजारी पैच ओसीपी में विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन ।
	2	कपसरा पैच ओसीपी में विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन।
	3	कोटट्‌डीह-पंडवेश्वर-दालुरबंद (पीआर के लिए जीआर)
	4	माधवपुर ओसीपी में विस्फोटन कम्पन अध्ययन
	5	नरायणकुरी ओसीपी में विस्फोटन कम्पन अध्ययन
	6	चित्रा (पीआर के लिए जीआर)
	7	मदनपुर/कुमारडीही (पीआर के लिए जीआर)
क्षे.सं.-II	1	घानूडिह कोलियरी के लिए भू-वैज्ञानिक टिप्पणी।
	2	भौरा साउथ भू.ग. के लिए भूवैज्ञानिक टिप्पणी
	3	बीसीसीएल के आठ (8) खदानों के लिए माइन क्लोजर प्लान।
	4	बीसीसीएल के छः (6) खदानों के लिए माइन क्लोजर प्लान।
	5	धनसार कोलियरी में 4 बॉटम एवं लोअर सीम के एक्सप्लोयटेशन हेतु योजना।
	6	सुदामडीह शॉफ्ट के लिए भू-वैज्ञानिक टिप्पणी।
	7	वीओसीपी (धनसार) के एसडीएल का ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग।
	8	ब्लॉक-2 ओसीपी के एसपीसी का उर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	9	भूतगोरिया माइन के लिए खनन योजना (माइनिंग प्लान)
	10	भौरा साउथ भू.ग. माइन के लिए वैश्विक बिड दस्तावेज (तकनीकी भाग)।
	11	घानूडीह कोलियरी के लिए वैश्विक बिड दस्तावेज (ग्लोबल बिड डॅक्यूमेन्ट) (तकनीकी भाग)
क्षे.सं.-III	1	सारूबेरा भू.ग. का धँसान अध्ययन
क्षे.सं.-IV	1	सस्ती ओसी हेतु उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल) के साथ बेंचमार्किंग
	2	पउनी ओसी (डीप साइड वि.) हेतु योजना ।
	3	डब्ल्यूसीएल के उपयुक्त खदान में 15/90 ड्रेगलाइन की रिकमीशनिंग एवं लगाने के लिए योजना।
	4	दुर्गापुर ओसीपी में भूमि प्रकम्पन अध्ययन।
	5	माजरी क्षेत्र (न्यू माजरी भू.ग. के अलावे) का माइन क्लोजर प्लान।
	6	वाणी एरिया का माइन क्लोजर प्लान।
	7	उकनी ओसी हेतु उर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (विद्युतीय) के साथ बेंचमार्किंग।
	8	मोटाघाट ओसी की योजना।
	9	उमरेर एरिया का माइन क्लोजर प्लान।
	10	कुंभरखानी भू.ग. खान में कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी हेतु वैश्विक निविदा
	11	भाटडी ओसी एवं पउनी ओसी में माइन क्लोजर प्लान।
	12	नागपुर एरिया (4 माइन्स) का माइन क्लोजर योजना।

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टो के नाम
	13	वाणी नॉर्थ एरिया (3 माइन्स) का माइन क्लोजर योजना ।
	14	पदमपुर ओसी, चन्द्रपुर एरिया का माइन क्लोजर योजना।
	15	परसोदा ओसी (माइनेक्स में भू-वैज्ञानिक मॉड्ेल)
	16	मुगोली निरगुदा ओसी (माइनेक्स में भू-वैज्ञानिक मॉड्ेल)
	17	मगराही उरधान ओसी (माइनेक्स में भू-वैज्ञानिक मॉड्ेल)
	18	पदमपुर ओसी (माइनेक्स में भू-वैज्ञानिक मॉड्ेल)
	19	नागपुर एरिया (4 खदानें), चन्द्रपुर एरिया (3 खदानें) तथा गौरी-I एवं II (ए) ओसी बलारपुर एरिया का माइन क्लोजर प्लान।
	20	पाथाखेरा एरिया (5 खदान), बल्लारपुर एरिया (3 खदान) पिम्पलगांव ओसी (वाणी नार्थ एरिया) और डीआरसी भू.ग. (चन्द्रपुर एरिया) का माइन क्लोजर प्लान।
	21	पेंच एरिया (10 खान), बल्लारपुर ओसी (बल्लारपुर एरिया), जुनाद ओसी एवं कोलार पिम्परी ओसी (वाणी नार्थ एरिया) और महाकाली भू.ग. (चंद्रपुर एरिया) का माइन क्लोजर प्लान।
	22	गोंदेगांव ओसी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल) के साथ बेंचमार्किंग।
	23	निलजई ओसी एवं निलजई (एस) ओसी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल) के साथ बेंचमार्किंग।
	24	कुम्भरखानी भू.ग. के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (विद्युतीय) के साथ बेंचमार्किंग।
	25	उमरेर ओसी के अम्ब रीवर डायवर्सन (फेज-4) के लिए योजना।
	26	घोंसा ओसी के लिए योजना।
	27	वाणी एरिया के मात्रादेवी, घुघुस स्थित 2x10 एमवीए / 2X12.5 एमवीए 220 केवी/ 66 या 33 केवी सब-स्टेशन के लिए रिपोर्ट।
	28	पेंच एरिया (4 माइन्स), कन्हान एरिया (10 माइन्स), वाणी नार्थ एरिया (1माइन) तथा चन्द्रपुर एरिया (1 माइन) का माइन क्लोजर प्लान।
क्षे.सं.-V	1	माहामाया भू.ग. में नियंत्रित विस्फोटन पर रिपोर्ट
	2	दुग्गा ओसीपी (1.5 मी.ट.प्र.वर्ष), शारदा ओसीपी (0.85 मी.ट.प्र.वर्ष), बैगा ओसीपी (0.3 मी.ट.प्र.वर्ष), आमलई यूजीपी (0.36 मी.ट.प्र.वर्ष), एवं नार्थ चिरिमिरी यूजीपी (0.5 मी.ट.प्र.वर्ष), का माइन क्लोजर प्लान ।
	3	बरतराई भू.ग. माइन के पाउडर फैक्टर इम्प्रूवमेन्ट अध्ययन पर रिपोर्ट।
	4	जामपाली ओसी का आरसीई
	5	बालगी कोलियरी में भू.ग. विस्फोटन के कारण सतही स्तर में कम्पन अध्ययन पर रिपोर्ट।
	6	कोरबा क्षेत्र, सुरकाछार कोलियरी में भू.ग. विस्फोटन के कारण सतही स्तर पर प्रकम्पन अध्ययन पर रिपोर्ट।
	7	मीरा भू.ग. में भूमिगत विस्फोटन के कारण सतही स्तर पर प्रकम्पन अध्ययन पर रिपोर्ट।
	8	दुर्गापुर ओसी का अपडेटेड कास्ट इस्टीमेट।
	9	बरौद ओसी का आरसीई ।
	10	अमेरा ओसीएम में नियंत्रित विस्फोटन पर रिपोर्ट।
क्षे.सं.-VI	1	अमलोरी ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान।
	2	सिंगरौली कोलफील्ड्स के मुख्य बेसिन में सीआईएल ब्लॉकों के खनन

क्षेत्रीय संस्थान/मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
		संभाव्यता पर वैचारिक टिप्पणी ।
	3	दुधिचुआ ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान।
	4	जयंत ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान।
	5	सेन्ट्रल होस्पिटल, सिंगरौली में एयरकंडीशनिंग हेतु योजना।
क्षे.सं.-VII	1	लिंगराज ओसीपी में सीएचपी के साथ सिलो लोडिंग व्यवस्था हेतु योजना।
	2	नन्दिरा भू.ग. (0.33 मि.ट.प्र.वर्ष) की खनन योजना।
	3	भुवनेश्वरी ओसीपी (20 मि.ट.प्र.वर्ष) की खनन योजना।
	4	ओरिएन्ट 1 एवं 2 का माइन क्लोजर प्लान।
	5	समलेश्वरी ओसीपी (12 मि.ट.प्र.वर्ष) की खनन योजना।
	6	नन्दिरा भू.ग. का माइन क्लोजर प्लान।
	7	जगन्नाथ भू.ग. का माइन क्लोजर प्लान।
	8	ओरिएन्ट भू.ग. खान नं.3 एवं छेंदीपाड़ा ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान
	9	तालचर भू.ग. एवं लिलारी ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान ।
	10	बेलपहाड़ ओसीपी (8 मि.ट.प्र.वर्ष) का माइनिंग प्लान।
	11	भरतपुर सीएचपी में अग्निशमन व्यवस्था (फायर फाइटिंग एरेन्जमेन्ट) हेतु योजना ।
	12	कुल्दा ओसी, जगन्नाथ ओसी एवं हिंगिर रामपुर कोलियरी भू.ग. का माइन क्लोजर प्लान।
	13	बलराम ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान ।
	14	बंकीबहल से भेड़ाबहल तक

क्षेत्रीय संस्थान/मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
		(वसंधरा-गर्जन बहल क्षेत्र) डेडिकेटेड रोड कॉरीडोर की योजना।
	15	छेन्दीपाड़ा ओसीपी (0.35 मि.ट.प्र.वर्ष) एवं लिलारी ओसीपी (0.8 मी.ट.प्र.वर्ष) की खनन योजना (माइनिंग प्लान)।
मुख्यालय	1	ईसीएल की केन्दा कोलियरी (आर-IV सीम) एवं कुमारडिही 'बी' कोलियरी (आर-Vसीम) के आरएमआर तथा रॉक लोड पर रिपोर्ट
	2	तापिन ओसीपी के लिए स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन। (बीआइटी मेसरा के साथ)
	3	एनईसी का मास्टर प्लान।
	4	सीसीएल की नार्थ उरिमारी, ओसीपी हेतु भू-क्षरण अध्ययन पर रिपोर्ट।
	5	2009-10 के संशोधित मूल्य आधार पर ईसीएल के जे.के रोपवेज के सभी भराई वाली खानों (43 नं.) के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन।
	6	तालचर कोलियरी के पिट सं. II में स्टीम वाइन्डर को इलेक्ट्रिकल वाइन्डर में बदलने (कनभर्सन) पर रिपोर्ट ।
	7	ईसीएल, रंगामाटी-ए भू.ग. खान के धंसान पूर्वानुमान पर रिपोर्ट
	8	सीसीएल के तोपा भू.ग. माइन (VII सीम) के आरएमआर एवं शैल भार पर रिपोर्ट।
	9	डब्ल्यूसीएल के कोलेगांव ओसीपी तथा नईगांव बेलोरा ओसीपी के कोर एवं बफर जोन का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	10	डब्ल्यूसीएल के मोटाघाट ओसीपी के कोर तथा बफर जोन का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	11	मानक मूल्य सूची पर रिपोर्ट।
	12	केतकी माइन, एसईसीएल का गैस सर्वे।

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	13	बस्ताकोला कोलियरी, बीसीसीएल के 'जीरो' सीम के गोब्ड आउट क्षेत्र के उपर सीम-II में इनक्लाइन शुरू करने से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन।
	14	डब्ल्यूसीएल के गणपति विस्तार भू.ग., निलजई डीप ओसी एवं सकरी इरावती (पउनी-3) ओसीपी के कोर तथा बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	15	ईसीएल के झांझरा परियोजना के आर-6 सीम में मैन राइडिंग सिस्टम की तकनीकी संभाव्यता के लिए अध्ययन रिपोर्ट।
	16	सीसीएल, कुजू कोलियरी के हेसागोरा आउटसोर्सिंग पैच में नियंत्रित विस्फोटन तथा प्रकम्पन अध्ययन।
	17	डब्ल्यूसीएल के मुरपार ओसी, चिंदा ओसी, एवं घोंसा ओसी के कोर तथा बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	18	एनईसी के लेखापनी ओसीपी तथा टिकॉक विस्तार का माइन क्लोजर प्लान।
	19	सारूबेरा कोलियरी सीसीएल हेतु भू-क्षरण अध्ययन पर रिपोर्ट।
	20	परेज ईस्ट परियोजना, सीसीएल हेतु भू-क्षरण अध्ययन पर रिपार्ट।
	21	उकनी डीप ओसी, डब्ल्यूसीएल के कोर और बफर जोन का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण।
	22	पिपरिया सीम-VIबी, जोहिला एरिया, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण।
	23	कोल इंडिया भू.ग. खानों का क्षमता मूल्यांकन।
	24	संवातन प्रणाली के दृष्टिकोण से अमालगेमेटेड टांडसी खान का विश्लेषण तथा संवातन प्रणाली का पुनर्गठन।

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	25	जयंत ओसीपी, एनसीएल के लिए स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन।
	26	केडी हेसालांग ओसी, पिचरी ओसी तथा गोस ओसी, सीसीएल के कोर एवं बफर जोन का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन मानचित्रण
	27	आर-V सीम, कुमारडीह भू.ग., ईसीएल के गैसीनेस के डिग्री के निर्धारण पर रिपोर्ट।
	28	वर्ष 10-11 के दौरान सीआईएल खानों की ओसी खान क्षमता तथा क्षमता उपयोग का मूल्यांकन।
	29	सीसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी परियोजना का वार्षिक बेन्चमार्किंग।
	30	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 3 ओसीपी परियोजना का वार्षिक बेन्चमार्किंग।
	31	2010-11 के दौरान एचईएमएम का कार्य निष्पादन मूल्यांकन।
	32	2010-11 के दौरान डीजल, इलेक्ट्रिक पावर एवं एक्सप्लोसिव्स की वार्षिक खपत का विश्लेषण।
	33	नईगांव ओसीपी, डब्ल्यूसीएल हेतु स्लोप स्थायित्व अध्ययन।
	34	सिरका भू.ग.माइन, सीसीएल के अपर एवं लोअर सिमाना सीम के पैनल-सी में एच/एल अनुपात के सुधार के लिए अध्ययन रिपोर्ट।
	35	एमसीएल के हिंगिर रामपुर कोलियरी (एचआर सीम), ओरिएन्ट 1 एवं 2 माइन (एचआर सीम-III) एवं ओरिएन्ट कोलियरी, माइन नं. 4 (एचआर टॉप सीम) का आरएमआर एवं सपोर्ट ले-आउट पर रिपोर्ट।
	36	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित चौदह (14) ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	37	एनसीएल द्वारा चिन्हित आठ (8) ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	38	ईसीएल द्वारा चिन्हित नौ (9) ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	39	एमसीएल द्वारा चिन्हित पाँच (5) ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग।
	40	गोविन्दपुर ओसीपी, सीसीएल के लिए भू-क्षरण अध्ययन।
	41	बीना ओसी, एनसीएल का माइन क्लोजर प्लान।
	42	एमसीएल के तालचर कोलफील्ड के काकुदी/किशरीपाल सैंड माइन के लिए खनन योजना।
	43	ईसीएल के तिलाबोनी कोलियरी (आर-7 ए सीम) के शैल भार (रॉक लोड) तथा आरएमआर पर रिपोर्ट।
	44	ईसीएल, मेथानी कोलियरी (श्रीपुर सीम) के सपोर्ट ले-आउट एवं आरएमआर पर रिपोर्ट।
	45	राजमहल कोयला क्षेत्र ईसीएल का भूमि उपयोग/वनस्पति आच्छादन मानचित्रण।
	46	दिल्ली जायपुर, एनईसी हेतु भू-वैज्ञानिक टिप्पणी।
	47	के डी हेसालांग ओसीपी और कोनार ओसीपी, सीसीएल के लिए भू-क्षरण अध्ययन।
	48	ककरी ओसी, एनसीएल का माइन क्लोजर प्लान ।
	49	लेदो ओसी, एनईसी का माइन क्लोजर प्लान।
	50	लखनपुर एरिया, एमसीएल में रिप्पर डोजर का उपयोग कर विस्फोटन मुक्त ओवरवर्डेन रिमूवल का अध्ययन।
	51	सयाल-डी ओसीपी, सीसीएल हेतु भू-क्षरण पर अध्ययन।
	52	रेलीगढ़ा ओसीपी, सीसीएल हेतु भू-क्षरण पर अध्ययन।
	53	झारसुगुड़ा जिला, उड़ीसा के हंसामुरा, कातापल्ली एवं देवगांव हेतु खनन योजना।
	54	अमालगेमेटेड कौरदी तिरात कोलियरी, बीसीसीएल के घुसिक- (आर-IX) एवं घुसिक-ए (आर-IXए) सीम का गैस सर्वेक्षण।
	55	विजय वेस्ट कोलियरी, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण।
	56	रानि अटारी कोलियरी, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण।
	57	रंगामाटी-बी भू.ग. माइन, ईसीएल का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट।
	58	सिदुली कोलियरी (आर-7 सीम) और कुमारधुबी कोलियरी (एसपी-टॉप एवं बॉटम सीम), ईसीएल का आरएमआर और रॉक लोड (शैल भार) पर रिपोर्ट।
	59	तालचर कोलियरी, एमसीएल में केविंग विधि द्वारा तालचर सीम-1 के टॉप सेक्शन का डीपिलरिंग के लिए केवेबिलिटि अध्ययन पर रिपोर्ट।
	60	ओपेन कास्ट माइन का खनन क्षमता मूल्यांकन - दिनांक 1.4.12 के प्रक्षेपण (प्रोजेक्सन) के अनुसार।
	61	एमसीएल के गोपीनाथपुर अयस्क लीज एरिया के निजगढ़जामी गाँव में ब्राम्हणी नदी के तल में मंदापाल बालू खदान के संदर्भ में खनन योजना तथा पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट।
	62	ईसीएल के साउथ समला यूनिट, दारूला कोलियरी (आर-II/III सीम) के आरएमआर एवं रॉक लोड (शैल भार) पर रिपोर्ट।
	63	ईसीएल की लखीमाता कोलियरी (मुगमा स्पेशल सीम, लोकल-1 सीम, तथा मेटाडीह सीम) के आरएमआर एवं सपोर्ट ले-आउट पर रिपोर्ट।
	64	बीसीसीएल की कतरास चोईटुडीह कोलियरी, अमलगमेटेड अंगारपथरा

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टो के नाम
		और रामकनाली कोलियरी तथा सालनपुर कोलियरी के धँसान गणना पर रिपोर्ट।
	65	सीसीएल के कथारा ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	66	बीसीसीएल के क्लस्टर-IV माइन के लिए स्लोप स्टेबिलिटी (ढ़ाल स्थायित्व) अध्ययन।
	67	बीसीसीएल के क्लस्टर-XVI माइन के लिए स्लोप स्टेबिलिटी (ढ़ाल स्थायित्व) अध्ययन।
	68	ब्लॉक-बी परियोजना एनसीएल की एसटीपी के लिए योजना।
	69	बीसीसीएल के क्लस्टर-III माइन के लिए स्लोप स्टेबिलिटी (ढ़ाल स्थायित्व) अध्ययन।
	70	चयनित (सेलेक्टेड) ढ़ोरी ओसीपी सीसीएल के लिए भू-क्षरण पर अध्ययन।
	71	सिरका ओसीपी सीसीएल के लिए मिटट्री के क्षरण पर अध्ययन।
	72	ईसीएल के रानीगंज कोयला क्षेत्र, एसईसीएल के सोहागपुर कोयला क्षेत्र तथा डब्ल्यूसीएल के पेंच-कन्हान कोयला क्षेत्र एवं उमरेर कोयला क्षेत्र के वनस्पति आच्छादन का मानचित्रण।
	73	डब्ल्यूसीएल के झरना ओसीपी, शिवानी आसीपी तथा जुना-कुनाडा ओसीपी के कोर एवं बफर जोन का भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन मानचित्रण।
पर्यावरण प्रबंधन योजना		
फार्म -1		
क्षे.सं.-I	1	क्लस्टर- VIII माइन्स, ईसीएल
	2	सिमलॉग ओसी
	3	क्लस्टर- X माइन्स, ईसीएल
	4	क्लस्टर- XI माइन्स, ईसीएल

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टो के नाम
	5	चित्रा वि. ओसीपी
	6	क्लस्टर- III माइन्स, ईसीएल
	7	क्लस्टर- IV माइन्स, ईसीएल
क्षे.सं.-II	1	दुग्दा वाशरी एफबीसी
	2	क्लस्टर- VI माइन्स, बीसीसीएल
	3	क्लस्टर- XII माइन्स, बीसीसीएल
क्षे.सं.-III	1	गोसी ओसी
	2	सोनपुर बाजारी वाशरी
	3	तापिन इंटीग्रेटेड साउथ ओसी
	4	पिपरवार ओसी
	5	पुन्डी ओसीपी
क्षे.सं.-IV	1	छिन्दा ओसी वि.
	2	भाजीपानी ओसी पैच
	3	शिवानी ओसी
	4	गाँधीग्राम भू.ग.
	5	जुना कुन्दा ओसी वि.
	6	वानोजा ओसीपी
	7	विसापुर ओसी
क्षे.सं.-VII	1	बलराम ओसीपी
	2	भरतपुर ओसीपी रिआर्गेनाइजेशन
	3	लखनपुर ओसीपी वि.
	4	लाजकुरा ओसीपी वि.
	5	समलेश्वरी ओसीपी वि.
मुख्यालय	1	चित्रा वाशरी, ईसीएल
	2	कुसमुण्डा वाशरी, एसईसीएल
	3	कृष्णशीला ओसीपी, एनसीएल
	4	हिंगुला वाशरी, एमसीएल
ड्राफ्ट ईएमपी		
क्षे.सं.-I	1	सिमलौंग ओसी
	2	क्लस्टर-IX माइन्स, ईसीएल
क्षे.सं.-II	1	क्लस्टर-VII माइन्स, बीसीसीएल
	2	क्लस्टर-VIII माइन्स, बीसीसीएल

क्षेत्रीय संस्थान/ मुख्यालय		रिपोर्टों के नाम
	3	क्लस्टर-XIII माइन्स, बीसीसीएल
	4	क्लस्टर-XIV माइन्स, बीसीसीएल
	5	क्लस्टर-II माइन्स, बीसीसीएल
	6	क्लस्टर-IX माइन्स, बीसीसीएल
	7	क्लस्टर-X माइन्स, बीसीसीएल
क्षे.सं.-III	1	केडीएच वि. ओसी
	2	अशोका वाशरी एवं एफबीसी पावर प्लांट
	3	पिपरवार ओसी
	4	अशोका वि ओसी
क्षे.सं.-IV	1	तावा-II भू.ग. वि.
	2	तावा-III भू.ग.
	3	गणपति भू.ग. विस्तार
	4	मुरपार भू.ग. वि.
	5	सखरी-इरावती (पउनी-III) ओसी
	6	चिंदा ओसी वि.
	7	भाजीपानी ओसी
क्षे.सं.-V	1	गेवरा ओसीपी
	2	दिपका ओसीपी
	3	जगन्नाथपुर ओसी
	4	पेलमा ओसी
	5	राजनगर ओसी
	6	महान-II ओसी
	7	कुसमुण्डा ओसी वि.
क्षेत्रीय संस्थान-VI	1	बीना-वी. खु.ख.परियोजना
मुख्यालय	1	क्लस्टर-XVI माइन, बीसीसीएल
	2	क्लस्टर-III माइन्स, बीसीसीएल
	3	क्लस्टर-IV माइन्स, बीसीसीएल
	4	क्लस्टर-XVII माइन्स, बीसीसीएल
	5	क्लस्टर-V माइन्स, बीसीसीएल

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करण :

सीएमपीडीआई कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण संयंत्र और वर्तमान संयंत्रों के रूपांतरण/ आधुनिकीकरण से संबंधित प्रोद्योगिकी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। प्रौद्योगिकीय सेवाओं में एक्जास्टिव लेबोरेटरी अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजना, बिड प्रोसेस, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यापक क्षेत्र शामिल है।

सीएमपीडीआई विश्व बैंक द्वारा निधित परियोजना ''सीमेंट उद्योग हेतु कोयला वाशरियों के तकनीकी आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट'' और 'भारत में कोयला परिष्करण के जरिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन'' जो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा निधित परियोजना है सहित खुले बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के बीच कोयला और अन्य खनिजों के परिष्करण के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित कार्यों को पहले ही कर चुका है। उनमें से कुछ प्रतिष्ठित ग्राहक है : मध्य प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, टाटा स्टील, इंटीग्रेटेड कोल माइनिंग प्राइवेट लि0, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंगनीज ओर (इंडिया) लि0, सिंगरौली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और बहुत सारे।

वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए जा चुके हैं :

(क) प्रतिवेदन/अध्ययन :

खान परियोजना रिपोर्ट के लिए वाशरी पर प्रतिवेदन :

1. बलराम विस्तारण खु.खा.प. 15.0 मी.ट.प्र.व.
2. जगरनाथ रिआर्गनाइजेशन खु.खा.प. 6.0 मी.ट.प्र.व.
3. चिंचिला चिकालगांव अमालगमेटेड खु.खा.प. 5.0 मी.ट.प्र.व.
4. ब्लॉक–अ खुली खान परियोजना, बीसीसीएल
5. गर्जनबहल खु.खा.प. 10.0 मी.ट.प्र.व.
6. मुगोली निरगुड़ा विस्तारण, डीप खुली खदान परियोजना
7. लखन–बेलपहाड़–लिलारी खु.खा.प. 30.0 मी.ट.प्र.व.
8. ब्लॉक अ खुली खान परियोजना, बीसीसीएल के लिए प्रोडेक्ट के शेष पर रिपोर्ट
9. साउथ लोयाबाद भूमिगत खान, बीसीसीएल के लिए सीम एवरेज एनुअल ऐश और उत्पादन कार्यक्रम पर उत्पाद आधारित शेष पर रिपोर्ट

निम्नलिखित के लिए धोवन क्षमता परीक्षण पर रिपोर्ट :

1. वैतरणी वेस्ट कोल कंपनी लि0 का कोल कोर सैम्पल
2. सीएमबीई– 97 एवं 98 का कोल कोर सैम्पल
3. सीएमएमडब्ल्यू–002 एवं 003 का कोल कोर नमूना
4. सीएमबीजी–49 एवं 50 का कोल कोर नमूना
5. सीएलएलआर–7,10 एवं 11 का कोल कोर नमूना
6. सीएमआईपी– 26,30,33 एवं 36 का कोल कोर नमूना
7. कृष्णशीला परियोजना, एनसीएल के बहिस्राव उपचार संयंत्र पर रिपोर्ट
8. निगाही परियोजना, एनसीएल के बहिस्राव उपचार संयंत्र पर रिपोर्ट

(ख) निविदा दस्तावेज की तैयारी :

1. कुसमुण्डा वाशरी, एसईसीएल (10.0 मी.ट.प्र.व.) के लिए आरएफडी बिड दस्तावेज की तैयारी
2. सोनपुर बाजारी वाशरी, ईसीएल (8.0 मी.ट.प्र.व.) के लिए आरएफडी बिड दस्तावेज की तैयारी
3. स्वांग वाशरी, सीसीएल में फाइन कोयले के परिष्करण के लिए निविदा विनिर्देशन दस्तावेज (टीएसडी) की तैयारी
4. आद्योपांत (टर्न की) आधार पर धोरी वाशरी (25 मी.ट. प्र.व.) के लिए निविदा विनिर्देशन (टीएसडी) की त्रैयारी
5. बसुंधरा एवं जगन्नाथ वाशरी के लिए कॉमन आरएफक्यू बिड डाक्यूमेंट की तैयारी

(ग) निविदा संवीक्षा :

1. ''बीओएम'' अवधारणा पर अशोक वाशरी (10.0 मी.ट. प्र.व.) सीसीएल के बिडों (आरएफपी तथा यूल्यों) का मूल्यांकन
2. ''बीओएम'' अवधारणा पर दुग्धा एमएलडब्ल्यू कोल वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.व.) के लिए बिडों (आरएफक्यू एवं आरएफपी) का मूल्यांकन
3. ''बीओएम'' अवधारणा (जारी) पर दहीबारी एनएलडब्ल्यू कोल वाशरी, (1.6 मी.ट.प्र.व.) के लिए बिडों (आरएफक्यू एवं आरएफपी) का मूल्यांकन

(घ) अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

1. मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल में रेडियोमेट्रिक ड्राई डिशेलिंग प्लांट (आरडी सोर्ट, 400 टीपीएच) के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी
2. अलमिनरल अल्लैयर जिग द्वारा कोयले के ड्राई डिशेलिंग हेतु निविदा दस्तावेज लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी की तैयारी

(ड़) बाह्य परामर्शी कार्य :

1. मेसर्स बैतरणी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड के बोर कोर नमूनों का धोवन क्षमता परीक्षण

जारी कार्य :

1. भोजुडीह वाशरी (2.0 मी.ट.प्र.व.), बीसीसीएल के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
2. कोनार वाशरी (3.5 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
3. धोरी वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल हेतु टीईएफआर की तैयारी
4. चित्रा वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल हेतु बिड दस्तावेज के आरएफवी हिस्से की तैयारी
5. हिंगुला वाशरी, (10.0 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफसी हिस्से की तैयारी
6. वसुंधरा वाशरी (10.0 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी हिस्से की तैयारी
7. जगन्नाथ वाशरी (10.0 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी हिस्से की तैयारी
8. लखनपुर वाशरी (10.0 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी हिस्से की तैयारी
9. दहीबारी वाशरी (1.6 मी.ट.प्र.व.), बीसीसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी हिस्से का मूल्यांकन
10. कुसमुण्डा वाशरी (10.0 मी.ट.प्र.व.) एसईसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी हिस्से का मूल्यांकन
11. सोनेपुर बाजारी वाशरी (8.0 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी हिस्से का मूल्यांकन
12. जगन्नाथ एवं बसुंधरा वाशरी, एमसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफक्यू हिस्से का मूल्यांकन
13. स्वांग वाशरी सीसीएल में वर्तमान बंकरों के विस्तार के लिए निविदा का मूल्यांकन
14. केदला वाशरी में प्राइमरी और सेकेंडरी शाफ्ट साइजर के लिए निविदा का मूल्यांकन
15. स्वांग वाशरी सीसीएल में चूर्ण कोयले परिष्करण संयंत्र के लिए निविदा का मूल्यांयकन
16. बोर होल नं0–सीएमकेजी–170,174,177 एवं 181, गर्जनबहल ब्लॉक का धोवन क्षमता परीक्षण
17. बोर होल नं0– एमजीपीडब्ल्यू–1010, गरेपेल्मा कोल ब्लॉक का धोबन क्षमता परीक्षण
18. बोर होल नं0–सीटीएमएल–185, 188, 191 एवं 192 महानंदी ब्लॉक का धोवन क्षमता परीक्षण

19. आरडीसोर्ट इक्वीपमेंट के जरिए रेडियोमेट्रिक ड्राई डिशेलिंग प्लांट का कार्यान्वयन
20. कोयले के ड्राई डिशेलिंग के लिए 260 टीपीएच अलमिनरल अल्लेयर जिग का कार्यान्वयन
21. पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के लिए नार्थ कर्णपुरा में मोन्नेट इस्पात वाशरी का कार्यनिष्पादन गांरटी परीक्षण

2.2 परियोजना मूल्यांकन :

1. रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय संस्थान और मुख्यालय के विभाग के मार्गग्दर्शन के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय में प्रस्तुति समन्वयन हेतु तथा वर्ष 2011–12 के दौरान क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभागों द्वारा तैयार किए गए 29 मसौदा परियोजना रिपोर्ट/ईपीआर/अन्य रिपोर्टों की संवीक्षा तथा मूल्यांकन।
2. क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 22 वैचारिक टिप्पणियों की संवीक्षा एवं मूल्यांकन तथा ड्राफ्ट पीआर/ईपीआर की तैयारी से पूर्ण मुख्य तकनीकी पारामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए ओसी/यूएमडी विभाग तथा पीएडी सहित निदेशक(टी) (पीएंडडी) द्वारा उन रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए समन्वयन
3. 500 करोड़ रूपये से ज्यादा लागत वाली चालू परियोजनाओं जो विशेषकर सीएमपीडीआई की जिम्मेदारी है से संबंधित चालू परियोजनाओं का सचिव(कोयला) के त्रैमासिक संवीक्षा बैठक हेतु कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतन

   सचिव (कोयला) के त्रैमासिक संवीक्षा बैठकों, वीआईपी के दौरे और क्षेत्रीय निदेशकों के समन्वयन बैठकों में कोल इंडिया की ग्यारहवीं योजना के कोयला खनन परियोजनाओं हेतु परियोजना रिपोर्टों के सूत्रीकरण (फामूलेशन) की स्थिति का अद्ययतन।

3.0 भूमिगत खनन और खुली खदान खनन :

3.1 भूमिगत खनन :

(क) बाह्य परामर्शी कार्य :

1. 2009–10 मूल्य आधार में सेशोधित रवीन्द्र खानी सं0 1ए इनक्लाइन, मंडाभारी एरिया, एससीसीएल, के लिए बालू भराई की नामेटिव कॉस्ट का मूल्यांकन।
2. गेरे पेल्मा सेक्टर, रायगढ़ कोयला क्षेत्र, सीजी के गेरे–।।। उप–खनिखण्ड हेतु डीपीआर की तैयारी।
3. सीएमपीडीआई को आवंटित गरे पेल्मा, सेक्टर–1 ब्लॉक, मांद–रायगढ़, छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट (वर्तमान और प्रस्तावित विस्तारण) के नीचे उपलब्ध कोयला भंडार (टेंटेटिव) का प्राक्कलन।
4. हुट्टी गोल्ड माइन्स में नए शाफ्ट के उपकरण के निर्माण एवं फर्निशिंग के लिए डिजाइन के बिड डाक्यूमेंट एवं वेटिंग, ईओआई की तैयारी।
5. माछेरकुंदा कोल ब्लॉक, लातेहार, बिहार स्पंज आयरन लि. के लिए खनन योयजना एवं परियोजना रिपोर्ट की तैयारी।
6. एमओआईएल के बालाघाट खान में लगभग 630 मी0 गहरे 7.5 मीटर डाया मीटर वर्टिकल हाई स्पीड शफ्ट के सिंकिंग के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी एवं डिजाइन सहित व्यापक परामर्शी सेवाएँ।
7. मलाजखंड कापर परियोजना, एचसीएल के लिए प्री–बिड मीटिंग में कार्य की सीााावना और सहभागिता, डीपीआर की वेटिंग के लिए परामर्शी सेवाएँ।
8. उकमा खान, एनओआईएल में उदग्र शाफ्ट के लिए टीईएफआर की वेटिंग एवं वाईंडिंग इंस्टालेशन, वर्टिकल शाफ्ट की विस्तृत डिजाइन।
9. मुंसार माइन, एमओआईएल में वर्टिकल शाफ्टके लिए टीईएफआर की वेटिंग एवं वाईंडिग इंस्टलिशन, वर्टिकल शाफ्ट की विस्तृत डिजाइन।
10. बालाघाट खान से उत्पादन में वृद्धि के लिए खनन योजना एवं विस्तारण परियोजना रिपोर्ट की तैयारी।

ख) कोल इंडिया लिमिटेड के कार्य :

1. कुरसिया भूमिगत खान, चिरीमिरी क्षेत्र, एसईसीएल के एयर शाफ्ट का विस्तृत डिजाइन ड्राईंग।
2. तालचर कोलियरी, पिट नं0–2 का स्टीम वाइन्डर को इलेक्ट्रीकल वाइन्डर में बदलने पर रिपोर्ट।
3. वर्ष 2009–10 के संशोधित मूल्य के आधार पर जे के रोपवेज, ईसीएल के सभी स्टोविंग खानों (43) एवं बालू के परिवहन के लिए बालू भराई की नार्मेटिव लागत का मूल्यांकन।
4. केतकी खान, विश्रापुर क्षेत्र, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण
5. चुर्चा आरओ भूमिगत खान, एसईसीएल के लिए मैन राइडिंग सिस्टम का तकनीकी विनिर्देशन।
6. मानक मूल्य सूची का निर्माण।
7. झांझरा परियोजना, ईसीएल के आर–VI सीम में मैन राइडिंग सिस्टम का टेकनीकल फिजिबिलिटी हेतु अध्ययन रिपोर्ट।
8. एनईसी का मास्टर प्लान।
9. कोट्टाडीह परियोजना, पंडावेश्वर अत्रा, ईसीएल में

इनक्लाइन संख्या–2 का ड्राइवेज के लिए इनक्लाइन माउथ एवं भूमिगत सपोर्ट की विस्तृत डिजाइन।

10. खान के उचित संवातन के लिए संवातन प्रणाली का पुनर्गठन एवं संवातन के दृष्टिकोण से अमालगेमेटेड टांडसी खान का विश्लेषण।
11. पिपरिया सीम iv बी, जोहिला क्षेत्र, एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण।
12. कोल इंडिया के भूमिगत खदानों का क्षमता मूल्यांकन।
13. आर–v सीम, कुमारडीह भूमिगत, ईसीएल का गैसीनेस के डिग्री का निर्धारण।
14. सिरका भूमिगत खान, सीसीएल में अपर सीमाना एवं लोअर सीमाना सीमों के पैनल–सी में एच/एल अनुपात में सुधार के लिए अध्ययन।
15. तालचर कोयला क्षेत्र, एमसीएल के ककुदी/किशोरीपाल सैण्ड माइन के लिए खनन योजना की तैयारी।
16. नटराज खान, एमसीएल के लिए इनकलाइन सपोर्ट एवं फैन हाऊस, फैन ड्रिफ, ओपेन कट में इनक्लाइन माउथ के निर्माण के लिए लागत प्राक्कलन एवं बीओक्यू, विस्तृत डिजाइन की तैयारी।
17. तालचर क्षेत्र, एमसीएल के जगन्नाथ भूमिगत खान के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी।
18. मूरुलीडीह कोलियरी, डब्ल्यू जे क्षेत्र, बीसीसीएल के पिट सं0– 20 एवं 21 के हेडफ्रेम संरचना का स्थायित्व विश्लेषण।
19. हंसापुरा काटापल्ली एवं देवगाँव गाँव, जसुगुडा जिला, उड़ीसा में 109.205 हेक्टेयर में वृद्धि के लिए बालू हेतु खनन पट्टे के अनुमति हेतु खनन योजना की तैयारी।
20. सतग्राम क्षेत्र, ईसीएल के अमालगमेटेड कौरड़ी–तिरात कोलियरी के घुसिक (आर–ix) एवं घुसिक ए (आर–ix ए) सीम का गैस सर्वेक्षण।
21. विजय वेस्ट कोलियरी, चिरीमिरी क्षेत्र एसईसीएल का गैस सर्वेक्षण।
22. 17.805 हेक्टेयर वाले पट्टे क्षेत्र के ऊपर निजगढ़ जानी और गोपीनाथपुर गाँव में ब्राहमणी के नदी की सतह में मंडापाल सैंड खानों के संबंध में खनन योजना एवं पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी
23. xvi टॉप सीम, मूनिडीह परियोजना, बीसीसीएल के निष्कर्षण के लिए प्रस्तावों का वैश्विक डाक बोली का मूल्यांकन।
24. टर्न की (आधोपांत) आधार पर लोहापट्टी भूमिगत खान (0.30 मी.ट.प्र.व.) के लिए वैश्विक डाक बोली का मूल्यांकन।
25. मुराईडीह भूमिगत के लिए डीपीआर का मूल्यांकन।
26. ज्वाइंट वेंचर रूट के जरिए चिनाकुरी:1 भूमिगत खान, ईसीएल के संचालन के लिए मसौदा एनआईटी की तैयारी।
27. एक पिट वाइन्डर, पीबी परियोजना, बीसीसीएल के हेड गियर की संरचना का स्थायित्व परीक्षण।
28. नांदिरा भूमिगत खान, एमसीएल के लिए मैन राइडिंग सिस्टम पर संभाव्यता रिपोर्ट।
29. मूनिडीह खान, बीसीसीएल में मैन राइडिंग प्रणाली की प्राप्ति, स्थापना एवं चालू करने के लिए प्रस्ताव।
30. मूनिडीह खान, बीसीसीएल में मैन राइडिंग प्रणाली के संस्थापन की योजना।
31. तालचर कोयला क्षेत्र, एमसीएल के बिलेंडा/बिकसार सैण्ड माइन के लिए खनन योजना की तैयारी।
32. कोल इंडिया 11–12 भूमिगत खान के लिए क्षमता का उपयोग एवं क्षमता मूल्यांकन दिनांक–01–04–12 के अनुसार।

3.2 खुली खदान खनन :

वर्ष 2011–12 के दौरान पूरे किए गए कार्य :

(क) बाह्य परामर्शी कार्य :

1. पलाना लिग्नाइट खान परियोजना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट ग्राहक : एनएलसी।
2. गरे पेल्मा सेक्टर–।।। खु.खा.प. हेतु डीपीआर–ग्राहक : गोवाइंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।

(ख) मुख्य आंतरिक परामर्शी सेवाएँ :

1. अरगडा खु.खा.प. सीसीएल के लिए संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट।
2. जगन्नाथ खु.खा.प. (पुनर्गठन), एमसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट।
3. जागुन ओसीपी, एनईसी के लिए परियोजना रिपोर्ट।
4. एनईसी के लिए मास्टर प्लान–ग्राहकः कोल इंडिया।
5. तिकाक इंटीग्रेटेड खु.खा.प. के लिए संभाव्यता रिपोर्ट ग्राहक : एनईसी।

(ग) अन्य मुख्य कार्य :

1. कोल इंडिया की सभी खुली खानों की क्षमताओं का मूल्यांकन।
2. कोल इंडिया की खुली खदान खानों में नियोजित एचईएमएम का कार्य– निष्पादन मूल्यांकन।

3. कोल इंडिया के खुली खानों में विस्फोंटक, डीजल एवं विद्युत ऊर्जा के विशिष्ट खपत का विश्लेषण।
4. विभिन्न परियोजना रिपोर्टों (संदर्भ : संलग्न सूची) का तकनीकी संवीक्षा।
5. लखन क्षेत्र, एमसीएल में रियर डोजर का उपयोग कर विस्फोटन मुक्त ओबी को हटाने पर अध्ययन।
6. ''ड्रैगलाइन डम्प स्लोपस में स्लोप स्टेबिलिटी मिटिगेटिंग रिस्क'' पर तकनीकी पेपर।
7. चिन्हित मुराईडीह भूमिगत (ब्लॉक–III) के खुली खदान की क्षमता पर तकनीकी टिपपणी।
8. एचईएमएम के नार्म का रिवीजन पर तकनीकी टिप्पणी।
9. एनएलसी के हल्दिया ईएमपी पर ईएसी आब्जेर्वेशन के लिए जवाब।
10. मास्टर कंट्रोल नेटवर्क–लेदो, लेखापानी, तिकाक विसतार एवं पीक्यूब्लॉक ओसीपी।
11. उमरेर दुर्घटना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का तकनीकी सहायता।
12. ब्लॉक vi परियोजना रिपोर्ट पर वैचारिक टिप्पणी के लिए तकनीकी सहायता।

II (क) चालू कार्य :

बाह्य परामर्शी कार्य :

1. देवागुड़ी लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट के लिए खनन योजना ग्राहक : एनएलसी।
2. देवागुड़ी लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट के लिए एफआर ग्राहक : एनएलसी।
3. डोंगरीबुजुर्ग ओसीपी के लिए खनन योजना ग्राहक : एमओआईएल।
4. डोंगरी बुजुर्ग ओसीपी के लिए एक्सपेंशन पीआर ग्राहक : एनओआईएल।
5. पलाना लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट (मसौदा पुपुर्द) के लिए खनन योजना : ग्राहक एनएलसी।
6. नौगांव तालेसही ब्लॉक के लिए खनन योजना ग्राहक ओएमसी।
7. नौगांव तालेसाही ब्लॉक हेतु संभाव्यता रिपोर्ट ग्राहक ओएमसी।

(ख) मुख्य आंतरिक परामर्शी कार्य :

1. सामलेश्वरी एसटेंशन ओसीपी (सभी सीमों पर विचार करते हुए) के लिए संभाव्यता रिपोर्ट ग्राहक एमसीएल
2. हुरा 'सी' ओसीपी (3.0 मी.ट.प्र.व.) के लिए परियोजना रिपोर्ट ग्राहक ईसीएल
3. खुली खदान खानों में हाईएंगल कन्वेईग (एचएसी) के अनुसंधान एवं विकास परियोजना की तैयारी

(ग) अन्य मुख्य कार्य :

1. नये चालू एचईएमएम के लिए कोल इंडिया के प्लांट नम्बरों का आवंटन
2. कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों की आवश्यकतानुसार परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी संवीक्षा
3. एमओसी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान

(घ) परियोजना रिपोर्टो की तकनीकी संवीक्षा-सूची (2011-12)

- मसौदा पीआर ब्लॉक अ ओसीपी (5 मी.ट.प्र.व.) बीसीसीएल।
- लिलारी ओसी (1.2 मी.ट.प्र.व.) एनसीएल के लिए रिआर्गे पीआर ।
- कुजु ओसीपी (1.3 मी.ट.प्र.व.) का डीपीआर।
- पिंडरा ओसीपी (1.0 मी.ट.प्र.व.) सीसीएल का डीपीआर।
- एसईसीएल मोहान–II का डीपीआर एवं मोहान ओसीपी (1.0 मी.ट.प्र.व.) का आरपीआर।
- डीपीआर परसोडा ओसीपी (0.8 मी.ट.प्र.व.) डब्ल्यूसीएल।
- डीपीआर मुगोली निएगुडा ओसीपी (3.0 मी.ट.प्र.व.) डब्ल्यूसीएल।
- डीपीआर पदमपुर एक्सटे डीपी (2.5 मी.ट.प्र.व.) डब्ल्यूसीएल।
- मसौदा आरपीआर अमाडांड ओसीपी (5 मी.ट.प्र.व.) एसईसीएल।
- मसौदा आरपीआर मालाचुआ ओसीपी (3 मी.ट.प्र.व.)।
- रिकॉस्ट डीपीआर गर्जनबहल ओसीपी (1 मी.ट.प्र.व.)।
- डीपीआर चित्रा एक्सपे. ओसीपी (5.0 मी.ट.प्र.व.)।
- ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड पीआर लखनपुर बेलपहाड़ लिलारी ओसीपी (30 मी.ट.प्र. व) एमसीएल.।

4.0 अभियांत्रिकी सेवाएँ :

कोल हैंडलिंग प्लांट, कर्मशाला, विद्युत आपूर्ति वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली, पम्पिंग एवं जल निकास प्रणाली, औद्योगिक एवं आवासीय भवन, सड़क एवं रेलवे साइडिंग, टाउनशीप के लिए परामर्शी सेवा देने के अलावे निम्नलिखित सेवाएँ दी गईं :

4.1 सिविल इंजिनीयरिंग (असैनिक सेवाएँ) :

चालू परियोजनाएँ:

वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की गई :

परियोजना आयोजन कार्य :

1. निम्नलिखित का परियोजना रिपोर्ट की तैयारी :
   i. देवागुरी ओ/सी, एनएलसी।
   ii. जगुन ओ/सी एनईसी।
   iii. तिलोक इंटीग्रेटेड माइन एनईसी।
   iv. जगनाथ ओ/सी माइन एमसीएल।
2. निम्नलिखित के लिए परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी संवीक्षा
   i. ईसीएल के चित्रा ओसी, कुमारडीह बीयू/जी, पांडवेश्वर यू/जी का कोट्टाडीह ओसी।
   ii. बीसीसीएल के ब्लॉक 5 ओ/सी, राजापुर साऊथ यू/जी।
   iii. सीसीएल के सयाल–डी ओ/सी, कुजू ओ/सी, पिंडरा ओ/सी, रेलीगढ़ा, गोविंदपुर रि–आर्गेनइजेशन माइन्स।
   iv. डब्ल्यूसीएल के नकोडा ओ/सी, पदमपुर एक्सटे. ओ/सी, मुगोली–निरगुडा ओ/सी और पनसोडा ओ/सी।
   v. एसईसीएल के कुसुमुण्डा ओ/सी, महान।। ओ/सी ककटपुर यू/जी, मालंचा ओ/सी, अमलाबाद ओ/सी,
   vi. एनसीएल के लिलारी ओ/सी रिआर्गेनाइजेशन।

विस्तृत डिजाइन कार्य :

1. डब्ल्यूसीएल के उरधान सीएचपी का डिजाइन/ड्राईंग।
2. एमसीएल के लिए जी.3 कंफिगरेल के ए तथा बी टाइप क्वार्टरों का डिजाइन/ड्राईंग।
3. एनेक्से भवन, एमसीएल (मु) का डिजाइन/ड्राईंग
4. एमसीएल के ए तथा बी टाइप क्वार्टरों (जी़8 कंफिगरेशन) का डिजाइन/ड्राईंग।
5. एमसीएल के लिए आनन्द विहार कालोनी में कल्याण मंडप का डिजाइन/ड्राईंग।
6. माधवपुर हेडफ्रेम स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल एडीक्वेसी अध्ययन।
7. प्रबंधन प्रशिक्षु के होस्टल–48 यूनिट मॉडल का डिजाइन/ड्राईंग।

निविदा मूल्यांकन

1. कृष्णशीला सीएचपी एनसीएल–निविदा दी गई।

निविदा दस्तावेज की तैयारी

1. ब्लॉक बी सीएचपी (3.5 मी.ट.प्र.व.) एनसीएल।
2. जयंत एक्सटेशन सीएचपी।

योजना की तैयारी

1. कनिहा, ओरिएन्ट क्षेत्र, एमसीएल में सब स्टेशन की क्षमता का औगमेंटेशन के लिए लागत आकलन और एनआईटी, योजना की तैयारी।
2. अशोका ओसीपी, सीसीएल और बसुंधरा एरिया एनसीएल में वाशरी रिजेक्ट को ईंधन के रूपमें प्रयोग कर एफबीसी प्रौद्योगिकी पर आधारित सीटीपीएस के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी।

वास्तुशिल्पीय कार्य :

1. बीसीसीएल के लिए कुसुम विहार और कार्मिक नगर कॅालोनी में कॉलोनी के पुनरूद्धार के लिए ले आऊट
2. अरगडा में शहीद चौक का रिमॉडलिंग कार्य।
3. एचईसी के लिए मार्गेरिता में कार्यालीय परिसर का डिजाइन।
4. क्षेत्रीय स्थान–1 सीएमपीडीआई, आसनसोल के लिए पर्यावरणिक प्रयोगशाला की डिजाइन।
5. हथिया गोंदा गाँव और पतरागोंदा गाँवों के लिए प्लानिंग की डिजाइन और आक्कलन से संबद्ध सीएसआर।

डिजाइन/ड्राईंग की संवीक्षा

(क) 4000 टन क्षमता के 2 रैपिड लोडिंग सिलों के साथ 15 मी.ट.प्र.व. क्षमता के भरतपुर सीएचपी, ग्राउण्ड बंकर ट्रक रिसिविंग हॉपर के दो लोकेशन, एलोसि–टेड कन्वेयर स्ट्रक्चर और एसोसिएटेड सिविल/स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सुपुर्द फैसिलिटी के लिए डिजाइन और ड्रईंग की संवीक्षा ठेकेदारों द्वारा सुपुर्द किए गए डिजाइन दस्तावेजों/ड्रईंगों की संवीक्षा के आधार पर कुल 580 ड्राईंग अनुमोदित किए गए/पर टिप्पणी की गई।

(ख) 3000 टन क्षमता के रैपिड लोडिंग सिलो 20000 टन क्षमता के ग्राउण्ड बंकर, जिरेटरी क्रशन सहित रिसिविंग पिट, असोसिएट सिविल/स्ट्रक्चरल और इंफ्रा स्ट्रक्चर फैसिलिटी सहित 6 मी.ट.प्र.व. क्षमता के अमलोरी सीएचपी हेतु डिजाइन और ड्राईंग की संवीक्षा–ठेकेदार द्वारा पेश किए गए डिजाइन दस्तावेज/ड्राईंग की संवीक्षा के आधार पर कुल 600 ड्राईंग अनुमोदित किए/पर टिप्पणी की गई।

अमलोरी सीएचपी, एनसीएल में स्थापित किए जाने वाले गाइरेटरी क्रशर का प्रेषण पूर्व चालन–प्रषिक्षण

अमलोरी सीएचपी में 3000 टन का सिलो

भरतपुर सीएचपी, एमसीएल में प्रत्येक 4000 टन का ट्विन सिलो (निर्माणाधीन)

अमलोरी सीएचपी, एनसीएल में भूमिगत बंकर (निमार्णाधीन)

4.2 विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ :

4.2.1 खान आयोजन (आधारभूत संरचना) :

1. बाह्य परामर्श :
   - देवगुण्डी ब्लॉक, एचएलसी के लिए खान आयोजन।
2. कोल इंडिया की परियोजनाएँ :
   - तिकॉक इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन ओसीपी, एनईसी।
   - जगननाथ ओसीपी निआर्गनाइजेशन, एमसीएल।
   - जगुन ओसीपी, एनईसी।

4.2.2 कोल हैंडलिंग प्लांट (कोयला निपटान संयंत्र) :

- अमलोरी सीएचपी, चरण–II–10 मिलियन टन प्रति वर्ष, (6 मी.ट.प्र.व.) के टर्न की कंट्रेक्टर मेसर्स एलएण्डटी द्वारा प्रस्तुत डिजाइन एवं ड्राईग की संवीक्षा/अनुमोदन और अमलोरी चरण II सीएचपी के निर्माण के लिए परियोजना मॉनीटरिंग कार्य जारी है।
- कृष्णशीला सीएचपी (4.0 मी.ट.प्र.व.) : कार्य प्रदान करने के लिए निविदा जारी करना बिडों का मूल्यांकन कार्य, अनुशंसा पूरा किया जा चुका है। टर्न की कंट्रेक्टर मेसर्स एचईसी द्वारा दर्ज डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन और कृष्णशीला सीएचपी के निर्माण के लिए परियोजना की मॉनीटरिंग का कार्य जारी है।
- ब्लॉक–बी सीएचपी (3.5 मी.ट.प्र.व.) जब 2012 में निविदा दस्तावेज की तैयारी और निविदा जारी करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। डाक बोली का मूल्यांकन कार्य जारी है।
- जयंत इंटरिम सीएचपी (5.0 मी.ट.प्र.व.) फरवरी, 12 में निविदा दस्तावेज की तैयारी पूर कर ली गई। निविदा जारी की जा रही है।

4.2.3 एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र

- कोल इंडिया की वाशरी अपशिष्टों (प्रस्तावित 20 वाशरियों का) उपयोग कर एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए मॉडल।
- बिड डाक्यूमेंट (क्वालिफिकेशन और प्रोपोजल के लिए अनुरोध)।
- निम्नलिखित परियोजना रिपोर्टों में चाप्टरों के लिए, वाशरियों के अपशिष्टों का प्रयोग कर एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र की प्लानिंग
  - i. चिचला– चिकालगांव ओसीपी डब्ल्यूसीएल (3 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x40 मेगावाट टीपीपी)।
  - ii. गर्जनबहाल ओसीपी, एमसीएल (10 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x150 मेगावाट टीपीपी)।
  - iii. निरगुडा, मुंगोली, डब्ल्यूसीएल (3 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x20 मेगावाट टीपीपी)।
  - iv. लखनपुर लिलारी बेलपहाड़ एमसीएल (20 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x205 मेगावाट टीपीपी)।
  - v. जगन्नाथ ओसीपी (8 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x40 मेगावाट टीपीपी)।
- निम्नलिखित जगह में एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र
  - i. अशोक, पिपरवार क्षेत्र सीसीएल (10 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x30 मेगावाट टीपीपी)।
  - ii. चित्रा वाशरी, ईसीएल।
  - iii. दुग्धा और मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल के वाशरी अपशिष्टों (7.5 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x125 मेगावाट टीपीपी)।
  - iv. बरौद वाशरी, एसईसीएल।
  - v. वसुंधरा वाशरी, एमसीएल (10 मी.प्र.ट.व. वाशरी के लिए एफबीसी आधारित 2x75 मेगावाट टीपीपी)।
  - vi. पाथरडीह वाशरी, बीसीसीएल।
- 3x10 मेगावाट चिनाउरी कैप्टिव पीपीपी ईसीएल के व्यापार का रिप्लेसमेंट और लीजींग हेतु डाक बोली दस्तावेज।

4.2.4 ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग :

- कोल इंडिया के 70 चिन्हित ओसीपी में डीजल की खपत का वार्षिक वेंचमार्किंग पर रिपोर्ट।
- वीणा और जयंत ओसीपी, एनसीएल में इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट पर रिपोर्ट।
- सीएमपीडीआई (मु) के आवासीय भवनों के लिए वैद्युत, सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट।

4.2.5 विद्युत आपूर्ति और वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली :

- कृष्णशीला कोल एवं ओबी सब–स्टेशन के लिए पावर ट्रांसमिशन तथा वितरण के लिए एनआईसी।
- काली नगर सब–स्टेशन, ओरिएंट एरिया का आगमेंटेशन के लिए योजना।
- अमहोरी ओबी (तपोवन) सब–स्टेशन एवं कोल सब–स्टेशन के आगमेंटेशन के लिए एनआईटी।
- कनिहा 220/33 के वी सब–स्टेशन के लिए योजना।

4.2.6 निरीक्षण सेवाएँ

सीएमपीडीआई कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों

द्वारा खरीदे गए उपकरण और सामग्रियों का प्रेषण–पूर्व निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण सेवाएँ देना जारी रखा है। वर्ष 2011–12 के दौरान इन सेवाओं से अर्जित कुल राजस्व 2.69 करोड़ रूपये था।

4.2.7 अन्य अध्ययन :

- कथारा क्षेत्र, सीसीएल के पावर फैक्टर का अध्ययन
- सीएमपीडीआई(मु) के कार्यालय भवन का फायर डिटेक्शन एवं एनूसिएशन के लिए योजना।
- अनंता, हिंगुला और लिंगराज ओसीपी में सर्फेस माइनर का डिजल बेंच माकिंग के लिए केस अध्ययन।
- कोल इंडिया के 15 खानों का ड्रैग लाइन (7)/केज सस्पेंशन गियर (5 सेट)/सीएचपी (2)/शावेल (21) का एनडीटी।

4.3 नगर अभियंत्रण सेवाएँ :

सीएमपीडीआई मुख्यालय के नगर अभियंत्रण विभाग में वर्ष 2011–12 में दौरान विशेष मरम्मत, कैपिटल कार्य और सीएसआर कार्य के तहत पूरी की गई और चालू कार्यों की निम्नलिखित सूची है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूरी की गई और चालू कार्यों/गतिविधियाँ प्रमुख रूप से ये हैं :

पूर्ण कार्य :

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रूपये में)
1.	सीएमपीडीआई, (मुख्यालय), राँची में सी एवं डी टाइप के क्वार्टरों के टायलेट एवं किचन का पुनरूद्वार।	71.35 रूपये
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय में खनन प्रयोगशाला के सीमेंट/रेजिन कैप्सूल के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की स्थापना तथा अनुसंधान एवं विकास भवन के भूतल में एमटी प्रयोगशाला का पुनरूद्वार।	41.72 रूपये
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में बी टाइप आवास के निकट हिल्लॉक एरिया में विकासात्मक कार्य।	34.48 रूपये
4.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय कॉलोनी भूजल के रिचार्ज हेतु ब्लॉक बी, से बी–1(बहुमंजिली) और ब्लॉक सी 5 से सी 7 का रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।	16.67 रूपये
5.	एनटीएस, बरकाकाना कॉलोनी में आपूर्ति और पम्ट सेटों, पाइपों और सम्बद्ध कार्यों के संस्थापन सहित 250x200 एमएम डाया डीप बोरवेल का ड्रिलिंग और रिकिंग	9.98 रूपये
6.	सीएमपीडीआई, मु0, राँची में 'ए' टाइप क्वार्टर ब्लॉक नं. ए/49 से ए/64, ए 6 से ए/80 तथा ए 13 से ए/24 का रिवाइरिंग।	14,53,837.61 रूपये
7.	सीएमपीडीआई, मु, राँची में पम्प की आपूर्ति एवं संस्थापन।	7,90,378.6640 रूपये
8.	सीएमपीडीआई, मुख्या, राँची में वितरण के लिए एसटीसी में पावर और लाइट सर्किट को अलग करने के लिए केबल, कम्युनिटि हॉल का वैकल्पिक केबल, 1.1 के.बी. केबल का बदलाव।	15,70,530,36 रूपये
9.	सीएमपीडीआई, मुख्याल, राँची में कम्युनिटि हॉल के साउण्ड सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापन तथा चालू करना।	4,49,106.38 रूपये

pky dk;Z :

1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में एसटीसी भवन और इसके आसपास लेकचर हाल का निर्माण	17378 रूपये
2.	सीएमपीडीआई भवन के आसपास और कॉलोनी में विविध विकास कार्य और जिम्नाजियम के लिए कम्युनिटी हाल के बेसमेंट का पुनरूद्वार, सीएमपीडीरआई कॉपी की चाहरदिवारी की मरम्मत तथा रख–रखाव	65.54 रूपये
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में शेष बचे क्वार्टरों का रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और शेष कार्य	44.76 रूपये
4.	एनटीएस–बरकाकाना में सीडीएस, सीडब्ल्यूएस तथा इसके परिसरों में विविध मरम्मती और रख–रखाव	71.02 रूपये
5.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में जेएसईबी पावर आपूर्ति, डीजी पावर अपूर्ति के लिए फीडर पैनेल का बदलाव	32,02,398 रूपये

कारपोरेट उत्तरदायित्व कार्य

1.	बिरसा हाईस्कूल, हथिया गोंदा में तीन कमरे का निर्माण, हथिया गोंदा और पतरा गोंदा गाँव का पहुँच पथ का निर्माण	25.42 रूपये

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

5.1 कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

1. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रिया–कलापों का नियंत्रण स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्षस्थ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्षस्थ निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एनएलसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सम्बद्ध सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना आयोग और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति की प्रमुख कार्य योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू करने का कार्य करता है।

2. एसएसआरसी की सहायता सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षत में गठित एक तकनीकी उप–समिति द्वारा की जाती है। यह समिति कोयला गवेषण, खनन, खान–सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव तथा खान पर्यावरण एवं पुररूद्धार पर परियोजना प्रस्ताव के उपयोग पर भी कार्य करता है।

3. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है। यह पहचान किए गये क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण आदि कार्य करता है।

शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2011 तक)	374
पूरी की गई वि. एवं प्रौ. परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2012 तक)	302

4 'वर्ष 2011–12 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

5.1.1 भौतिक कार्य निष्पादन :

ग्यारवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कुल 45 परियोजनाएँ पूरी की गई हैं वर्ष 2011–12 के दौरान कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

1.4.2011 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	16
वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ (परिशिष्ट–ए)	06
वर्ष 2011–12 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ (परिशिष्ट–ए)	07
वर्ष 2011–12 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ	07
1.4.2012 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	15

5.2 वित्तीय स्थिति :

बजट प्रावधान और वास्तविक खर्च दर्शाया जा रहा है :

(लाख रूपये में)

2011-12		2011-12	
आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक
11.00	10.06	10.62	10.17 (अंकेक्षित नहीं) (अन–आडिटेड)

5.2 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड गठित है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्‌देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए 5.0 करोड़ तथा 25.0 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है। सीआईएल अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, जिसे पहले प्रत्येक परियोजना के लिए 10.0 करोड़ रूपये तक मंजूरी देने का अधिकार था, अब वह वर्ष में 50.0 करोड़ रूपये तक विशिष्ट परियोजना को मंजूरी दे सकता है। सब मिलाकर कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड एक वर्ष में 500.0 करोड़ रूपये तक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दे सकता है। अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 64 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 35 परियोजनाएँ मार्च, 2012 तक पूर की जा चुकी है।

वर्ष 2011–12 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं स्थिति इस प्रकार रही :

(i)	1.4.2011 के अनुसार जारी परियोजनाएँ	: 24
(ii)	2011–12 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ (परिशिष्ट–बी)	: 06
(iii)	2011–12 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ (परिशिष्ट–बी)	: 05
(iv)	2011–12 के दौरान प्रतिबंधित परियोजनाएँ	: 01
(v)	1.4.2012 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	: 24

वर्ष 2011–12 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राशि 16.25 करोड़ रूपये (अन–आडिटेड)

परिशिष्ट-ए

वर्ष 2011-12 के दौरान स्वीकृत कोयला मंत्रलय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

(लाख रूपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	3डी अंकीय मॉडकिंग द्वारा धंसान पूर्वानुमान के लिए साफ्टवेयर का विकास परियोजना कोड–एमटी/160 **कार्यान्वयन एजेंसी :** अन्ना यूनिवसिटी, चेन्नई एवं एससीसीएल	53.80
2.	नेवेली लिग्नाइट में स्पेशल माइनिंग उपकरण की कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए कस्टमाइन्ड आर्गेनिक कोटिंग्स का विकास	79.48
3.	अत्यधिक राख वाले भारतीय कोयले के परिश्करण के लिए ट्राइबो–इलेक्ट्रास्टेटिक सेपरेटर का विकास प्रोजेक्ट कोड सीपी/44 **कार्यान्वयन एजेंसी :** आईएमएमटी, भुवनेश्वर	47.67
4.	सीएफडी मॉडलिंग और सिमूलेशन पर आधारित कोयले के शुष्क परिष्करण के लिए कोल विन्नोविंग सिस्टम का डिजाइन तथा विकास परियोजना कोड : सीपी/45 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीआईएनएफआर, नागपुर, यूनिट एवं एनसीएल, पूणे	181.40
5.	रेलवे वैगन से साइट में इस्टांट कोल ऐम एवं मोवाश्वर एनालाइजर के लिए ट्रक माउन्टेड मोबाइल कोल सैम्पलर की डिजाइन तथा विकास परियोजना कोड : सीपी/46 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीआईएमएफआर, धनबाद एवं मेसर्स प्रणय इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	167.60
6.	खुली खदान खानों में वायुवाहित धूलकण का मॉडलिंग (प्रदर्शन) कार्यान्वयन एजेंसी : एनआईटी, सुरथकल	77.09

वर्ष 2011-12 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	भूमिगत कोयला खान में जलाप्लावित खनन के अगेंस्ट में बेरियर की मुठाई का डिलीनिएशन परियोजना कोड–एमटी/153 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीआईएमएफआर, धनबाद	382.1192
2.	क्षेत्र में ग्रेविटि ब्लाइण्ड बैंक फिलिंग विधि पर मॉडली अध्ययन और प्री–जैमिंग इंडिकेशन पारामीटर का मूल्यांकन परियोजना कोड : एमटी/154 **कार्यान्वयन एजेंसी :** आईआईटी, खड़गपुर	402.66
3.	भूमिगत कोयला खानों में उच्च क्षमता वाला स्टील रूफ, बोल्ट्स का प्रयोग परियोजना कोड : एमटी/156 **कार्यान्वयन एजेंसी :** आरडीसीआईएल, राँची डीजीएमएस, धनबाद एवं सीएमपीडीआई, राँची	103.22
4.	नेवेली लिग्नाइट का केटेलाइटिक लिक्विफेक्शन परियोजना कोड : सीयू/54 **कार्यान्वयन एजेंसी :** एमईपीसीओ स्चलेक इंजीनियरिंग कॉलेज, षिवकाषी	103.22

5.	कोयला से स्वच्छ ईंधन का जैविकीय उत्पादन परियोजना कोड : सीयू/55 कार्यान्वयन एजेंसी : आरवी कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर	45.36
6.	माइन व्वाइट रिक्लामेशन के लिए फ्लाई ऐश का गुण–निर्धारण परियोजना कोड : ईई/30 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीएमपीडीआई, राँची	287.684
7.	रिवेजीटेडेट कोल माइन वेस्ट लैंड में कार्बन सिक्यूएशट्रेशन परियोजना कोड : ईई/40 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीआईएमएफआर, धनबाद	64.76

परिशिष्ट-बी

वर्ष 2011-12 के दौरान पूरी की गई कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	कोल इंडिया के क्षेत्रों के लिए स्पेशल रिफरेंस सहित गोंदवाना बेसिन में शेले गैस की संभावना का मूल्यांकन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/46/10 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीबीएम सेल, सीएमपीडीआई, मु0, राँची और एडवांस रिसोर्सेज इंटरनेशनल, वाशिंगटन डीसी, यूएसए	400.00
2.	भूमिगत कोयला खानों में स्टॉपिंग्स निर्माण की सुविधा के लिए नॉर्थ कटिंग मशीन का विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/47/11 **कार्यान्वयन एजेंसी :** एसएंडआर डिवीजन सीआईएल, मुख्यालय कोलकाता, कोलकाता एंड सोसाइटी फॉर माइनिंग रिसर्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनकारोन पेंट, कोलकाता	8.30
3.	एक्सपेंशन फोम एजेंट का प्रयोग कर भूमिगत खान में आग के मामले में क्विक सेटिंग स्टॉपिंग का निर्माण परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/4/48/11 **कार्यान्वयन एजेंसी :** एसएंडआर डिवीजन सीआईएल, मुख्यालय कोलकाता, निट, राउरकेला तथा मेसर्स ट्रांस मार्केटिंग, कोलकाता	51.32
4.	ऊर्जा में (जीएचजी 2ई) बदलने के लिए कोयला खानों और कोयला संस्तरों से ग्रीन हाऊस गैस रिकवरी परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/49/2012 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीबीएम सेल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची और यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमीशन, लंदन	80.00
5.	कोल इंडिया लि. के खानों में व्यवहृत विस्फोटकों और सहायक सामग्रियों का रैण्डम सैम्पलिंग और परीक्षण करने के लिए स्वदेशी उपकरण का विकास परियोंजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/50/2012 **कार्यान्वयन एजेंसी :** ब्लास्टिंग सेल, सीएमपीडीआई(मु.), राँची और आईआईटी, केजीपी	428.06
6.	खुली खदान खान परियोजना के लिए इंटीग्रेटेड डम्पर कोलिजन आवॉयडेंस सिस्टम का स्वेदेशी (धरेलु) विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/51/2012 **कार्यान्वयन एजेंसी :** माइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपाटमेंट, सीएमपीडीआई, मुख्यायल, राँची तथा बीईएल, पंचकुला, हरियाणा	354.51

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	भूमिगत खानों के कन्वेयर और अन्य उपकरण के लिए पीएलसी आधारित इंटीग्रेटेड कंट्रोल और मानी. टरिंग प्रणाली का घरेलू विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/26/06 **कार्यान्वयन एजेंसी :** आरडीसीआईएल(खेल) और सीएमपीडीआई	182.00
2.	एतिबाती कोलियरी के निकट रेलवे लाइन के नीचे खनन का डेलीनिएशन, न्यूमेरिकल मॉडलिंग द्वारा स्टेविलिटी विश्लेषण ओर संभाव्य ऐसेडियल उपाय परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/31/08 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीआईएमएफआर एंड ईसीएल	20.90518
3.	कायरकेस मेल्वर्क का प्रयोग कर भूमिगत खानों में इमीडिएट रूफ फाल प्रिडिक्शन सिस्टम का विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/27/08 **कार्यान्वयन एजेंसी :** आईआईटी, केजीपी और ईसीएल	216.98
4.	गहरे में अवस्थित कोयला और लिग्नाइट रिसोर्सेज से सीबीएम की उपलब्धि का पता लगाने तथा भारतीय कोयले के एडऑर्पसन कैरेकट्रीस्टिक पर अन्वेषण परियोजना कोड : सीआईएली/आरएंडडी/1/40/10 **कार्यान्वयन एजेंसी :** सीएमपीडीआई और आईआईटी केजीपी	98.07
5.	रूफ बोल्टिंग में लावहृत सीमेंट एवं ऐजिन कैप्सूल के भौतिक यांत्रिक गुण निर्धारण रासायनिक गुण और बॉन्डिंग की मजबूती के बीच सह–संबंध की स्थापना परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/37/10 **कार्यान्वयन एजेंसी :** यूएमडी विभाग, सीएमपीडीआई	126.98

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा गवेषित 32 ब्लॉकों (खनिखण्डों) के लिए कोल कोर नमूनों से गुण–निर्धारण किया गया। गुणवत्ता मूल्यांकन एवं इसके डाउन स्ट्रीम यूटिलाईजेशन (अनुप्रवाह उपयोग) के लिए कुल 10084 एम को संसाधित किया गया और 22482 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

6.2 कोयला शैलिकी (पेट्रोग्राफी) प्रयोगशाला :

वर्ष 2011–12 के दौरान प्रयोगशाला शुरू की जा चुकी है। 20 गवेषण खनिखंडों से प्राप्त 607 कोयला नमूनों पर एमईएम के जरिए पेट्राग्राफिक अध्ययन, शेष/साइज अध्ययन एवं क्लिट विश्लेषण किया जा चुका है। इसके अलावे बाह्य परामर्शी कार्य के भाग के रूप में 2 कोयला नमूनों का अध्ययन किया गया। वर्ष के दौरान बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल से प्राप्त कच्चे एवं स्वच्छ कोयले के नमूने (वाशरी उत्पाद) का सिस्टेमेटिक गुण–निधारण किया गया। ग्यारवहीं योजना के लिए प्रोमोशनल (उन्नयन) ब्लॉक से प्राप्त कोयला नमूनों पर पेट्रोग्रफिक, क्लीट और मिनरलाइजेशन डाटा पर व्यापक तकनीकी रिपोर्ट सीबीएम के मूल्यांकन के लिए तेयार कर दिया गया। ''कोल कोर विश्लेषण की क्षमता का आगमेंटेशन'' परियोजना के तहत दो आयातित उपकरण प्रयोगशाला के लिए प्राप्त कर लिया गया।

6.3 खनन प्रयोगशाला :

इस वित्तीय वर्ष में खनन प्रयोगशाला का पुनरूद्वार किया गया और लक्ष्य प्रापत करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। खनन प्रयोगशाला को एक प्वाईंट टेस्ट उपकरण और एक स्लैक डयूरोबिलिटि टेस्ट उपकरण प्राप्त हुआ है।

इस अवधि में खनन प्रयोगशाला में 2000 के एन क्षमता का एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की स्थापना की गई। यह कम्प्रेटेंसिव और टेसाइल मोड दोनों में कार्य करता है। इस मशीन की सहायता से रॉक/कोल नमूनों की सभी भौतिक–यांत्रिक गुण–निर्धारण परीक्षण कर सकते हैं और रूफ बोल्ट असेम्बली, रूफ बोल्ट, वायर रोप आदि का टेंसाइल परीक्षण भी कर सकते हैं। यह मार्च माह में कार्य करना शुरू कर दिया है।

इस वर्ष के लिए हमारे लक्ष्य संस्तर नियंत्रण संबंधी कार्य हेतु 15 खान/सीम था और उपलब्धि 21 खान/सीम की थी।

धँसान पूर्वानुमान कार्य के लिए लक्ष्य 3 खान था और उपलब्धि 4 खानों की थी। धँसान गणना कार्य को पूरा कर दिया गया है। लक्ष्य के मुकाबले किए गए कार्य का विवरण इस प्रकार है।

6.3.1 रॉक मेकेनिक्स :

	रॉक टेस्टिंग	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	रॉक/कोल सैम्पल का भौतिक–यांत्रिक गुण–निर्धारण परीक्षण	1500एम	1773.87मी.
2.	आरएमआर अध्ययन के लिए रॉक नमूनों का परीक्षण किया गया	–	21

6.3.2 संस्तर नियंत्रण एवं धँसान :

(i)	आरएमआर और सपोर्ट खाका अध्ययन	15	21
(ii)	कोयला सीमों का विशिष्ट गुरूत्व निर्धारण		
(iii)	केविंग विधि के लिए केपेबिलिटी अध्ययन		

6.3.3 सीमेंट और रेजिन कैप्सूल का परीक्षण :

(i)	रेजिन कैप्सूल परीक्षण	02	07
(ii)	सीमेंट कैप्सूल परीक्षण	04	06

6.3.4 धँसान पूर्वानुमान और गणना अध्ययन

(i)	धँसान पूर्वानुमान	03	04
(ii)	धँसान गणना	–	04

6.4 कोयला प्रीपेरेटरी लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) :

1) बोर होल सीसीएमबीआई–120, 121, 122, 123 वैतरणी वेस्ट ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र का धोवन क्षमता परीक्षण
2) बोर होल सं0 सीटीबी सीएमआईपी–26, 30, 33 एवं 36 गोपालपुर कैम्प, क्षे0सं0 vii का धोवन क्षमता का परीक्षण
3) बोर होल सं0 सीटीबी के–138, 140, 141 एवं 142 बंकुई ब्लॉक की धोवन क्षमता का परीक्षण

6.5 कोयला बेड मिथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला :

वर्ष 2011–12 के दौरान सीबीएम प्रयोगशाला ने 6 बोरहोलों में बोरहोल साइट पर फील्ड डिजॉपर्शन अध्ययन किया है, और पीआरई कोष के तहत कुल गैस की मात्रा तथा गैस संघटक आँकड़ा तैयार किया है। xi योजना तथा वर्ष दोनों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्रापत किए जा चुके हैं तथा सीबीएम से संबंधित मूल्यांकन आँकड़े तैयार किए जा चुके हैं जिससे संसाधनों के मूल्यांकन तथा व्यावसायिक विकास में सहायता मिलेगी।

सीएमपीडीआई ने एडजॉर्पशन आइसोथर्म परीक्षण के लिए सुविधा बनाई है तथा इसे अपने सीबीएम प्रयोगशाला में संस्थापित कर दिया है। यह उपकरण 20 एमपीए दबाव (लगभग 2000 मी. की गहराई तक) के कोयला नमूना का एडजॉर्पशन क्षमता परीक्षण करने में सक्षम है और संभवतः भारत में अपने तरह का पहला है। इस उपकरण की स्थापना से सीएमपीडीआई का सीबीएम प्रयोगशाला सीबीएम को सम्बद्ध पूरी श्रृंखला (रेन्ज) का आँकड़ा तैयार करने क लिए सुसज्जित है। वर्ष 2011–12 में शेल एवं कोयला के 14 नमूनों के लिए एडजार्पशन आईसोथेार्म परीक्षण किया जा चुका है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल की विभिन्न कोलियरियों से प्राप्त 1100 खान वायु नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है तथा परिणाम सौंप दिया गया है। सीबीएम प्रयोगशाला द्वारा संवातन वायु मिथेन गैस सीएमएम आदि के लिए नमूने एकत्रित तथा विश्लेषित किए जा चुके हैं।

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ :

7.1 ईआईए/ईएमपीए

विवेच्य वर्ष के दौरान, पर्यावरण विभाग ने कुल 31 फार्म–1 तैयार किया है तथा 33 ईएमपी का मसौदा बनाया है।

7.2 वायु, जल और ध्वनि की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग :

यदि एक बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय खनन परियोजना के लिए पर्यावरणिक स्वीकृति (क्लीयरेंस) प्रदान कर देता है, तो परिचालन (कार्य) के दौरान परियोजना स्थल पर किए जा रहे प्रदूषण नियंत्रक उपायों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मानिटरिंग करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011–12 के दौरान आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, तालचर तथा राँची स्थित 8 पर्यावरणिक प्रयोगशाला के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 289 परियोजनाओं/संस्थापनों ईसीएल 30, सीसीएल–60 डब्ल्यूसीएल–81, एमईसीएल–80, एनसीएल–13 तथा एमसीएल– 25) की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग की गई।

7.3 ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता :

सीएमपीडीआई को खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र

तथा कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनन एवं खनिज के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्वालिटी कॉन्सिल आफ इंडिया) (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मानद एजेंसी) द्वारा ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में सशर्त मान्यता दी गई है।

7.4 पर्यावरणिक प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन :

आधुनिकतम (स्टेट–ऑफ–दि–आर्ट) पर्यावरणिक मानिटरिंग अपनाने के कार्य के साथ, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर तथा क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर के लिए सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रयोगशाला की योजना का कार्यान्वयन पूरा किया जा चुका है। क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल तथा क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर के लिए सीएमपीडीआई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रयोगशाला की योजना शुरू की गई है और जारी है। जयंत स्थित क्षेत्रीय संस्थान– 6 प्रयोगशाला के उन्यन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और जारी है।

7.5 ब्लॉक-बी परियोजना के लिए एसटीपी :

कॉलोनी के 0.8 एमएलडी सिजेज को उपचारित करने के लिए नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ब्लॉक बी कॉलोनी हेतु सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तथा सिवर नोटवर्क की योजना पूरी की जाती है।

7.6 कोयला खनन परियोजना के लिए खान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) :

विवेच्य वर्ष के दौरान कुल 324 खान बंदी योजनाएँ तैयार की गई हैं।

7.7 फ्लाई ऐश डिस्पोजल के लिए स्थायित्व एवं सुरक्षा का मूल्यांकन :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के जगन्नाथ खान के 7,8,9 परित्यक्त क्वारी का उपयोग कर एमटीपीसी, तालचर के लिए ''प्रस्तावित ओवरबर्डेन अर्थफील बैरियर के लिए स्थायित्व एवं सुरद्दक्षा का मूल्यांकन तथा वर्तमान राख भराई पद्धति पर रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी गई है।

7.8 ढाल स्थायित्व/मृदाक्षरण नियंत्रण उपाय :

खुली खानों के लिए ढाल स्थायित्व आवश्यकता तथा मृदाक्षरण नियंत्रण की आवश्यकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण एवं वन स्वीकृति (क्लीयरेंस) का एक शर्त है। तद्नुसार 6 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाईवाल के अल्टिमेट स्लोप ऐंगल के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, सीसीएल परियोजनाओं के 10 मृदाक्षरण नियंत्रण अध्ययन को भी पूरा कर लिया गया।

7.9 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह :

5 जून, 2011 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई कार्यक्रर्म जैसे : बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अतिथि का व्याख्यान आदि आयोजित किए गए।

सीएमपीडीआई (मु.) परिसर के आवासीय क्वार्टरों के लिए वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हारवेस्टिंग) की योजना तैयार की गई है। इस योजना की नींव का पत्थर 5 जून, 2011 को (विश्व पर्यावरण दिवस के दिन) को रखा गया।

7.10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना :

जून, 2011 में 684 लाख रूपये की लागत वाली कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित '' खान रिक्ति पुनरूद्वार के लिए फ्लाई ऐश गुण निर्धारण'' नामक परियोजना पूरी की जा चुकी है।

7.11 तकनीकी आलेख :

निम्नलिखित 3 आलेख तैयार कर प्रस्तुत किए गए :

- श्री ए.के.देवनाथ, एस शेखर, रवि रंजन ''माइन क्लोजर वल्ड बैंक अप्रोच विज : ए विज इंडियन कंटेक्स्ट'' जनरल आफ माइन्स, मेडल एंड फ्यूएल द्वारा 27–28 मई 2011 को कोलकाता में आयोजित '' प्लानिंग फार माइन क्लोजर : इमर्जिंग चैलेन्जेज''।
- ए.के.देवनाथ, जे.के.गोयल, बी.दयाल, वी. अरोड़ा ''इको फ्रेन्डली माइनिंग– कोल इंडियाज इंनीसिएटिव्स'' 11–16 सितम्बर, 2011, 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस, उत्सानबुल, टर्की।
- एस. शेखर, ए.के.पति, जी शाहिद, मोनिका अग्रवाल ''ग्रीन माइनिंग प्रौक्टिस बाई सीआईएल'' इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ मेटापन, कोलकाता क्षरा 16 सितम्बर, 2011 को आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार कार्यवाही में प्रकाशित'' प्राबलेम एंड प्रोस्पेक्टस आफ माइनिंग मेटल्स, पावर इनर्जी सेक्टर्स''।

8.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

क्रिया कलाप /पूरे किए गए कार्य :

1. पूरे सीएमपीडीआई में 800 से अधिक ग्राहकों को सहायता करने वाला विडियो, आवाज तथा डाटा संचार (प्रेषण) के लिए क्षेत्रीय संस्थानों के साथ सीएमपीडीआई(मु) का एमपीएलएस–पीपीएन वाइड एरिया नेटवर्क/ 5 टीवी का एसएएन स्टोरेज वाला

6 एचपीब्लेड सर्वर तथा टेप लाइब्रेरी का बैक अप सुविधा एवं 800 से अधिक डेस्क टॉप पीसी, ए.साइज कलर प्लोटर्स एवं स्कैनर मिलाकर सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता बढ़ाई गई।

2. नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने तथा बाहरी एवं आंतरिक जोखिम (थ्रेड) से बचने के लिए मुख्यालय, राँची तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों में यूनिफायड थ्रेड मैनेजमेंट लगाया गया है।
3. डाटा में एकरूपता तथा संपूर्णता प्राप्त करने के लिए पूरे सीएमपीडीआई नेटवर्क के इन अपुप्रयोगों (अप्लीकेशन्स) के उपयोग करने वाले प्रयोक्ता के लिए एमपीएलएस नेटवर्क के आर.पार (एक्रोस) माइनेक्स, ओटोकैड, गैलेन्डा तथा एन्टीवायरस के लिए नेटवर्क लाइसेंस उपलब्ध करा दिया गया है।
4. एमसीएल के वेबसाइट का विकास एवं रख–रखाव
5. मुख्यालय, राँची तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों में एमपीएसस–वीपीएम पर चलने वाले (रनिंग) कोल नेट साफ्ट वेयर का उपयोग कर पे रोल।
6. सेंट्रल ड्रिलिंग स्टोर बरकाकाना को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके तहत सभी क्षेत्रीय संस्थानों तथा कम्पों के पास सामग्रियों की जानकारी उपलब्ध है।
7. ड्रिलिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली को चालू किया गया है जिसके तहत कैम्पों से ड्रिलिंग मिटरेज डाटा प्राप्त किए जा रहे हैं।
8. बीसीसीएल तथा एमसीएल में हार्डसर्वर समेकन (कन्सेलिडेशन) पर तकनीकी रिपोर्ट के लिए परामर्शी सेवाएँ पूरी कर ली गई हैं।
9. ऑन लाइन कार्य विवरण को सरल बनाने के लिए दिसम्बर, 2010 में लाँच किए गए बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए ऑन लाइन अधिकारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) को और संवर्धित किया गया है।

चालू कार्य :

ईआईएस अप्लीकेशन का प्रयोग विगत एक वर्ष से मुख्यतः सीआईएल में डीपीसी से संबंधित आवश्यकता में सहायता के लिए प्रयोग में लाया गया है। साथ–ही–साथ यह अप्लीकेशन नीति में परिवर्तन से उत्पन्न जटिलताओं कोपता लगाने के लिए ट्रांन्जेक्श्न से संबंधित मामले को एड्रेस करता रहा है। इस अप्लीकेशन को इन्टरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाले पब्लिक नेटवर्क पर सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूजर आयेन्टिकेशन मेकानिज्म संपूर्णताः ओराकल सिक्यूरिटी पर आधारित है।

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली :

1. कोल इंडिया आरएंडडी के रूप में निधि प्राप्त परियोजना सीएमपीडीआई परिसर में ई–लाइब्रेरी की स्थापना की गई है जिसमें कोयला खनन उद्योग के बारे में कई तरह की जारकारी तक पहुँचने के लिए कोल इंडिया के कर्मचारियों को सिंगल प्वाइन्ट सर्च ईंजन उपलब्ध कराया गया है। जानकारी (सूचना) हस्तांतरण तथा कोयला खनन तक पहुँच (एसेस) बनाने की क्षमता में वृद्धि के लिए वेब सक्षम सूचना केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित सीएमपीडीआई में ई–सूचना केंद्र कोयला खान पर एकत्रित सूचना तक तत्काल पहुँच बनाने की दिशा में एक कदम है।
2. वर्ष 2011–12 के दौरान, इन्टरनेट पर कोल इंडिया के अधिकारियों तक पहुँच बना दिया गया है। ई–पुस्तकालय अब कोल इंडिया वेबसाइट तथा सीएमपीडीआई के वेब साइट पर लिंक के जरिए उपलबध है। तकनीकी पत्रिका माइनटेक के पुराने अंक अब ई–पुस्तकालय में उपलबध है।
3. सीएमपीडीआई एक प्रमुख तकनीकी पत्रिका माइनटेक प्रकाशित करता है जिसे अब कोल इंउिया लिमिटेड द्वारा पत्रिका के प्रकाशन तथा अपनी सभी कोयला खानों में वितरण के लिए वित्तीय सहायता की जाती है। इस पत्रिका की 2000 (दो हजार) प्रतियाँ प्रति तिमाही प्रकाशित की जाती है तथा यह पूरे देश के कोयला खनन उद्योग, प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं के जरिए पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है। इस पत्रिका के लिए विदेशों से भी अंशदान प्राप्त होता है। इसकी साफ्ट कॉपी अब ई–पुस्तकालय के जरिए पूरे कोल इंडिया के पाठकों को उपलब्ध है।

4. सीएमपीडीआई हिन्दी में त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका ''देशकाल सम्पदा'' भी प्रकाशित करता है। इस पत्रिका को हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है
5. सीएमपीडीआई तकनीकी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इसने सीबीएम पर हिन्दी में ''कोल बेड मिथेन : एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत'' कोल बेड मिथेनः ''क्लीन इनर्जी सोर्स'' नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है। इस पुस्तक का उद्देश्य जिओ साइन्स तथा पर्यावरण के स्नातक एवं

स्नातकोत्तर के छात्रों के शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के अतिरिक्त आम जनता में सीबीएम के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करता है। यह पुस्तक देश में सीबीएम/सीएमएम के क्षेत्र में हिन्दी में प्रकाशित पहली पुस्तक है। भूमिगत खानों में सुरक्षा में सुधार लाने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भूमिगत थम्हाल डिजाइन परहिन्दी में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है। इसमें भूमिगत खानों में थम्हाल डिजाइन में प्रयुक्त नवीनतम तकनीक पर विचार किया गया है।

9.0 विशेषज्ञ सेवाएं :

9.1 जियोमेटिक्स :

सीएमपीडीआई भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, भू–संरचनात्मक मानचित्रण, विद्युत स्टेशनों का स्थल निर्धारण, वाशरी के सुदूर संवेदन तथा सर्वेक्षण, भूमि तथा वनाच्छादन के लिए पर्यावरणिक बेस लाइन डाटा सृजन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण तथा ओ.बी.माप, भूमिगत खान सह–संबंध सर्वेक्षण आदि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है।

9.1.1 सुदूर संवेदन :

वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए जा चुके हैं/पूरे किए जा रहे हैं :

1. वर्ष 2011–12 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों की 75 मि.घ.मी. उत्पादन क्षमता (कोयला.ओबी) वाली कुल 50 खुली खान परियोजना तथा < 5 मि.घ.मी. उत्पादन श्रमता वाली 37 खुली खान परियोजना का भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य पूरा कर लिया गया।

2. सुदूर संवेदन तथा जीआईएस पर आधारित 1:50000 पैमाने पर भू–पर्यावरणिक डाटाबेस तैयार करने लिए कोलफील्डसों का भू–उपयोग/वनाच्छादन मानचित्रण तीन वर्ष के नियमित अंतराल पर भू–उपयोग/वनाच्छादन मानचित्र पर खनन के क्षेत्रीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोलफील्ड्सों का भू–अभियंत्रण डाटा बेस तैयार करने के हेतु उपग्रह आँकड़े पर आधारित 5 कोलफील्ड्सों यथा उमरेर, पंच–कान्हा, राजमहल, रानीगंज तथा सोहागपुर का भू–उपयोग/वनाआच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

3. **खनन परियोजनाओं के क्षेत्र तथा बपुरर्जान का भू-उपयोग मानचित्रण :**

   ईएमपी के लिए बेस लाइन डाटा तेयार करने हेतु विभिन्न सहायक कंपनियों की 17 खनन परियोजनाओं के कोर तथा बफर जोन का भू–उपयोग मानचित्रण पूरा कर लिया गया है।

4. **बाह्य परामर्श :**

   (1) सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथिरिटी, ऊर्जा मंत्रालय के लिए विवेच्य वर्ष के दौरान सुदूर संवेदन तथा जीआईएस के आधार पर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में ताप विद्युत गृह के लिए स्थल संभावित स्थल का चयन पूरा कर लिया गया है।

   (2) मेसर्स जेएमडब्ल्यू के लिए रोहने ब्लॉक, नार्थ कर्णपूरा कोयला क्षेत्र के फोर एवी बफर जोन का भू–उपयोग मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

5. **स्थलाकृतिक मानचित्रण :**

   सर्वे आफ इंडिया के सहयोग से सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित 2 मीटर कंटूर अंतराल के साथ 1:5000 पैमाने पर 27 बड़े कोयला क्षेत्रों का स्थलाकृतिक मानचित्रण का कार्य जारी है। चरण–1 के 10 कोयला क्षेत्रों का वायवीय फोटोग्राफी पूरा किया जा चुका है तथा मानचित्र तैयार किया जा रहा है। शेष 17 कोयला क्षेत्रों के लिए चरण–।। वायवीय फोटोग्राफी अप्रैल–जून, 2012 में निर्धारित किया गया है।

9.1.2 सर्वेक्षण कार्य :

वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा पूरे किए गये सर्वेक्षण कार्य इस प्रकार है :

1. कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों की खुली खानों का नियमित ओबीआर चेक मेजरमेंट (आउट सोर्सिंग सहित खानों की संख्या– 60।
2. जैतारण, पाली, राजस्थान में अल्ट्राटेक सीमेंट के खनन पट्टे वाला क्षेत्र का स्थलाकृति सर्वेक्षण कार्य।
3. ऑबजर्वेशन ऑफ इनीशियल, हेसागोरा आउटसोर्सिंग पैच, कुजू क्षेत्र, सीसीएल का आरएल।
4. ऑवजर्वेशन ऑफ इनीशियल, ढोरी आउटसोर्सिंग पैच, ढोरी क्षेत्र, सीसीएल का आरएल।
5. मेसर्स मेस्को स्टीट के टॉडसी III विस्तार कोयला ब्लॉक में डीजीपीएस सर्वेक्षण।
6. बीसीसीएल क्षेत्र, आईसीआरआईएस परियोजना में बेस लाइन स्टेशन स्थापित करने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण ।
7. आईसीआरआईएस परियोजना के तहत एनसीएल में सर्वेरेफरेन्स प्वाइन्ट को सिंगल ओरिजिन पर लाने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण।

8. आईसीआरआईएस परियोजना के तहत ईसीएल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में सर्वेरेफरेंस प्वाइन्ट को सिंगल ओरिजिन पर लाने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण।
9. तालचर, ईब घाटी, वसुंधरा तथा गर्जनबहल क्षेत्र, एमसीएल में फारेस्ट पीलर पर कोआर्डिनेटों की जांच के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण।
10. सोनपुर बाजारी कैम्प तथा प्रगति कैम्प, ईसीएल में ट्रावर्स सर्वे।
11. वसंत विहार, अपोलो अस्पताल, एसईसीएल के लिए भू–तल सर्वेक्षण।
12. एनसीएल की खानों का डम्प प्रबंधन–7वीं माप
13. क्षेत्रीय संस्थान–I, II, III, IV, V, VI एवं VII, में प्रस्तावित बीएच लोकेशन सर्वे क्रमशः 114, 3 कैम्प, 200, 4 कैम्प, 1 कैम्प तथा 128 है।
14. क्षेत्रीय संस्थान– I, II, III, IV, V, VI, एवं VII, द्वारा बीएच कोआर्डिनेट सर्वे क्रमशः 62, 3 कैम्प, 150, 4 कैम्प, 1 कैम्प तथा 61 है।
15. अपशिष्ट की मापः– बिना खुली खान परियोजना (डिस्चार्जच्यूट के बगल में), एनसीएल–12वीं माप।
16. क्षेत्रीय संस्थान– I, II, III, IV, V, VI, एवं VII में प्रस्तावित बीएच लोकेशन सर्वेक्षण क्रमशः 114, 3 कैम्प, 200, 4 कैम्प, एक कैम्प और 128 हैं।
17. क्षेत्रीय संस्थान– I, II, III, IV, V, VI, एवं VII, द्वारा बीएच कोडिनेट सर्वेक्षण क्रमशः 62, 3 कैम्प, 150, 4 कैम्प, 1 कैम्प और 61 हैं।
18. विभिन्न कोयला कंपनियों में एनुअल कोल स्टॉक मेजरमेंटः–कोल इंडिया के दिशा–निर्देश के अनुसार।

	नियमित ओवीआर सर्वेक्षण		**ओसी पैच**		**गवेषण**	**विविध**
	खानों की संख्या	**सर्वेक्षणों की संख्या**	**पैचों की संख्या**	**सर्वेक्षणों की संख्या**		
मुख्यालय एसएंडडी विभाग	16	16	2	2	–	1. जैतरण, पाली, राजस्थान में अल्ट्राटेक सिमेंट के खनन, पट्टे वाला क्षेत्र का स्थालाकृतिक सर्वेक्षण। 2. इनीशियल का आवजर्वेन्स हेसागोरा आउटसोर्सिंग पैच, कुजू क्षेत्र सीसीएल। 3. आबजर्वेस ऑफ इनीशियल ढोरी आउटसोर्सिंग पैच, ढोरी क्षेत्र,सीसीएल। 4. मेसर्स मेस्को, स्टील के टॉडसी–3 एवं टॉडसी–3 वि. ब्लॉक में डीजीपीएस सर्वेक्षण 5. बीसीसीएल क्षेत्र, आईसीआरआईएस परियोजना में बेस स्टेशन स्थापित करने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण। 6. आईसीआरआईएस परियोजना के तहत एनसीएल में सर्वे रेफरेन्स प्वाइन्ट को सिंगल ओरिजिन तक लाने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण 7. आईसीआरआईएस परियोजना के तहत रानीगंज कोयला क्षेत्र, ईसीएल में सर्वे रेफरेंस प्वाइन्ट का सिंगल ओरिजिन प्वाइन्ट पर लाने के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण। 8. तालचन, ईब घाटी, वसुंधरा एवं गर्जनबहल क्षेत्र, एमसीएल में फॉरेस्ट पिलर पर को–आर्डिनेट्स की जाँच के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण।

क्षे.सं.–1	3	3	21	21	बीएच कोआर्डिनेट सर्वे (62) प्रस्तावित बीएच बीएच लोकेशनः 114	1. सोनपुर बजारी कैम्प एवं प्रगति कैम्प में सिविल कार्य का सर्वे 2. नारायणकुरी, माधवपुर एवं बंसरा सियरसेल में ट्रावर्स सर्वेक्षण।
क्षे.सं.–III	–	–	10	19	3 कैम्पों में बोर होल सर्वेक्षण	–
क्षे.सं.–IV	11	11	–	–	कोआर्डिनेट सर्वे 150 बीएच बीएच लोकेषन–200	1. शक्तिगढ़ तथा पिम्पल गाँव
क्षे.सं.–V	5	5	14	14	1 कैम्पों में बोर होल सर्वेक्षण	वसंत बिहार, अपोलो अस्पताल के लिए भूतल सर्वेक्षण
क्षे.सं.–VI	8	65	–	–	1 कैम्प में बोर होल सर्वेक्षण	1. एनसीएल खानों का डम्प सर्वेक्षण 7 माप 2. बीना ओसीपी (डिस्चार्जच्यूट के बगल में), एनसीएल में अपषिश्ट की मॉप–12
क्षे.सं.–VII	6	6	5	8	बीएच कोआर्डिनेट सर्वेक्षण (61)	

9.2 विस्फोटन :

सीएमपीडीआई ने नियंत्रिण विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन, विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का परीक्षण, एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के लिए विखण्डन मूल्यांकन एवं उन्नयन अध्ययन के क्षेत्र में मूल्य संवर्धित सेवा देने में तकनीकी विशेषज्ञता एवं क्षमता का विकास को बढ़ाया है। इसके पास जटिल विस्फोटन समस्याओं जैसे नई प्रौद्योगिकी/अवधारणा के समावेशन, कास्ट ब्लास्टिंग, विस्फोटन द्वारा इन्ड्यूस्ड केबिंग, हॉट स्ट्राटा में विस्फोट, संरचनात्मक विघटन की समस्या को सुलझाने में इसके पास सुरक्षित आधार है। इसके अतिरिक्त, विस्फोटन के क्षेत्र में कोल इंडिया द्वारा निधिकृत गर्म संस्तर अनुसंधान एवं विकास परियोजना का कार्य़ान्वयन भी किया जा रहा है। सीएमपीडीआई हाइस्पीड कैमरा, इन–द होल बीओडी मॉप एवं विखण्डन मूल्यांकन के डाटा ट्रैप–।।, उच्च तीव्रता ओस्कीलोस्कोप तथा साफ्टवेयर जैसे वीप फ्रैग, वीपज्वायन्ट, जे के सीम ब्लास्ट, एमआईडीएएस, जीओएमओएस एवं एमीरा, ब्लास्टवेयर, लिसकार्ड एंड बीआईएमएस जैसे स्टेट आफ आर्ट इक्वीपमेंट से सुसज्जित है।

वर्ष 2011–12 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों एवं बाहरी एजेंसियों को निम्नलिखित तकनीकी सेवाएँ दी गई :

- नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन– बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल की 5 खानों तथा उषा मार्टिन प्रा0 लि
- विस्फोटन पारामीटर का अनुकूलन तथा पावडर फैक्टर अध्ययन का उन्नयन – बीसीसीएल, सीसीएल, एनसीएल तथा एमसीएल की 10 खानें।
- रैण्डम प्रातिचयन तथा विस्फोटकों एंड सहायक सामग्रियों का परीक्षण–सीसीएल, बीसीसीएल, इनईसी तथा निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन।
- एसएमई विस्फोटकों का समावेशन–एमसीएल की 1 खान
- नए विस्फोटकों का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन–मेसर्स ए के एस एक्सपो–केम प्रा0 लिमिटेड, मेसर्स केल्टेक एनर्जी लि0, मेसर्स इकॉनामिक एक्स्प्लोसिव प्रा0 लि0, मेसर्स प्रीमियर एक्स्प्लोसिव लि0 तथा मेसर्स एशियन फ्यूजेज प्रा0 लि0।
- डिजिटल इमेज विश्लेषण, एनसीएल की 5 खानें।

वर्ष 2011–12 के दौरान कार्यान्वित की जा रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

1. दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुणे के सहयोग से कोयला खानों के ओवर बर्डेन में विस्फोटन के लिए लो डेन्सिटी पोरस प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट सहित ए एन एफ ओ की तकनीकी व्यावसायिक दक्षता का अध्ययन।
2. एनआईटीके सुरथकल के सहयोग से विस्फोटन ऊर्जा पर आधारित विस्फोटक/विस्फोटन परिणामों का कार्य–निष्पादन।

3. आईआईटीके, खड़गपुर तथा सेल (आरडीसीआईएस) के सहयोग से ब्लास्ट इन्ड्यूस्ड डायनेमिक लोडिंग के तहत् डेवलॉपमेंट तथा डिपिलरिंग पैनलों में बोल्ट विहैवियर की जाँच।
4. आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में प्रयुक्त विसफोटकों एवं सहायक सामग्रियों का परीक्षण रैण्डम सेम्पलिंग एवं परीक्षण करने के लिए स्वदेशी उपकरण का विकास।

9.3 खनन इलेक्ट्रानिक्स :

भूमिगत एवं खुली खानों में संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए सीएमपीडीआई, संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में सहायता देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में प्रयुक्त मिथेन गैस संसूचक (डिटेक्टर) की मरम्मत एवं अंशशोधन (कैलिब्रेशन) के साथ–साथ आयातित/स्वदेशी एचईएमएम कार्डों की मरम्मत करने में अनुषंगी कंपनियों को मूल्यवान सहायता देता है। आरएंडडी/एसएंडटी परियोजनाएँ भी बनाई जाती हैं। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए।

9.3.1 रिपोर्ट/योजना/एनआईटी की तैयारी :

1. मुसलिया कोलियरी, ईसीएल की पर्यावरण टेली मॉनिटरिंग प्रणाली के लिए एनआईटी पूरी की जा चुकी है।
2. चुरी भू0ग0खान, सीसीएल में "भूमिगत खान के कन्वेयर एवं अन्य उपकरण के लिए पीएलसी आधारित समेकित नियंत्रण एवं मानिटरिंग प्रणाली का स्वदेशी विकास" पर सीआईएलएसएंडटी परियोजना।
3. भुरकुण्डा कोलियरी, सीसीएल में "दबे हुए (ट्रैप्ड) भूमिगत माइनर्स– से सम्पर्क करने तथा पता लगाने के लिए समेकित संचार प्रणाली" पर कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना संस्थापित है तथा सतत क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है।
4. "अंडरग्राउण्ड ट्रैप्ड माइनर लोकेशन सिस्टम"–प्रोटो टाइप एमसीडी एवं अप्लीकेशन साफ्टवेयर इन्टीग्रेशन पर सीआईएल आरएंडडी परियोजना पूरी की जा चुकी है। झांझरा खान, ईसीएल में क्षेत्र परीक्षण के लिए डीजीएमएस की अनुमति ली जा रही है।
5. कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों की परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 26 भूमिगत तथा खुली खान परियोजना हेतु इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार पर अध्याय तैयार की जा चुकी है।

9.3.2 इलेक्ट्रॉनिक कार्डों/गैस मॉनीटर की मरम्मत/अंशशोधन (कैलिब्रेशन)/परीक्षण :

1. एचईएमएम कार्ड की मरम्मत : 178
2. मिथेनोमीटर की रिपेयरिंग एण्ड कैलिब्रेशन : 83

9.4 कोयला प्रौद्योगिकी :

अ. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

1. कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाओं के लिए एसएंडटी विभाग को तकनीकी सहायता
2. कोयला प्रौद्योगिकी/उपयोग से संबंधित मुद्दों पर कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड को तकनीकी सेवाएँ।

आ. निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

"कोयला से तरल (सीटीएल) में बदलने की प्रौद्योगिकी" का प्रायोजिक पैमाना अध्ययन के जरिए स्वदेशी उत्प्रेरक का विकास' प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सीआईएमएफआर के साथ कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य।

9.5 प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ (मैनेजमेंट सिस्टम कंसल्टेंसी) :

सीएमपीडीआई में 1998 में अपनी सेवाओं में विविधता लाते हुए इसका प्रसार प्रबंधन प्रणाली तक किया है। अब यह सभी तरह के प्रबंधन परामर्श सेवाएँ देता है, जिसमें आईएसओ 9001, गुणता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस), ओएचएसएएस 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएएस), आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस), आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) एसए 8000 सामाजिक दायित्व प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस), अन्य प्रबंधन तकनीक जैसे सिक्स सिगमा तथा आईएसओ 9001 का अद्योग सापेक्ष रूपांतरण जैसे आईएसओ 17025, आईएसओ 16949 आदि शामिल है।

सीएमपीडीआई इस तरह का सभी परामर्श या तो विशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मानक या समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के जरिए देता है, जो साथ–ही–साथ विभिन्न संयोजनों (कम्बिनेशन) के तहत अपेक्षा के अनुरूप हो।

इस तरह के परामर्श क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. प्रबंधन प्रणाली का सृजन एवं प्रलेखन
2. प्रशिक्षण एवं अंकेक्षण सहायता देना

3. प्रारंभिक कार्यान्वयन एवं प्रमाणन सहायता और
4. प्रमाणोंत्तर सहायता/मूल्यांकन आदि।

9.5.1 कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्श :

कोल इंडिया लिमिटेड में इस तरह के सभी कार्यों के लिए नोडल संगठन होने के नाते सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों की विभिन्न खानों, अस्पतालों, कर्मशालाओं, वाशरी, प्रशिक्षण संस्थानों आदि में आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001 तथा एसए 8000 के लिए 306 प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त एनसीएल को इस तरह की प्रबंधन प्रणाली, जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001 तथा एसए 8000 का 4 कंपनी स्तर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में सुविधा दिया गया है। इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करने वाली विश्व की पहली खनन कंपनी बन गई है।

9.5.2 वर्ष 2011-12 के दौरान पूरे किए गए कार्य :

विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 1.13 करोड़ रूपये के प्रबंधन प्रणाली परामर्श कार्य पूरा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कुल 101 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन – आईएसओ 9001 के 45 (27 पुनर्प्रमाणन तथा उन्नयन सहित), आईएसओ 14001 के 50 (28 पुनर्प्रमाणन सहित), तथा ओएचएसएएस 18001 प्रमाणन के 6 कार्य प्राप्त किए गए।

इस परामर्श के तहत विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई ने 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए भी परामर्शी सेवाएँ शुरू की हैं। आईएसओ 27001 तथा आईएसओ 50001 के अनुसार एनसीएल के लिए कंपनी स्तरीय समेकित प्रबंधन प्रणाली का प्रलेखन तथा प्रचालन (इश्यू) सेंटर और इसे कंपनी के वर्तमान आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001 तथा एसए 8000 प्रणाली में समेकित करना, देश में पहला इस तरह का उल्लेखनीय प्रयास रहा।

विवेच्य वर्ष के दौरान एमसीएल की 21 कोयला खानों (14 खुली खान तथा 7 भूमिगत खान) के लिए आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 14001 हेतु समेकित प्रमाणन अंकेक्षण भी इस बड़ी संख्या में कोयला कंपनियों का पहला इस तरह का व्यापक प्रमाणन था जो सीएमपीडीआई के द्वारा इस तरह के परामर्शी कार्य के तहत किया गया।

9.5.3 चालू कार्य :

वर्तमान में, सीएमपीडीआई 15 करोड़ रूपये मूल्य का प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ दे रहा है। यह कोल इंडिया लि. के विभिन्न संगठनों में आईएसओ 9001, आईएसओ–14001, ओएचएसएएस 18001 तथा आईएसओ 27001, आईएसओ 5001 तथा एसए–8000 के तहत 125 नये प्रमाण–पत्र के लिए या इस तरह के अन्य 103 प्रमाणन के लिए कार्य जारी है, जिसमें सभी बड़ी खुली कोयला खनन परियोजनाएँ कुछ बड़ी भूमिगत खानें, कई अस्पताल, तथा एचईएमएम कर्मशालाओं तथा कुछ कंपनी स्तरीय प्रमाणन शामिल है।

10. सामग्री प्रबंधन :

10.1 स्क्रैप एवं परित्यक्त (ॲबसोलिट) मदों का निपटान :

विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा सुपुर्द अनुमोदित सर्वेऑफ रिपोर्ट के आधार पर नियमित रूप से स्क्रैप एवं परित्यक्त मदों का निपटान किया जाता है। कंपनी ने मेसर्स एमएसटीसी के साथ विक्रय एजेंसी करार किया है जिससे ई–ऑक्शन के जरिए इस तरह के मदों को ऑन लाइन निपटान आसान हो गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान वार्षिक लक्ष्य 150 लाख रूपए मूल्य के मुकाबले 153 लाख मूल्य के स्क्रैप एवं परित्यक्त मदों का निपटान किया गया।

10.2 वस्तु-सूची नियंत्रण :

विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा विभिन्न स्थलों पर 55 ड्रिल लगाए गए हैं। इन ड्रिलों के परिचालन के दौरान उपभोग्य सामग्री जैसे ड्रिल रड, कोर बैरेल, ड्रिल बिट, टीसी बीट आदि की नियमित आवश्यकता पड़ती हैं इसलिए सतत् परिचालन के लिए इन मदों का पर्याप्त भंडार रखना पड़ता है। वस्तुसूची नियंत्रण के एक भाग के रूप में वस्तु–सूची के निर्माण को रोकने के लिए उपभोग्य सामग्रियों के चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश जारी किए जाते हैं। 31.03.2012 के अनुसार वस्तुसूची का मूल्य 648. 00 लाख रूपये था जिसमें मुख्यतः ड्रिल रड, केसिंग, ड्रिल बिट, कोर बैरेल, टंगस्टन कारबाइड बीट इत्यादि शामिल हैं। इस वस्तु–सूची में वर्ष 2011–12 के दौरान फ्लिट में शामिल किए गए 2 हाइड्रोलिक ड्रिल की सहायक सामग्री तथा उपभोग्य भी शामिल है। सामग्रियों के फ्रेश लॉट की आपूर्ति के पहले इस इन्वेटरी का यथा समय उपयोग कर लिया जाएगा।

10.3 विभिन्न प्रयोगशाला मद से संबंधित प्राप्ति :

सीएमपीडीआई की योजना के अनुसार मुख्यालय में अतिरिक्त परीक्षण करने के लिए कोयला परिष्करण प्रयोगशाला का विस्तार किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान 17 नये उपकरण शामिल किए गए हैं जिससे नये कार्य करने में सीपी प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ी है।

10.4 ड्रिलिंग से संबंधित सामग्रियों की खरीद :

सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय पर ड्रिलों, इसकी सहायक सामग्रियों तथा उपभोग्य सामग्रियों की समय पर खरीद जरूरी है। इन आइटमों के लिए प्राप्त सभी इंडेंट को यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है कि क्षेत्रीय संस्थानों के पास न तो ड्रिल की कमी हो और न ही कंज्यूमेबुलों की, जिससे ड्रिलिंग कार्य बाधित न हो। क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित मदों को समय पर उपलब्ध कराया गया। इसलिए किसी भी ड्रिलिंग कैम्प से उनकी आवश्यकताओं को पूरा न करने संबंधी किसी तरह की शिकायत का उदाहरण भी नहीं है। सतत परिचालन को ध्यान में रखकर इन मदों का पर्याप्त भंडार रहा।

10.5 ड्रिलिंग मशीनों की खरीद :

वर्ष 2011–12 के दौरान वर्तमान ड्रिलों के सर्वे ऑफ के कारण 11 यांत्रिक ड्रिलों तथा 2 हाईड्रोलिक ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया। गत वित्तीय वर्ष के दौरान इनमें से 5 यांत्रिक ड्रिल तथा दो हाईड्रोलिक ड्रिल प्राप्त कर लिए गए तथा विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में लगा दिए गए। शेष 6 यांत्रिक ड्रिल डिलिवरी शिड्यूल के अनुसार 2012–13 में प्राप्त कर लिए जाएंगें।

10.6 ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम :

ई–प्रोक्यूरमेंट को पूरी तरह स्वीच ओवर करने के लिए एक रोड मैप सीएमपीडीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष पेश किया गया। जैसा कि बोर्ड को सूचित किया गया, सीएमपीडीआई ने ई–प्रोक्यूरमेंट प्रणाली को स्वीच ओवर किया है तथा ई–निविदा के जरिए लगभग 90 प्रतिशत निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

11.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को जानकारी दी गयी :

महत्वपूर्ण क्षेत्र	एसटीसी	आईआईसीएम	बाहरी	विदेश में	कुल
प्रबंधकीय	97	53	3	–	153
तकनीकी / कार्यकारी	572	166	89	20	847
क्रॉश फंक्शनल	495	129	69	–	693
कुल	**1164**	**348**	**161**	**20**	**1693**

निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया :

विदेश में प्रशिक्षण :

वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआई के कुल 20 अधिकारियों ने सेमिनार / सम्मेलन / प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए विदेश का दौरा किया।

बाहरी प्रशिक्षण :

प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, सिंपोजियम आदि में भाग लेने के लिए काफी संख्या में अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों में / जगहों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष 161 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारत के कई जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसका नामांकन प्रायः मुख्यालय के विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय संस्थान के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा किया जाता है तथा अनुमोदन कम्पनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक / निदेशक द्वारा किया जाता है।

कुछ वैसे विषय, जिस पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन आदि में भाग लिया, की सूची नीचे दी गई है :

- प्रभावकारी पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन के जरिए सशक्त स्टेट होल्डर पर्यावरण का निर्माण
- एनआईपीएम का तीसवां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन
- प्राकृति आपदा मूल्यांकन के लिए हाई रिज्योलूशन इमेज एनालिसिस पर तीसरा विशेष लघु पाठ्यक्रम
- ईआईए परामर्श संगठन के लिए मान्यता योजना
- खान सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी में प्रगति
- एपीपी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- टनेल, कैवर्न तथा स्लोप के लिए म्यूमेरिकल मॉडलिंग का अनुप्रयोग
- एशियन माइनिंग काँग्रेस
- एसोचेम पोस्ट बजट सेमिनार
- प्रत्यक्ष कर कोड पर जागरूकता कार्यक्रम
- बदलते आर्थिक वातावरण में विजनेस डायनेमिक्स
- कारपोरेटों के लिए बिजनेस क्विज : उदान 2011
- चैलेन्ज इन माइनिंग इन्डस्ट्री फोकस एनालिसिस एंड सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमें फॉरसस्टेनेबुल डेवलॉपमेंट
- कोयला परिष्करण (प्रिपरेशन) सिद्धांत एवं संयंत्र कार्य
- निगमित शासन

- डिजिटल फोटोग्रामेंट्री एवं सुदूर संवेदन
- भवन/सड़क का कारगर गुणवत्तापूर्ण तथा निरोधात्मक रख–रखाव तथा मरम्मत
- खनन क्षेत्र में पर्यावरणिक मुद्दे–कानूनी एवं संविधिक आवश्यकताएँ
- सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीएसआर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- खान पोर्टे तथा संयंत्रों में वल्क सामग्रियों का परिवहन हैंडलिंग पर एक्जीक्यूटिव विकास कार्यक्रम
- सार्वजनिक क्षेत्र में महिला फोरम
- जेम काम माइनेक्स कोल वासेबिलिटी मोड्यूल
- जिओ स्पाशियल फोरम 2012
- ग्रीन बीज क्विज प्रतियोगिता
- भूमिगत जल रेगुलेशन एवं कंट्रोल व्यावसायिक सफलता के लिए एचआर हस्तक्षेप
- पीएस/पीए कार्यलयी कर्मचारी का सॉफ्ट स्किल उन्नयन
- प्रेरणात्मक नेतृत्व
- हाइड्रो कार्बन रिजव्वायर के लिए जिओ इंजीनियरिंग वर्क फ्लो समन्वयन
- भूमिगत कोयला खनन प्रणाली पर ब्रिटिश आउट वार्ड माइनिंग मिशन टू इंडिया के साथ इंटरएक्विट सेसन
- कोयले की धुलाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार–सतत– (सस्टेनेबुल) निगमित विकास प्राप्त करना : प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में नई सीमा की खोज
- प्रयोगशाला प्रबंधन कार्य (प्रैक्टिस) (गुणवत्ता जागरूकता एवं प्रयोगशाला अंकेक्षण)
- आईएस : 800–2007 पर आधारित इस्पात संरचनाओं के डिजाइन के लिए लिमिट स्टेट मेथड, इस्पात में सामान्य निर्माण के कार्य संहिता (तृतीय संस्करण)
- प्रबंधन पाठ्यक्रम का प्रबंधन
- भूमिगत जल के लिए मैथेमेटिकल मॉडल
- अभियंत्रण परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन
- लेखागत पेशा में उभरते रूझान पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- खनन धातु, बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं एवं संभावनाओं पर राष्ट्रीय सेमिनार
- कोयला बिजली एवं सम्बद्ध क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता संवर्धन पर सेमिनार
- राष्ट्रीय सेमिनार : आगामी भावी चुनौतियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा (ईएसएफ 2011)
- सीबीएम की रूप–रेखा निर्धारण एवं विकास में उपग्रह सुदूर संवेदन पर राष्ट्रीय सिमपोजियम
- एमजीएमआई द्वारा आलेख (पेपर) सत्र
- राष्ट्रीय प्रबंधन खेलों में भागेदारी
- अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में आलेख की प्रस्तुति
- खान तथा क्वारियों में विखण्डन एवं उत्खनन पर कार्यक्रम
- प्रेरणात्मक नेतृत्व पर कार्यक्रम
- उत्कृष्टता खोज : भारतीय लोक उपक्रमों के लिए अनिवार्य
- क्षेत्रीय कन्वलेव
- प्रेक्टिस करने वाले अभियंताओं के लिए रॉक मेकॉनिक्स
- सीबीएम की रूप–रेखा निर्धारण तथा विकास में उपग्रह सुदूर संवेदन
- भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के लिए सतत (सस्टेनेबुल) विकास की चुनौतियाँ एवं अवसर के क्षेत्र
- सुरक्षा एवं सतर्कता कार्यक्रम एवं संभावनाएँ
- केंद्र और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में निगमित शासन पर सेमिनार
- रॉक मैकेनिक्स और ग्राउण्ड कंडोल पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम
- सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट प्रशिक्षण
- तनाव प्रबंधन
- सस्टेनेबुल विकास
- सीडीएम पर प्रशिक्षण और कार्यशाला
- पेवेमेंट की डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सहित कंक्रीट रोड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रशासन में वैल्यू
- ''वी लाइव फौर आवर हर्टस'' पर कार्यशाला सह सेमिनार
- आरटीआई के तहत अपील के निपटान पर कार्यशाला
- आईवीपी 6 पर कार्यशाला
- माइन क्लोजर के लिए आयोजन पर कार्यशाला : उभरती चुनौतियाँ
- सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कार्यशाला

आईआईसीएम में प्रशिक्षण :

आईआईसीएम के केलेण्डर के अनुसार प्रत्येक वर्ष एचआरडी डिवीजन आईआईसीएम में प्रशिक्षण के लिए

वरीय और मध्य स्तर के अधिकारियों को बड़ी संख्या में नामांकित करता है। कंपनी और ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में 348 अधिकारियों को आईआईसीएम में प्रशिक्षित किया गया है।

- उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एडवान्स मैनेजमेंट प्रोग्राम)
- सीडीएम एवं जलवायु परिवर्त्तन
- संप्रेषण और प्रस्तुतिकरण दक्षता
- वरीय अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान
- करार प्रबंधन
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
- लीडरों के लिए निर्णय लेने की क्षमता
- इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग
- गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त
- कार्यकारी सह प्रबंधकीय जागरूकता कार्यक्रम (वित्त, एचआर. जियोलॉजी, खनन, वित्त एवं लेखा)
- ईएंडएम इंजीनियरों के लिए कार्यकारी निपुणता कार्यक्रम
- खनन एवं सुरक्ष्ज्ञा के लिए कार्यकारी निपुणता कार्यक्रम
- सिस्टम (लिनक्स एवं नेटवर्किंग) के लिए कार्यकारी निपुणता कार्यक्रम
- सिस्टम(आटोकैड) के लिए कार्यकारी निपुणता कार्यक्रम
- वित्त के अधिकारियों के लिए कार्यकारी निपुणता कार्यक्रम
- सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम
- कोयला खनन में जीआईएस/जीपीएस का प्रयोग
- सामान एवं सेवा कर एवं डायरेक्ट टैक्स कोड
- शासन और निगमित नीति (ईथिक्स)
- प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए इंडक्शन प्रोग्राम
- आंतरिक अंकेक्षण
- भू एवं राजस्व
- लीडरशिप विकास कार्याक्रम
- सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों के लिए प्रीपरेटरी प्रोग्राम
- डिसीप्लीन एवं डिसीप्लीनरी प्रक्रिया पर कार्यक्रम
- कोयला कंपनियों केलिए परियोजना प्रबंधन
- सूचना का अधिकार–2005
- अत्यधिक तनाव का स्वयं प्रबंधन
- पर्यावयरण प्रबंधन पर सेमिनार
- एसपी :सतर्कता जागरूकता
- नीतिगत प्रबंधन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम
- निविदा प्रक्रिया एवं करार प्रबंधन
- प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण
- इंटरनल आडिट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पर्यावरणिक प्रबंधन योजनओं पर कार्यशाला
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर कार्यशाला
- यंग मैनेजर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में :

गैर अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा सीएमपीडीआई से संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में दिया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में कुल 1164 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि में भाग लिया।

मैप (सेक्स एवं मार्केटिंग), टैप (जियोफिजिक्स) आरिएटेशन/इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम (जियोलॉजी, खनन, एचआर), एफमैप (सीपी, पर्यावरण, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स) गैसे निगमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावे कंपनी की आवश्यकतानुसार एसटीसी, सीएमपीडीआई में प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए ''माइनेक्स साफ्टवेयर'' पर विशेष तकनीकी काग्रक्रम के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे :

- कोल इंडिया में जियोस्पाशियल का प्रयोग
- ओटो कैड 2010
- ओटो कैड सिविल डीड सर्वे मरछ्यूल
- आईएसओ 27000 पर जागरूकता
- कार्यक्रम कार्य में कम्प्यूटर प्रयोग
- नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व
- प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए कार्यकारी–सह–प्रबंधकीय जागरूकता प्रोग्राम
- हिन्दी साफ्टवेयर
- ड्रिल की मरम्मत और रख–रखाव के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम
- संस्तर नियंत्रण का महत्व
- नए नियुक्त प्रशिक्षुओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम
- समेकित प्रबंधन प्रणाली में आंतरिक अंकेक्षण निपुणता
- आईएसओ 9001/19001 इंटरनल ऑडिटर कोर्स
- प्रबंधकीय जागरूकता कार्यक्रम

- सीपीसी (सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) पर निविदा इन्क्वायरी का अनिवार्य प्रकाशन
- माइनेक्स साफ्टवेयर
- प्रबंधन प्रशिक्षु (जियो/इइनिंग) के लिए अरिएंटेशन कार्यक्रम
- राजभाषा कार्यशाला
- एसए 8000 प्रबंधन प्रणाली
- ड्रिलिंग का सिस्टेमेटिक प्रयोग और ड्रिलिंग उपकरणों का उपयोग
- प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम
- सीएमएम, सिविल अभियांत्रिकी, परचेज, वित्त नियमावली, आउटसोर्सिंग, ई–टेण्डरिंग पर आधारित निविदा प्रक्रिया
- ओपेनकास्ट माइन प्लानिंग एंड डिजाइन
- गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में प्रौन्नति के लिए प्रशिक्षण
- भूमिगत खान आयोजन एवं अभिकल्पन के लिए प्रशिक्षण
- कोल बेड मीथेन पर जागरूकता पर प्रशिक्षण
- आईसीआरआईएस के लिए वीबी नेट पर प्रशिक्षण
- एचआईबी/एड्क पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- राइट प्रबंधन द्वारा वैलिडेशन कार्यशाला

विभिन्न संस्थानों के छात्रों को सीएमपीडीआई में प्रशिक्षण :

निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में विभिन्न संस्थानों के छात्रों को सीएमपीडीआई के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2011–12 में सीएमपीडीआई में कुल 147 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण परियोजना कार्यों के तहत कार्य करने वाले छात्रों को 7 दिनों से लेकर 2 महीने की अवधि तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण/परियोजना की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण/परियोजना की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण/परियोजना के सफलतापूर्वक समापन का प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

वैसे संस्थान जो प्रशिक्षण के लिए एप्रोच किए है, वे निम्नलिखित हैं :

- इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, खड़गपुर
- इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, बॉम्बे
- भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद
- बिरसा इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
- एनआईटी, रायपुर
- एनआईटी, पटना
- कलकता विश्वविद्यालय, कोलकाता
- यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड इनर्जी स्टडी, देहरादून
- सत्यभामा यूनिवर्सिटी, चेन्नई
- राँची यूनिवसिटी, राँची
- एसआरएम, चेन्नई
- डा0 एमजीआर यूनिवर्सिटी चेन्नई
- आईआईएसडब्ल्यूवीएम, कोलकाता
- किट, वीवीएसआर
- वीमेंस कॉलेज, रांची
- संत जेवियर कॉलेज, राँची
- इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वाराणसी
- एमएमआईटी, सिक्किम
- सीआईटी बंगलुरू
- एएन कॉलेज, पटना

12.0 कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर परामर्शी कार्य :

अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान, 34 कार्यों के लिए 30 संगठनों को परामर्शी सेवाएं मुहैया कराया गया। जिन प्रमुख ग्राहकों/संगठनों को सेवाएं दी गई, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

नैनी कोल कंपनी लिमिटेड, गोवा इण्डस्ट्रियल डेवेल्पमेंट कॉरपोरेशन, ओपीजीसीएल, नालको, सेल–आईएसपी, एनटीपीसी, सीएमडीसी लिमिटेड, एमएमटीसी, एससीसीएल, एमईसीएल, जेएसपीएल, उषा मार्टिन, वैतरणी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, मेस्को स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट इत्यादि।

वर्तमान में, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मोआइल, एनटीपीसी, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, नालको, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथरिटी, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएमसी, महागुज कोलियरीज लिमिटेड, वैतरणी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, नाल्को इन्फ्राटेक लिमिटेड, हाइड्रो कार्बन्स के डायरेक्टर जेनरल, पीएसईपी, एमईसीएल इत्यादि जैसे 16 संगठनों को 31 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, सीएमपीडीआई द्वारा 28 संगठनों से 33 करोड़ एवं 26 लाख रूपये मूल्य के 41 कार्य प्राप्त किये गए।

13.0 श्रमशक्ति और कल्याण संबंधी क्रियाकलाप :

श्रमशक्ति की स्थिति :

विवरण	31 मार्च, 2011 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
अधिकारी	811	855
कर्मचारी		
मासिक वेतनभोगी	1361	1312
दैनिक वेतनभोगी	930	962
सकल योग	**3102**	**3129**

एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल) के लिए आरक्षण :

सरकारी निदेश के अनुसार सीएमपीडीआईएल में प्रोन्नति/नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल) के आरक्षण के लिए उम्र सीमा निम्नलिखित है :

बाह्य भरती (नियोजन)			प्रोन्नति	
एससी	एसटी	ओबीसी(एनसीएल)	एससी	एसटी
15%	7.5%	27%	15%	7.5%

कल्याण संबंधी क्रियाकलाप :

i) सीएमपीडीआई के पास इसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में शत–प्रतिशत संतुष्टि सहित 2518 क्वार्टर हैं।

ii) सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया गया है।

iii) सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को अपने डिस्पेंसरी तथा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के अस्पताल द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। आवश्यकतानुसार ख्याति प्राप्त संस्थानों में रेफर किया जाता है।

iv) सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारियों को बैंक द्वारा वेतन भुगतान करवाया जाता है।

v) सेवा निवृत्ति के दिन ही कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का चेक दे दिया जाता है।

vi) सीएमपीडीआई, डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधी नगर, रांची को 1 लाख रूपया वित्तीय सहायता/अनुदान देता है।

vii) कर्मचारियों के जिन आश्रितों ने खेल के क्षेत्र में जिला/राज्य/राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है उन्हें रू. 10,000/– (दस हजार रूपये) मात्र का पुरस्कार दिया जाता है।

viii) सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के वैसे बच्चों को जिन्होंने वर्ष 2011 में आयोजित 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90ः और इससे ऊपर अंक प्राप्त किया है, को रू. 86,000/– (छियासी हजार रूपये) की राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी गई।

ix) कर्मचारियों के वैसे बच्चों को योजना के अंतर्गत टयूशन फी तथा हॉस्टल शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 6,53,968.00 रूपये (छह लाख तिरपन हजार नौ सौ अड़सठ रूपये) की राशि प्रदान की गई है।

x) गोन्दवाना क्लब एवं रिक्रियेशन क्लब दोनों को 70,000/–रू0 (सत्तर हजार रूपये मात्र) अनुदान दिया गया।

xi) कस्तुरी महिला सभा को सावन उत्सव मनाने हेतु 20,000/–रू0 (बीस हजार रूपये) मात्र अनुदान दिया गया।

xii) अम्बेदकर जयन्ती मनाने के लिए 8,000/– रू0. (आठ हजार रूपये) मात्र अनुदान दिया गया।

xiii) सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 दिनों के लिए लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबुल–टेनिस तथा क्रिकेट के साथ–साथ फिजिकल फिटनेश के कोचिंग कैम्प का आयोजन किया गया।

xiv) सीएमपीडीआई के कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के उपयोग के लिए एक मल्टी जिम्नैजियम की स्थापना की गई।

xv) सीएमपीडीआई के 15 कर्मचरियों को मास्टर प्रशिक्षक बनाने हेतु एचआईवी/एड्स पर प्रशिक्षण दिया गया।

xvi) आठ कर्मचारियों के समकक्ष शिक्षक के लिए एचआईवी/एड्स का प्रशिक्षण दिया गया।

सीएसआर क्रिया-कलाप :

1. माहेश्वरी बालिका उच्च विद्यालय, अशोक नगर, राँची में एक आर.की सिस्टम का प्रबंध किया गया।
2. बिरसा हाई स्कूल, हथिया गोंदा, काँके रोड, राँची की लड़की विद्यार्थियों के बीच 68 (अड़सठ) स्कूल ड्रेसेज बाँटा गया।
3. राजकीय मध्य विद्यालय, अशोक नगर, राँची को क्रिकेट के दो (2) सेट, नेट सहित दो (2) वालीबाल तथा नेट सहित दो (2) फुटबाल प्रदान किया गया।
4. जन कल्याण समिति, मिसिर गोंदा गाँव तथा महिला समिति चन्दवे गाँव को छह (6) सिलाई मशीनें सौंपी गई।
5. टिकली टोला, काँकेरोड में एक सामान्य चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें (83) ग्रामिणों की चिकित्सीय जाँच कर निःशुल्क दवा दी गई।

6. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा में काँके रोड, राँची में सामान्य चिकित्सा कैम्प का आयोजन किया गया तथा 179 (एक सौ उनासी) विद्यार्थियों की चिकित्सीय जाँच की गई एवं निःशुल्क दवाईयाँ दी गई।
7. ओमेश्वरी, जिला वर्द्धवान, वेस्ट बंगाल में एक वृद्धाश्रम, प्राण्टिक के बोडर के लिए दिनांक 25.6. 2011 को आसनसोल के एक एनजीओ, र्स्पश के साथ सहयोग में एक चिकित्सीय, परीक्षण कैम्प संगठित किया गया। क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल द्वारा मरीजों के लिए नुश्खा लिखकर निःशुल्क दवाईयाँ आपूर्ति की गई। पैथोलाजी शुल्क की लागत भी क्षेत्रीय संस्थान–1 द्वारा दिया गया था।
8. एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल के कम्यूनिटी हॉल में दिनांक : 28.6.2011 के बारह (12) बजे दिन में क्षेत्रीय संस्थान–1, सीएसआर समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में लगभग 150 लोग उपस्थित थे, जिसमें आस–पास के क्षेत्रों की जनता भी शामिल थी। कार्यकारी ठीकेदार तथा उनके कार्यकर्त्ता भाड़े पर लिया गया वाहन के ड्राईवर एवं क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल के कुछ कर्मचारी भी उपस्थित थे।
9. सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान–1, विस्फोटन कैम्प के प्रगति कार्यालय हॉल में क्षेत्रीय संस्थान–1, सीएसआर समिति के द्वारा दिनांक : 25.6.11 को संध्या 4.00 बजे एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आस–पास के क्षेत्रों की जनता सहित कुल 45 लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यकारी ठीकेदार तथा उनके कार्यकर्त्ता भाड़े के वाहन के ड्राइवर तथा प्रगति कैम्प के कुछ कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे।
10. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा के 250 (दो सौ पचास) विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध की गई।
11. सीएमपीडीआई, पर्यावरण विभाग द्वारा बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, काँके रोड के विद्यार्थियों के बीच 30 पौधे वितरित किए गए।
12. वर्ष 2011–12 में गोंदवाना प्राइमरी स्कूल के गरीबी रेखा से नीचे के गरीब और प्रंशनीय विद्यार्थियों के लिए 9,900/–रू. (नौ हजार नौ सौ) रूपये का चेक संख्या : 37443ए, दिनांक : 13.05.11 का अनुदान प्रदान किया गया।
13. गोंदवाना प्राईमरी स्कूल, काँके रोड, राँची को 15 अगस्त, 2011 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तथा स्कूल के विद्यार्थियों के बीच मिठाई बांटने हेतु रू 6000/–रू. (छह हजार रू.) मात्र का चेक संख्या 375535 दिनांक : 25.07.11 का अनुदान प्रदन किया गया।
14. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, काँके रोड, राँची की 15 अगस्त, 2011 के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के बीच मिठाई बांटने हेतु रू 10,000/–रू. (दस हजार रू.) मात्र का चेक संख्या : 375533 दि– 26.79.11 का अनुदान प्रदान किया गया।
15. 15 अगस्त, 2011 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, काँके रोड, राँची के उन विद्यार्थियों को जो वार्षिक परीक्षा में बड़ा अच्छा किये हैं, उन सभी को रू. 5000/–रू. (पाँच हजार) मात्र का चेक संख्या 375534, दि– 27.07.11 की प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राइज वितरित किया गया।
16. पतरा गोंदा, काँके रोड, राँची में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच हेतु लाइन ईस्ट, राँची के साथ मिलकर सामान्य चिकित्सा जाँच शिविर लगाया गया, जिसमें एक सौ ग्यारह (111) ग्रामिणों के स्वास्थ्य की जाँच की गई तथा मुफ्त में उन्हें दवाईयाँ दी गई।
17. वर्ष 20.10.11 को पतरा गोंदा, काँके रोड, राँची में एक सामुदायिक मंडप का निर्माण–किया गया वर्ष 20.10.11 में ही एक बोरहोल तथा चार सोलर लाइट की व्यवस्था कर पतरा गोंदा के ग्रामीणों को सौंप दिया गया।
18. श्री जगबंधु साहू जो कि एक गरीब मजदूर है, का बेटा डीएवी, गांधी नगर स्कूल, काँके रोड, राँची में पढ़ता है, उसको चार महीने के लिए अर्थात् अप्रैल, 2011 से जुलाई, 2011 तक के लिए स्कूल ड्रेस, किताबें, कापियाँ तथा स्कूल शुल्क (फी) हेतु रू. 8,088.00 (आठ हजार अठ्ठासी) मात्र की राशि का चेक संख्या– 375740, दिनांक–12.05.2011 अनुदान के रूप में प्रदान किया गया।
19. दिनांक– 20.08.11 को एक एनजीओ स्पर्श के साथ मिलकर आसनसोल में एक चिकित्सा जाँच शिविर लगाया गया था। इसमें वृद्धाश्रम, दकेश्वरी, जिला–वर्द्धवान, वेस्ट बंगाल, प्रांत के आवासी के लिए डा0 वेरे द्वारा लिए गए नुस्खा के अनुसार गरीब मरीजों को क्षेत्रीय संस्थान–1 द्वारा बिना शुल्क लिए मुफ्त में दवाईयाँ बाँटी गई।
20. जाकिर हुसैन की प्राइमरी स्कूल, कमारपुर,

आसनसोल को 10 (दस) सेट लकड़ी की नीची बेंच तथा ऊँची बेंच दिया गया। इस स्कूल के विद्यार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तथा बहुत ही गरीब हैं।

21. संध्या देवी फ्री प्राइमरी स्कूल, कलिकापुर, आसनसोल को दस (10) सेट लकड़ी की नीची बेंच तथा ऊँची बेंच प्रदान किया गया। इस स्कूल के अधिकांश विद्यार्थी एसटी/एससी समुदाय से हैं तथा बहुत ही गरीब है।

22. गोपालपुर फ्री प्राइमरी स्कूल, आसनसोल को 10 (दस) सेट नीची बेंच तथा 10 (दस) सेट ऊँची बेंच प्रदान की गई। इस स्कूल के अधिकांश बच्चे एसटटी/एससी समुदाय से हैं और बहुत ही गरीब हैं इस अवसर पर श्री ए.के.पालित, महाप्रबंधक(सी) अध्यक्ष, क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल, सीएसआर समिति तथा क्षेत्रीय संस्थान–1 सीएसआर के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

23. अकादमी, आसनसोल के (42) बयालीस विद्यार्थियों से प्रत्येक विद्यार्थी को यूनीफार्म के दो (2) सेट/स्कूल ड्रेस दिये गए। इस स्कूल के अधिकाँश विद्यार्थी एसटी/एससी समुदाय से हैं और बहुत गरीब हैं।

24. वर्ष 2011–12 में बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची को प्राचार्य को स्कूल में पढने वाले दो विक्लांग विद्यार्थियों को फीस के लिए 2,400/–रू. (दो हजार चार सौ) मात्र का चेक दिया गया।

25. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची के प्राचार्य को बैडमिंटन रैकेट का चार सेट, फुटबाल का चार सेट, शटल कार्क आठ बाक्स, टेनिस बाल का आठ बाक्स तथा फुटबाल टीम के लिए दो सेट (बारह प्रत्येक) जर्सी तथा हाफ–पैंट सौंपा गया।

26. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, रांची में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के साथ मिलकर सामान्य चिकित्सा–सह–नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें दो सौ दस (210) बच्चों की चिकित्सीय जांच की गई थी तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयां दी गईं।

27. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची में लायंस क्लब, रांची के साथ मिलकर सामान्य चिकित्सा–से–नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें दो सौ एक (201) विद्यार्थियों की चिकित्सीय जांच की गई थी तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयां दी गइ।।

28. मिसिरगोंदा, कांके रोड, रांची में लायन्स क्लब ईस्ट के साथ मिलकर सामान्य चिकित्सा–सह–नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसे एक सौ अठाइस (128) ग्रामिणों का चिकित्सीय जांच की गई थी, तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयां दी गई थी।

29. विश्व एड्स–दिवस समारोह मनाया गया।

30. हथियागोंदा तथा पतरा गोंदा, कांके रोड, रांची के तीन सौ (300) ग्रामिणों को कम्बल वितरण किए गए।

31. लोअर मिसिर गोंदा गांव, कांके रोड, रांची के एक सौ साठ (160) ग्रामिणों को कम्बल वितरित किए गए।

32. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची को 26 जनवरी, 12 को गंणतंत्र दिवस समारोह में विद्यार्थियों के बीच मिठाईयां बांटने हेतु 10000/–रू. (दस हजार रूपये) मात्र की राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया।

33. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची को खेल मद के लिए 15000/– रू. (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र दिया गया।

34. गोंदवाना प्राईमरी स्कूल, कांके रोड, रांची को 26 जनवरी, 12 को गंणतंत्र दिवस समारोह में विद्यार्थियों के बीच मिठाईयां बांटने हेतु 6000/–रू. (छह हजार रूपये) मात्र की राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया।

35. बिरसा प्राईमरी स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची के 305 विद्यार्थियों को स्वेटर दिए गए।

36. क्षेत्रीय संस्थान–3, रांची द्वारा हजारीबाग कैम्प के निकट बसंतपुर पंचायत के बरवाटोला तथा तुरूपसमार गांव के लिए दो हैंडपंप उपलब्ध कराए गए।

37. क्षत्रीय संस्थान–3, रांची द्वारा ओरला कैंप के नजदीक नव प्राथमिक विद्यालाय न्यू माइनर के 175 विद्यार्थियों को 175 स्कूल बैग, 175 फूल स्वेटर, 17 वाटर बोतल, मिल्टन, 175 बाक्स (दो पेंसिल, एक रबर, एक कटर तथा एक पेन के साथ), 175 सेट (एक सेट में छह कापियाँ) वितरित किया गया।

38. देवरीखुर्द गांव (बिलासपुर) में सभी के उपयोग हेतु बाथरूम का निर्माण ।

39. खांम तराई गांव (बिलासपुर) में दो सेट का निमार्ण।

40. देवरीखुर्द तथा खांम तराई गांव (बिलासपुर) में दो डिप बोर होल का निर्माण ।

41. बुकरू गांव, कांके रोड, रांची में लायन्स क्लब,

रांची (इस्ट) के साथ मिलकर एक सामान्य चिकित्सा–सह–नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 250 ग्रामीणों का चिकित्सीय जांच किया गया तथा इन्हें मुफ्त में दवाईयां दी गइ। इस शिविर में ग्रामीणों के बीच पुराने कपड़े भी वितरित किए गए।

42. हथियागोंदा तथा पतरागोंदा कांके रोड, रांची में लायन्स क्लब, रांची इस्ट के साथ मिलकर एक सामान्य चिकित्सा–सह–नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 153 ग्रामीणों की चिकित्सीय जांच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयां दी गईं।

43. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची के प्राचार्य को 25 सिलिंग फैन और एक लेजर प्रिंटर सौंपा गया।

44. ग्लोबल पब्लिक स्कूल, कोकर, रांची के प्राचार्य को 15 डेस्क–बेंच, 10 सिलिंग फैन, एक स्टील आलमीरा तथा एक कम्प्यूटर सेट सौंपा गया।

45. कर्तव्य, हटिया, रांची को सीएमपीडीआई की ओर से दो सिलाई मशीन, एक एम्ब्रो मशीन, एक कप बोर्ड तथा 10 कम्प्यूटर दिया गया।

46. ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, बरियातू, रांची को सीएमपीडीआई की ओर से 90 मीटर नेवी ब्लू कपड़ा, 90 मीटर सफेद कपड़ा, 90 मीटर चुन्नी के लिए कपड़ा, 20 मच्छदानी, एक प्रेशर कुकर (10 ली0 क्षमता का) एक एमपी–3 प्लेयर स्पीकर के साथ, 12 प्लास्टिक कुर्सी, चार स्टील आलमीरा, 12 कारपेट सौंपा गया।

47. चिरौदी गांव, रांची को सीएमपीडीआई तथा लायन्स क्लब, इस्ट, रांची के सहयोग से सामान्य चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 217 ग्रामीणों की चिकित्सीय जांच की गई तथा मुफ्त दवाईयां दी गईं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रिया-कलाप के तहत दिनांक- 15.02.2012 को बुकरू में चिकित्सा शिविर (कैम्प)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रिया–कलाप के तहत पतरागोंदा में सामुदायिक मंडप का निर्माण किया गया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रिया–कलाप के तहत दिनांक– 04.01.2012 को हथियागोंदा में कम्बल का वितरण

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रिया–कलाप के तहत दिनांक– 04.01.2012 को हथियागोंदा में कम्बल का वितरण

48. एचआईवी/एड्स पर जागरूकता के लिए आठ संविदात्मक सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

खेल-कूद संबंधी गतिविधियाँ :

1. सीएमपीडीआई द्वारा स्पोर्टस टूर्नामेंट यथा–अंतर क्षेत्रीय संस्थान कैरम, चेस, ब्रिज, टेबुल टेनिस, वॉलीबाल, बैडमिंटन टूर्नामेंट और अंतर क्षेत्रीय संस्थान एथेलेटिक्स मीट तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
2. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में 24वीं कोल इंडिया इंटर कंपनी बैडमिंटन टूर्नामेंट सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

14.0 राजभाषा :

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) तथा कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया ।

आपकी कंपनी समीक्षाधीन वर्ष यानि 2011–12 के दौरान गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया है तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका ''देशकाल संपदा'' का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए 15 सितम्बर, 2011 को एक भव्य ''अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन'' का आयोजन किया गया, जिसे श्रोताओं द्वारा काफी सराहा गया। कोयला मंत्रालय के निदेशों के अनुसार सितम्बर माह 2011 को ''राजभाषा पखवाड़ा'' के रूप में मनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों के बीच हिन्दी को प्रचारित और लोकप्रिय करने के लिए हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान इस अवसर पर आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग लिये। विजेताओं को 1500.00 रूपया, 1300.00 रूपया, 1200.00 रूपया, 1100.00 रूपया

एवं 1000.00 रूपया तथा इतनी ही रकम की पुस्तकें भी इस अवसर पर आमंत्रित हिन्दी सलाहकार समिति, कोयला मंत्रालय के माननीय सदस्य मो0 शाहिद अली द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कंपनी के दो विभागों तथा दो क्षेत्रीय संस्थानों को क्रमशः अध्यक्षीय शील्ड, विजेता एवं अध्यक्षीय शील्ड, उपविजेता से नवाजा गया । श्री अशोक कुमार सिंह, श्री वैद्यनाथ प्रसाद एवं श्री आनन्द वर्द्धन सहाय द्वारा संयुक्त रूप से हिन्दी में लिखी गईं पुस्तक '' सीबीएम एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत'' का विमोचन इस अवसर के मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री सी.पी.सिंह द्वारा किया गया।

दिन–प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (मानव संसाधन विकास विभाग) के तत्वावधान में चार हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गई। सभी हिन्दी कार्यशालाएँ दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में कर्मचारियों के झिझक को दूर करने में बहुत प्रभावी रही।

आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निदेशों और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा की तिमाही प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें भी आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय संस्थानों के दैनिक कार्य–कलाप में हिन्दी की प्रगति को क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वय समिति की बैठक में एक स्थाई कार्य–सूची (एजेंडा) के रूप में शामिल किया गया है तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अलावे मुख्यालय के विभिन्न विभागों में और सभी क्षेत्रीय संस्थानों में राजभाषा की हिन्दी की प्रगति की समीक्षा के लिए चार समितियाँ भी गठित की गईं है। दिन–प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये समितियाँ सुझाव देती हैं और मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

15.0 निदेशक का उत्तरदायित्वपूर्ण उक्ति :

15.1 वार्षिक लेखा को तैयार करने के लिए सामग्रियों के विचलनों से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित उपयोज्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

15.2 निदेशकों ने ऐसी लेखा-नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किए जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अन्त में और इस अवधि के लिए कम्पनी की लाभ-हानि के विषय में कम्पनी मामलों की स्थिति का सत्य एवं स्पष्ट विचार दे सके।

15.3 निदेशकों ने लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया।

15.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कन्सर्न) पर वार्षिक लेखा को तैयार किया।

16.0 वर्ष 2011-12 के लिए सीएमपीडीआईएल के समझौता संलेख (एमओयू) का अंकेक्षित गैर-वित्तीय पारामीटर्स का विस्तृत विवरण, जो नीचे दिया गया है :

TODI TULSYAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

602, Luv Kush Tower
Exhibition Road
Patna – 800001
Ph: 0612 - 2320211
Email: ttco@sify.com

अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
राँची

1. वित्तीय एवं डायनेमिक पारामीटर के संबंध में संलग्न कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र में कथित उपलब्धि का परिकलन भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2011–12 के लिए एम ओ यू हेतु दिशा निर्देश के अनुसार किया गया है।
2. वित्तीय एवं डायनेमिक पारामीटर के मुकाबले कथित उपलब्धि को संबंधित पारामीटर में दिये गए जाँच के साधन के अनुसार संशोधित किया गया है जो मेरी जानकारी के अनुसार सही है।
3. 01.07.2011 से 31.03.2012 के लिए एनसीडब्ल्यूए–ix के कारण वेतन एवं मजदूरी में वृद्धि का प्रभाव।

	विवरण	रकम (करोड़ –रू0 में)
क	वास्तविक देयताओं के अलावा वेतन एवं मजदूरी पर एनसीडब्ल्यूए - ix का प्रभाव	18.53
ख	31.3.2012 के अनुसार वास्तविक देयताओं पर एनसीडब्ल्यूए - ix का प्रभाव	16.22
ग	कुल प्रभाव	34.75

4. इसके साथ एनसीडब्ल्यूए - ix के प्रभाव पर विचार कर तथा पृथक रूप से एनसीडब्ल्यूए - ix पर विचार किए बिना पुरानी अनुसूची vi के फार्मेट के आधार पर वित्तीय अनुपात संलग्न है।

वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
एफ आर एन नं0 002180 सी

ह0
(सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य
एम नं0 075899

स्थान : राँची
दिनांक : 26.05.2012

समझौता संलेख 2011-12

ifjf'k"V III

अनुषंगी कंपनी : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

			मूल्यांकन का मानदंड	यूनिट	भार (%)	एमओयू का लक्ष्य					कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	स्वच्छ	खराब	okLrfod	Ldkj	okLrfod	Ldkj
											,ulhMCy, l iHkkfor		,ulhMCy, d iHkko d fcuk	
						1	2	3	4	5	¼vdf{kr½		¼vuvdf{kr½	
1			सांख्यिकी/वित्तीय पारामीटर											
	क		वित्तीय इंडिकेटर्स – अनुपात से संबंधित लाभ											
		(i)	सकल मार्जिन / सकल ब्लॉक	%	2	12.83	12.57	11.94	11.35	10.78	19.94	0.02	20.38	0.02
		(ii)	निबल लाभ / नेट वर्थ	%	10	14.48	14.19	13.48	12.81	12.17	20.01	0.10	20.57	0.10
		(iii)	सकल लाभ/कैपिटल इंप्लॉयड	%	10	72.32	70.87	67.33	63.96	60.77	107.99	0.10	107.78	0.10
	ख		वित्तीय इंडीकेटर्स – साइज से संबंधित											
		(i)	सकल मार्जिन	करोड़ रू0 में	8	26	25	24	23	22	36.48	0.08	37.29	0.08
		(ii)	सकल बिक्री (सेवा कर को छोड़कर)	करोड़ रू0 में	4	477	468	444	422	401	524.03	0.04	490.09	0.04
	ग		वित्तीय रिटर्न्स – उत्पादकता से संबंधित											
		(i)	पीबीडीआइटी/कुल नियोजन	करोड़ रू0 में /कर्मचारी	7	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.012	0.07	0.012	0.07
		(ii)	जोड़ा गया मूल्य/कुल बिक्री	%	9	4.790	4.694	4.459	4.237	4.025	6.430	0.09	7.030	0.09
			mi&dqy		**50**							**0.50**		**0.50**

समझौता संलेख 2011-12

ifjf'k"V III

अनुषंगी कंपनी : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

			मूल्यांकन का मानदंड	यूनिट	भार (%)	एमओयू का लक्ष्य					कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	स्वच्छ	खराब	okLrfod	Ldkj	okLrfod	Ldkj
											,ulhMCy, l iHkkfor		,ulhMCy, d iHkko d fcuk	
2			Mk;ukfed ikjkehVj								¼vdf{kr½		¼vvdf{kr½	
	क		मानव संसाधन विकास		5							0.05		0.05
		(i)	प्रशिक्षित किए जाने वाले अधिकारी (1 अप्रैल 2010 के अनुसार कार्य पर तैनात कुल 824 अधिकारी)	(%)	1	22-00	21.56	20.48	19.46	18.49	52.30	0.01	52.30	0.01
		(ii)	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	3	2	1			17	0.01	17	0.01
		(iii)	कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	3	2	1			10	0.01	10	0.01
		(iv)	एडवांस माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर (जियोलॉजिस्ट और प्लानर्स) में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	10	9	8	7	6	33	0.01	33	0.01
		(v)	भर्ती समिति में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	(%)	1	100	90	80	70	60	100	0.01	100	0.01
	[k		**आर एण्ड डी / न्यू इनिसिएटिव**		**5**							**0.05**		**0.05**
		(I)	डीपीई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आरएण्डडी नीति का रिकास्टिंग एवं एक्शन प्लान		2	दिसम्बर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	मार्च 12	अप्रैल 12	दिसंबर 2011 में कोल इंडिया के अध्यक्ष को संशोधित दिशा–निर्देश दस्तावेज सुपुर्द	0.02	6 दिसंबर 2011 में कोल इंडिया के अध्यक्ष को संशोधित दिशा–निर्देश दस्तावेज सुपुर्द	0.02
		(ii)	1. उत्पादन में सुधार 2. कोल माइन्स में उत्पादकता एवं सुरक्षा 3. कोयला परिष्करण एवं पारिस्थितिकी तथा यूटिलाइजेशन 4. पर्यावरणिक एवं पारिस्थितिकी सुरक्षा तथा कोयला का गवेषण से संबंधित आरएंडडी प्रोजेक्ट का आइडेन्टिफिकेशन एवं प्रतिपादन	संख्या	2	5	4	3	2	1	6	0.02	6	0.02
		(iii)	पूरी की जाने वाली आरएंडडी की परियोजनाएं	संख्या	1	5	4	3	2	1	5	0.01	5	0.01
	ग		**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व**		**5**							**0.05**		**0.05**
		(i)	अध्ययन सामग्री, स्कूल ड्रेस, खेल–कूद की सामग्री, वित्तीय सहायता, आधारभूत संरंचनात्मक विकास जैसे इत्यादि जैसे सहायतम्क गतिविधियों के लिए सहायता किए गए छात्रों की संख्या	संख्या	3	900	882	838	796	756	>1000	0.03	>1000	0.03
		(ii)	गाँव के आस–पास मेडिकल चेकअप कैम्प और लाभूकों की संख्या – 200	संख्या	2	4	3	2	1		5	0.02	5	0.02
	घ		**सस्टेनेबुल डेवलपमेंट**		**5**							**0.05**		**0.05**
		(i)	पर्यावरणिक मोनिटरिंग	यूनिटों की संख्या	2	200	196	186	177	168	289	0.02	289	0.02
		(ii)	पर्यावर्णिक प्रबंधन योजना (फार्म–1 सहित)	संख्या	2	32	31	29	27	25	64	0.02	64	0.02
		(iii)	सस्टेनेबुल डेवलपमेंट की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन	संख्या	1	1	-	-	-	-	1	0.01	1	0.01

ifjf'k"V III

समझौता संलेख 2011.12

अनुषंगी कंपनी : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

			मूल्यांकन का मानदंड	यूनिट	भार (%)	एमओयू का लक्ष्य: उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	स्वच्छ	खराब	कार्यनिष्पादन: okLrfod	Ldkj	okLrfod	Ldkj
											,ulhMCy,	l iHkkfor	,ulhMCy,	d iHkko d fcuk
	ड.		fuxfer xouUl		5							¼vdf{kr½		¼vvdf{kr½
		(i)	सीएमपीडीआई के लिए लागू डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट गवर्नेंस गाइड लाइन्स के अनुसार कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन	;ks	4	100	90	80	70	60	93	0.08	93	0.08
		(ii)	डीपीईएस के निर्देशों के अनुसार डीपीई द्वारा प्रकाशित पब्लिक इन्टप्राइजेज सर्वे के डाटा की सुपुर्दगी		1	15 सितंबर 2011	1 अक्टूबर 2011	15 अक्टूबर 2011	31 अक्टूबर 2011	31 अक्टूबर 11 के पश्चात्	09.09. 2011	0.01	09.09. 2011	0.01
			उप कुल		25							0.29		0.29
3	ड.		**सेक्टर स्पेसिफिक पारामीटरर्स**											
		(i)	ड्रिलिंग	000 मीटर										
		(ik)	विभागीय पारामीटर ड्रिलों के माध्यम से ड्रिलिंग	000 मीटर	4	250.00	245.00	232.75	221.11	210.06	273.02	0.04	273.02	0.04
		(iख)	ड्रिलिंग आउटसोर्सिंग	000 मीटर	3	200.00	196.00	186.20	176.89	168.05	225.41	0.03	225.41	0.03
		(ii)	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट	संख्या	3	14	13	12	11	10	19	0.03	19	0.03
		(iii)	परियोजना रिपोर्ट	संख्या	4	26	25	24	23	22	28	0.04	28	0.04
		(iv)	अन्य रिपोर्ट	संख्या	2	123	121	115	109	103	150	0.02	150	0.02
		(v)	सभी मेगा प्रोजेक्ट के लिए आपरेशनल प्लान	संख्या	1	12	11	10	9	8	14	0.01	14	0.01
		(vi)	तीन ब्लॉकों के लिए सीबीएम मूल्यांकन रिपोर्ट		2	मार्च 12	-	-	-	-	जनवरी 12	0.02	जनवरी 12	0.02
		(vii)	च्कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी के भूमिगत खानों का समय–समय पर ओबीआर चेक मेजरमेंट(आउटसोर्सिंग पैचेज सहित खानें)	संख्या	1	60	59	56	53	50	60	0.01	60	0.01
		(viii)	सर्वेलियंस सेटेलाइट के माध्यम से भूमिरिस्टोरेशन तथा रिक्मिंशन के लिए मुख्य ओसी परियोजना का कवरेज	संख्या	1	40	39	37	35	33	50	0.01	50	0.01
		(ix)	बाह्य परामर्शी सेवा के लिए परामर्शी आदेश प्राप्त करना	करोड़ रु0 में	2	32.00	30.00	28.00	26.00	24.00	33.26	0.02	33.26	0.02
		(x)	दीर्घकालीक एक्शन प्लान की तैयारी	माह	2	अक्टूबर 11	नवंबर 11	दिसंबर 11	जनवरी 12	फरवरी 12	अक्टूबर 11*	0.02	अक्टूबर 11*	0.02
			उप कुल		25							0.25		0.25
			सकल योग		100							1.04		1.04
			* सीएमपीडीआईएल (2008–14) का स्ट्रटजिक प्लान तैयार कर 11.08.2010 को आयोजित 158वीं बैठक में सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।											

ह0
e[; egkicU/kd ¼foÙk½

ह0
funs'kd

ह0
lkfof/kd vads{kd

अंकेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, पटना को वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए कम्पनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44(ए.बी.) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों, जिसके सम्पर्क में आपकी कम्पनी ने काम किया है तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में जिन्होंने सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उनके प्रति हम आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि0, सेल–आईएसपी, इफको, छत्तीसगढ़ पावर प्लांट, सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी, टाटा स्टील, हिण्डालको, महागुज कोलियरी लि0, हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय, डीएससीएल, रिलायंस कोल रिसोर्सेज लि0 (मेसर्स ससान पावर लि0) ओएमसी आदि के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हममें विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण प्रदान किया।

परिशिष्ट :

कम्पनी अधिनियम 1956 (शून्य रिपोर्ट) की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉं संलग्न हैं।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

ह0

(ए.के.सिंह)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र का अनुपालन

TODI TULSYAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

602, LUV KUSH TOWER,
EXHIBITION ROAD,
PATNA – 800 001
Phone: 2320211 / 23200 56 (0)
Fax: 0612-2320056

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, राँची द्वारा कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है यद्धपि लिस्टिंग एग्रीमेंट का 49 ए खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है

2. कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारी जाँच प्रक्रियाओं के लिए तथा उससे संबंधित कार्यान्वयन तक सिमित रही, जो कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा ग्रहण की गई। कंपनी के वित्तीय विवरण पर यह न तो अंकेक्षण है और न विचारों की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा निदेशक एवं प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तों के साथ इसे संकलित किया है।

4. इसके आगे हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के अनुसार आश्वासन के रूप में है और न कुशल अथवा प्रभावपूर्ण है, जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के व्यवस्था को संचालित किया है।

वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन–022180सी

ह/0
(सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता सं0– 075899

तिथि : 12.5.2012
स्थान : राँची

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

वित्तीय क्रिया–कलाप के उत्तरदायी हम ए.के.सिंह अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं के.चन्द्रमौली, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) प्रमाणित करते हैं कि :

क. अपनी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2012 वर्ष के लिए हमने वित्तीय विवरणों तथा कैश विवरणों का पुनरीक्षण किया है।

1. ये विवरण किसी भी मेटियरली विवरण अथक छोड़ा हुआ मेटेरियल फैक्ट अथवा कन्टेन स्टेटमेंट को अंतर्विष्ट नहीं करते हैं जो कि भ्रामक हो सके।

II. ये विवरण कंपनी के व्यापारों का सत्य एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करते हैं तथा यह वर्तमान लेखा मानक लागू विधि, तथा विनियमन के अनुपालन के अनुसार है।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तथा कोई भी कपटपूर्ण धोखाधड़ी, गैर–कानूनी तथा कंपनी के आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए स्थापना एवं आंतरिक नियंत्रण हेतु हम इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का तथा हमने डिजाइन में कमी अथवा ऐसे नियंत्रण का ऑपरेशन, यदि कोई हो, को अंकेक्षक तथाअंकेक्षण समिति के सामने स्पष्टकर दिया है, जिसमें वे जागरूक हैं, तथा उन्होंने कदम उठाया है अथवा इन कमियों को संशोधित करने के लिए प्रस्तावित हैं।

घ. हमने अंकेक्षकों तथा अंकेक्षण समिति को सूचित कर दिया है।

1. संदर्भ के अंतर्गत इस तिमाही के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्त्तन नहीं हुआ है।

2. विवेच्य वर्ष के दौरान लेखा नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्त्तन नहीं हुआ है।

3. हम प्रबंधन के इन्वाल्मेंट में किसी भी धोखाधड़ी के दृष्टांत से अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में किसी भी कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत नहीं है।

ह/0
(के. सी. मौली)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह/0
(ए. के. सिंह)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट : लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट — **प्रबंधन का जवाब**

सेवा में,

सदस्यगण,
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड,
रॉची,, झारखण्ड।

1. हमने सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, के 31 मार्च 2012 के संलग्न तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी की लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण, जिसपर हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किया है, की परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार (मत) अभिव्यक्त करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण मानक के अनुसार अंकेक्षण किया है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह पता लगाने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं एवं इसे पूरा करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। इस अंकेक्षण में परीक्षण के तौर पर रकम के पक्ष में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण में इसका उल्लेख शामिल है। इस परीक्षण में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों के मूल्यांकन तथा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ–साथ सम्पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे विचार के लिए हमारा अंकेक्षण पर्याप्त आधार उपलब्ध करायेगा।

3. कम्पनी (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2003, जो दि कम्पनीज (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) (संशोधित आदेश) 2004 द्वारा यथा संशोधित जैसा कि अपेक्षित है, हम कथित आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लेखित मामले पर इसमें एक विवरण संलग्न करते हैं :

4. उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में उद्धृत परिशिष्ट में हमारी टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

अ लेखे पर टिप्पणियाँ

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
I. फुटकर देनदार में विभिन्न पार्टियों से काटे गये टीडीएस भी शामिल हैं। फुटकर देनदार के असमायोजन तथा फुटकर देनदार से शेष की संपुष्टि नहीं होने के कारण भी फुटकर देनदार में शामिल टीडीएस की रकम की	फुटकर देनदारों के समायोजन का कार्य जारी है। ग्राहकों से टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाने पर टीडीएस की रकम की गणना की जाती है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
मात्रा बताने योग्य (क्वान्टीफाइबुल) नहीं है तथा टीडीएस की वसूली योग्य (रिलाजेब्लिटी) रकम भी निर्धारित करने योग्य नहीं है।	
II. कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कम्पनियों की जमीन पर बने भवनों की लागत या डब्ल्यू.डी.वी में सम्मिलित 10.12 करोड़ रूपये को कम्पनी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का पारा संख्या–1.1.2)।	कोई टिप्पणी नहीं
III. जैसा कि टिप्पणी 34 के पारा संख्या 4.1.3 में निर्दिष्ट है, देनदार में कुछ को संपुष्ट किया जाना है। ऋण एवं अग्रिम का शेष (बैलेंस) तथा फुटकर लेनदार भी संपुष्ट नहीं हैं।	फुटकर देनदारों के पास शेष की संपुष्टि के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं। (सीआईएल की अनुषंगी कम्पनियों के अलावे)
IV. लाभ/हानि या परिसम्पत्तियों/देयताओं पर उपर्युक्त I से III तक की टिप्पणियों का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है। इनमें से किसी पर टिप्पणी IV का प्रभाव नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(आ) उपर्युक्त अनुच्छेद ''अ'' में हमारी टिप्पणी के संदर्भ में :	
(1) हमने वैसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी में हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं
(2) हमारे विचार में कम्पनी के पास कानून के अनुसार लेखा की समुचित पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं। जैसा कि हमारी जाँच से पता चला है।	
(3) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा–पुस्तिका के अनुसार है।	
(4) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित लाभ एवं हानि लेखा, तुलन–पत्र तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण कम्पनी कानून 1956 की धारा 211 के उप अनुच्छेद (3सी) में उल्लिखित लागू लेखा मानकों की अपेक्षा के अनुरूप है।	
(5) हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेख तथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं कम्पनी सचिव के अभ्यावेदन के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निदेशकों की अयोग्यताओं से संबंधित कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 274 के उप अनुच्छेद (1) के खण्ड (जी) के प्रावधान, कम्पनी के लिए लागू नहीं है।	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(6) हमारी राय तथा सर्वोतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कथित लेखे के साथ–साथ उसकी अनुसूची तथा महत्वपूर्ण लेखा–नीति (अनुसूची–14) तथा लेखे पर टिप्पणी (अनुसूची–15) के साथ पठित लेखे से कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी उसी रूप में मिलती है तथा निम्नांकित के विषय में सही एवं स्पष्ट विचार देता है :

(क) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के मामले।

(ख) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के के लाभ एवं हानि लेखा के मामले में।

(ग) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफआरएन 002180सी

ह/0

(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य
(सदस्यता संख्या 075899)

स्थान :राँची

दिनांक : 12 मई, 2012

प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची

(31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर आज की तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद (3) में उल्लिखित)

1. अचल परिसम्पत्ति के मामले में

(क) कम्पनी ने सामान्य तौर पर अचल परिसम्पतियों की स्थिति तथा परिणामात्मक विवरण समेत पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सही रिकार्ड अपने पास रखा है तथापि एसएंडटी कोष के मामले में अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर परिसंपत्तिवार के बदले वर्षवार मेंटेन किया जाता है।

प्रबंधन का जवाब: एस एण्ड टी कोष से संबंधित परिसम्मपत्तिवार अचल परिसंप. त्ति रजिस्टर तैयार करने का कार्य जारी है

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
(ख) कम्पनी द्वारा अपनाई गई जाँच के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा अधिक मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग की प्रत्यक्ष जाँच की गई है। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, ऐसी जाँच की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भौतिक असंगति नहीं पाई गई।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) हमारी राय में विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने अचल परिसम्पतियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया है और कम्पनी की चालू संस्था (गोइंग कन्सर्न) की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. इसकी वस्तु सूची (इन्वेंटरी) के मामले में :	
(क) विवेच्य वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा ऊँचें मूल्य के भण्डारों एवं अतिरिक्त पार्ट–पुर्जों के स्टॉक की प्रत्यक्ष रूप से जॉच की गई है। परीक्षण के आधार पर कुछ कम मूल्य के आइटमों की भी जाँच की गई है। हमारे विचार में जाँच की आवृत्ति यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्टाक की भौतिक जांच के लिए अपनायी गई प्रक्रिया, कंपनी के आकार एवं इसकी कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त एवं यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) कम्पनी ने अपनी वस्तु–सूची का उचित रिकार्ड रखा है। जैसा कि हमें बताया गया है, पुस्तक अभिलेखों की तुलना में स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच पर पाई गई असंगति महत्वपूर्ण नहीं थी तथा इस पर लेखे की पुस्तक में उचित रूप से विचार किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
3. दि कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में उल्लिखित किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों को/से कम्पनी द्वारा दिए गए/ लिए गए प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के संबंध में :	कोई टिप्पणी नहीं
(क) कम्पनी ने इस कानून की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं स्वीकृत किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी को ध्यान में रखकर इस कंपनी पर उपर्युक्त आदेश का खंड 3 (ख) लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी को ध्यान में रखकर पूर्व कथित आदेश का खंड 3 (ग) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
(घ) उपर्युक्त 3 (क) में हमारी टिप्पणी के विचार से पूर्व कथित आदेश का खंड 3 (घ) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ङ.) इस कम्पनी ने धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से अप्रतिभूत या प्रतिभूत किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। कम्पनी ने अपनी नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड से अप्रतिभूत ऋण लिया है जिसका विवेच्य वर्ष में पुर्नभुगतान किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
(च) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी नियंत्रक कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेट से लिए गए ऋण पर ब्याज की दर तथा अन्य अनुबंध एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(छ) कोल इंडिया लिमिटेड से लिए गए ऋण के मामले में ब्याज का नियमित भुगतान किया जा रहा है तथा मूलधन माँग के अनुसार लौटाने योग्य है।	कोई टिप्पणी नहीं
4. हमारी राय में वस्तुओं तथा अचल परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सामग्रियों एवं सेवाओं की बिक्री के मामले में इसके आंतरिक नियंत्रण की पद्धति कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। अपनी लेखा–परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हमने कोई बड़ी कमी नहीं पाई है।	कोई टिप्पणी नहीं
5. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत आने वाले लेन–देन (ट्रान्जक्शन)के संबंध में :	
(क) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविदा या करार के अनुसरण में ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया था जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसार 5 लाख रूपये मूल्य से अधिक का लेन–देन नहीं किया गया है जो संगत समय में प्रचलित बाजार मूल्य होने से युक्तिसंगत नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
6. कंपनी 58 ए या 58 ए.ए तथा इस कानून के या किसी अन्य बाह्य प्रावधान के अर्थ में कंपनी ने जनता से किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
7. कंपनी ने क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के लिए आंतरिक अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के बाहरी फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में अपने आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी के पास आंतरिक अंकेक्षण की पद्वति मौजूद है।	कोई टिप्पणी नहीं
8 हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने इस कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–209(1)(डी) के तहत लागत रिकार्ड के रख–रखाव का निर्धारण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
9. सांविधिक बकाया के मामले में :	
1) कम्पनी के अभिलेख के अनुसार कम्पनी अविवादित सांविधिक बकाया जैसे भविष्य निधि, निवेशक, शिक्षा तथा संरक्षण कोष, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य बकाया सक्षम प्राधिकारी के पास प्रायः नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस कम्पनी में कर्मचारी राज्य जीवन बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित बकाए के मामले में कोई अविवादित बकाया 31 मार्च 2011 को उसके भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है :	कोई टिप्पणी नहीं

क्र. सं.	सांविधिक की प्रकृति	बकाया की प्रकृति	रकम (लाख रू. में)	अवधि जिससे रकम संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1.	सेवा कर	सेवा कर	40.24	1996–97	सेवा कर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) कोलकाता
2.	सेवा कर	सेवा कर	505.53	1898–99, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2002–03	सीईएसटीएटी, कोलकाता
3.	बिक्रीकर अधिनियम	प्रवेश कर	20.97	2001–02	बिक्री कर प्राधिकरण
	आयकर	आयकर	244.44	1992–93, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 2005–06, 2006–07	आईटीएटी, कोलकाता

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब

	आयकर	आयकर	1976.33	2007–08, 2008–09,	सीआईटी (ए), राँची
	आयकर अधिनियम	आयकर	3.53	2001–02, 2002–03	मूल्यांकन अधिकारी (एसेसिंग आफिसर) आयकर, रांची

(2) उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित रहने के कारण 276.47 लाख रूपये के विवादित सांविधिक बकाया जमा नहीं कराया गया है, वह इस प्रकार हैः– — कोई टिप्पणी नहीं

क्र. सं.	सांविधि का नाम	बकाए की प्रकृति	रकम (लाख रूपये में)	न्यायालय (जहाँ मामला लम्बित है)
1.	सेवा कर अधिनियम	सेवाकर	40.24	सेवा कर न्यायाधिकरण, कोलकाता
2.	बिक्री कर अधिनियम	प्रवेश कर	16.78	बिक्री कर ऑथरिटी

तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा गत वर्ष (ठीक पहले वाला वर्ष) के दौरान परिचालन क्रिया–कलाप से नकद हानि नहीं उठायी है।

11. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि वित्तीय संस्थानों/बैंकों एवं डिवेन्चर होल्डर के पास कम्पनी का बकाया नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, डिवेन्चर तथा अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के रूप में प्रतिभूतियों के आधार पर किसी प्रकार का कर्ज या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
13. कम्पनी कोई चिट फंड, निधि या म्यूचुअल बेनिफिट फंड/ सोसाइटी नहीं है। इसलिए सीएआरओ का खण्ड–(XIII) इस कम्पनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
14. हमारी राय में कम्पनी शेयर, प्रतिभूति, डिवेन्चर तथा अन्य निवेश का कारोबार या व्यापार नहीं करती है।	कोई टिप्पणी नहीं
15. हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से दूसरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं
16. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई सावधिक ऋण नहीं उगाही (रेज) किया है।	कोई टिप्पणी नहीं

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
17. हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी के अनुसार कम्पनी ने कोई अल्प अवधि का ऋण उगाही (रेज) नहीं किया है और न ही दीर्घकालीन उद्देश्य या विपरीत के लिए इसका उपयोग किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
18. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 (दि एक्ट) की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में आने वाली पार्टी या कम्पनी को शेयर का अधिमान्य आवंटन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
19. कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
20. विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने आम इश्यू द्वारा कोई धन नहीं उगाहा है।	कोई टिप्पणी नहीं
21. प्रबंधन से प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा किसी तरह की धोखाघड़ी पायी गयी है/रिपोर्ट की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं

वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफआरएन – 002180 C)

ह0/–

(सी.ए. सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य
(सदस्यता सं० 075899)

स्थान : रांची
दिनांक : 12.05.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विहित वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा विहित आडिटिंग एण्ड एस्योरेन्स स्टैन्डर्ड के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। यह दिनांक 17 मई, 2011 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया/बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहूँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड
की ओर से एवं वास्ते

ह0
(यशोधरा राय चौधरी)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–।। के पदेन सदस्य
कोलकाता – 20

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 16.05.2012

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

करोड़ रूपये में

	टिप्पणी		31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
I इक्विटी एवं देयताएं					
(1) अंशधारकों की निधि					
(क) शेयर पूँजी	1	**19.04**		19.04	
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	**91.88**		68.88	
			110.92		87.92
(2) गैर चालू देयताएं					
(क) दीर्घकालीन ऋण	3	-		-	
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निबल)		-		-	
(ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	4	-		-	
(घ) दीर्घकालीन प्रावधान	5	**170.40**		141.71	
			170.40		141.71
(3) अल्पसंख्यक अंश			-		-
(4) चालू देयताएं					
(क) अल्पकालीन ऋण	6	-		-	
(ख) पेशागत देय	7	**33.45**		22.95	
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	**161.43**		125.39	
(घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	**152.84**		171.32	
			347.72		319.66
कुल			**629.04**		**549.29**
II परिसम्पतियाँ					
(1) गैर चालू परिसम्पतियाँ					
(क) अचल परिसम्पतियाँ	10 अ				
i) वास्तविक परिसम्पतियाँ –सकल ब्लॉक		**177.77**		165.93	
घटाकर : मूल्य ह्रास, क्षति एवं प्रावधान		**99.71**		93.98	
निबल वहनीय मूल्य			**78.06**		71.95
ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पतियाँ –सकल ब्लॉक	10 अ	**5.20**		4.05	
घटाकर : मूल्य ह्रास, क्षति एवं प्रावधान		**5.20**		4.05	5.64
निबल वहनीय मूल्य			.		-

तुलन–पत्र से संबंधित (जारी)

	टिप्पणी		31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
iii) पूंजीगत कार्य – प्रगति में	10 ब		11.52		5.64
iv) परिवृद्धि के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष परिसम्पतियाँ	10 स		-		-
(ख) गैर चालू निवेश	11		-		-
(ग) आस्थगित कर परिसम्पतियाँ (निबल)			71.67		59.91
(घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12		0.84		2.10
(ड.) अन्य गैर– चालू परिसम्पतियाँ	13		0.02		0.02
(2) चालू परिसम्पतियाँ					
(क) चालू निवेश	14	-		-	
(ख) वस्तु सूची	15	**6.77**		6.77	
(ग) व्यवसायिक प्राप्य	16	**246.92**		190.46	
(घ) नकद एवं तुल्यमान नकद	17	**61.21**		61.04	
(ड.) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	**151.98**		151.35	
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19	**0.05**		0.05	
			466.93		409.67
कुल			629.04		549.29

सार्थक लेखा नीति 33

लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी 34

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित टिप्पणियाँ तुलन–पत्र का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड की ओर से एवं वास्ते

ह0/	ह0/	ह0/	ह0/
(पी. लाजर)	(के. चन्द्रमौली)	(बी.एन. वासु)	(ए.के. सिंह)
कम्पनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं0 रू 002180 सी

ह0/
(सी ए सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक 12 मई 2012
स्थान – राँची

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण

करोड़ रूपये में

आय	टिप्पणी	31.03.12 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आँकड़े (अंकेक्षित)	31.03.11 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आँकड़े (अंकेक्षित)
कोयले की बिक्री			
घटाकर : उत्पाद शुल्क			
अन्य उगाहियाँ		**-**	-
प्रचालनों द्वारा राजस्व	20	**524.03**	429.09
अन्य आय	21	**4.40**	4.46
सकल राजस्व		**528.43**	433.55
व्यय			
सामग्री खपत की लागत	22	**16.67**	15.77
विकसित पूर्ण माल कार्यों के अन्वेषण में परिवर्तन तथा व्यावसायिक भण्डार	23	**-**	-
कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	24	**334.36**	269.75
विद्युत एवं ईंधन		**2.24**	2.07
सामाजिक व्यय	25	**11.48**	10.79
मरम्मती	26	**9.61**	11.11
संविदात्मक व्यय	27	**93.00**	76.55
वित्तीय लागतें	28	**-**	0.03
मूल्य ह्रास/ऋण/क्षति		**6.74**	5.48
प्रावधान	29	**(0.81)**	(3.21)
बट्टे खाते में डालना	30	**0.08**	0.43
अधिभार निराकरण समायोजन			
अन्य व्यय	31	**25.12**	23.78
कुल व्यय		**498.49**	412.55
विशेष मदों एवं कर तथा अपवादात्मक से पूर्व लाभ/हानि		**29.94**	**21.00**
समयपूर्व समायोजन {शुल्क/ (आय)}	32	**(0.85)**	(2.69)
अपादात्मक मदें		**-**	-
विशेष मदों तथा आयकर से पूर्व लाभ/हानि		**30.79**	23.69
असधारण मद {शुल्क/(आय)}		**-**	-
आयकर से पूर्व लाभ/(हानि)		**30.79**	23.69
घटाकर : आयकर व्यय			
–चालू वर्ष		**22.97**	13.22
–आस्थगित कर		**(11.76)**	(5.40)
–पूर्व वर्षों के लिए		**(0.03)**	0.55
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**19.61**	15.32
अर्जित प्रति इक्विटी शेयर (में)			
(प्रति शेयर एक हजार 1,000/– रू0.) के अंकित मूल्य पर			
(1) बेसिक (रू0. में)		**1030.00**	**805.00**
(2) मंदी (रू0. में)		**1030.00**	**805.00**
सार्थक लेखा नीतियाँ	33		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित टिप्पणी, लेखा के लाभ एवं हानि का अभिन्न भाग है।

ह0/	ह0/	ह0/	ह0/
(पी. लाजर)	**(के. चन्द्रमौली)**	**(बी.एन. वासु)**	**(ए.के. सिंह)**
कम्पनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते **तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी**

चार्टर्ड एकाउन्टेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन नं0 रू 002180 सी

ह0/

(सी ए सुशील कुमार तुलस्यान)

पार्टनर

सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक 12 मई 2012

स्थान – राँची

तुलन–पत्र से संबंधित टिप्पणी

टिप्पणी - 1

करोड़ रूपये में

		31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
	शेयरपूँजी		
	अधिकृत		
(i)	1000/–रू0. प्रति इक्विटी शेयर वाले 500000 इक्विटी शेयर	50	50
		-	-
		50	**50**
	निर्गमित अभिमत एवं चूकता पूँजी		
	(कोल इण्डिया, नियंत्रक कम्पनी तथा इनके मनोनीति के हैं।	-	-
	पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/–रू0. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू0. के 8 इक्विटी शेयर)	-	-
	नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चूकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू0. के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/– रू0. के 85392 इक्विटी शेयर)	8.54	8.54
	ऋण को इक्विटी शेयर में बदल कर होल्डिंग कम्पनी को पूर्णतः चूकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/– रू0. के 105000 इक्विटी शेयर	10.50	10.50
		19.04	**19.04**

शेयरहोल्डरों के नाम	शेयर धारक के नाम (प्रति 1000/-रू0. के अंकित मूल्य)		सकल शेयरों का प्रतिशत
कोल इण्डिया लिमिटेड	190400		100%

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 2

करोड़ रूपये में

आरक्षित एवं अधिभार

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
आरक्षित :		
पूंजीगत रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	**8.86**	10.42
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	**5.16**	0.24
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	**1.77**	1.80
(अतिरिक्त टिप्पणी –34 पैरा, 1.4 पूंजीगत रिजर्व	**12.25**	8.86
पूंजीगत क्षतिपूर्ति रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार		
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
विदेशी विनिमय मामलों के लिए रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	-	-
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
सी.एस.आर.रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	**0.38**	-
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	**0.76**	0.38
घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	**0.49**	-
	0.65	0.38
सामान्य रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	**2.18**	2.18
जोड़कर : सीएसआर रिजर्व से स्थानांतरण	**0.49**	-
जोड़कर / घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	**-**	-
	2.67	2.18
लाभ एवं हानि रिजर्व में अधिभार	-	-
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	**57.46**	42.14
वर्ष के दौरान कर के उपरान्त लाभ / (हानि)	**19.61**	15.32
विनियोग के लिए प्राप्य लाभ / (हानि)	**77.07**	57.46
विनियोग		
विदेशी विनियम मामलों के लिए रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-
सीएसआर रिजर्व में स्थानांतरण	**0.76**	-
अन्तरिम लाभांश	-	-
इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-
	0.76	-
विविध खर्च		
(बट्टे खाते में नहीं डाला गया)		
प्रारंभिक व्यय	-	-
पूर्व – परिचालित व्यय	-	-
कुल	**91.88**	**68.88**

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी½

टिप्पणी - 3

दीर्घकालीन कर्ज

करोड़ रूपये में

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
टर्म लोन		
आई बी आर डी	-	.
जे वी आई सी	-	.
निर्यात विकास कॉरपोरेशन, कनाडा		
लाईभेर फ्रांस, एस.ए., फ्रांस		
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	.
कुल (अ+ब)	-	-
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण 1

निदेशकों तथा अन्य द्वारा प्रत्याभूत ऋण

ऋण के विवरण	**करोड़ रू0. में धनराशि**	**गारंटी की प्रकृति**
	शून्य	शून्य

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी½

fVIi.kh & 4

अन्य दीर्घकालीन देयताए्

करोड़ रूपये में

	31.03.12 के नुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
स्थानांतरित एवं पुनर्वास निधि		
अथशेष	-	-
जोड़कर : निधि के निवेश से लाभ	-	-
जोड़कर : अंशदान प्राप्ति	-	-
घटाकर : धनराशि का उपयोग	-	-
	-	-
ट्रेड देय		
प्रतिभूति निक्षेप	-	-
अन्य (व्योरेवार प्रकृति)	-	-
कुल	-	-

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 5

करोड़ रूपये में

दीर्घकालीन प्रावधान

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
कर्मचारियों के लिए लाभ		
ग्रेच्यूटी	**98.97**	89.74
छुट्टी नकदीकरण	**58.10**	51.97
अन्य कर्मचारी लाभें	**13.33**	-
विदेशी विनिमय मामलों के लिए (विक्रय से चिंन्हित)	-	-
ओबीआर लेखा समायोजन	-	-
खान संवृति	-	-
अन्य के लिए	-	-
कुल	**170.40**	**141.71**

टिप्पणी - 6

करोड़ रूपये में

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

अल्पकालीन ऋण	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
बैंक से ऋण	-	-
मांग के अनुसार प्रतिदेय ऋण		
कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य अनुषंगियों के साथ शेष	-	-
नियत तिथि पर जमा की गई गिरवी के विरूद्ध अधिविकर्ष	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
आस्थगित क्रेडिट	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण - 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण - 2

निदेशकों तथा अन्य के द्वारा प्रत्याभूत ऋण

ऋण के विवरण	करोड़ रू0. में धनराशि	गारंटी की प्रकृति
	शून्य	शून्य

टिप्पणी - 7

करोड़ रूपये में

व्यापारिक देय

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
राजस्व भण्डारों के लिए विविध लेनदार	**33.45**	22.95
कुल	**33.45**	**22.95**

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 8

करोड़ रूपये में

अन्य चालू देयताएँ

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन उधारियों की चालू भुगतान-तिथि		
आईबीआरडी से टर्म लोन	-	-
जेबीआईसी से टर्म लोन	-	-
निर्यात विकास कॉरपोरेशन, कनाडा से टर्म लोन	-	-
लाईभेर फ्रांस एस.ए., फ्रांस टर्म लोन	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड से टर्म लोन	-	-
कोल इंडिया से अधिशेष निधि	-	-
	-	-
पूंजी के लिए (स्टोरों सहित)	**5.96**	5.96
लागत के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	**48.40**	22.08
विद्युत एवं ईंधन	**0.61**	0.66
अन्य	**36.50**	30.40
	91.47	59.10
सांविधिक देय		
विक्रय कर/वैट	-	-
भविष्य निधि तथा पेंशन निधि	**11.17**	8.85
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
कोयला पर उपकर तथा राजस्व	-	-
धारित उत्पाद शुल्क	-	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
अन्य सांविधिक उगाहियाँ	**9.93**	21.96
	21.10	30.81
स्रोत के अनुसार आयकर कटौती	**0.69**	0.32
प्रतिभूति निक्षेप (जमा)	**1.73**	1.95
पेशगी राशि	**1.68**	2.00
ग्राहकों, अन्यों से अग्रिम तथा निक्षेप (जमा)	**3.36**	3.73
ब्याज प्राप्ति तथा ऋणों पर देय	-	-
ब्याज प्राप्ति लेकिन ऋणों पर देय नहीं	-	-
उपकर समकरण लेखा	-	-
आईआईसीएम के पास चालू लेखा	-	-
अनपेड लाभांश	-	-
राष्ट्रीयकरण से पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
अन्य देयताएँ	**41.40**	27.48
कुल	**161.43**	**125.39**

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 9

करोड़ रूपये में

अल्पकालीन प्रावधान

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
de|pkfj;k d fy, ykHk		
– ग्रेच्यूटी	**15.27**	14.27
– छुट्टी नकदीकरण	**8.65**	8.51
– पीपीएलबी	**4.75**	3.44
– पीआरपी (अतिरिक्त टिप्पणी पैरा 34, 5.5)	**65.83**	84.92
– अन्य कर्मचारी लाभ	**0.33**	-
प्रस्तावित लाभांश के लिए	**-**	-
कॉरपोरेट लाभांश कर के लिए	**-**	-
कोयले की समाप्त भण्डार पर उत्पाद शुल्क के लिए	**-**	-
अन्य के लिए	**58.01**	60.18
कुल	**152.84**	**171.32**

टिप्पणी - 10 अ

अचल परिसम्पतियाँ

(अतिरिक्त टिप्पणी - पैरा 34, 1.3)

करोड़ रूपये में

विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस					निबल ब्लॉक	
	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास/ क्षतिपूर्ति घाटा	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
वास्तविक परिसंपतियाँ															
जमीन															
(क) पूर्ण स्वामित्व	**1.15**	**-**	**-**	**1.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	1.15	1.15
(ख) पट्टेदार	**2.19**	**-**	**-**	**2.19**	**0.71**	**0.04**	**-**	**0.75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.75**	1.44	1.48
														-	-
भवन/जल आपूर्ति/रोड एवं पुलिया	**41.14**	**1.35**	**(0.22)**	**42.27**	**13.71**	**0.72**	**(0.09)**	**14.34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.34**	27.93	27.43
														-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	**95.85**	**11.60**	**(2.52)**	**104.93**	**63.33**	**6.18**	**(2.25)**	**67.26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.26**	37.67	32.52
														-	-
दूर संचार															
रेलवे साइडिंग															
फर्नीचर तथा फीटिंग/ कार्यालय साधन एवं उपकरण /विद्युतीय फिटिंग/ अग्निशमक वाहन	**13.82**	**0.68**	**(0.03)**	**14.47**	**10.68**	**0.48**	**(0.03)**	**11.13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.13**	3.34	3.14
वाहन	**11.78**	**1.27**	**(0.29)**	**12.76**	**5.55**	**0.88**	**(0.20)**	**6.23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.23**	6.53	6.23
एअरक्राफ्ट															
विकास															
राष्ट्रीयकरण के बाद परिसम्पतियाँ ली गईं															
कुल	**165.93**	**14.90**	**(3.06)**	**177.77**	**93.98**	**8.3**	**(2.57)**	**99.71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.71**	**78.06**	**71.95**
वास्तिविक परिसम्पतियाँ 31.03.11 के अनुसार	155.31	11.56	(0.94)	165.93	87.75	7.08	(0.85)	93.98	-	-	-	-	93.98	71.95	67.56
स्पर्शमम्य परिसम्पतियाँ															
कम्प्यूटर/साफ्टवेयर	**4.05**	**1.19**	**(0.04)**	**5.20**	**4.05**	**1.19**	**(0.04)**	**5.20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.20**	-	-
विकास														-	-
अग्रदर्शी तथा बोरिंग														-	-
कुल	**4.05**	**1.19**	**(0.04)**	**5.20**	**4.05**	**1.19**	**(0.04)**	**5.20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.20**	**-**	**-**
स्पर्शमम्य परिसम्पतियाँ 31.03.11 के अनुसार	4.00	0.05		4.05	4.00	0.05	-	4.05	-	-	-	-	4.05	-	-

टिप्पणी - 10 ब

चालू पूंजीगत कार्य

करोड़ रूपये में

विवरण	कुल ब्लॉक				प्रावधान				इम्पेयरमेंट लॉस					निबल ब्लॉक	
	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन / विक्रय / स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन / विक्रय / स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन / विक्रय / स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास / क्षतिपूर्ति घाटा	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पतियाँ															
भवन / जल आपूर्ति / रोड एवं पुलिया	1.46	3.68	(1.06)	**4.08**				**-**	-	-	-	-	**-**	**4.08**	1.46
संयंत्र एवं मशीनरी	3.70	15.05	(11.78)	**6.97**	**0.03**			**0.03**	-	-	-	-	**0.03**	**6.94**	3.67
रेलवे साइडिग								**-**							
विकास															
अन्य															
कुल	**5.16**	**18.73**	**(12.84)**	**11.05**	**0.03**			**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**11.02**	**5.13**
वास्तविक परिसंपतियाँ (31.03.11 के अनुसार)	2.08	5.07	(1.99)	5.16	0.70		(0.67)	0.03	-	-	-	-	0.03	5.13	1.38
सर्वे ऑफ परिसंपतियाँ	**10.12**	**2.60**	**(2.64)**	**10.08**	**9.61**	**2.48**	**(2.51)**	**9.58**						**0.50**	**0.51**
सर्वे ऑफ परिसंपतियाँ (31.03.11 के अनुसार)	10.46	0.14	(0.48)	10.12	9.94		(0.33)	9.61						0.51	0.52
कुल जोड़	**15.28**	**21.33**	**(15.48)**	**21.13**	**9.64**	**2.48**	**(2.51)**	**9.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**11.52**	**5.64**
कुल जोड़ (31.03.11 के अनुसार)	12.54	5.21	(2.47)	15.28	10.64	-	(1.00)	9.64	-	-	-	-	0.03	5.64	1.90

टिप्पणी - 10 स

विकास के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष परिसम्पतियाँ

करोड़ रूपये में

	लागत				प्रावधान				क्षतिपूर्ति घाटा					निबल ब्लॉक	
विवरण	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	वर्ष 2011–12 के दौरान वृद्धि	2011–12 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	**कुल मूल्य ह्रास/ क्षतिपूर्ति घाटा**	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
अप्रत्यक्ष परिसम्पतियाँ															
विकास															
पूर्वेक्षण एवं परिवेधन															
31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए															
अप्रत्यक्ष परिसम्पतियाँ															

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 11

गैर चालू निवेश - लागत पर अनुद्धित

करोड़ रूपये में

	शेयरों/अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति/चालू वर्ष/ (विगत वर्ष) की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य/ अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति चालू वर्ष (विगत वर्ष)	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
व्यवसाय				
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबन्ध पत्र (पूर्ण रूप से भुगतान किया हुआ)				
(विविध देनदारों के प्रत्याभूति पर)				
अधिकांशतः राज्य–वार विघटित				
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-
तमिलनाडू	-	-	-	-
प. बंगाल	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
संयुक्त जोखिम वाली कम्पनियों में इक्विटी शेयर (जोखिम वाली कम्पनियों के नाम सहित)	-	-	-	-
अनुषंगी कम्पनियों में इक्विटी शेयर (अनुषंगियों के नाम सहित)	-	-	-	-
अन्य (को–ऑपरेटिव) में शेयर	-	-	-	-
अव्यवसायिक				
7.55 प्रतिशत अविनिमय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध पत्र 2021 अनुक्रम	-	-	-	-
कुल			-	-
उद्धृत निवेश का समुच्चय			-	-
अनुद्धृत निवेश का समुच्चय			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए निर्मित व्यवस्था			-	-

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 12

करोड़ रूपये में

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण		
अग्रिम		
पूंजी के लिए		
प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.03	1.16
संदिग्ध	-	-
	0.03	1.16
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	0.03	1.16
राजस्व के लिए		
प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-
प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.12	0.12
संदिग्ध	-	-
	0.12	0.12
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	0.12	0.12
पी एण्ड टी, बिजली इत्यादि के लिए जमा		
प्रतिभूत वसूली योग्य	0.44	0.43
अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
संदिग्ध	-	-
	0.44	0.43
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध ऋण प्राप्ति योग्य व्यवसाय स्वीकार्य हेतु प्रावधान	-	-
	0.44	0.43
कर्मचारी एवं अन्य को ऋण		
भवन निर्माण के लिए		
प्रतिभूत वसूली योग्य	0.25	0.39
अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
संदिग्ध	-	-
	0.25	0.39
मोटर कार्य तथा अन्य वाहन के लिए		
प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
संदिग्ध	-	-
	-	-
अन्य के लिए		
प्रतिभूति वसूली योग्य		
अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अनुषंगियों को ऋण		
प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
संदिग्ध	-	-
	-	-
कुल	0.84	2.10

नोट	इतिशेष		किसी समय पर देय अधिकतम राशि	
	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार	2011-12 के दौरान	2010-11 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीन कम्पनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध है/हैं				

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 13

करोड़ रूपये में

अन्य गैर चालू परिसम्पतियाँ

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
प्राप्ति योग्य दीर्घकालीन व्यवसाय		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
गवेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्ति योग्य		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.02	0.02
– संदिग्ध	-	-
	0.02	0.02
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान	-	-
	0.02	0.02
कुल	0.02	0.02

नोट

	इतिशेष		किसी समय पर देय अधिकतम राशि	
	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार	2011-12 के दौरान	2010-11 के दौरान
समरूप प्रबंधन के अधीन कम्पनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध है/हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 14

करोड़ रूपये में

चालू निवेश लागत में उद्धृत/अनुद्धृत

	शेयरों/अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति/चालू वर्ष/(विगत वर्ष) की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य/अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति चालू वर्ष/ (विगत वर्ष)	**31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)**	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित
अव्यवसायिक				
म्यूचुअल फंड निवेश (म्यूचुअल फंड के नाम सहित) 7.55 प्रतिशत अनविनिमय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध–पत्र 2021 अनुक्रम	-	-	-	-
व्यवसाय				
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध पत्र (पूर्णतः भुगतान किया हुआ) अधिकांशतः, राज्यवार विघटित				
कुल			-	-
उद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
अनुद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
अनुद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए निर्मित प्रावधान			-	-

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 15

करोड़ रुपये में

वस्तु-सूची
(लेखा नीति संख्या 5.1 के अनुसार मूल्य निर्धारण)

		31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कोयले का भण्डार	-	-
	विकास के अधीन कोयला	-	-
	घटाकर : प्रावधान	-	-
क	**कोयले का भण्डार (शुद्ध)**	-	-
	स्टोरों का भण्डार तथा अतिरिक्त पुरज़ों (लागत पर)	**7.10**	7.33
	स्टोर : मार्गस्थ	-	-
	घटाकर : प्रावधान (अतिरिक्त टिप्पणी पैरा 3.2)	**0.33**	0.56
ख	**भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जो का शुद्ध भण्डार (लागत पर)**	**6.77**	6.77
ग	**वर्कशॉप जॉब**		
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	-	-
	घटाकर : प्रावधान	-	-
	वर्कशॉप जॉब का शुद्ध भण्डार	-	-
घ	**प्रेस**		
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	-	-
ड.	**सेन्ट्रल अस्पताल में दवाइयों का भण्डार**		-
च	**पूर्वेक्षण तथा वेधन/विकासात्मक व्यय/कोल ब्लॉकों के सामान विक्रय हेतु**	-	-
	कुल (क से च)	**6.77**	6.77

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 16

करोड़ रूपये में

व्यावसायिक प्राप्य

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
भुगतान तिथि से छः माह से अधिक समय का बकाया ऋण		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	**81.45**	68.54
– संदिग्ध		
	81.45	68.54
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान	**2.72**	2.99
	78.73	65.55
अन्य बकाया ऋण		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	**168.19**	124.91
– संदिग्ध	-	-
	168.19	124.91
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान	-	-
	168.19	124.91
कुल	**246.92**	**190.46**

टिप्पणी

	इतिशेष		किसी भी समय देय अधिकतम राशि	
	31.03.12 के अनुसार	**31.03.11 के अनुसार**	**2011-12 के दौरान**	**2010-11 के दौरान**
एक ही प्रबंधन के अन्तर्गत कम्पनियों से बकाया				
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	17.77	7.71	17.77	23.17
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	16.52	16.53	24.10	24.76
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	66.77	27.78	66.77	27.78
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3.80	14.43	21.97	21.72
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	24.70	25.75	71.68	44.60
नादर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	17.72	18.48	29.62	31.79
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	16.49	11.68	27.48	26.75
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	0.94	3.74	4.13	3.74
ककरी सीएचपी	0.14	0.14	0.14	0.14
दानकुनी कोल कम्पलेक्स (सीआईएल)	0.02	0.02	0.02	0.02
भरतपुर सीएचपी (एमसीएल)	0.01	0.01	0.01	0.01
सीआईएल कोलकाता	30.09	18.42	30.09	18.42
एमजेएसजे कोल कम्पनी लि0	0.24	0.05	0.24	0.00
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.12	0.00	0.12	0.00
कुल	**195.33**	**144.74**	**294.14**	**222.90**
पार्टियों से बकाया जिसमें कम्पनी के निदेशक (को) से सम्बद्ध है (हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 17

करोड़ रूपये में

नकद एवं तुल्यमान नकद

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
नकद एवं तुल्यमान नकद		
अनुसूचित बैंक के पास शेष		
– एसबीआई लाभांश लेखा (अमुक्त/अस्वाभाविक लाभांश लेखा)		
– तीन महीने से भुगतान तिथि तक के साथ जमा खाते में		
– चालू खाते में	**60.13**	59.41
– नकद जमा खाते में	**-**	-
अनुसूचित बैंक के पास शेष		
भारत से बाहर के बैंक के पास खाते में	**-**	-
मार्गस्थ भेजी गई रकम	**-**	-
चेक, ड्राफ्ट एवं हाथे टिकट	**0.01**	0.36
नकद हाथे में	**0.05**	0.05
पुनः स्थापन तथा स्थानांतरण के अन्तर्गत अनुसूचित बैंक के पास जमा तीन महीने से भुगतान तिथि तक निधि योजना	**-**	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंक के पास शेष		
– तीन महीने से अधिक के भुगतान तिथि के साथ जमा खाते में	**1.02**	1.22
पुनः स्थापन तथा स्थानांतरण के अन्तर्गत अनुसूचित बैंक के पास जमा तीन महीने से अधिक के भुगतान तिथि तक के साथ निधि योजना	**-**	-
माइन क्लोजर प्लान स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित बैंक के पास जमा	**-**	-
कुल	**61.21**	61.04
वर्ष के दौरान किसी भी समय अनुसूचित बैंक के अलावा अन्य बैंकों के साथ बकाया अधिकतम लेखा	**-**	-

टिप्पणी

1 सीमान्त राशि अथवा उधारी के एवज में सुरक्षा, गारण्टियाँ, अन्य जिम्मेदारियों के रूप में रखे गए बैंक में जमा, अन्य चिन्हित जमा अलग से दिखाये जाएंगें	0.11	0.11
2 नकद तथा बैंक बैलेंस के संदर्भ में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध यदि कोई हो तो अलग से नियत किए जाएंगें	शून्य शून्य	शून्य शून्य
3 बारह (12) महीने से अधिक के भुगतान तिथि (मेच्यूरिटी) सहित बैंक जमा	शून्य	शून्य
4 निलम्ब लेखा (इस्क्रो) में रहना		

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 18

करोड़ रूपये में

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण		
अग्रिम (नकद वसूली योग्य या उसी रूप में या प्राप्ति योग्य मूल्य)		
आपूर्तिकर्त्ता को पेशगी		
राजस्व के लिए		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.45	0.62
– संदिग्ध	-	-
	0.45	0.62
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	0.13
	0.45	0.49
	0.45	0.49
सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	1.46
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.94	-
– संदिग्ध	-	-
	0.94	1.46
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
	0.94	1.46
अग्रिम आय कर/मूल कारण से कर में कटौती (संदर्भ अतिरिक्त टिप्पणी 34 पैरा 4.2)	96.59	87.56
घटाकर : आयकर के लिए प्रावधान	-	-
	96.59	87.56
अन्य		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	0.08
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.07	
– संदिग्ध	-	-
	0.07	0.08
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
	0.07	0.08
	97.60	89.10
कर्मचारियों को अग्रिम		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	0.92	0.83
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– संदिग्ध	-	-
	0.92	0.83
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
	0.92	0.83
कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोल इंडिया लि0 की अन्य अनुषंगी कम्पनियों के साथ चालू लेखा	17.93	22.19
अनुषंगियों के साथ ऋण लेखा		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्ति योग्य दावे		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	35.02	38.57
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– संदिग्ध	-	-
	35.02	38.57
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	0.16	-
	34.86	38.57
पूर्वदत्त व्यय	0.22	0.17
	53.93	61.76
कुल	151.98	151.35

टिप्पणी

	इतिशेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम देय आय	
	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार	2011-12 के दौरान	2010-11 के दौरान
एकरूप प्रबंधन के अधीन कम्पनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध है/हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन-पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी)

टिप्पणी - 19

करोड़ रुपये में

अन्य चालू परिसम्पतियाँ

	31.03.12 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.11 के अनुसार (अंकेक्षित)
ब्याज उपार्जित		
– निवेश	-	-
– बैंकों से जमा	-	-
– अन्य	-	-
पूर्व स्वामी का खाता	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाकर : प्रावधान		
जमा		
सीमाशुल्क के लिए जमा, पत्तन देय इत्यादि	-	-
कोल इण्डिया लिमिटेड के पास जमा	-	-
रॉयल्टी के लिए जमा, उपकर तथा विक्रयकर	-	-
घटाकर : प्रावधान		
अन्य	**0.05**	0.05
घटाकर : प्रावधान		
भूतपूर्व कोल बोर्ड की ओर से लेन–देन हेतु भारत सरकार से प्राप्त रकम	-	-
घटाकर : प्रावधान		
अन्य प्राप्ति	-	-
घटाकर : प्रावधान		
कुल	**0.05**	**0.05**

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 20

करोड़ रूपये मे

	31-03-12 dk lekIr o"k dk fy, ¼vdf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
प्रचालन से राजस्व		
कुल विक्रय	**524.03**	429.09
घटाकर : उगाहियाँ		
उत्पाद शुल्क	-	-
रायल्टी	-	-
कोयला पर उपकर	-	-
उत्पाद शुल्क धारिता	-	-
केन्द्रीय विक्रय कर	-	-
शुद्ध ऊर्जा उपकर	-	-
राज्य विक्रय कर/वैट	-	-
अन्य उगाहियाँ	-	-
कुल उगाहियाँ	-	-
प्रचालनों से राजस्व (वास्तविक विक्रय)	**524.03**	429.09

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 21

अन्य आय

करोड़ रूपये में

	31-03-12 dk lekIr o"k d fy, ¼vdf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन निवेश से आय		
संयुक्त जोखिम से लाभांश	-	-
अनुषंगियों से लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज		
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध – पत्र) (व्यवसाय)	-	-
चालू निवेश से आय		
म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज		
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध – पत्र) (व्यवसाय)	-	-
7.55 प्रतिशत अविनिमेय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध–पत्र 2021 अनुक्रम (अव्यवसायिक)	-	-
अन्य से आय		
ब्याज (सकल)		
बैंक के पास जमा से	**0.59**	0.09
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	**0.03**	0.04
आयकर प्रत्यपर्ण से	-	1.15
कोल इंडिया से	-	
अन्य	**0.03**	-
शीर्ष परिव्ययें		
बालू भराई तथा बचाव कार्य के लिए आर्थिक सहायता	-	-
परिसम्पतियों के विक्रय पर लाभ	-	-
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	-	-
विदेशी विनियम मामलों से प्राप्ति	-	-
पट्टा (लीज) किराया)	-	-
देयताओं से सही समय पर वापसी	-	-
अनुषंगियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य अप्रचालनीय आय	**3.75**	3.18
कुल	**4.40**	**4.46**

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 22

करोड़ रूपये में

	31-03-12 dk lekIr o"k dk fy, ¼vdf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
उपयुक्त सामग्री की लागत		
विस्फोटक	**-**	-
इमारती लकड़ी	**-**	-
पी ओ एल	**5.19**	5.05
अतिरिक्त एचईएमएम	**-**	-
अन्य उपभोग्य भण्डार एवं अतिरिक्त	**11.48**	10.72
कुल	**16.67**	15.77

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 23

करोड़ रूपये में

r|;kj ekyk dh lwph e ifjorlu] pkyw dk;l rFkk 0;olkf;d LVkd

	31-03-12 dks lekIr o"kZ ds fy, ¼vadsf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
कोयला/कोक का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयला/कोक का अपकर्ष	-	-
कुल (1)	-	-
कोयला/कोक का ओपनिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : कोयला/कोक का अपकर्ष	-	-
कुल (2)	-	-
(क) क्लोजिंग स्टॉक की सूची में परिवर्तन (2-1)	-	-
वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यू आई पी का ओपनिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
कुल (3)	-	-
वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यू आई पी का ओपनिंग स्टॉक	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
कुल (4)	-	-
(ख) वर्कशॉप के क्लोजिंग स्टॉक की सूची में परिवर्तन (4-3)	-	-
क्लोजिंग जॉब पर बल देना		
i) परिपूर्ण/तैयार माल	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
कुल (5)	-	-
ओपनिंग जॉब पर बल देना		
i) परिपूर्ण/तैयार माल	-	-
ii) चालू कार्य	-	-
कुल (6)	-	-
(ग) प्रेस के कार्यों द्वारा तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईपी के क्लोजिंग स्टॉक की सूची में परिवर्तन (6-5)	-	-
दवाइयों का क्लोजिंग स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल) (7)	-	-
दवाइयों के ओपनिंग स्टॉक घटाकर (केन्द्रीय अस्पताल) (8)	-	-
(घ) केन्द्रीय अस्पताल के दवाइयों के स्टॉक की सूची में परिवर्तन (8-7)	-	-
स्टॉक की सूची में कुल परिवर्तन (क+ख+ग+घ)	-	-

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 24

करोड़ रूपये में

कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय

	31-03-12 dk l ekIr o"k d fy, ¼vdf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
वेतन, मजदूरी, यात्रा, बोनस एवं सुविधाएँ	**181.37**	145.53
कृपानुदान	**5.88**	4.45
पी आर पी	**24.53**	29.77
भविष्य निधि में अंशदान एवं अन्य निधि	**22.69**	22.31
ग्रेच्यूटी	**34.53**	13.86
छुट्टी नकदीकरण	**20.76**	15.61
स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति	**-**	-
कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	**-**	-
अन्य कर्मचारी सुविधाएँ	**44.60**	38.22
कुल	**334.36**	**269.75**

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 25

करोड़ रूपये में

कल्याणकारी खर्चे

	31-03-12 dks lekIr o"kZ ds fy, ¼vadsf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
चिकित्सा खर्च	**5.40**	4.74
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च	**1.35**	1.33
विद्यालय एवं संस्थानों को अनुदान	**0.07**	0.07
खेल–कूद एवं मनोरंजन	**0.33**	0.27
कैंटीन तथा शिशु–सदन	**0.13**	0.13
विद्युत तथा नगर क्षेत्र	**2.05**	1.75
बस, एम्बुलेंस इत्यादि का किराया शुल्क	**0.19**	0.19
सी एस आर खर्चें	**0.48**	0.57
सामुदायिक विकास	**0.01**	-
पर्यावरणीय खर्चें	**0.10**	0.10
वृक्षारोपण		
अन्य खर्चें	**1.37**	1.64
कुल	**11.48**	10.79

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 26

करोड़ रूपये में

मरम्मती

	31-03-12 dks lekIr o"kZ ds fy, ¼vadsf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
भवन	**3.57**	4.80
संयंत्र एवं यंत्रावली	**1.07**	1.09
अन्य	**4.97**	5.22
कुल	**9.61**	11.11

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 27

करोड़ रूपये में

संविदात्मक व्यय

	31-03-12 dks lekIr o"k ds fy, ¼vadsf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
परिवहन परिव्यय	-	-
– बालू	-	-
– कोयला तथा कोक	-	-
– स्टोर एवं अन्य इत्यादि	-	-
वैगन लदाई	-	-
पी एवं एम को किराये पर लेना	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	**93.00**	76.55
कुल	**93.00**	76.55

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 28

करोड़ रूपये में

foRrh; ykxr

	31-03-12 dks lekIr o"k ds fy, ¼vadsf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
ब्याज		
आस्थगित भुगतान		
बैंक अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट)/नकद जमा	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	-
सी आई एल निधि ऋण ब्याज	-	-
अनुषंगियों से ब्याज	-	-
अन्य	-	-
dqy ¼d½	-	0.03
	-	0.03
vU; m/kkjh ykxrs		
_.k ¼vkbchvkjMh ,o tchvkblh½ ij xkjUVh Qhl	-	-
अन्य खर्चें/बैंक परिव्यय	-	-
dqy ¼[k½	-	-
dqy ¼d$[k½	-	0.03

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 29

करोड़ रूपये में

प्रावधानें

	31-03-12 dk lekIr o"k dk fy, ¼vdf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
(क) प्रावधान निर्माण हेतु		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावें	-	-
विदेशी विनिमय मामले	-	-
भण्डार एवं अतिरिक्त	-	-
भूमि/खदान संवृति खर्चों का उद्धार	-	-
स्थिर परिसंपतियों/डब्ल्यूआईपी पूंजी का निरीक्षण	-	-
अन्य	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) प्रावधान की समाप्ति		
संदिग्ध ऋण	**0.27**	2.50
संदिग्ध अग्रिम एवं दावें	-	-
भण्डार एवं अतिरिक्त	**0.23**	0.39
भूमि का उद्धार	-	-
स्थिर परिसंपतियों/डब्ल्यूआईपी पूंजी का निरीक्षण	**0.29**	0.32
अन्य	**0.02**	
कुल (ख)	**0.81**	3.21
कुल (क+ख)	**(0.81)**	(3.21)

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 30

करोड़ रूपये में

बट्टे खाते डालना

	31-03-12 dk lekIr o"k ds fy, ¼vdf{kr½	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
संदिग्ध ऋण	0.08	0.08
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	-	0.35
कुल	0.08	0.43

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 31

करोड़ रूपये में

अन्य व्यय

	31.03.12 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
यात्रा व्यय		
– घरेलू (देश के अन्दर)	**9.63**	9.04
– विदेशी	**0.85**	0.96
प्रशिक्षण व्यय	**0.38**	0.65
दूरभाष एवं डाक–खर्च	**0.62**	0.62
विज्ञापन एवं प्रचार	**1.19**	0.72
ढुलाई भाड़ा	**0.02**	0.01
विलम्ब शुल्क	**-**	-
चन्दा / अंशदान	**-**	-
सुरक्षा व्यय	**4.47**	4.10
सीआईएल का सर्विस शुल्क	**-**	-
किराया शुल्क	**1.93**	1.66
सीएमपीडीआई व्यय	**-**	-
वैधानिक खर्च	**0.38**	0.41
बैंक शुल्क	**0.05**	0.09
अतिथि गृह व्यय	**0.05**	0.04
परामर्श शुल्क	**0.41**	0.30
लदाई के अन्तर्गत शुल्क	**-**	-
विक्रय में घाटा/अलग कर देना/परिसंपतियों का सर्वेक्षण	**-**	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण पारिश्रमिक के लिए	**0.03**	0.03
काराधान मामलों के लिए	**0.01**	0.01
कम्पनी के विधि विषयों के लिए	**-**	-
प्रबंधन सेवा के लिए	**0.34**	0.12
अन्य सेवाओं के लिए	**0.07**	0.08
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		
पुनः स्थापना शुल्क	**-**	-
रॉयल्टी तथा उपकर	**-**	-
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	**-**	-
किराया	**0.55**	0.54
दर एवं कर	**0.34**	0.54
बीमा	**0.01**	0.01
विनिमय दर विसंगति पर घाटा	**-**	-
लीज किराया	**-**	-
बचाव / सुरक्षा खर्चें	**-**	-
निष्क्रिय किराया / सतही किराया	**-**	-
साइडिंग रख रखाव शुल्क	**-**	-
भूमि / फसल क्षतिपूर्ति	**-**	-
विविध व्यय	**3.79**	3.85
d;y	**25.12**	23.78

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी)

टिप्पणी - 32

करोड़ रूपये में

अपवादात्मक मद

पूर्व अवधि समायोजन

	31.03.12 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	31.03.11 को समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
(क) व्यय		
कोयला एवं कोक का विक्रय	-	-
कोयला एवं कोक का भण्डार	-	-
अन्य आय	-	-
पी ओ एल की खपत	-	0.09
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण व्यय	-	-
मरम्मती	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य खर्चे	-	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास	-	-
कुल (क)	-	0.09
(ख) आय		
सेवाओं की बिक्री	**0.48**	2.64
कोयला एवं कोक का भण्डार	-	-
अन्य आय	-	-
सामानों एवं पार्ट पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	**0.08**	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याणकारी व्यय	-	-
मरम्मती	-	-
संविदात्मक व्यय	**0.08**	-
अन्य खर्चे	**0.21**	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास	-	0.14
कुल ख)	**0.85**	2.78
सकल (क-ख)	**(0.85)**	(2.69)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

करोड़ रूपये में

	विवरण		चालू रिर्पोटिंग अवधि 2011-12 के लिए आँकडे	चालू रिर्पोटिंग अवधि 2010-11 के लिए आँकड़े
	1		2	3
I	**कैश फ्लो (अंतरवाह)**			
(1)	परिचालित क्रिया–कलापों से			
	(क) परिचालित क्रिया कलापों से लाभ		30.79	23.69
	समायोजन			
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन (ऋण चुकाना)		6.88	8.05
	स्टाक का परिशोधन			
	सीएसआर रिजर्व से राशि स्थानांतरित			0.38
	क्षतिपूर्ति			
	अचल परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि/(लाभ)			
	बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ			
	संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान/(निराकरण)			
	(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्त्तन			
	वस्तुसूची में कमी			
	प्राप्य व्यवसाय में कमी			85.41
	अल्पकालिन ऋण तथा अग्रिम में कमी			
	अन्य चालू परिसम्मपत्तियों में कमी			
	भुगतान योग्य व्यवसाय में वृद्धि		10.50	
	चालू देयताओं में वृद्धि		36.04	
	प्रावधान में वृद्धि		28.69	60.10
	सकल का (1)		112.90	177.63
(2)	**निवेशित क्रियाकलापों से**			
	क. अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति			
	ख. निवेश किए गए विक्रय से प्राप्ति			
	ग. अनुषंगियों/सहयोगियों/जोखिमों (व्यसायिक) से दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम की वसूली			
	घ. अन्य दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम में कमी			
	ड. अन्य अचालित परिसंपत्तियों में कमी		1.26	1.22
	च. चुकता लाभांश			
	छ. चुकता ब्याज			
	ज. प्राप्त ब्याज			
	झ. अन्य आय			
	सकल का (2)		1.26	1.22
(3)	**वित्तीय क्रियाकलापों से (नकद प्रवाह)**			
	क. शेयर पूंजी से निर्गमन से प्राप्ति			
	ख. लंबित आवंटन शेयर विनियोग राशि			
	ग. दीर्घकालीन उधारी/प्रावधानों से प्राप्ति			
	घ. अल्पकालीन उधारी/सरकारी अनुदान से प्राप्ति		3.39	-1.56
	सकल का (3)		3.39	-1.56
	कुल कैश इन फ्लो (1+2+3)		**117.55**	**177.29**

करोड़ रूपये में

	विवरण		चालू रिर्पोटिंग अवधि 2011-12 के लिए आँकड़े	चालू रिर्पोटिंग अवधि 2010-11 के लिए आँकड़े
	1		2	3
II	**कैश आउटफ्लो (बर्हिगमन)**			
(1)	**परिचालित क्रियाकलापों से**			
	क. परिचालित क्रिया–कलापों से हानि			
	समायोजन			
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन (ऋण चुकाना)			
	स्टॉक का परिशोधन			
	क्षतिपूर्ति			
	अचल परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि / (लाभ)			
	बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ			
	संदिग्ध ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान / (निराकरण)			
	ख. कार्यशील पूंजी में परिवर्त्तन			
	वस्तुसूची में वृद्धि			0.48
	प्राप्य व्यवसाय में वृद्धि		56.46	
	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि		0.63	84.92
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि			
	भुगतान योग्य व्यवसाय में वृद्धि			16.92
	चालू देयताओं में कमी			40.78
	प्रावधान में कमी		18.48	13.12
	ग. परिसंपत्तियों का आस्थगित कर		11.76	5.40
	घ. तात्कालीन भुगतान किया गया कर निबल की वापसी		11.18	8.37
	सकल का (1)		**98.51**	**169.99**
(2)	fuof'kr fØ;kdykik l			
	क. वास्तविक परिसंपत्तियों की खरीद चालू पूंजीगत कार्य		17.72	13.68
	ख. अवास्तविक परिसंपत्तियों की खरीद / विकासाधीन परिसंपत्तियाँ		1.15	1.82
	ग. निवेशों की खरीद			
	घ. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमों(व्यवसायिक) में निवेश			
	ड. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमों (व्यवसायिक) से दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम का भुगतान			
	च. अन्य दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम में वृद्धि			
	छ. अन्य अचालित परिसंपत्तियों में वृद्धि			
	सकल का (2)		**18.87**	**15.50**
(3)	foRrh; fØ;k dykik l			
	क. दीर्घकालीन उधारी की क्षतिपूर्ति			
	ख. अल्पकालीन उधारी की क्षतिपूर्ति			
	ग. चुकाया हुआ लाभांश (बंटन कर सहित)			
	घ. व्याज तथा अन्य वित्तीय लागत			
	ड. शेयर निर्गमन व्यय			
	सकल का (3)			
	d|y d|'k vkmV¶yk ¼1$2$3½		117.38	185.49
III	अवधि के प्रारंभ से कैश तथा तुल्यमान कैश (1–2), अतिरिक्त कैश तथा तुल्यमान कैश में नेट (कमी) वृद्धि		0.17 61.04	-8.20 69.24
IV	अवधि की समाप्ति पर कैश तथा तुल्यमान कैश		61.21	61.04

टिप्पणी - 33

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति

1.0 लेखागत परिपाटीः

यदि कोई अन्यथा उल्लेख न हो तो उसको छोड़कर, वित्तीय विवरण, चालू संस्थागत अवधारणा, लेखा मानकों तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों एवं व्यवहार के अनुसरण में ऐतिहासिक लागत पर आधारित वास्तविक (एक्यूरल) आधार पर तैयार किया जाता है।

2-0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदानः

2.1 पूँजीगत लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को उस सम्बद्ध परिसंपति की लागत से काट लिया जाता है जिससे वे सम्बन्धित हैं। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त रकम, यदि कोई हो, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

2.2 राजस्व लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट किया गया है तथा व्यय को सम्बन्धित शीर्ष के तहत डेबिट किया जाता है।

2.3 कार्यान्वयक ऐजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पी आर ई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसम्पतियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/ अनुदान को पूंजीगत भण्डार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भण्डार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है।

2.4 नोडल/कार्यान्वयक ऐजेंसी के रूप में सीधे अथवा कोल इण्डिया के माध्यम से प्राप्त अनुदान/फंड प्राप्ति एवं अदायगगी के आधार पर लेखे में लिया जाता है/गणना की जाती है।

3-0 अचल परिसम्पतियाँः

3.1 भूमिः

भूमि में अधिग्रहण की लागत सहित उस पर किए गये आनुषंगिक खर्च शामिल है।

3.2 भवनः

भवन में इलेक्ट्रीकल्स फीटिंग्स, जलापूर्ति व्यवस्था तथा सेनेटरी फीटिंग्स आदि की लागत शामिल है जो निर्माण ठेके का एक अंग था तथा जिसे पृथक नहीं किया जा सका। पार्टिशन एवं रूपान्तरण तथा टाउनशीप में क्षेत्र विकास जैसे कार्यों पर किये गये खर्च को मरम्मत एवं रख–रखाव (अनुरक्षण) खर्च के रूप में राजस्व खर्च में डाल दिया जाता है।

3.3 संयंत्र एवं मशीनरीः

3.3.1 संयंत्र एवं मशीनरी में इसके निर्माण/संस्थापन तथा उनके अभीष्ट इस्तेमाल के लिए ठीक ढंग से काम करने हेतु किये गये अन्य खर्च शामिल है। मशीन के साथ आपूर्त विमित पूर्जों को मशीन के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

3.3.2 साफ्टवेयर को प्राप्त होने वाले वर्ष में पूर्णतः परिशोधित (एमोरटाइज) किया जाता है।

4-0 निवेशः

दीर्घकालीन निवेश, यदि कोई हो, तो उसे लागत पर आँका जाता है।

5-0 वस्तु सूचीः

5.1 सेन्ट्रल ड्रिलिंग स्टोर (सी डी एस), बरकाकाना स्थित सामानों का स्टॉक तथा पाट–पुर्जों को भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। ड्रिलिंग कैम्पों/कार्य स्थलों को निर्गत भण्डार को प्रभार रहित (चार्ज्ड ऑफ) किया जाता है। ड्रिलिंग कैम्पों/कार्य स्थलों/उप भण्डारों पर पड़े स्टोरों तथा पार्ट पुर्जों की वस्तु सूची, जिसे प्रारंभिक तौर पर प्रभार रहित कर दिया गया था, को निर्गत मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।उपभोग लायक सामानों को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

5.2 सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों में खुले औजार भी शामिल हैं।

5.3 जो स्टोर मरम्मत योग्य नहीं है, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हों, के लिए 100 प्रतिशत की दर से तथा जिन स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों को 5 और इससे अधिक वर्षों से संचालित नहीं किया गया है, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

5.4 लेखन सामग्री तथा दवा के भण्डार को वस्तु–सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

6-0 मूल्यहासः

6.1 कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर अचल परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 1956 (यथा संशोधित) की अनुसूची–XIV में उल्लेखित दर पर सरल रेखा प्रणाली (एस एल एम) पर किया जाता है। विवेच्य वर्ष के दौरान बढ़ाई/निपटान की गई परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास वृद्धि/ निपटान के माह के सम्बन्ध में यथा आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

6.2 पट्टेधारी जमीन का मूल्य पट्टे की अवधि के अन्तर्गत परिशोधित किया जाता है।

6.3 वैसी परिसम्पतियों, जिनका वास्तविक मूल्य 5000/– रू. से अधिक नहीं है, का मूल्यह्रास इस तरह की प्रत्येक परिसम्पतियों के लिए 1 रूपया टोकन मूल्य छोड़कर 100 प्रतिशत पर किया जाता है।

7-0 कोल इण्डिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) के पास बकायाः

समय–समय पर इक्वीटी के परिवर्तन के लिए समायोजन के बाद ऋण या इसके विपरीत के कारण कोल इण्डिया लि. के पास बकाया रकम को अप्रतिभूत ऋण के रूप में दर्शाया गया है। चालू खाते में राजस्व की प्रकृति की लेन–देन के लिए बकाया/प्राप्तियोग्य रकम को चालू देयताएं/चालू परिसंपति में दिखाया गया है।

8-0 नियंत्रक कम्पनी को ब्याजः

कोल इण्डिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) के लिए ऋण पर ब्याज की गणना उनके द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार की जाती है।

9-0 सेवा निवृति पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभः

9.1 सेवा निवृति पर कर्मचारियों को देय टर्मिनल बेनीफिट के कारण देयता, नीचे उल्लेखित मद 10.2 को छोड़कर एक्च्यूरियल (वास्तविक) मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित एवं उपलब्ध कराया जाता है।

9.2 भविष्य निधि तथा सेवा–निवृति पेंशन योजना की देयताओं की गणना वास्तविक आधार पर की जाती है तथा उचित मामले में इसे प्राधिकारियों के पास स्थानांतरित किया जाता है।

10-0 राजस्व की पहचानः

10.1 नीचे 11.4 के मद में शामिल मामलों को छोड़कर आयोजना एवं डिजाइन तथा गवेषण के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों को दी गयी सेवाओं का बिल लागत योग के आधार पर तैयार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए लागत की इकाई इस प्रकार हैः

1. गवेषण सेवाओं के लिए – ड्रिलिंग मिटरेज
2. आयोजन एवं डिजाइन सेवाओं के लिए – अभियंत्रण दिवस

10.2 अंकेक्षण समिति/निदेशक मंडल के समक्ष लेखे को पेश किए जाने के बाद यदि विवेच्य वर्ष के लिए व्यय/आय का 0.2 प्रतिशत तक भूलचूक का पता लगता है तो विवेच्य वर्ष के लिए इसके प्रभाव की गणना बिक्री दर को संशोधित किए बिना की जाएगी।

10.3 विवेच्य वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों पर बिलिंग बजट दर पर किया जाता है। विभेदक (डिफरेंशियल) रकम को अन्तिम रूप दिये जाने पर उसी वर्ष के लिए रेज किया जाता है।

10.4 अन्य विविध कार्यों का बिल लागत/ लागत योग आधार या आपसी सहमति, जैसी स्थिति हो, पर तैयार किया जाता है।

10.5 लेखे में दर्शायी गयी बिक्री में सेवाकर शामिल नहीं है।

10.6 कोल इण्डिया लि. से बाहर की पार्टियों के मामले में राजस्व की पहचान किए गये कार्य की प्रतिशतता या वसूली योग्य रकम जो भी कम हो, के आधार पर अनुपातिक संविदा मूल्य पर की जाती है।

10.7 निरीक्षण शुल्क की गणना प्राप्ति (रिसिट) के आधार पर की जाती है।

11.0 विदेशी मुद्रा में विनिमयः

11.1 विवेच्य वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च को प्रचलित दर पर परिवर्तित/रूपान्तरित कर दिया जाता है तथा बिक्री बिल तैयार करने के समय प्रचलित दर पर दर्ज (बुक) कर दिया जाता है। समाप्त तिमाही में बकाया मदों को तिमाही को समाप्त दरों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

11.2 विदेशी मुद्रा में चालू परिसम्पतियों तथा देयताओं को तिमाही के अन्त के विनिमय दर पर बदल/ स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा इस बदलाव/स्थानान्तरण के कारण लाभ/हानि, यदि कोई हो, की पहचान तिमाही में की जाती है।

12.0 पूर्व अवधि समायोजन :

12.1 पूर्व वर्ष (वर्षों) के वित्तीय विवरण (विवरणों) को तैयार करने में भूल–चूक के फलस्वरूप वर्तमान वर्ष में उठाए गए (एराइजिंग) चार्ज या क्रेडिट, प्रत्येक मामले में 500000/– रू. से अधिक, की गणना इस शीर्ष के तहत की जाती है।

13.0 लेखा नीति में परिवर्तनः

लेखा नीति में किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन, जिससे चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, को लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी– 34) में दिखाया जाता है।

टिप्पणी- 34

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1.0 अचल परिसम्पतियाँ एवं मूल्यहासः

1.1 अचल परिसम्पतियाँः

1.1.1 01.01.1975 को कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल) का पुनर्गठन होने पर नियंत्रक कम्पनी से प्राप्त परिसम्पतियों एवं देयताओं का कानूनी हस्तांतरण होना अभी बाकी है।

1.1.2 कम्पनी ने बी सी सी एल टाउनशिप, धनबाद (रू. 3.80 करोड़), एन सी एल टाउनशिप, सिंगरौली (रू. 4.20 करोड़) तथा सी सी एल टाउनशिप, राजरप्पा (रू. 2.12 करोड़) में वैसी जमीन पर मकान एवं कार्यालय बनवाए हैं, जो नियंत्रक कम्पनी कोल इण्डिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कम्पनियों के हैं।

1.1.3 लेखा मापक–28 के अनुपालन में परिसम्पतियों की क्षति की जॉच प्रचलित मूल्य का आकलन कर प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह (बजटीय प्राक्कलन) तथा कोल इण्डिया लिमिटेड के दिशा–निर्देश के अनुसार 7 प्रतिशत छूट दर के आधार पर की गई तथा इस पर कोई इमपेरिमेंट हानि नहीं पाई गई है।

1.2 मूल्यहासः

विशेष दर

1.2.1 भू–विज्ञान संग्रहालय	–	5.15%
1.2.2 वेधन स्थल पर स्थित सभी संयंत्र एवं उपकरण, प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले स्कैनर, उपकरण तथा औजार एवं सभी तरह के मॉडल के फोटोकॉपियर	–	11.31%

1.2.3 बड़े आकार के सैम्पलर्स तथा रेसिपिरेटरी डस्टः

सैम्पलर्स	–	33.33%
दूर संचार	–	15.83%

1.2.4 पट्टे वाली भूमि तथा कोल इण्डिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कम्पनियें की जमीन पर बने भवनः पूर्ण स्वामित्ववाली जमीन पर बने भवन के लिए लागू दर

1.2.5 साफ्टवेयर	–	100.00%

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

1.3 टिप्पणी सं.- 10 ए के अनुसार परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण

करोड़ रूपये में

(ए) अचल परिसम्पति एवं साफ्टवेयर (एस एण्ड टी, सी सी डी ए, ई एम एस सी, यू एन डी पी, पी आर ई) (सी आई एल, आर एण्ड डी इत्यादि को छोड़कर परिसम्पतियाँ)

विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्यहास				वास्तविक ब्लॉक	
	01.04.11 के अनुसार	2011.12 के दौरान योग	2011-12 के दौरान योग/बिक्री/स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	2011-12 के दौरान योग	2011-12 के दौरान योग/बिक्री/स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
(1) भूमि										
क) फायरहोल्ड	1.15	-	-	1.15	-	-	-	-	1.15	1.15
ख) पट्टेदारी जमीन	2.19	-	-	2.19	0.71	0.04	-	0.75	1.44	1.48
भवन	40.83	1.35	(0.22)	41.96	13.67	0.72	(0.09)	14.30	27.66	27.16
संयंत्र एवं मशीनरी	61.04	10.25	(0.87)	70.42	36.87	4.43	(0.83)	40.47	29.95	24.17
फर्नीचर एवं फिटिंग्स कार्यालय उपकरण इत्यादि	13.35	0.68	(0.03)	14.00	10.46	0.46	(0.02)	10.90	3.10	2.89
वाहन	11.74	1.27	(0.29)	12.72	5.51	0.88	(0.20)	6.19	6.53	6.23
कुल (ए) अचल परिसंपतियाँ	**130.3**	**13.55**	**(1.41)**	**142.44**	**67.22**	**6.53**	**(1.14)**	**72.61**	**69.83**	**63.08**
साफ्टवेयर्स	2.28	0.2		2.48	2.28	0.20		2.48		

ख) अचल परिसंपतियाँ एवं साफ्टवेयर (एस एण्ड टी, सी सी डी ए, ई एम एस सी, यू एन डी पी, पी आर ई, सी आई एल, आर एण्ड डी इत्यादि)

विवरण	01.04.11 के अनुसार	2011.12 के दौरान योग	2011-12 के दौरान योग/बिक्री/स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	01.04.11 के अनुसार	2011-12 के दौरान योग	2011-12 के दौरान योग/बिक्री/स्थानांतरण	31.03.12 के अनुसार	31.03.12 के अनुसार	31.03.11 के अनुसार
भूमि										
क) फायरहोल्ड	-	-	-	-	-	-			-	-
ख) पट्टेदारी जमीन	-	-	-	-	-	-		-	-	-
भवन	0.31	-	-	0.31	0.04	-		0.04	0.27	0.27
संयंत्र एवं मशीनरी	34.81	1.35	(1.65)	34.51	26.46	1.75	(1.42)	26.79	7.72	8.35
फर्नीचर एवं फिटिंग्स कार्यालय उपकरण इत्यादि	0.47	-	-	0.47	0.22	0.02	(0.01)	0.23	0.24	0.25
वाहन	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-
कुल (बी) अचल परिसंपतियाँ	35.63	1.35	(1.65)	35.33	26.76	1.77	(1.43)	27.10	8.23	8.87
साफ्टवेयर	1.77	0.99	(0.04)	2.72	1.77	0.99	(0.04)	2.72		
कुल (ए+बी) अचल परिसंपतियाँ	165.93	14.90	(3.06)	177.77	93.98	8.30	(2.57)	99.71	78.06	71.95
कुल (ए+बी) साफ्टवेयर	4.05	1.19	(0.04)	5.20	4.05	1.19	(0.04)	5.20	-	-

1.4 पूँजीगत भण्डार : (टिप्पणी संख्या-2) कार्यान्वयक एजेन्सी के रूप में एस एण्ड टी, पी आर आई, ई एम एस सी, सी सी डी ए के अन्तर्गत अनुदान/फण्ड रिजर्वड् तथा परिसंपतियों का निर्माण करने के लिए पूँजीगत रिजर्व के रूप में माना जाता है तथा मूल्य ह्रास पूँजीगत रिजर्व लेखा में डेबिट किया जाता है। परिसम्पति का ऑनरशिप ऑथारिटी के अनुदान के माध्यम से होता है जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है। पूँजीगत रिजर्व का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण		एस एण्ड टी अनुदान	यू एन डी पी अनुदान	सी सी डी ए अनुदान	ई एम एस सी अनुदान	सी आई एल आर एण्ड डी अनुदान	पी आर ई अनुदान	सी एम एम/ सी बी एम क्लीयरिंग अनुदान	कुल
अन्तिम लेखा के अनुसार		6.09	0.05	0.12	0.00	1.83	0.66	0.11	8.86
योग		0.03	0.00	0.00	0.00	5.13	0.00	0.00	5.16
		6.12	0.05	0.12	0.00	6.96	0.66	0.11	14.02
घटाकर–मूल्यह्रास एवं समायोजन		1.02	0.00	0.02	0.00	0.53	0.19	0.01	1.77
	कुल	5.10	0.05	0.10	0.00	6.43	0.47	0.10	12.25
31.03.2011 के अनुसार आँकड़े		6.09	0.05	0.12	0.00	1.83	0.66	0.11	8.86

2.0 चालू पूँजीगत कार्य

संयंत्र और मशीनरी, जिसका उपयोग 3 वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं किया गया है तथा 4 वर्षों से अधिक समय से पड़े हुए अपूर्ण सिविल कार्य के लिए प्रावधान मूल्य ह्रास जो ऐसे आइटमों के लिए उपयुक्त हो, दर से किया गया है।

3.0 सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जो का भण्डारः

3.1 मशीन, विशिष्ट के पुर्जों को मशीन के साथ पूँजीकृत नहीं किया जाता है न तो कोई पुर्जा मशीन विशेष का है और न ही अनियमित उपयोगवाले जिन्हें ए एस 110 के साथ पठित लेखा मानक (ए एस 2) के साथ पूँजीकृत किया जाए।

3.2 अप्रयुक्त (अबसोलेट) भण्डार के तहत कुछ सामग्रियों के निपटान के कारण अचल एवं अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान गत वर्ष रू. 0.56 करोड़ से रू. 0.33 करोड़ कम होकर रू. 0.23 करोड़ तक हो गया है।
संदर्भ संख्या – 15

4.0 ऋण एवं अग्रिम देनदार

4-1 कोल इण्डिया (सी आई एल) की सहायक कम्पनियों के पास चालू लेखा एवं फुटकर देनदारः कोल इण्डिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगियों के साथ चालू खातों में अन्तर–कम्पनी लेन–देन का सामंजस्य 31.03.2012 तक किया जा चुका है। 31.03.2012 तक कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के पास समस्त चालू लेखा जमा को कोल इण्डिया के चालू लेखा में स्थानान्तरित कर दिया गया है। 31.03.2012 तक की अवधि से सम्बन्धित अनुषंगी कम्पनियों से/को प्राप्त/भेजी गई क्रेडिट/डेबिट को सहायक कम्पनियों के उचन्त खाते में माना जाता है।

4.1.2 रू. 249.64 करोड़ के फुटकर देनदार में एक ही प्रबन्धन के तहत अनुषंगी कम्पनियों के बकाये हैं। 01.04.1993 से कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ लेखे के समायोजन के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों द्वारा बिलों को स्वीकार करने की पद्धति लागू की गई है। बिलों की स्वीकृति का मॉनिटर नियमित ढंग से किया जा रहा है।

4.1.3 बकाए की सम्पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोल इण्डिया की सहायक कम्पनियों सहित अन्य देनदारों को पत्र जारी किए गए हैं जिनके जवाब की प्रतीक्षा है। 31.03.2012 के अनुसार फुटकर देनदार, विभिन्न ऋण एवं अग्रिमों जमा इत्यादि के बैलेंस की सम्पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है।

4-2 कम्पनी ने (कोल इण्डिया की सहायक कम्पनियों से इतर) बाहरी पार्टियों से तीन वर्षों से अधिक वर्षों के लिए बकाया देय उपलब्ध कराया है तथा कोल इण्डिया की सहायक कम्पनियों से बकाया हेतु कोई प्रावधान तैयार नहीं किया जा रहा है।

4.3 आयकरः

रू. 96.59 करोड़ के आयकर अग्रिम (सन्दर्भ टिप्पणी सं.–18) में मूल्यांकन वर्ष 2009–10 तक के लिए रू.11.64 करोड़ शामिल है। रू. 59.87 करोड़ आयकर के प्रावधान में मूल्यांकन वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित मूल्यांकन के लिए प्रावधान शामिल है।

4.4 अन्य

राँची में स्थित कार्यालय भवन का एक भाग (पार्ट) दिनांक 04.12.2000 से झारखण्ड सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। 31.03.2012 के अनुसार वसूली करने योग्य किराया के लिए दावा रू. 0.07 करोड़ (31.03.2011 के अनुसार विगत वर्ष का किराया 0.04 करोड़ है।

5.0 चालू देयताएं एवं प्रावधानः

5.1 कोल इण्डिया तथा इसके कार्यालयों के पास चालू लेखाः

कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसके कार्यालयों के पास चालू लेखा का सामंजस्य नियमित रूप से किया जा रहा है लेकिन यह जानकारी नहीं है कि विवेच्य वर्ष में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सामंजस्य विवरण में दर्शाए गए सभी मदों को परिकलित किया गया है या नहीं। 31.03.2012 तक चालू लेखा शेष (जमा) का सामंजस्य किया जा चुका है।

5.2 कोयला खान पेंशन योजना के अन्तर्गत देयताएंः

5.2.1 वैसे कर्मचारी, जो सी एम पी एफ के सदस्य नहीं हैं या सी एम पी एफ के सदस्य हैं, परन्तु उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने पेंशन का विकल्प नहीं चुना है, के कारण उनसे काटा गया रू. 0.35 करोड़ (31.03.2011 के अनुसार गत वर्ष रू. 0.33

करोड़) जो चालू देयताओं में शामिल है, को भेजा नहीं जा सका (रेमिटेड)।

5.2.2 01.07.1995 से कम्पनी द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिए रू. 0.02 करोड़ (31. 03.2011 के अनुसार गत वर्ष रू. 0.33 करोड़) की भी देयता है।

5.2.3 देयताओं की उपर्युक्त रकम में सी एम पी एफ के लिए लागू दर पर ब्याज भी शामिल है।

5.2.4 इन देयताओं के लिए बैंक के सावधि जमा खाते में रू. 0.55 करोड़ (31.03.2011 के अनुसार गत वर्ष रू. 0.55 करोड़) है।

5.3 अन्य

5.3.1 विवेच्य वर्ष के दौरान संविदात्मक ड्रिलिंग का प्रावधान ड्रिल किए गए मिटरेज के मूल्य के 100 प्रतिशत में से इस ड्रिलिंग के लिए किए गए भुगतान को घटाकर किया गया है।

5.3.2 वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार (केवल अधिकारियों के लिए) दिनांक 01.01.2007 से पेंशन एवं सेवा निवृति लाभ के लिए क्रमशः रू. 10.24 करोड़ (31.03.2011 के अनुसार गत वर्ष रू. 8.00 करोड़) तथा रू. 23.10 करोड़ (31.03.2011 के अनुसार गत वर्ष रू. 18.25 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

5.3.3 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम– 2000 जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है जिसके तहत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से सम्बन्धित कुछ स्पष्टीकरण (डिसक्लोजर) अपेक्षित है। यह कम्पनी के अपने आपूर्तिकर्ताओं से इस अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में सूचनाएं संकलित कर रही हैं। चूँकि सम्बद्ध सूचनाएं तत्काल उपलब्ध नहीं है, इसलिए लेखे में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

5.4 एन सी डब्लू ए-IX के लिए प्रावधानः

01.07.2011 से प्रभावी नेशनल वेज एग्रीमेंट (एन सी डब्लू ए–IX) 30 जनवरी, 2012 को वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए फाइनल कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए जो 01.07.2011 से 31.03.2012 तक अवकाश प्राप्त कर गए, ग्रेच्यूटी इम्पेक्ट को छोड़कर पे रिविजन के वित्तीय प्रभाव की संक्षिप्त स्थिति तथा वास्तविक देयता का प्रभाव नीचे दिया जा रहा हैः–

31.03.2012 के अनुसार पे रिविजन का इम्पेक्ट 34.46 करोड़ रूपये है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कर्मचारियों जो 01.07.2011 से 31.03.2012 तक सेवा निवृत हो गए, के लिए भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं मजदूरी के रिविजन हेतु ग्रेच्यूटी का इम्पेक्ट 0.29 करोड़ रूपये है।

कर्मचारियों के लिए 31.03.2012 के अनुसार ग्रेच्यूटी, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, लाइफ कवर स्कीम, सेटलमेंट भत्ता की वास्तविक देयता, पूर्व संशोधित वेज पर वेज बोर्ड कर्मचारियों के वेज रिविजन का प्रभाव शामिल है। उपर्युक्त पर लाभ क्रमशः 11.70 करोड़ रूपये, 1.96 करोड़ रूपये, 0.33 करोड़ रूपये तथा 2.23 करोड़ रूपये है।

एक्सीडेंटल मृत्यु के मामले में आश्रितों को मुआवजा, सेवानिवृत अधिकारियों के लिए ग्रास पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम, ली ट्रेवल कॉन्सेसन, चिकित्सा सुविधा जैसे कुछ अन्य कार्मिकों के लाभ हेतु वर्षान्त देयता, लाइफ अरलियर ईयर वास्तविकता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

5.5 कार्य निष्पादन से सम्बन्धित भुगतानः

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिए क्रमशः 16.05 करोड़, 10.90 करोड़, 28.20 करोड़, 29.77 करोड़ और 24.53 करोड रूपये अधिकारियों के पी आर पी के लिए लम्पसम रिकवरेबुल एडवांस का प्रावधान किया गया है। इस पेमेन्ट के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 43.62 करोड़ रूपये जमा किया गया और शेष 65.83 करोड़ रूपये (सन्दर्भ टिप्पणी संख्या– 9) बच गया। सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों से वसूली गई राशि पी आर पी के फाइनलिटि वर्ष के लिए होगी।

6.0 चोरी एवं छिनतई के मामलेः

विवेच्य अवधि के दौरान चोरी के मामलों में 0.02 करोड़ रूपये (गत वर्ष 31.03.2011 क अनुसार 0.01 करोड़ रूपये) का रिपोर्ट किया गया। चोरी की रिपोर्टों में अधिकांश आइटमों में चार्जड ऑफ आईटम शामिल है और ऐसी क्षति के लिए ऐसे प्रावधान लेखे में नहीं किए गए हैं।

7.0 निदेशकों का पारिश्रमिक

राशि (करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2011—12	गत वर्ष 2010—11
i)	एल टी सी/ छुट्टी नकदीकरण सहित वेतन एवं भत्ते	0.56	0.79
ii)	भविष्य निधि	0.07	0.09
iii)	चिकित्सा व्यय	0.01	0.01
iv)	परक्यूजिट्स का मूल्य	0.15	0.20
v)	प्रदत्त ग्रेच्यूटि	0.20	0.00

8.0 विदेशी मुद्रा में अर्जन, व्यय आदि

8.1 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2011—12	गत वर्ष 2010—11
i)	विदेशी प्रशिक्षण/ यात्रा, पुस्तकें एवं अन्य	0.40	0.46
ii)	परामर्श शुल्क	0.44	0.18
	कुल	0.84	0.64

8.2 सी आई एफ आधार पर परिगणित आयातों का मूल्यः

राशि (करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2011—12	गत वर्ष 2010—11
i)	पूँजीगत सामान	0.78	3.51
ii)	स्पेयर्स एण्ड कम्पोनेन्ट	0.00	0.00
	कुल	0.78	3.51

8.3 विदेशी विनिमय में अर्जन — शून्य — शून्य

8.4 खपत किए गए आयातित और स्वदेशी स्टोर्स तथा स्पेयर्स पार्ट एवं कुल खपत में उसका प्रतिशत राशि

(करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2011—12		गत वर्ष 2010—11	
		मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
i)	आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	स्वदेशी	16.67	100.00	15.77	100.00
	d|y	16-67	100-00	15-77	100-00

9.0 फुटकर दायित्व (कंटीजेन्ट लायबिलिटी)

9.1.1 **आयकरः** अपील में लम्बित पूरी की गई असेसमेन्ट से सम्बन्धित 22.17 करोड़ रूपये (गत वर्ष 31.03.2011 के अनुसार 6.64 करोड़ रूपये)।

9.1.2 **प्रवेशकरः** व्यवसायिक कर आयुक्त के समक्ष लम्बित वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिए 0.17 करोड़ रूपये (गत वर्ष 31.03.2011 के अनुसार 0.21 करोड़ रूपये)।

9.1.3 (i) **सेवाकरः** अपील में लम्बित पूरी की गई असेसमेन्ट के लिए 5.46 करोड़ रूपय (गत वर्ष 31.03.2011 के अनुसार 0.40 करोड़ रूपये)।

(ii) सेन्ट्रल एक्साइज, कस्टम एवं सेवा कर विभाग भुवनेश्वर द्वारा उठाए गए आबजर्वेशन के लिए 0.58 करोड़ रूपये।

(iii) ओ एस एच बी, भुवनेश्वर द्वारा उठाए गए मॉग के लिए 0.16 करोड़ रूपये।

9.1.4 न्यायालय के समक्ष लम्बित अन्य विवादास्पद दावे जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, की राशि 6.43 करोड़ रूपये (गत वर्ष 31.03.2011 के अनुसार 12.59 करोड़ रूपये)।

9.2 विवेच्य अवधि के दौरान परिपक्वता तक एल सी खोले गए शून्य (गत वर्ष 31.03.2011 के अनुसार 0.45 करोड़ रूपये)।

9.3 पूँजीगत लेखे पर प्रतिपादित किए जाने वाले शेष बचे कंट्रेक्ट, जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, की रकम 6.65 करोड़ रूपये (गत वर्ष 31.03.2011 के अनुसार 7.35 करोड़ रूपये)।

9.4 अन्य मामलेः

9.4.1 औद्योगिक तथा अन्य विवादों के कारण कुछ मुकदमे न्यायालय में लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में आकस्मिक देयता की मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

9.4.2 कम्पनी की ओर से बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में कम्पनी द्वारा 0.20 करोड़ रूपये (गत वर्ष 31.03.2011 के अनुसार 0.11 करोड़ रूपये) की प्रति गारंटी निर्गत की गई है।

10.0 आस्थगित करः

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया द्वारा जारी आय पर कर के लिए लेखे पर एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए एस–22) के अनुसार 31.03.2012 तक आस्थगित कर परिसम्पतियों और देयताओं के लिए प्रावधान क्रमशः 79.42 करोड़ रूपये तथा 7.75 करोड़ रूपये परिकलित की गई है। 31.03.2012 के अनुसार निबल आस्थगित कर में निम्नलिखित शामिल हैः–

राशि (करोड़ रूपये में)

	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2011 के अनुसार
आस्थगित कर परिसम्पतियाँ		
वी आर एस	0.00	0.02
साफ्टवेयर	0.06	0.05
अप्रयुक्त/अचल के लिए प्रावधान	0.10	0.19
सन्देहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	0.88	0.99
छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्यूटि एवं अन्य टर्मिनल बेनिफीट	78.38	65.95
कुल (अ)	**79.42**	**6**7-20

ख) आस्थगित कर देयता		
परिसम्पतियों के डब्लूडीवी में अन्तर	7.75	7.29
कुल (ब)	7.75	7.29
ग) आस्थगित कर देयता (निबल)	71.67	59.91

11.0 खण्डवार- लाभ एवं हानि विवरण:

राशि (करोड़ रूपये में)

विवरण	पी एण्ड डी	गवेषण	पर्यावरण	कुल
राजस्व				
सेवाओं की बिक्री	194.28	307.40	22.35	524.03
विविध आय	3.17	1.18	0.05	4.40
कुल राजस्व	197.45	308.58	22.40	528.43
परिणाम	52.85	58.86	6.83	118.54
अनअलोकेटेड निगमित व्यय				87.75
कर पूर्व लाभ/हानि				30.79
आयकर के लिए प्रावधान				22.94
आस्थगित कर के लिए प्रावधान				–11.76
कर पश्चात् लाभ				19.61

12.0 निगमित सामाजिक उतरदायित्व (सी एस आर):

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) हेतु 0.76 करोड़ रूपये (गत वर्ष के रिटेन्ड लाभ का 5 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। इस लेखे से 0.49 करोड़ रूपये की रकम व्यय की गई।

13.0 वापसी (राइट बैक)

13.1 वित्तीय वर्ष के अन्त में तीन वर्षों से अधिक की पुराने स्टेल चेक को, कुछ मामलों को छोड़कर, वापस लाया गया है।

13.2 न्यायालय/मध्यस्थ में लम्बित मामलों को छोड़कर वित्तीय वर्ष के अग्रधन और सुरक्षा जमा, जो पाँच वर्ष से ज्यादा पुराने हैं, को वापस लाया गया है।

13.3 न्यायालय/मध्यस्थ के पास लम्बित वैसी दावा रहित देयताओं को छोड़कर, जो कर्मचारी से सम्बन्धित नहीं हैं तथा 5 वर्षों से अधिक की है, को वापस लाया गया है।

14.0 गत वर्ष के आँकड़ेः

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, चालू वर्षों के साथ उसकी तुलना करने के लिए गत वर्ष के आँकड़े को पुनर्व्यस्थित/पुनर्गठित/पुनः समूहित किये गये हैं।

तुलन पत्र के लिए 1 से 19, लाभ तथा हानि लेखा के लिए 20 से 32 तथा लेखा नीति के लिए 33 से 34 और लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी के लिए हस्तांतरित।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(पी लाजर	**(के चन्द्रमौली)**	**(बी एन बसु)**	**(ए के सिंह)**
मुख्य महाप्रबन्धक	(वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

उस तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में
वास्ते तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
फर्म निबंधन सं.- 002180 सी

ह/-
(सी ए सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्य संख्या- 075899

स्थानः राँची

तिथिः 12 मई 2012

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड
कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI भाग IV के द्वारा यथावांछित सूचनाएं
तुलन-पत्र का सार और कम्पनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल
03 झारखण्ड (राज्य कोड)

I. पंजीयन विवरण

पंजीयन संख्या

0	0	1	2	2	3

राज्य कोड

0	3

तुलन – पत्र तिथि

दिनांक	महीना	वर्ष
31	03	2012

II. विवेच्य वर्ष में उगाही गई पूँजी (राशि हजार रूपये में

पब्लिक इश्यू

				शू	न्	य

राइट इश्यू

				शू	न्	य

बोनस इश्यू

				शू	न्	य

प्राइवेट प्लेसमेन्ट

				शू	न्	य

III. निधियों का संग्रहण एवं विस्तार की स्थिति (राशि 00000 रूपये में)

कुल देयताएं

		6	2	9	0	4

कुल परिसंपत्तियां

		6	2	9	0	4

निधि के स्रोत : प्रदत्त पूँजी

			1	9	0	4

आरक्षित एवं अधिशेष

			9	1	8	8

प्रतिभूत ऋण

				शू	न्	य

अप्रतिभूत ऋण

				शू	न्	य

निधि के उपयोग — निबल अचल परिसंपत्तियां

			8	9	5	8

निवेश

				शू	न्	य

निबल चालू परिसंपत्तियां/गैर चालू परिसंपत्तियां

		(-)	5	0	3	3

विविध व्यय

				शू	न्	न्

संचित हानि

				शू	न्	य

आस्थगित कर

			7	1	6	7

इंटेन्जिबुल एसेट्स

				शू	न्	य

IV. कंपनी का निष्पादन (00000 रूपये में)

टर्न ओवर	कुल व्यय
52403	49849

+ / -	कर के पूर्व लाभ/हानि	+ / -	कर के बाद लाभ/हानि
+	3079	+	1961

(लाभ के लिए +, हानि के लिए –)

प्रति शेयर उपार्जन (रूपये में)	लाभांश
1030	शून्य

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम
(मौद्रिक टर्म के अनुसार)

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	भू–विज्ञान एवं वेधन
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा क्षेत्र सेवाएं

अनुसूची 'क से ण' तक और 1 से 15 तक के लिए हस्ताक्षरित
निदेशक–मंडल, सीएमपीडीआई की ओर से एवं वास्ते

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(पी लाजर)	**(के चन्द्रमौली)**	**(बी एन बसु)**	**(ए के सिंह)**
कम्पनी सचिव	मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

अनुबन्ध जो कि 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली,, 1975 के साथ पठित
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के अनुसार सूचना

क्रमांक	नाम	पदनाम/ कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रूपये)	नियुक्ति की प्रकृति स्थायी/ अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2012 को उम्र (वर्ष)	अन्तिम नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(क) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त और वित्त वर्ष में प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 60,00,000/— रूपये से कम नहीं था।

.... शून्य ....

(ख) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए सम्पूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 5,00,000/— रूपये से कम नहीं था।

.... शून्य ....

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए आम सूचना (जनरल नोट)

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा जांच के लिए रखा जाएगा तथा यह कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयरधारक द्वारा मांगे जाने पर जानकारी देने के लिए मुख्यालय में उपलब्ध रहेगा।